राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम् सत्र, १९६७ का ७८वां दिवस [संख्या ३७

बुधवार,
दिनांक १९ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्थान नहर परियोजना, आबकारी, विद्युत्, वन, स्वायत्त शासन, वित्त, सिचाई, समाज कल्याण, आयुर्वेद, खनिज विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री श्रीराम रावत !

तहसील कोटपूतली में सीमेंट का कारखाना

८९८. **श्री श्रीराम रावत (कोटपूतली)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने तहसील कोटपूतली के ग्राम मोहनपुरा कुजौता की पहाड़ियों के पत्थर से सीमेंट बनाने के कारखाने की स्थापना करने का विचार कर, गत वर्ष घोषणा इस आशय की की थी?

(२) अगर हां, तो उस पर किस वजह से अब तक ध्यान नहीं दिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सीमेंट के कारखाने को स्थापित न करने देने के पीछे किसी व्यक्तिविशेष की रुचि व हाथ रहा है और इस कारण यह कार्य नहीं किया जा रहा है जब कि सर्वे आदि का कार्य पूरा कर लिया गया था ?

उप उद्योग मंत्री (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां।

(२) जिस पार्टी को लाइसेन्स दिया गया था उन्होंने किन्हीं कारणों से उस कारखाने को लगाना उचित नहीं समझा।

(३) जी नहीं।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : कोई अन्य पार्टी की एप्लीकेशन नहीं थी ?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : दूसरी एप्लीकेशन्स भी थीं।

श्री सहदेव शर्मा : अब सरकार क्या सोचती है ?

श्री हरिदेव जोशी : डीलाइसेन्स होने के बाद कोई भी उस पर कारखाना लगा सकता है। लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है।

श्री सहदेव शर्मा : सरकार का इरादा इस इलाके में सीमेंट का कारखाना खोलने का तो है न ?

श्री हरिदेव जोशी : सरकार खोलना चाहती है लेकिन वहां जो कन्डीशन्स हैं उसमें अगर कोई यह समझता है कि वहां सीमेंट फैक्ट्री लगाना लाभकारी है तब तो कोई आएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत !

अजमेर जिले के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

८९९. **श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद):** क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार ने अजमेर जिले के जिन ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे ग्रामों की कोई जानकारी प्राप्त की है ? अगर हां, तो कितने गांव हैं और सरकार ने पानी की समस्या के हल के लिये क्या कारगर कदम उठाए हैं ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (राव श्री नारायण सिंह) : जी हां, ऐसे ग्रामों की जानकारी प्राप्त की है, कुल ४६३ ग्राम हैं । सरकार ने इन ग्रामों की पानी की समस्या हल करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री विजयसिंह रावत : मास्टर प्लान इस क्षेत्र में कब चालू हो जायगा ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : भारत सरकार के विचाराधीन है, जब स्वीकृति प्राप्त होगी....

श्री विजयसिंह रावत : मैं जानना चाहूंगा, क्या सरकार महसूस नहीं करती है कि जो ग्रामीण जनता जल संकट के अन्दर ग्रस्त है, मास्टर प्लान आपका ३५ साल या ७० साल में भारत सरकार से विचार होकर एप्रूव होकर आएगा तब तक आप इन गांवों के लिए क्या कारगर कदम उठायेंगे ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यह तो ख्याल करना गलत है कि ३५–७० सालों में मास्टर प्लान एप्रूव होकर आयेगा। लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं कि जिन गांवों में जल संकट है वहां प्राथमिकता दी जायगी। लेकिन जहां इतना जल संकट नहीं है और केवल नल लगाने की हविश है वहां उस अंश में प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री विजयसिंह रावत : आप कह रहे हैं कि वहां पर इतनी आवश्यकता नहीं है केवल नल लगाने की आवश्यकता है ....

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जहां मैंने कहा ।

श्री विजयसिंह रावत : लेकिन आप कह रहे हैं कि विचाराधीन है। आप कोई समय तो बतायें कि इतने समय में हो जायगा।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : भारत सरकार के विचाराधीन है। हर गांव के लिए अलग-अलग है ।

श्री विजयसिंह रावत : अजमेर जिले में कब इफेक्ट हो जायगी ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : शीघ्रातिशीघ्र ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

अध्यापकों की वेतन शृंखला

९००. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षणालयों के अध्यापकों के लिए

Page No. 3

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जिन वेतन दरों की सिफारिश कोठारी आयोग ने की है, क्या सरकार का विचार उन सिफारिशों को स्वीकार करने का है ?

(२) यदि हां, तो इन सिफारिशों के अनुसार नवीन वेतन दरें कब से लागू हो जाने की संभावना है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार शिक्षकों की वेतन दरों के मामले को भी उस पे कमीशन को सौंपने का इरादा रखती है जिसकी नियुक्ति की घोषणा सरकार करने जा रही है ?

उप-मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षणालयों के अध्यापकों के लिए नवीन वेतन दरों की सिफारिश मानने का अखिल भारतीय प्रश्न बन गया है। गत अप्रेल मास में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था तब सभी ने एक मत से केन्द्रीय सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि नवीन वेतन दरें लागू करने के फलस्वरूप राज्य सरकारों पर जो अतिरिक्त भार पड़े उसका शतप्रतिशत नहीं तो ६० प्रतिशत भारत सरकार को वहन करने पर ही ये वेतन दरें राज्य सरकारों के लिए लागू करना संभव हो सकेगा। राजस्थान में अनुमानतः तीन करोड़ का अतिरिक्त भार इन वेतन दरों के लागू करने पर पड़ेगा।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान संबंधी नीति निर्धारित किये जाने के पश्चात् ही राज्य सरकार के लिए इस ओर सक्रिय विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(३) अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों की वेतन दरों के मामले पर भी पे कमीशन विचार करेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि भारत सरकार सब्सिडी के रूप में कितनी प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों को देने के लिए तैयार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया लेकिन शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें मांग की गई थी कि आउट साइड दी प्लान राज्यों को ६० प्रतिशत सहायता दी जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो अध्यापक संघ है, वह ५ सितम्बर से इस बारे में भूख हड़ताल करने जा रहा है और उन्होंने कहा है कि कोठारी कमीशन की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करे, स्वीकार न करने की हालत में वे ५ सितम्बर से सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार भारत सरकार से निवेदन करेगी कि उनको धनराशि शीघ्र दी जाय ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार ने जनरली कोठारी कमीशन की सिफारिशों को माना है लेकिन यह तो अखिल भारतीय सवाल है और जब तक दूसरे राज्यों के अन्दर यह तय नहीं हो जाय कि वे भी इन मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, राजस्थान अकेला ही यह जिम्मेवारी लेकर आगे नहीं बढ़ेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो भारत के किसी राज्य में इसको स्वीकार नहीं किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जनरली सब ने किया है लेकिन जहां तक पे स्केल्स के इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, किसी राज्य ने नहीं किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मंत्री महोदय यह अनुभव नहीं करते कि इन शिक्षकों का वेतन बहुत ही कम है ? और क्या मंत्री महोदय इसके साथ साथ यह अनुभव नहीं करते कि वेतन दरें कम होने के कारण हमारी शिक्षा प्रगति में बहुत भारी बाधा आ रही है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वेतन बढ़े इस बारे में दो राय हो नहीं सकतीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाय मन्त्री महोदय सोच नहीं सकते। इन्टेरिम रिलीफ ही दीजिये। अब इस कोठारी कमीशन और आल इण्डिया बेसिस पर पालिसी का प्रश्न आप तय करते रहें। पर यह तो स्पष्ट है कि राजस्थान के शिक्षकों का वेतन बहुत ही कम है। समाज में नको प्रतिष्ठा और सम्मान देना भी आवश्यक है। तो इस दृष्टि से इन्टेरिम रिलीफ के रूप में भी राज्य कुछ दे चाहे हड़ताल हो या न हो।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक महंगाई भत्ते का प्रश्न है उसकी दर सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट जो दे रही है वही राजस्थान में लागू कर दी गई है। अब जहां तक थर्ड ग्रेड टीचर्स के वेतन का प्रश्न है, जो कोठारी कमीशन ने सिफारिश की है, और जो राजस्थान राज्य दे रहा है, उनमें भी कोई १५-२० रुपये का फर्क है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कोठारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार जो नई वेतन दरें स्वीकार करने के कारण अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर पड़ेगा और उसके लिए सरकार ने भारत सरकार से मांग की है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार कोशिश कर रही है दूसरी सरकारों के साथ मिल कर कि इस डिफरेन्स को शत प्रतिशत भारत सरकार दे आउट साइड प्लान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न दूसरा है। आपने जो भारत सरकार से शत प्रतिशत या ९० प्रतिशत देने की बात कही, उस पर क्या उत्तर दिया है भारत सरकार ने ?

श्री बरकतुल्ला खां : प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

राजस्थान नहर से तृतीय पंचवर्षीय योजना में पानी देने का लक्ष्य

९०१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्री राजस्थान कैनाल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर से तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ लाख ८७ हजार एकड़ भूमि को पानी देने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में केवल ७० हजार एकड़ में पानी दिया जा सका ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी भूमि सिंचित हुई थी ?

श्री मनफूलसिंह : ६३१८३ एकड़।

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : १२६४२० एकड़ का टार्गेट था उसके अगेन्स्ट ६३१८३ एकड़ हुई है।

एक माननीय सदस्य : इतना कम होने का क्या कारण है ? टार्गेट पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : जो कमी रही है वह बहुत कम है। Looking in to the circumstances of geography and soil etc. एक-दो वर्षों में इतनी सी कमी होती ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि कृषि विभाग के संचालक महोदय ने रेडियो वार्ता में यह कहा है कि राजस्थान नहर से १७ हजार एकड़ जमीन को पानी दे पाये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में यह नहीं है।

प्रश्न संख्या ६०२

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रेमसिंह !

तहसील छबड़ा में पॉवर हाउस कार्यालय भवन

९०३. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या विद्युत् मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छबड़ा तहसील में पॉवर हाउस कार्यालय भवन बनाने का जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेका दिया गया था उस भवन का बहुत सारा काम हो चुका है और उसका भुगतान भी हो चुका है ? यदि हां, तो कितना और कब हुआ ?

(२) क्या उक्त भवन अब तुड़वाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस हानि का कौन जिम्मेदार है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) ठेका सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न दिया जाकर राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के सिविल खण्ड द्वारा दिया गया था। छत तक कार्य पूरा हो गया है। भुगतान २२०७ रुपया २३ मार्च, १९६५ में व २१८४.६६ का भुगतान जून, १९६७ में किया गया है।

(२) जी नहीं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो भवन बना था उसको तुड़वाया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : छबड़ा में विद्युत् कार्यालय के लिये भवन बनाया गया था उसको तुड़वाया गया। राज्य सरकार का काफी नुकसान हुआ। मेरा प्रश्न यह है।

श्री हरिदेव जोशी : जो आपने पूछा है उसके उत्तर में निवेदन किया है कि तुड़वाया नहीं जा रहा है। उसके कहीं कम्प्लीशन के अन्दर थोड़ा-बहुत इधर-उधर तोड़ना पड़ा हो यह अलग बात है पर वह भी जिम्मेदारी ठेकेदार की है। स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होगा या न हुआ हो तो उसके अनुसार बनाने के लिये तोड़ कर वापिस कराया गया हो तो उसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रेक्टर की है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : ठेकेदार ने तो काम किया उसका तो पेमेन्ट हो चुका और

Page No. 6

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

पेमेन्ट मिलने के बाद उसे फिर से तुड़वाया गया और इससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी ऐसी नहीं है। फिर भी आप बतला रहे हैं तो मैं इसको देख लूंगा।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या यह सही है कि उसका काम पूरा हो जाने पर पेमेन्ट कर दिया गया, बाद में उसे तुड़वाया गया और पैसा उसका सरकार को देना पड़ा ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो काम चल रहा है वह स्वयं सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है न कि ठेकेदार के द्वारा, क्या यह सरकार को ज्ञात है ?

श्री हरिदेव जोशी : दोनों ही स्टेज पर ठेकेदार द्वारा ही करवाया गया है। अब कम्प्लीट हो जावेगा। छत तक आ गया है।

फैक्ट्री एरिया लाखेरी में शराब की दुकानें

९०४. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र और गर्मपुरा पंचायत क्षेत्र में शराब का ठेका एक व्यक्ति के नाम है या एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम ? एक से ज्यादा ठेकेदार हैं तो वे कितने हैं और ठेके कितने-कितने में दिये हुए हैं ?

(२) लाखेरी के फैक्ट्री एरिया में शराब की कितनी दुकानें हैं और क्या वे सब नियमानुकूल खुली हुई हैं ? एक ठेकेदार कितनी दुकानें एक परमिट पर खोल सकता है ?

(३) यदि ठेकेदार ने अनुमति से ज्यादा दुकानें खोल रखी हैं तो क्या सरकार उन्हें बन्द कराने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : आबकारी मन्त्री।

आबकारी मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र और गर्मपुरा पंचायत क्षेत्र के लिये केवल एक ही दुकान स्वीकृत है जो गर्मपुरा में कायम है। यह दुकान १९६७-६८ के लिये श्री प्यारेलाल, श्री गोपीलाल के नाम २,३७,४८०) रुपये की गारन्टी पर दी गई है।

(२) इस क्षेत्र में केवल एक ही दुकान है जो गर्मपुरा में कायम की गई है और वह नियमानुसार खोली हुई है। लाइसेन्स में जितनी दुकानों का इन्द्राज होता है ठेकेदार उतनी ही दुकानें एक परमिट पर खोल सकता है।

(३) इस क्षेत्र में कोई अन्य दुकान नहीं है।

श्री नन्दलाल बैरवा : क्या यह सही है कि गर्मपुरा, नयापुरा और पुरा में घर-घर दुकानें खुल हुई हैं और शराब उधार भी बिकवाई जा रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : ठेकेदार उधार दें तो मेरा बस नहीं। बाकी घर-घर में दुकानें नहीं हैं। उतनी ही दुकानें खोली जाती हैं जितनी परमिट में होती हैं। परमिट में तीन हैं। उतनी ही खुली हुई हैं, ज्यादा नहीं हैं।

श्री नन्दलाल बैरवा : क्या यह सही है कि मजदूर कॉलोनी में जिन दिन वेतन मिलता हो उन दिनों उस एरिया में शराब की दुकानें बन्द रखने के लिये सरकार ने ऐलान किया था ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो प्रश्न नहीं है चूंकि शराब पीते हैं तो अपने वेतन में से देते हैं। पर मैं निवेदन कर दूं कि जैसा ऐलान किया था, सरकार की यह नीति है कि लेबर एरिया में या फैक्ट्री के पास शराब की दुकान न रहे। लाखेरी में नहीं है। अब लोग जा कर खरीद कर कहीं पीलें तो जब तक दुकानें हैं तब तक तो हैं ही।

श्री नन्दलाल बैरवा : क्या सरकार यह विचार करेगी कि दुकानें मजदूर कॉलोनी से हटाई जावेंगी ?

(अनुत्तरित)

श्री अध्यक्ष : Next.

सवाई माधोपुर के जंगलों के पट्टे तथा जंगलों की कटाई

९०५. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर जिले में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने के पश्चात् कितने जंगल क्रमशः कितने-कितने रकबे के अधिग्रहित जागीरों के काटने की अनुमति जागीरदारों द्वारा बिचौती दिखाये जंगलों की राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई ?

(२) इन जंगलों की अनुमति देने में राज्य-कोष को भी कोई लाभ हुआ ?

(३) जागीरदारों द्वारा दिये गये इन जंगलों के पट्टे रजिस्टर्ड अथवा स्टाम्प्ड थे अथवा अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड ?

(४) राज्य सरकार की राय में ऐसे काटे गये जंगलों की क्या कीमत होगी ?

वन मन्त्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) सवाई माधोपुर जिले में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने के पश्चात् जागीरदारों द्वारा बिचौती दिखाये गये संलग्न परिशिष्ट में अंकित जागीर वनों को काटने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई।

(२) कोई लाभ नहीं हुआ है।

(३) ये पट्टे अनरजिस्टर्ड हैं तथा उन पर सिर्फ जागीरदार की मोहर है।

(४) चूंकि ठेकेदार ने ये जंगल जागीरदार से पहले लिये थे इसलिये इन जंगलों की ठीक कीमत का अनुमान लगाना कठिन है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इन जंगलों की कीमत पट्टे में तो अंकित होगी कि कौन जंगल कितने में जागीरदार द्वारा ठेकेदार को दिया गया ? वही बता दीजिये।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : सूची संलग्न है, पढ़ लीजिये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कीमत संलग्न नहीं है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके लिये निवेदन कर चुका हूं कि अन्दाजा नहीं लगाया।

Page No. 8

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जो पट्टे पेश किये गये हैं उनमें यह तो है कि कौन कितने हजार में बिका, यही कीमत है। उस वक्त की कीमत ही बता दीजिये। आज की न बतावें। उस समय की उस कीमत को देख कर ही आसानी से पता लग सकता है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आज की कीमत का नहीं लगा सकते, पर उन पट्टों में जो रकम बताई है उसका जोड़ लगाना तो आसान है।

श्री अध्यक्ष : पट्टे के आधार पर जोड़ लगाकर बताने को कहते हैं माननीय सदस्य।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा :

भैरोंसिंह को दिया	१० हजार में।
श्री गुलाबखां को दिया	३६०१) में।
श्री सूरजभानसिंह को दिया	५०००) में।
श्री रणजीतसिंह को	४०००) में।
श्री नूरअहमद को	५४०१) में।
श्री सरदार अहमद को	३०००) में।

श्री केसरीसिंह (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, We could hardly follow his statement.

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि सवाई माधोपुर में रिजर्व फॉरेस्ट में एवरेज आंकड़े क्या हैं कटने के ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जंगल के कटने के पहले वर्किंग प्लान बनाई गई या नहीं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वर्किंग स्कीम जागीरदारों के वक्त में नहीं बनती थी। जागीरदारों के वक्त में ठेकेदारों के लिये वर्किंग स्कीम का कोई रेग्यूलर तरीका नहीं था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ईसरदा के जंगल काटने के सम्बन्ध में, वर्किंग स्कीम के अगेन्स्ट काटे थे, यह मामला विजिलेन्स कमीशन के पास गया था। वर्किंग स्कीम डिफेक्टिव होने के कारण यह सारा मामला विजिलेन्स कमीशन के पास गया था क्या यह सही है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसकी मालूमात करनी होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस सारे प्रश्न पर निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े-बड़े जंगल थे वे दे दिये गये। वर्किंग स्कीम जान-बूझ कर डिफेक्टिव बनायी गयी। वर्किंग स्कीम के बाहर के जंगल भी काटे गये थे। जब विजिलेन्स कमीशन को यह मामला दिया गया तो आज सी. सी. एफ. श्री बोहरा हैं उनके खिलाफ विजिलेन्स कमीशन ने एडवर्स रिमार्क दिये हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में अलग से जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : रिप्लाई दिया मंत्री महोदय... ...

श्री अध्यक्ष : Order pleas !

Page No. 9

दिल्ली पॉवर सिस्टम से बिजली

९०६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय वाटर एन्ड पॉवर बोर्ड ने राजस्थान को दिल्ली पॉवर सिस्टम से २० मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव किया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस बिजली को राजस्थान में लाने के लिये १३२ के. वी. की ट्रान्समीशन लाइन दिल्ली से अलवर होती हुई जयपुर तक राजस्थान सरकार को डालनी है ?

(३) क्या यह सही है कि इस ट्रान्समीशन लाइन को डालने का कार्य १ अप्रेल, ६७ से शुरू होना था जिसके लिये राजस्थान विद्युत् मंडल की ओर से अधिकारी भी नियुक्त कर दिये गये थे लेकिन बाद में इस कार्य को शुरू करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो ट्रान्समीशन लाइन के कार्य को शुरू में करने के क्या कारण थे ?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक राज्य सरकार ने केन्द्रीय पॉवर एण्ड वाटर बोर्ड के २० मेगावाट के बिजली देने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया है ? यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, तो क्यों ? यदि स्वीकार कर लिया है, तो उसको अमली रूप देने का कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया गया है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था अपितु इस बात की संभावना अवश्य प्रकट की गई थी।

(२) इस बिजली के प्रसारण के लिये तो केवल दिल्ली से अलवर तक ही विद्युत् लाइन खींचनी थी। अलवर से जयपुर तक की लाइन चम्बल स्टेज द्वितीय में पहले से ही स्वीकृत है।

(३) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। रद्द नहीं किया गया अपितु स्थगित किया गया।

(ग) प्रारम्भ में हरियाणा बोर्ड द्वारा लाइन डालने का कार्य नहीं लिया गया एवं बाद में धनाभाव के कारण अब प्लानिंग कमीशन एवं यूनियन फाइनेन्स मिनिस्ट्री से धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(४) अन्तिम रूप दिया जा चुका है किन्तु धनाभाव के कारण क्रियान्वित करने में असमर्थता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि चालू वर्ष का जो बजट बोर्ड के द्वारा पेश किया गया है उसमें इस योजना का बजट में प्रावधान रखा गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में एक से अधिक बार मैं जवाब दे चुका हूं। जहां तक जयपुर से अलवर तक का सवाल है उसका प्रावधान किया गया और उसका काम चल भी रहा है। बाकी का जब तक उधर से साथ नहीं होता है तब तक इसका उत्तर देना सम्भव नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिल्ली से अलवर तक १॥ करोड़ रुपया प्रोवाइड किया हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है। वह खर्च नहीं कर सकते। बाद में और कटौतियां हो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रावधान की कटौती क्यों की गई ? जब थर्मल पॉवर था राजस्थान में और हाइड्ल पॉवर की कमी को पूरा करने के लिये यह जरूरी था। इसको कट क्यों किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब तक उस पॉवर को युटिलाइज करने की स्थिति में न हों, उस कार्य को करने की स्थिति में न हों तो उसका अर्थ क्या होगा ? सबसे पहले हरियाणा क्षेत्र में हरियाणा काम करके कम्प्लीट करके दे दें और एक्स्ट्रा प्रोविजन करने का है उसके लिये प्रोविजन हो जाय तब तक यह नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। दूसरे क्षेत्र में काम करने की उनकी जिम्मेदारी है। उनके एरिया के लिये पॉवर जो मिलेगा वह उनको मिलेगा, उनको इसको प्रायोरिटी देनी है। दोनों बातें पहले होनी चाहियें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह संभावना व्यक्त की गई थी कि जून, १९६७ तक ट्रान्समीशन लाइन पूरी हो जावेगी। तो क्या हरियाणा गवर्नमेन्ट से बातचीत करके संभावना प्रकट नहीं की गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : यूनियन गवर्नमेन्ट से बात हुई थी। यूनियन के मिनिस्टर से भी बातचीत हुई। लेकिन नई आई हुई हरियाणा गवर्नमेन्ट इस बारे में को-ओपरेशन न करे तब तक कुछ करना संभव नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीनों स्टेट की मीटिंग हुई उसमें हरियाणा गवर्नमेन्ट ने स्वीकृति दी थी। इसमें अड़चन नहीं डालेंगे और अपने एरिया में काम शुरू कर देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री केसरीसिंह हाड़ा !

बूंदी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की नवीं कक्षा का परीक्षाफल

९०७. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष बूंदी के बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की नवीं कक्षा का परीक्षाफल केवल ४५ प्रतिशत रहा है ? यदि हां, तो परीक्षाफल खराब क्यों रहा ?

(२) पिछले पांच वर्षों के परीक्षाफल की प्रतिशतता क्या रही ?

उप-मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं। सन् १९६६-६७ में राजकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ९वी कक्षा का परीक्षाफल ५२.९० प्रतिशत रहा न कि केवल ४५ प्रतिशत।

(२) पिछले पांच साल से कक्षा ९ का नतीजा इस प्रकार रहा:—

साल	प्रतिशत
६२-६३	६८.३५
६३-६४	७२.५६
६४-६५	८१.४४
६५-६६	७१.७६
६६-६७	५२.९०

श्री केसरीसिंह : परीक्षाफल ४५ प्रतिशत नहीं रहा तो भी इतना कम रहने का क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : इसके बारे में 'क्यों कम रहा' जांच करवाने की कोशिश की जा रही है। टीचर की ओर से गलती रही है पढ़ाने में या और क्या बात हो गई है। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को कहा जा रहा है कि जांच करके बतायें।

श्री केसरीसिंह : क्या यह सही है कि वेतन अध्यापकों को पर्याप्त नहीं मिलने से अच्छे अध्यापक आप प्राप्त नहीं कर सकते इसलिये बच्चों का रिजल्ट का प्रतिशत कम आता है ?

श्री अध्यक्ष : Next. श्री भैरोंसिंह शेखावत !

प्रेम केबल्स फैक्टरी, ग्राम पिपलिया कलां को कच्चे माल का आवंटन

९०८. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पिपलिया कलां, तहसील रायपुर, जिला पाली में प्रेम केबल्स फैक्टरी स्थित है जो पहिले प्रेम इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से कोटा में थी ?

(२) क्या यह सही है कि सन् ६४ में इस उद्योग को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि इसको ब्लेक लिस्ट करने के पश्चात् भी इसको कच्चे माल का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब, कितने माल का और क्यों ?

(४) इस उद्योग को अब तक कितनी कीमत के कितने माल का आवंटन किया गया है तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में विभाग की क्या जानकारी है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां। उन्होंने आयात किये हुए माल की शर्तों का उल्लंघन किया था।

(३) जी नहीं।

(४) माल का आवंटन भारत सरकार से सीधा पार्टी को मिलता है। इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस फैक्टरी को किस साल में माल दिया गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : सन् १९६४ में।

श्री भैरोंसिंह : १९६४ में इसको ब्लेक लिस्ट किया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने इसको ब्लेक लिस्ट में से हटा दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : हां कहा था। हटा दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार बता सकती है कि इस फैक्टरी ने पिपलिया में फैक्टरी एस्टेब्लिश की हुई है, न लाइसेन्स लिया है और न ही रजिस्ट्रेशन कराया है ?

Page No. 12

श्री हरिदेव जोशी : सब ही कुछ हुआ है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया लाइसेन्स देती है। उसको कोटा के लिये लाइसेन्स मिला हुआ था। उन्होंने पॉवर कम मिलने अपना कोटा जो उनके दूसरे सिस्टर कन्सर्न हैं उनको डाइवर्ट कर दिया। जब गवर्नमेन्ट को मालूम हुआ तो गवर्नमेन्ट ने सीरियस व्यू लिया और ब्लेक लिस्ट कर दिया। उन्होंने पूरे कोटे को वापिस मंगाया और वापिस मंगा कर जो डिफाल्ट किया था उसको ठीक किया। उनको ब्लेक लिस्ट किया गया उसको वापिस किया गया। यदि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से रिक्वेस्ट करते तो इजाजत दे देती।

श्री भैरोंसिह : माल वापिस कब लाया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : उसी दरमियान में।

श्री मनफूलसिंह : ८-४-६४ और १-६-६६ के दरमियान में।

श्री भैरोंसिह : कोटा का माल दिया गया है उसके लिये कुछ शर्तें हैं और उनका उल्लंघन करने पर ब्लेक लिस्ट किया जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : यही कारण था माल को डाइवर्ट कर दिया, हम नहीं चाहते थे कि माल को डाइवर्ट किया जाय। इसीलिये ब्लेक लिस्ट किया गया। जब उन्होंने देखा कि उन पर एक्शन लिया गया है तो उन्होंने वापिस मंगवा लिया।

श्री भैरोंसिह : सरकार ने ब्लेक लिस्ट किया और यह कह कर किया कि माल का जिस तरह से उपयोग करना चाहिये था वह नहीं किया गया तो असेन्शियल कमोडिटी एक्ट के अन्तर्गत उसका चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : जो मैंने निवेदन किया वह यह है कि मुख्य चीज यह थी कि पॉवर न मिलने के कारण छोटी इन्डस्ट्री के लिये सम्भव नहीं था कि अपना यूनिट लगाकर पॉवर जनरेट करती। उन्होंने नहीं किया। हमने नहीं माना। उन्होंने वापिस मंगवा लिया तो हमने मान लिया।

श्री भैरोंसिह : आपने ब्लेक लिस्ट कर दिया तो असेन्शियल कमोडिटी एक्ट के अन्तर्गत आपने चालान क्यों नहीं किया ? प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : किया गया अथवा नहीं किया गया, इसको मैं देखूंगा।

श्री भैरोंसिह : क्वेश्चन यह है कि एक फर्म को ब्लेक मार्केट के लिये ब्लेक लिस्ट करते हैं....

श्री हरिदेव जोशी : ब्लेक मार्केट नहीं किया। डाइवर्ट किया।

श्री भैरोंसिह : डाइवर्शन के लिये भी यह नहीं कह सकते कि वही माल है जो माल था कोटा का ?

श्री हरिदेव जोशी : वह ही माल।

श्री भैरोंसिह : माल की तादाद हो सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : वह ही माल जो मद्रास डाइवर्ट किया था। मद्रास के गोदामों में गये बगैर आया।

Page No. 13

श्री भैरोंसिंह : मद्रास की फैक्टरी में से दूसरा माल आया होगा, उसी प्रकार का माल बना कर भेज दिया होगा और इसलिए भेज दिया होगा कि ब्लेक लिस्ट कर दिया है और इससे आगे का कोटा मिलना बन्द हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइसेंस तो मिले यहां का और माल मद्रास जाकर फिर वापिस यहां आ जाय। यह तो आफेंस है। जो माल यहां की फैक्टरी के लिए दिया गया था उसको मद्रास में डाइवर्ट कर दिया और उसकी जगह दूसरा माल लाकर यहां पर रख दिया तो ब्लेक लिस्ट का आर्डर वापिस ले लिया, यह कहां तक वाजिब है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने नियम बना रखे हैं कण्ट्रोल के माल के बारे में कि इस प्रकार से इनका उपयोग किया जाएगा और यदि नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में उसका चालान होगा। पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश और पंजाब में रॉ मेटीरियल का ब्लेक करने के सिलसिले में ड्रास्टिक एक्शन लिये गए हैं और नियमों का इंच भर भी दुरुपयोग होने पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं जब पार्टी ने राजस्थान का माल मद्रास को डाइवर्ट कर दिया तो एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के तहत उनका चालान क्यों नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि पहले राजस्थान में भी ऐसे चालान हुए हैं और सजाएं हुई हैं। लेकिन इस पर्टीक्यूलर केस में सवाल इस बात का आता है कि गवर्नमेंट सेटिस्फाईड थी कि रीजनेबल रीजन्स से उन्होंने यहां का माल डाइवर्ट किया था और उस पर भी जब यह ड्रास्टिक एक्शन लिया गया और उनको ब्लेक लिस्ट कर दिया गया तो उस पार्टी ने माल के मद्रास पहुंचने से पहले ही उस माल को वापिस यहां पहुँचा दिया। तब गवर्नमेंट सेटिस्फाईड थी कि जो एक्शन लिया गया है उसको वापिस ले ले और इसीलिए इन्हें ब्लेक लिस्ट से हटाया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के इस प्रकार के नियम हैं कि यदि माल का उपयोग नहीं होता है किसी भी कारण से, चाहे बिजली की कमी के कारण हो, चाहे पानी की कमी को लेकर हो, चाहे लेबर प्रोब्लेम को लेकर हो, किसी भी कारण से अगर माल का उपयोग नहीं होता है तो इस प्रकार की कण्ट्रोल्ड कमोडिटी सरकार को वापिस सरेंडर की जाती है और कण्ट्रोलर उसका री-डिस्ट्रिब्यूशन करता है।

श्री हरिदेव जोशी : हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : इस पार्टी ने जब माल वापिस नहीं किया तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वह यह है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हंसराज आर्य !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पार्टी को ब्लेक लिस्ट तो कर दिया लेकिन उसका बाद में प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया, इसका कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। बिजली की कमी के कारण माल को डाइवर्ट करने का अधिकार पार्टी को नहीं था बल्कि माल को

(श्री भैरोंसिंह)

सरेंडर करना चाहिए था और गवर्नमेंट उस ब्लेक मार्केटियर को प्रोटेक्शन दे रही है। इसमें माल लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब माल को डाइवर्ट कर दिया तो उसका चालान करना चाहिए था।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसमें ब्लेक मार्केट नहीं किया गया है केवल माल को डाइवर्ट किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने किससे जांच करवाई थी कि ब्लेक मार्केट किया या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : ऑफिसर्स की रिपोर्ट है मेरे पास।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो...

श्री हरिदेव जोशी : मैं अर्ज कर दूं कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह कि ब्लेक मार्केट किया गया अथवा केवल माल को डाइवर्ट किया गया है। पार्टी ने केवल माल को डाइवर्ट किया और ज्योंही मालूम हुआ कि पार्टी ने माल को डाइवर्ट कर दिया है तो उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया गया और इसी बीच जब पार्टी ने माल के मद्रास पहुँचने से पहले ही वापिस माल को मंगा लिया तो गवर्नमेंट ने यह उचित नहीं समझा कि इतना ड्रास्टिक एक्शन प्रोसीक्यूशन का लिया जाय। गवर्नमेंट इसमें सेटिस्फाईड थी और रेकार्ड से भी पार्टी का कोई मेला-फाइड इन्टेन्शन मालूम नहीं पड़ता इसलिए उसके खिलाफ वह एक्शन नहीं लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर कमिटमेन्ट ऑफ क्राइम और अटेम्प्ट टू कमिट ए क्राइम भी ऑफेंस है। इसलिए इस केस में अटेम्प्ट किया गया ब्लेक मार्केट करने का और इसीलिए माल को डाइवर्ट कर दिया गया। अब यह कहना कि माल को वापिस कर दिया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। इस तरह से तो स्मगलिंग्स के केसेज होते हैं बोर्डर के नजदीक, लोगों से माल बरामद किया जाता है...

श्री अध्यक्ष : Next question. श्री हंसराज आर्य !

श्री हंसराज आर्य : प्रश्न सं० ६०६।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० ६०६ ले लिया गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा इस प्रकार से कि क्या यह सही है कि जो इसको ब्लेक लिस्ट से बरी किया गया है, इसको कैंसिल करने का यह आधार है कि पुखराज कालानी को स्वतंत्र पार्टी से कांग्रेस में लाने का समझौता किया गया है ?

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम)

श्री हरिदेव जोशी : यह एकदम से एब्सर्ड है।

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : यह बिलकुल सही है।

श्री हरिदेव जोशी : यह एक्शन १९६६ में लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है कि ब्लेक मार्केटियर का चालान नहीं किया गया है, यह बिल्कुल एब्सर्ड है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९६६ में ब्लेक लिस्ट से वापिस लेने के

(श्री हरिदेव जोशी)

एक्शन को लिया गया है और इलेक्शन हुए हैं १९६७ में। इलेक्शन का इस सारे मामले से क्या सम्बन्ध है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछना चाहता हूं मन्त्रीजी से कि ब्लेक लिस्ट तो दो साल पहले किया गया था तो दो वर्ष तक क्यों छिए बैठे रहे ?

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री हरिदेव जोशी : १-१-६६ को एक्शन वापिस लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : पिछली बार भूतपूर्व उद्योग मन्त्रीजी ने इस सदन में कहा था कि उस व्यक्ति का प्रोसीक्यूशन किया जाएगा। प्रोसीक्यूशन के कागजात पेंडिग थे। लाइसेंस सरेन्डर करने के कागजात पेंडिग थे और ब्लेक लिस्ट करने के बाद सदन में कहा गया था कि इसका प्रोसीक्यूशन किया जाएगा। लेकिन इसके बजाय ब्लेक लिस्ट के एक्शन को विथड्रॉ कर लिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको देखूंगा कि उन्होंने क्या कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मैं यह समझूं कि सरकार ने ब्लेक लिस्ट करने का जो ऑर्डर दिया था वह फैक्ट्स को असर्टेन करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि ब्लेक लिस्ट करने का पिछला एक्शन हार्श था और गैरवाजिब था ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर चुका हूं कि जब हमें मालूम हुआ कि माल को डाइवर्ट किया गया है तब वह एक्शन लिया गया जो सख्त से सख्त था कि पार्टी को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया और जब पार्टी ने उसके रीजनेबल ग्राउण्ड्स बताए और जो गलती की थी उसको दुरुस्त कर दिया तब गवर्नमेंट ने यह उचित समझा कि ब्लेक लिस्ट से हटा दिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने ....

(महारावल साहब प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय विरोधी दल के।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मैं यह समझूं कि सरकार ने जो एक्शन लिया, पार्टी को ब्लेक लिस्टिंग का जो ऑर्डर दिया था उसे कण्डोन करना उचित समझा व : लीगली ठीक था ?

श्री हरिदेव जोशी : ब्लेक लिस्ट से उसे हटाया गया, इसको उचित समझा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या राजस्थान सरकार की यह नीति है कि कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट अगर कन्ट्रोल कमोडिटी को यहां से डाइवर्ट कर दे और उसको बाद में वापिस ले आए तो उसे ब्लेक लिस्ट से हटा दिया जाएगा ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो हर केस के इटेन्शन्स पर निर्भर करेगा।

एक माननीय सदस्य : उस ब्लेक लिस्ट से निकाल कर इस ब्लेक लिस्ट में ले आए।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री हंसराज आर्य !

भादरा में रेल्वे स्टेशन से क्रोसिंग फाटक तक की सड़क पर कार्य

९०९. **श्री हंसराज आर्य (भादरा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा भादरा में नगरपालिका की ओर से रेल्वे स्टेशन से लेकर क्रोसिंग फाटक,

Page No. 16

(श्री हंसराज आर्य)

जो मेडी के पास पड़ता है, तक का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया था या नगरपालिका स्वयं ने इस रोड का निर्माण करवाया था ?

(२) यदि किसी ठेकेदार को दिया गया था, तो उस ठेकेदार का क्या नाम है ?

(३) इस रोड को कब तक पूरा करने का ठेकेदार का वायदा था ?

(४) यह रोड केवल ईंटों की बननी थी या उस पर कंकर कूट कर डामर डालने का भी ठेकेदार ने वायदा किया था ?

(५) यदि हां, तो क्या डामर डाल दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं डाला गया ?

(६) इस रोड की कुल लम्बाई कितनी है और इसका तख्मीना क्या था ? क्या इस रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ?

(७) क्या ठेकेदार को इस रोड के पूरे पैसे का पेमेन्ट कर दिया गया है ?

(८) यदि हां, तो यह पैसा कब और किसने पेमेन्ट किया था ?

(९) इस रोड पर कितने इंच कंकर डालनी थी ?

(१०) क्या इसके दोनों किनारों पर मिट्टी के बरम भी बनने थे ?

(११) यदि हां, तो क्या बरम बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने फुट चौड़े बनाये गये हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसको स्थगित करने की प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

प्रश्न सं० ६१० ।

श्री कृष्णकुमार गोयल !

डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी की बैठकें

९१०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में गत ४-५ वर्षों से विभागीय राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति के लिए डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी नहीं बैठी है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि एडहॉक आधार पर इस अवधि में कई पदोन्नतियां की गई हैं ? अगर हां, तो इस आधार पर कितने व कौन-कौन कब-कब से एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर व सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नियुक्त किए गए हैं ? कृपया विस्तृत सूची देने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सही है कि जनवरी, ६७ में इस विभाग की डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी की बैठकें हुई थीं ? अगर हां, तो कब-कब व उसने क्या निर्णय लिए ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध गुप्त प्रतिवेदन (सी. आर.) में एडवर्स रिमार्क्स होते हुए भी उन्हें एडहॉक बेसिस पर प्रमोट किया गया है ? अगर हां, तो किस-किस को कब-कब व क्यों ?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां, सूची संलग्न है।

(३) जी हां, २५-२७ व २८-१-६७ को बैठकें हुई। कमेटी की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

(श्री मनफूलसिंह)

(४) एडहॉक प्रमोशन के समय सी. आर्स. को नहीं देखा जाता है। प्रमोशन वरिष्ठता सूची के अनुसार किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो आपने सूची दी है और जिन अधिकारियों को प्रमोशन दिया है इसमें से एडीशनल चीफ इंजीनियर २, सु० इंजीनियर ६ और एक्स. ईएन. ३३, ये सारे के सारे प्रमोशन एडहॉक बेसिस पर किये गये हैं और आज तक कन्टीन्यू कर रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान सर्विसेज ऑफ इन्जीनियर्स के अन्तर्गत छः माह से अधिक एडहॉक बेसिस पर प्रमोशन नहीं रखे जा सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर क्या कारण है कि ये सारे अधिकारी सन् ६४ से लेकर ६७ तक यानी तीन साल से प्रमोशन (एडहॉक) बेसिस पर चल रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा आपका प्रश्न है उससे ही यह स्पष्ट है और उसके उत्तर में निवेदन कर दिया गया है कि प्रमोशन कमेटी की मीटिंगें हुई हैं और उसका फैसला जल्दी ही हो जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह है कि सन् ६४ से लेकर आपने एडहॉक बेसिस पर प्रमोशन कर रखे हैं चाहे वे एक्स. ईएन. के हों चाहे एस.ई. के हों और चाहे वे चीफ इंजीनियर हों, सन् ६४ से लेकर ६७ तक एडहॉक बेसिस पर जो प्रमोट कर रखा है तो वह किस प्रकार कन्टीन्यू कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि इसके लिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो भी जरूरी था एक्शन, वह लिया गया है। जहां तक डी. पी. सी. की मीटिंग का सवाल है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह स्वीकृति कैसे दी गई...

श्री हरिदेव जोशी : लाजमी होती है तो देनी ही पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने स्वीकृति देने से पहले जो पहले का अपोइन्टमेंट्स डिपार्टमेन्ट का नोटिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने उसको देखा नहीं है, ऑफ हैंड कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : तो देखने का सवाल पहले यह था....

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने प्रश्न के भाग (१) का उत्तर दिया "जी नहीं" तो मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी ने सन् ६४ से लगा कर अभी तक कितनी बार उसकी मीटिंगें हुई हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसके प्रश्न संख्या (१) और प्रश्न संख्या (३)-ये अपने आप में कन्ट्राडिक्ट्री है। आपने पूछा है कि कोई मीटिंग नहीं हुई और उसकी मीटिंग ६७ में हुई है तो यह कहा गया है कि "जी नहीं"। और जो प्रश्न संख्या (३) में पूछा गया है उसमें मीटिंग हुई है तो कहा गया है "जी हां"।

Page No. 18

श्री कृष्णकुमार गोयल : ६७ के अन्दर का स्पेसिफिक पूछा है कि क्या उस रोज हुई है उसके अलावा ६४ में आपने जितने प्रमोशन्स किये हैं इनके बारे में कोई डिपार्टमेन्टल मीटिंग नहीं हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने "नहीं" कहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मीटिंग नहीं होने के क्या कारण हैं ? जबकि सीनियोरिटी लिस्ट सारी एक्स० ईएन० और ए० ईएन्स० की कम्प्लीट थी फिर क्या कारण था कि डिपार्टमेन्टल प्रमोशन्स कमेटी की मीटिंग नहीं हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : काफी वेरियस रीजन्स हो सकते हैं। पी० एस० सी० के मेम्बर्स एवेलेबल नहीं हों, कोई फॉर्मेलिटीज इनकम्प्लीट हों और दूसरे कई कारण हो सकते हैं। इसलिए उन कारणों से वह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो सकीं और अब इस तरह से सारी कार्यवाही पूरी कर दी गई है और वह हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जितने प्रमोशन्स हुए हैं वे एडहॉक के आधार पर हुए हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जितने एडहॉक प्रमोशन्स दिये गये हैं वे सीनियोरिटी के आधार पर हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : स्ट्रिक्टली सीनियोरीटी के आधार पर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि डिपार्टमेन्टल प्रमोशन्स कमेटी के बैठ जाने के बाद और केसेज को कन्सीडर करने के बाद और जिन अधिकारियों की सी० आर० में एडवर्स रिमार्क्स थे उसके पश्चात् भी प्रमोशन्स किये गये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : ये जो प्रमोशन्स किये गये हैं वे स्ट्रिक्टली सीनियोरिटी के बेसिस पर ही किये गये हैं इसलिए कि डी० पी० सी० आकर देखेगी कि किन्हीं की सी० आर० खराब है तो वह उस पर एक्शन ले लेगी, कन्सीडर करेगी। अगर गवर्नमेन्ट लेवल पर यह किया जाय कि अमुक इन्जीनियर की सी० आर० खराब है तो उससे किसी प्रकार के रिपर्कशन्स हो सकते हैं इसलिये गवर्नमेंट ने इस बात को उचित समझा कि टेम्पोरेरी बेसिस पर जिसका कि सीनियोरिटी पर कोई असर नहीं पड़ता हो स्ट्रिक्टली सीनियोरिटी के बेसिस पर ही टेम्पोरेरी एडहॉक प्रमोशन्स दिये जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या यह माना जाय कि एडहॉक प्रमोशन्स में सी. आर. में एडवर्स रिमार्क्स है उनका गवर्नमेंट कागनीजेन्स नहीं लेती है ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं as a matter of policy पूछ रहा हूं। क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि एडहॉक प्रमोशन्स देने के लिए कोन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में जो एडवर्स रिमार्क्स हैं उनका कागनीजेन्स गवर्नमेंट नहीं ले और वह कागनीजेन्स लेने का काम केवल डी० पी० सी० का है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने यह उचित समझा कि सी० आर० के बेसिस पर करेंगे, उसको कन्सीडर करेंगे तो बहुत सी मर्तबा दिक्कतें आयेंगी कि किसका प्रमोशन करें और किसका

Page No. 19

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं और यह कहा जाय कि अमुक का फेवर कर दिया। इसलिए यह उचित समझा कि एडहॉक प्रमोशन्स दिये जा रहे हैं तो उसमें सी. आर. को कन्सीडर नहीं किया जाय और केवल एडहॉक बेसिस पर ही सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन्स दिये जायं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि २५, २७ और २८ जनवरी, १९६७ को डिपार्टमेन्टल प्रमोशन्स कमेटी की मीटिंग हुई इसके अन्दर कुछ एक्स० ईएन० के केसेज प्रमोशन्स के बारे में कमेटी के द्वारा कन्सीडर किये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक इससे है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द और श्री कृष्णकुमार गोयल के खड़े होने पर) प्रश्नकर्त्ता !

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि श्री जी० एस० गुरम, जिसको एक्स० ईएन० से एस० ई० का प्रमोशन दिया गया है, का कोई केस डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के सामने आया था और इसके खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स थे वे एडवर्स रिमार्क्स स्टेंड करते थे इसके पश्चात् भी इस व्यक्ति को प्रमोशन दिया गया है एस० ई० का ?

श्री हरिदेव जोशी : यह होगा केस।

श्री अध्यक्ष : एडवर्स रिमार्क्स वगैरह कन्सीडर नहीं किये गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति के बारे में कहा है उसमें बड़ी भारी भूल है कि डिपार्टमेन्टल प्रमोशन्स कमेटी नहीं बैठी और उसके बिना ही प्रमोशन्स करते रहे और ६ महीने से अधिक का कर गये और चार-चार साल हो गये और ऐसे प्रमोशन्स कायम हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जनवरी, ६७ में डिपार्टमेंटल कमेटी बैठी है और अमुक एक्स० इएन० के बारे में विचार किया है और उसमें जी० एस० गुरम के कागज सामने आये हैं जिसके खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स पेंडिंग हैं। क्लेरिफिकेशन के पश्चात् एडवर्स रिमार्क्स नहीं रहते हैं तो उसका क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया। डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी के बैठ जाने के पश्चात् भी इसी पीरियड में चुनावों के पहले इनको प्रमोशन दिया जाय यह कहां तक उचित होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि डी० पी० सी० की मीटिंग के पहले जो प्रमोशन दिये गये हैं वे एडहॉक बेसिस पर हैं। श्री गुरम का मामला भी डी० पी० सी० की मीटिंग के पहले का. इसी आधार पर है। सीनियर थे इसलिए उनको प्रमोशन दे दिया गया। अब उनके खिलाफ कोई एडवर्स रिमार्क्स हैं तो डी० पी० सी० उसको कन्सीडर करेगी और देखेगी।

श्री अध्यक्ष : एडहॉक बेसिस का जो एक्सपीरियन्स है उसका मीटिंग में एसेसमेंट होता है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडहॉक बेसिस पर प्रमोशन करते समय क्या सी० आर० नहीं देखा जाता है ? क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ही यह प्रेक्टिस अपनाई है या सब डिपार्टमेंट की यही नीति है ?

Page No. 20

श्री हरिदेव जोशी : मुझे दूसरे डिपार्टमेंट का मालूम नहीं है। मैंने जो फाइल देखी है उसके अन्दर यही डिसीजन मैंने देखा है कि यह ज्यादा उचित होगा कि एडवर्स रिमार्क्स के बारे में जजमेंट पर डिपार्टमेंट नहीं बैठे और डी० पी० सी० बैठे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं, वे इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं सब डिपार्टमेंट के बारे में।

श्री अध्यक्ष : ९११, Next.

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एडहॉक प्रमोशन्स हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने किये हैं या सेक्रेटेरियेट लेवल पर हुए हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट लेवल पर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दोनों का आप बतादें कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने किये है।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट लेवल पर किये गये हैं। Government level means highest level.

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय !

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो सूची आपने एस० ईज० की दी है प्रमोशन की उसमें जी० एस० गुरम के आगे १९-२-६६ लिखा हुआ है तो क्या यह सही है कि वह १९-२-६६ नहीं होकर १९-२-६७ है ?

श्री हरिदेव जोशी : वह ६६ में हो हो गये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया ! ९११।

टोंक जिले के अपाहिजों एवं बूढ़ों के पेन्शन के प्रार्थना-पत्र

९११. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) टोंक जिले से अपाहिजों एवं बूढ़ों को पेन्शन दिये जाने की योजना के अधीन पेन्शन दिये जाने के लिये अभी कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(२) गत पांच वर्षों में ऐसे कितने मामलों में निर्णय हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि करीब दो साल से टोंक शहर में इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) १०९ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(२) ये नियम २९-११-६५ से लागू हुये हैं। अब तक ७२ प्रार्थना-पत्रों में निर्णय लिया जा चुका है।

(३) जी हां, दो प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं क्योंकि प्रार्थियों की ओर से आयु के प्रमाण-पत्र पेश नहीं किये गये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि सारे प्रमाण-पत्र पेश कर दिये गये। रोज बूढ़े औरत-मर्द, क्लर्क महोदय जिनके पास प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग हैं उनके पास आते हैं ? उनकी तरफ से तकमील सारी पूरी कर दी ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जो प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं उनका जिनका एज वेरिफिकेशन हो चुका है उनके प्रार्थना-पत्र पर अभी हमारे पास कलेक्टर की चिट्ठी आई कि इस साल के लिए १० हजार रुपये एलॉट किये थे वे

(श्री मथुरादास माथुर)

खर्च हो गये। वे चाहते हैं कि ३५ हजार रुपये और मिलें तो ३५ हजार रुपये देने की सैन्क्शन यहां से भेज रहे हैं जो कि डिसाइड हो चुका है और उसका पेमेन्ट हो जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि दो साल हो गये हैं और उम्र के सर्टिफिकेट दे दिये गये हैं जो क्लर्क महोदय हैं उनके और कलेक्टर साहब के सामने वे लोग कई बार जा चुके हैं बूढ़े औरत और मर्द और दो साल से पेन्डिग हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसे केसेज हैं क्या कि जो दो साल से पेन्डिग हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : 72 cases have been decided and 17 cases remain pending before the Collector.

श्री जयनारायण सालोदिया : कब से पेंडिग हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जवाब दिया है कि दो वर्ष से केसेज पेन्डिग हैं और कलेक्टर ने लिखा है कि आयु का वेरिफिकेशन नहीं किया है इसलिए पेंडिग हैं। इन केसेज में से जो केसेज डिसाइड हो गये हैं तो पैसे की कमी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रश्न पर विचार करें कि अपाहिज लोग हैं उनकी एज का वेरिफिकेशन करने के लिए या जो सहायता है उसको पहुंचाने के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं वह इनके पास जाकर वेरिफिकेशन करें। वे अपाहिज व्यक्ति हैं कैसे कलेक्टोरेट में आयेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : अपाहिजों के लिए जरूरत नहीं है लेकिन ओल्ड एज के लिए है। इन्वेलिड्स के लिए सवाल नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री सिचाई मंत्री ! श्री बद्रीप्रसाद !

हरसोरा बान्ध की मरम्मत

६१२. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिला स्थित हरसोरा बान्ध अतिवृष्टि के कारण करीब तीन साल पहले टूट गया था ?

(२) क्या इस बान्ध की मरम्मत के लिये अभी तक सरकार से कोई मंजूरी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) सरकार इस बान्ध को अब कब तक बान्धने व मरम्मत कराने का इरादा रखती है ?

(४) इस बान्ध की मरम्मत का कुल एस्टीमेट कितना है ?

उप-मन्त्री, सिचाई (श्री मनफूलसिंह) :
(१) जी नहीं।

(२) जी हां, तखमीना मरम्मत विचाराधीन है।

(३) तखमीना मन्जूर होने पर व धनराशि उपलब्ध होने पर बांध की मरम्मत की जावेगी।

(४) रु० ४,७१,००० का तखमीना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कैसे कहते हैं कि अतिवृष्टि के कारण नहीं टूटा है ?

सिचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जांच के आधार पर।

Page No. 22

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर बी० डी० ओ० और प्रधान के साथ गया एक दिन पहले और मैंने इन्टीमेट किया था डिपार्टमेन्ट को कि बान्ध टूटने वाला है इसकी मोरियां खोल दो लेकिन डिपार्टमेंट ने मोरी नहीं खोली और गांव वालों का नाम लगा दिया कि उन्होंने तोड़ दिया।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में जो सूचना है वह यह है कि कुछ लोगों ने, जिनकी जमीन बान्ध के नीचे आती थी, उसके कारण यह बान्ध तोड़ा गया है अथवा किसी जानवर के द्वारा। इसके लिए एन्क्वायरी कमीशन बैठाया गया था इसके बीच के ऊपर अथवा किसी जानवर ने उसकी पाल के अन्दर आर-पार छेद कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जानवर था या चूहा।

श्री अध्यक्ष : उसने सुराख लगा दिया हो।

श्री हरिदेव जोशी : अथवा कोई ऐसा कारण रहा हो जिसमें कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्टे ने इसको तोड़ा हो। सेबोटेज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। यह इन्क्वायरी रिपोर्ट में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है--

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कोई इन्क्वायरी नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि मंत्री महोदय ने जो कहा है...

श्री अध्यक्ष : साफ-साफ बोलिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह बिल्कुल गलत है। मैंने खुद ने उस बांध को देखा है, यह कहना कि गांव वालों ने तोड़ा है या किसी जानवर ने तोड़ दिया है--गलत है। मैं मौके पर गया था। तथ्यों को छिपाने के लिए मंत्री महोदय यह कह रहे हैं। उस बांध की मोरियां नहीं खोलीं, इस तथ्य को छिपाने के लिए मंत्री महोदय कह रहे हैं कि गांव वालों ने तोड़ा। इसके अलावा कलेक्टर महोदय के यहां मीटिंग होकर यह तय किया गया था कि दुबारा इसको बनवा दिया जाय, इतनी हाइट तक।

श्री अध्यक्ष : मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। माननीय सदस्य! थोड़ा शनैः शनैः बोलें तो मैं समझ सकता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बांध टूटा है, उसके एक दिन पहले बहुतसे अधिकारी और मैं खुद मौके पर गये थे। मुझे बताया गया कि डिपार्टमेंट को इन्टीमेट किया गया है कि बांध टूटने वाला है इसलिए इसको मोरियां खोल दी जायं। लेकिन इसके ऊपर जरूरी कार्यवाही नहीं की गई इसलिए बांध टूट गया और अब यह कहते हैं कि गांव वालों ने तोड़ा।

श्री अध्यक्ष : प्रापर प्रिकॉशन्स नहीं लिये गये—यह माननीय सदस्य का कहना है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्पजली इस बात को कहा। इसलिए कहा कि पहले भी डिपार्टमेन्ट के पास इस प्रकार के एलीगेशन्स थे, इसलिए इस पर जांच बैठाई, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें से मैं एक्स्ट्रेक्ट्स पढ़ कर सुना देता हूं :

Page No. 23

(श्री हरिदेव जोशी)

"हरसोरा बांध १९६४ में टूटा था। विभाग को ओर से जिन लोगों की जमीन बांध में ली गई थी उन्होंने इस बांध को तोड़ा, लेकिन यह किन्हीं कारणों से साबित नहीं हो सका।" जांच की रिपोर्ट के अनुसार बांध टूटने का लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि "किसी जंगली जानवर के आर-पार छेद करने से टूटा।" Sabotage cannot be ruled out. लेकिन अधिक वर्षा के कारण टूटना नहीं बताया। मैंने निश्चित रूप से इसलिए कहा कि यह एलीगेशन उस वक्त भी लगाया गया था। उस पर इन्क्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट फाइल पर है।

फिर दूसरा पॉइन्ट यह कहा कि इसकी फिर से रिपेयर नहीं कराई जा रही है। रिपेअर करने के लिए, जो हाइट आज बांध की है वह वहां के, उसके अन्दर आने वाली जमीन के लोग उसको पूरा नहीं बनाने देना चाहते हैं। इसके लिए तीन बार कलेक्टर के दफ्तर के अन्दर मीटिंग कन्वीन हुईं, जिसमें इलेक्टेड मेम्बर्स भी गये, और दो साल में मीटिंग होकर फिर फैसला यह लिया गया कि जहां से ब्रीच हुआ है, यानी बांध तो पूरा बना हुआ है, ब्रीच जहां हुआ है वहां काम किया जाय। यह जो फैसला लिया गया इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर ब्रीच होगा इसलिए डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है कि मोरियां इस प्रकार की रखी जायं कि अमुक हाइट के नीचे-नीचे पानी भरा रहे। यह कॉलोबोरेट करता है, जिन लोगों के खेत डूब में चले जाते हैं वे लोग इसमें इन्ट्रेस्टेड हो सकते हैं कि हाइट को नहीं बढ़ाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : बांध की हाइट कितनी होनी चाहिये ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वास्तविकता यह है, अध्यक्ष महोदय...

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जिन लोगों के खिलाफ, जिनका सन्देह था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने इन्क्वायरी के बाद फैसला यह किया कि यह बांध लोगों ने नहीं तोड़ा है बल्कि अतिवृष्टि के कारण बांध टूटा है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में यह नहीं है। यह मैंने कहा कि इन्क्वायरी में यह मालूम नहीं हुआ कि अमुक-अमुक लोगों ने तोड़ा है। जो फेक्ट्स मेरे पास थे, वे मैंने सदन के सामने रख दिये। जो फेक्ट्स इन्क्वायरी के समय मिले हैं वही मैं रख सकता हूं। अब रहा सवाल रिपेअर का, उसके लिए तीन साल को चर्चा के बाद में इस नतीजे पर सब लोग एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं। अब रिपेअर हाथ में लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि गेज रीडर ने लिखित में रिपोर्ट की लेकिन डिपार्टमेंट ने, एक्स. ईएन. और ए. ईएन. ने वक्त पर कार्यवाही नहीं की, इसलिए अतिवृष्टि के कारण टूट गया। उस गेज रीडर को विक्टीमाइज किया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है और तथ्यों को छिपाने के लिए गांव वालों पर आरोप लगा दिया गया है। मजाक की बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जंगली जानवर द्वारा तोड़ने की सम्भावना बताई गई है। यह अपने आप में झूंठ को साबित करता है।

Page No. 24

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा समझता हूं कि...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा समझता हूं कि यह मोटिव इम्प्यूट करना उचित नहीं है।। (व्यवधान) यह मोटिव इम्प्यूट करना उचित नही है।

श्री नत्थीसिंह : गांव वालों पर मोटिव इम्प्यूट आप भले ही कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री हरिदेव जोशी : Please listen to me. सीनियर ऑफिसर्स और एडीशनल चीफ इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर ने मौका देख कर अपने को सेटिसफाई किया है। इसलिये यह कहना कि गलत दी है रिपोर्ट, यह कहना उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि सीनियर मोस्ट पब्लिक...,

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, विरोधी दल !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इनको पूछ लेने दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फेथ पिन कर रही है सरकार सीनियर ऑफिसर पर, श्री दुर्गाप्रसाद, एक्स. ईएन. पर, वहां के सीनियर मोस्ट पब्लिक मैन एम. एल. ए. श्री सतीश शर्मा, भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता और दूसरे सब नेता गये थे, और उन्होंने एक डिफरेन्ट स्टोरी रखी है तो उन पर आप फेथ पिन नहीं करना चाहते हैं और जो श्री दुर्गाप्रसाद ने कहा है, उसको आप सही कहना चाहते हैं। यह सही दृष्टिकोण...

श्री हरिदेव जोशी : मेरे सामने जो रेकार्ड पर है... (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) मेरी अर्ज सुन लीजिये। मैं इन्फॉर्मेशन वही दे सकता हूं जो अवेलेबल है। अध्यक्ष महोदय, रेकार्ड पर पहले यह चीज सामने नहीं थी, अब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, वह अवेलेबल की है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने जानकारी दी है, उस जानकारी के अनुसार जो व्यवस्था की गई है इस बांध के सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि टूटे हुए बांध को मरम्मत करने के लिए प्राथमिकता दे, और इसके अतिरिक्त मैं एक और बात भी जानना चाहूंगा कि यह जो आर-पार छेद जो बांध के अन्दर हुआ है, यह दो पग के जानवर ने किया है या चार पग के जानवर ने किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : डिपार्टमेंट का तो कहना यह है कि दो पग के जानवर ने किया, मगर उसको साबित नहीं कर सका अपनी रिपोर्ट में।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस जांच को रिलाएबल कैसे मान लेंगे जब यह साबित नहीं हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री जी कन्विन्स्ड हैं कि जानवर तोड़ सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं फेक्ट्स सामने रख रहा हूं। जो जानकारी मेरे पास है वह मैं सामने रख रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो यह तथ्यहीन है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी ओपीनियन नहीं देना चाहता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी से हम इसका उत्तर चाह रहे हैं। वहां पर डिपार्टमेंट ने क्या किया, यह नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह गलत हो जायगा। मौके पर मैं था नहीं, जो फेक्ट्स हैं नहीं उनके बारे में अपनी राय जाहिर करूं।

श्री नत्थीसिंह : एपेरेन्टली गलती गलती है, एपेरेन्टली बेबुनियाद लगता है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : मंत्री महोदय ने कहा...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बांध की तो मरम्मत करा दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मरम्मत का फैसला कि कहां तक मरम्मत की जाय इसके लिए तीन साल में फैसला किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो जानकारी दी उसके अनुसार मरम्मत कराने के लिए कहा।

श्री हरिदेव जोशी : एक्जेक्टली वही शुरू किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बांध की दुबारा तामीर करने के सम्बन्ध में कलेक्टर ने दो साल पहले मीटिंग बुलाई उसमें मैं मौजूद था, एक्स० ईएन० मौजूद थे, और लोग भी मौजूद थे, उन्होंने यूनेनीमसली यह तय किया था कि इतनी हाइट पर बांध बनाया जाना चाहिए। यह फैसला दो साल पहले कर दिया था। मंत्री महोदय कहते हैं कि तीन साल हो गये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, ६६ में फाइनली तय हुआ, यह हाइट रखी जानी चाहिये। उसके बाद एस्टीमेट बने, जनवरी, ६७ में मेरे पास आया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो साल पहले निर्णय दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : फाइनल तय हुआ है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जानवर के बारे में कहा है...

श्री अध्यक्ष : ६१३। Next question. Order please. बहुत समय ले लिया है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं एक इन्फार्मेशन ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री ! ६१३।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order please. कम से कम दस-बारह बार कहा है मैंने। अब आगे ले लिया है प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री देवीलाल की ओर संकेत कर) यह क्या कह रहे हैं।

श्री देवीलाल (सराड़ा): क्या यह जानवर था, यह साढ़े तीन हाथ-पैर का था ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : साढ़े तीन हाथ-पैर का दिखता था। ६१३।

छात्रावासों के छात्रों की कठिनाइयां

६१३. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि समाज-कल्याण छात्रावासों में छात्रों को यूनिफॉर्म्स नवम्बर–दिसम्बर से पहले नहीं दी जाती जब कि छात्रों का प्रवेश इन छात्रावासों में हर साल जुलाई में होता है ?

(२) क्या यह सही है कि इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी आदि पाठ्य-सामग्री भी ६-६ माह तक उपलब्ध नहीं होती ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कदम अविलम्ब उठाने का विचार रखती है ?

समाज-कल्याण मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) समय पर ही दी जाती हैं। छात्रावासों में छात्रों के माह जुलाई में प्रवेश लेते ही विभाग द्वारा ये आदेश जारी किये जा चुके हैं कि समस्त छात्रावास के छात्रों को यूनिफॉर्म ३१ जुलाई तक अवश्य दे दी जाय।

(२) इस विभाग द्वारा पुस्तकें व स्टेशनरी भी छात्रों को समय पर दे दी जाती हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सुनाई नहीं देता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनाई नहीं देता है बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष : सुनाई देने के योग्य नहीं है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : उक्त आदेश जारी किये जा चुके हैं। कुछ पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होने पर उनमें देरी की सम्भावना रहती है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : बिल्कुल सुनाई नहीं दिया है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री गंगासहाय : कुछ सुनाई नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था ? अब इसे छोड़ दीजिये, आगे का ले लेते हैं।

श्री फूलचन्द बाफना !

देसूरी में बिजली

६१४. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

फालना से देसूरी (वाया सादड़ी) बिजली ले जाने की वर्षों पुरानी योजना है उसके अनुसार सादड़ी तक बिजली आये भी कुछ वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो अब सादड़ी से आगे देसूरी तक बिजली कब तक पहुंचा दी जायगी ?

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत् मंत्री) : जी हां, यह योजना जनवरी, १९६४ में स्वीकार हुई थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार

(श्री हरिदेव जोशी)

केवल एक देसूरी ग्राम के विद्युतिकरण में अनुमानित व्यय ४.४३५ लाख रुपये का है। अर्थाभाव के कारण इस कार्य को अभी करने में और कोई अवधि निश्चित करने में असमर्थता है।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री फतेहसिंह !

श्री फतेहसिंह : Nine one five.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Nine one five.

श्री अध्यक्ष : क्यों नकल करते हैं माननीय सदस्य की ?

कोटड़ा जंगल, ब्यावर रेन्ज में पारेबन्दी पर व्यय

९१५. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ब्यावर रेन्ज के कोटड़ा जंगल में हाल ही में पारेबन्दी कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर कितना रुपया खर्च हुआ और कितना वर्गफुट काम किया गया ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : चालू वर्ष में कोटड़ा जंगल में कोई पारेबन्दी का कार्य नहीं कराया गया।

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देऊं कि अभी थोड़े दिनों पहले मंत्री महोदय मिले थे और उन्होंने मुझको कहा था कि पारेबन्दी का काम हुआ है और अभी कह रहे हैं कि पारेबन्दी का काम नहीं हुआ है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : चालू वर्ष की बात थी, चालू वर्ष में नहीं किया।

श्री फतेहसिंह : कब किया ? राष्ट्रीय विकास के मामले में एक साल कोई बड़ी बात नहीं। गई साल हुआ था या नहीं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: ६६-६७ में सहायता कार्य में ८०० एकड़ रकबे में १३७४ बैंक बनवाये गये जिसमें १,६६,६३० घनफुट का कार्य हुआ। इस कार्य में २५,९९८ रु० कुछ पैसे खर्च हुए ..

श्री अध्यक्ष : माइक ठीक करें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : श्रम में ४,४६४ रु० और दूसरे में ४६३ रु० ६४ नये पैसे।

उपरोक्त ८०० एकड़ भूमि में पारेबन्दी को खातेदारों के द्वारा शुरू करा दिया गया था। २१,०९९ और कुछ पैसे खर्च हुए, १,५६,५६६ घनफुट कार्य किया गया।

श्री फतेहसिंह : क्या मजदूरों को पेमेन्ट करा दिया गया है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मजदूरों को पेमेंट किया गया या नहीं किया गया इसकी जानकारी इस समय मुझे नहीं है।

श्री फतेहसिंह : मजदूरों को पेमेंट नहीं किया गया है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय सदस्य ने कहा कि पारेबन्दी इस वर्ष की या नहीं, मैंने कहा कि इस वर्ष यह पारेबन्दी नहीं हुई। जिस वर्ष में यह कार्य हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट करवा दिया जायगा।

श्री फतेहसिंह : सरकार की यह मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है कि मजदूरों को पेमेंट नहीं होता है। मैंने इसी तरह की सूचना

(श्री फतेहसिंह)

सिंचाई मंत्री को भी दी थी कि लोगों ने काम किया और उनको मजदूरी का पेमेंट नहीं किया गया, वन विभाग की भी यही हालत है लोगों ने मजदूरी की और पेमेंट नहीं किया गया। गरीब आदमियों को मजदूरी का पेमेंट जल्दी करवाना चाहिये, दूर दूर से मजदूरी करने आते हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि पेमेंट जल्दी कराया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं किया गया है तो पेमेंट शीघ्र कराया जाय।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : शीघ्र किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : Next, श्री जुझारसिंह !

ग्राम राजगढ़ (त० सांगोद) में चम्बल मेन कैनाल व माइनर्स की खुदाई से कृषकों को नुकसान का मुआवजा

९१६. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम राजगढ़, तहसील सांगोद में चम्बल मेन कैनाल व माइनर्स की खुदाई कब की गई थी और जिन काश्तकारों की जमीन नहर या मिट्टी उठाने से बिगड़ गई थी उनमें से किन-किन व्यक्तियों को मुआवजा देना अभी तक बाकी है ?

(२) क्या यह सही है कि भैरू पुत्र राधाकिशन चमार की १९ बीघा जमीन में से करीब १० बीघा जमीन में नहर की मिट्टी उठाने के कारण बिगड़ गई है व कई सालों से काश्त के काबिल नहीं रही है व उक्त जमीन की पिलाई सरकार द्वारा अब भी ली जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या नहर के बैंक्स के लिये काश्तकारों के खेतों से उठाई गई मिट्टी व फसल खराबी का मुआवजा और भी काश्तकारों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ?

(४) सरकार काश्तकारों के पूर्ण भुगतान का कब तक प्रबन्ध कर देगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) ग्राम राजगढ़ में राजगढ़ माइनर ही निकली है और यह माइनर सन् १९६० में खोदी गई थी। किसी काश्तकार को जमीन का मुआवजा देना बाकी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मैंने राजगढ़ का सवाल पूछा है, रामगढ़ का नहीं पूछा है।

श्री मनफूलसिंह : (२) जी नहीं।

(३) जिन काश्तकारों की जमीन नहर जो खोदते समय ली गई थी या बिगड़ गई थी उन सबको भूमि का मुआवजा चुका दिया गया है तथा नहर खोदते समय जो फसलों का नुकसान हुआ था उनका स्टेटमेंट संबंधित तहसीलदार साहब को भिजवाया जा चुका है। ज्यों ही तस्दीक हो कर आवेगा, फसलों के नुकसान का मुआवजा चुका दिया जावेगा।

(४) फसलों के नुकसान के मुआवजे का स्टेटमेंट वास्ते तस्दीक तहसीलदार साहब को भिजवा दिया गया है। तस्दीक होने पर ही मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

श्री जुझारसिंह : दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। क्या इस आदमी के खेत से मिट्टी नहीं उठाई गई ? मुआवजा कब दिया गया ? प्रश्न आने के बाद दिया है क्या ?

श्री मनफूलसिंह : इसकी जमीन नहर के अन्दर नहीं आई है। अभी इसने ५ बीघा में चना और १४ बीघा में गेहूं की काश्त की है।

श्री जुझारसिंह : १९ बीघा में से ९ बीघा जमीन खोदी हुई है, मेन कैनाल में मिट्टी गई है, उसमें अभी वाटर लॉगिंग है, पानी भरा रहता है। १९ में से १० बीघा जमीन खोदी है, ९ बीघा जमीन खराब हो चुकी है, उसको मुआवजा नहीं दिया है, वह जमीन आज भी उसके कब्जे में नहीं है, उससे पिलाई वसूल की जा रही है।

श्री हरिदेव जोशी : जो हमारे पास जानकारी है, उसके अनुसार तो जमीन नहीं आई है, फिर भी कहें तो मैं डी. ग्रो. लेटर लिख कर कलेक्टर से कहूंगा कि पर्सनली देख कर भुगतान करा दें। मैंने सदन में आश्वासन दिया था, मैं कोटा, बूंदी दो दिन पहले गया था, जितने इस तरह के मुआवजे के पेंडिंग केसेज थे उनके लिये जॉइन्ट मीटिंग इरिगेशन डिपार्टमेन्ट और रेवेन्यू विभाग के ऑफिसर्स की कर के एक्सपेडाइट करने के लिये उन्हें सावधान कर दिया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि ९५ पर्सेन्ट केसेज का डिस्पोजल हो चुका है।

श्री जुझारसिंह : मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में पांच-चार गांव आते हैं, वहां अभी तक एक भी मामले का फैसला नहीं हुआ है। फसल नुकसान के मुआवजे के केसेज भी पेंडिंग हैं। जल्दी ही फैसला करें तो उचित होगा।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि प्रश्न करके प्रश्न का उत्तर आने तक इन्तजार करने के बदले, जिन लोगों को मुआवजा देना बाकी है, उसकी जानकारी दे दें तो इसे एक्सपेडाइट किया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्री महोदय ने कहा कि ९५ पर्सेन्ट को पैसा दे दिया गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिलाधीश ने जो यह रिपोर्ट दी है, गलत दी है, लोगों को चैक नहीं........

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

शिक्षा मन्त्री ! प्रश्न संख्या ९१७।

तहसील सांचोर के स्कूलों में अध्यापकों की कमी

९१७. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि गत सत्र में माध्यमिक पाठशाला, सांचोर की ढाणी एवं डाबल में पूरे सत्र में अध्यापक पूरे नहीं थे ? अगर हां, तो किस-किस पाठशाला में कितने शिक्षकों की कमियां रही ? कमियां क्यों रखी गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त पाठशालाओं में शिक्षकों की कमियां होने से छात्रों की पढ़ाई की हानि हुई ?

(३) क्या सरकार अगले सत्र में उपरोक्त पाठशालाओं में पूरे शिक्षक लगाने की

Page No. 30

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

(४) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में सरकारी पाठशालाओं में अमूमन शिक्षकों की कमी रहती है ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या कारण हैं ? इस विषय में सरकार भविष्य में क्या सोच रही है, ताकि इन पाठशालाओं में शिक्षकों की कमियां नहीं रहें ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां। गत सत्र में माध्यमिक पाठशाला सांचोर की ढाणी में ५ अध्यापक थे और बाद में ३ की और नियुक्ति की गई लेकिन उन्होंने समय पर जा कर काम नहीं संभाला। इसी तरह डाबल की प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत हो गई किन्तु हैड मास्टर का स्थान रिक्त रहा।

(२) जी नहीं। अध्यापकों की कमी के बावजूद सांचोर की ढाणी का परीक्षाफल ८०.८ और डाबल का ६६.८ प्रतिशत रहा।

(३) जी हां। इसी सत्र से उपरोक्त पाठशालाओं में पूरे शिक्षक लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

(४) जी नहीं। किन्हीं पाठशालाओं में शिक्षकों की अवश्य कमी रही है सभी पाठशालाओं में नहीं और जहां रही है उस कमी की पूर्ति की इसी सत्र में पूरी करने की कोशिश की जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, बार-बार यह सवाल उठा कर आपके जरिये मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। आपने स्वीकार किया है कि एक शिक्षक साल भर नहीं गया, दूसरे में कहा कि ३ शिक्षक रहे। इस प्रकार की समस्या के बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ? ऐसे इलाकों में मास्टरों को भेजने का ऑर्डर कर देती है और मास्टर जाते नहीं हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन में सारे टीचर्स पूरे कर दिये जायेंगे। नहीं जायेंगे उनको मजबूर कर देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जाते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : जा कर आ जाते हैं, यह मुश्किल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जैसे सिटी अलाउन्स देते हैं उसी तरह रेगिस्तान अलाउन्स क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : Next ! श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

लघु सिंचाई कार्य

६१८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विशेषज्ञों की राय लघु सिंचाई के छोटे कार्यों को अधिकाधिक बनाने के पक्ष में है ?

(२) क्या यह भी सही है कि पच्चीस हजार तक के छोटे-छोटे काम पंचायत समितियों द्वारा उनके फण्ड से बनाये जाते हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत समितियों के पास इतना सीमित फंड होता है कि वे बहुत कम काम हाथ में ले सकती हैं ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(४) लघु सिंचाई के महत्व को देखते हुए क्या सरकार पच्चीस हजार से नीचे के होने पर भी उपयोगी कार्यों को सिंचाई विभाग के फंड से करवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) पंचायत समितियों को कितनी रकम दी जा रही है और वे कितने कार्य कर पा रही हैं, यह जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(४) जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपको जानकारी नहीं है कि सिचाई के लिये पंचायत समितियां कितना काम करती हैं ?

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सारी बात तो इस पर निर्भर करती है कि स्टेट के पास फण्ड कितने हैं। एजेंसी कोई हो, सब स्टेट के फण्ड पर निर्भर करता है। स्टेट के पास ज्यादा फण्ड्स होंगे तो पंचायत समितियों को ज्यादा पैसा दिया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या सरकार की नीति नहीं है कि इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : नीति तो है पर फण्ड्स चाहियें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या दूसरे फिजूल खर्चे काट कर इन कार्यों के लिये सरकार नहीं दे सकती ?

श्री हरिदेव जोशी : फिजूल खर्चों का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री मूलचन्द डागा !

श्री भीमसेन : ६१६ को ले लिया जाता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लिस्ट नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं पूछना चाहते ?

श्री मूलचन्द डागा : पूछना चाहता हूं पर मुझे सूची नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : सूची का प्रश्न आता है क्या ? पढ़ देना साहब।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

स्थगित प्रश्न

पाली नगरपालिका द्वारा मन्सूख किये गये पट्टे

७५८. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली नगरपालिका ने १ जुलाई, १९६६ से आज तक किन-किन लोगों के पट्टे दिये हुए मन्सूख किये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह पट्टे किन-किन तारीखों को किस-किस आधार पर मन्सूख किये ? उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) ऐसे कितने पट्टे हैं जिनका कलेक्टर का एप्रूवल होने के बाद भी नगर-

(श्री मूलचन्द डागा)

पालिका ने मन्सूख किये हैं तथा किन आधारों पर ? उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

स्वायत्त शासन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (१) नगरपालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २१-९-६६ के बाद कोई भी पट्टा मन्सूख नहीं किया गया है । यह सम्भव है कि लीज होल्ड के बेचान मन्सूख किये गये हों । नगरपालिका से सूची प्राप्त नहीं होने की दशा में सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकी है ।

श्री अध्यक्ष : यह एक्स्प्लेनेशन हो गया ।

राव श्री नारायणसिंह : (२) उपरोक्त सेल डीड निम्न आधारों पर मन्सूख किये गये हैं :—

(क) ऐसे पट्टे जो अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये थे ।

(ख) ऐसे पट्टे जो पूरे बोर्ड की अनुमति के बिना ही शीघ्र निर्णय के बाद दिये गये थे ।

(ग) ऐसे पट्टे जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, धारा ८० के अन्तर्गत जिलाधीश या राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना दिये गये थे ।

(घ) ऐसे पट्टे जिनमें रेकार्ड में रद्दोबदल किये जाकर पट्टे दिये गये थे ।

(ङ) ऐसे पट्टे जो अनधिकृत व गलत नीलामी से दिये गये थे ।

(च) ऐसे पट्टे जो नजूल कमेटी के नियमों के विरुद्ध दिये गये थे ।

(३) जितने भी केसेज जिनमें कलेक्टर की अनुमति दिनांक २१-९-६६ के बाद प्राप्त की गई है सेल डीड जारी कर दिये गये हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या एक बात यह है जैसा कि आपने कहा कलेक्टर महोदय द्वारा पहले सेल डीड एप्रूव कर दिया गया, सेल डीड रजिस्टर हो चुके हैं, किन-किन के हुए आपने सूची तो दी नहीं । आपने किसका कैन्सिल कर दिया है वह किसके नाम से है ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं नगरपालिका की सूचना के अनुसार जितनी सूचना इकट्ठी की है वह निवेदन कर चुका । माननीय सदस्य को मालुम है २९० और १६७ के तहत जो इन्क्वायरी आदेश दिये गये हैं उसकी रिपोर्ट आ जायगी उसके बाद निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न तो ले लिये जायं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हमारा स्थगित प्रश्न ६२५ बड़ा ही महत्वपूर्ण है वह ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं यथाशीघ्र समाप्त होने वाले प्रश्न क्रम से ले लेता हूं । ६२५ ।

सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर को पत्थर निकालने का ठेका

६२५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा), **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर),

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री को जगल से पत्थर निकालने का ठेका दिया हुआ है ?

(२) क्या यह भी सही है कि भैरूंपुरा रिजर्व फोरेस्ट एरिया भी इस ठेके में सम्मिलित है ?

(३) पत्थर खुदाने का काम किस-किस तारीख से फैक्ट्री ने शुरू किया ? अब तक जंगल का कितना क्षेत्र फैक्ट्री के द्वारा इस हेतु काटा जा चुका है ?

(४) यह ठेका कब से और किन शर्तों पर दिया हुआ है ? यदि कोई इकरारनामा हुआ था तो इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या पत्थर खुदाई का काम प्रारम्भ करने से पहले जंगल नीलाम किया जा चुका था अथवा वन सम्पदा का तखमीना करा लिया गया था ?

(६) क्या खुदाई का काम प्रारम्भ करने से पहले फैक्ट्री ने नियमानुसार वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ? यदि नहीं, तो वन विभाग द्वारा फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(७) क्या यह सही है कि वन विभाग ने जंगल के नुकसान को आंक कर फैक्ट्री से लगभग २ लाख रुपये का मुआवजा वसूल करने की सिफारिश की थी ?

(८) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बहुत कम रकम मुआवजे के रूप में वसूल की गई ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

(९) यह निर्णय कब लिया गया और रकम की वसूली कब की गई ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां।

(२) जी हां, किन्तु भैरूंपुरा रिजर्व फॉरेस्ट न होकर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है।

(३) भैरूंपुरा में पत्थर खुदाने का कार्य फैक्ट्री द्वारा दिनांक २७-४-६६ को शुरू किया गया था। फैक्ट्री द्वारा अब तक ९८ एकड़ जंगल काटा गया है।

(४) यह ठेका प्रथम बार अल्प अवधि के लिये खनिज विभाग द्वारा ११-३-६६ को दिया गया। इसके पश्चात् उसी विभाग के आदेश दिनांक ६-८-६६ द्वारा इस क्षेत्र का माइनिंग लीज दिया गया जिसकी प्रति एवं फैक्ट्री द्वारा जयपुर स्टेट के बीच हुए इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं, वन विभाग द्वारा केसेज बनाये गये व मुआवजे के लिये नोटिस दिये गये।

(७) जी हां, सम्बन्धित अधिकारी ने १,९४,९०० रु० बतौर मुआवजा वसूल करने की सिफारिश की थी। यह मुआवजा पैदावार की कीमत का ६ से ११ गुने पर आधारित था।

(८) जी नहीं, वन पैदावार की कीमत की आधी रकम की वसूली के आदेश राज्य सरकार द्वारा इस बिना पर दिये गये कि

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

फैक्ट्री ने इस क्षेत्र में काम करने की इजाजत लिखित रूप मे राज्य सरकार के खनिज विभाग से प्राप्त कर ली थी। दूसरे राज्य सरकार को इस फैक्ट्री से काफी मात्रा में सेल्स टैक्स, रॉयल्टी के रूप में आय होती है तथा काफी संख्या में फैक्ट्री द्वारा लोगों को रोजी दी जाती है।

(६) यह निर्णय तारीख १३-३-६७ को लिया गया था व फैक्ट्री द्वारा रकम २४-३-६७ को जमा कराई गई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो अधीनस्थ कर्मचारी थे इन्होंने १ लाख ६४ हजार ६०० रुपया मुआवजा तय किया था उसके अनुसार सरकार ने कितनी रकम वसूल की है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : डी० एफ० ओ० ने जो असेस किया था कि इतनी रकम जमा करायी जाय उसके बाद कम्पनी ने रिप्रेजेन्टेशन किया।

श्री नत्थीसिंह : भोखाभाई चुपके से बता रहे हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वे इससे सम्बन्धित रहे हैं। उन्होंने जो रिप्रेजेन्टेशन किया उस पर राज्य सरकार ने जांच-पड़ताल की। सी० सी० एफ० से फिर से पूछा गया। सब बातों की जांच करके जो उन्होंने असेस किया था वह नहीं करके उस फैक्ट्री की अहमियत को देखते हुए विभिन्न राशि निर्धारित की थी।

श्री भैरोंसिंह : १ लाख ६४ हजार के मुकाबले आपने कितनी राशि वसूल की ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वह असेसेबल की गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है २ लाख की एवज में सरकार ने केवल ११ हजार रुपया ही वसूल करने का आदेश दिया है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : १ लाख ६४ हजार ६०० या दो लाख का नहीं उसकी बजाय ११,४५० रुपया वसूल किया गया विभिन्न कारणों से।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सी० सी० एफ० और डी० एफ० ओ० से इत्तफाक करते हुए इस कम्पनी द्वारा रिप्रेजेन्टेशन आया उसकी लाइट में उन्होंने कहा कि श्री शांतिप्रसाद जैन से १ लाख ६४ हजार रुपया ही वसूल किया जाय ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसा प्रतीत नहीं होता।

(श्री भीखाभाई के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर अनेक सदस्यों द्वारा व्यवधान)

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार का यह कहना है कि सी० सी० एफ० ने १ लाख ६४ हजार का प्रोपोजल नहीं दिया ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मेरी सूचना के अनुसार फॉरवर्ड किया था।

श्री भीखाभाई : आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इनको इनका डिप्टी बना दिया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अगर आप कहने के लिये इतने उत्तेजित हैं तो आपके खिलाफ बहुत सा सामान है........

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व वन मंत्री सदन को इस बारे में जानकारी देंगे, यह जो ९४ एकड़ के अन्दर जंगल खड़ा था, प्रति एकड़, प्रति दस एकड़ का वेल्यूएशन क्या है ? जंगल किस किस्म का था ? क्या उसका ठेका देते समय उसका वेल्यूएशन ध्यान में रखा गया और जिस आधार पर वेल्यूएशन दिया जो १ लाख ९४ हजार रुपये का था क्या आपने इस वेल्यूएशन के बारे में जानकारी की है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो वेल्यूएशन किया गया था ३००) पर एकड़ और २००) पर एकड़ विभिन्न जमीनों के लिए, उनको रिवाइज करके आधा किया गया । उस बेसिस पर सारा वसूल किया गया। यह रकम यदि कम लगती है तो उसके साथ-साथ उस वक्त जंगल जो राज्य सरकार के अधिकार में था, उनके जो बेनीफिट्स थे सोच-समझ कर कि बहुत महत्वपूर्ण थे कि यह एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कांग्रेस का सबसे बड़ा फाइनेन्सर है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि चीफ कन्जरवेटर आफ फॉरेस्ट्स की सिफारिश पर वन विभाग के सचिव और वित्त सचिव ने लिखा था कि १,९४,०००) वसूल किए जायें ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था । जो बेनीफिट्स उनके ध्यान में थे, वह मैं अर्ज कर दूं । माइन्स की रॉयल्टी द्वारा ८.५ लाख की आमदनी, एक्साइज ड्यूटी.......

श्री भैरोंसिह : हमारा यह मतलब नहीं हैं। वह तो डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट देख ली।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : डाइरेक्ट इन्कम इससे कितनी होती है स्टेट को ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि ये आदेश चुनाव से ७ दिन पहले दिए गए थे ? पूछ लीजिए भीखाभाई से ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : After Election—२८-२-६७ ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि यह रिप्रेजेन्टेशन चुनाव से पहले आ गया था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह सही है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इस रिप्रेजेन्टेशन पर चीफ कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स से कोई भी कमेंट्स नहीं लिए गए हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : रिप्रेजेन्टेशन आते ही विधिवत् डी० एफ० ओ० आदि सबसे पूछा गया था ।

श्री भैरोंसिह : इस रिप्रेजेन्टेशन पर चीफ कन्जरवेटर आफ फॉरेस्ट्स और डी० एफ० ओ० की राय नहीं ली गई थी। जो आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री की तरफ से

Page No. 36

(श्री भैरोंसिंह),

रिप्रेजेन्टेशन आया, उस पर चीफ कन्जरवेटर आफ फॉरेस्ट्स और डी० एफ० ओ० से कोई कमेंट्स नहीं ली गई थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ली गई थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि आपके पास रिप्रेजेन्टेशन ही नहीं है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : रिप्रेजेन्टेशन है।

श्री भैरोंसिंह : कहां है, बताइए। आप सिर्फ हां भरते जा रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : रिप्रेजेन्टेशन जो आया उस पर जो कुछ डी० एफ० ओ० ने कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, वह हैं :

"I am, therefore, of the opinion that this issue of the forest compensation from this concern should be decided at the highest level immediately."

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं कि रिप्रेजेन्टेशन आया या नहीं ? फाइल देखकर बताइए।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसलिए तो यह बात हुई हैं। रिप्रेजेन्टेशन फाइल पर है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है। जबानी जमा खर्च हुआ है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जबानी जमा खर्च नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो बताइए कि रिप्रेजेन्टेशन है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय रिप्रेजेन्टेशन पर जो कमेंट्स हैं, वह पढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : रिप्रेजेन्टेशन पर नहीं है, यह फाइल पर नोटिंग है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : रिप्रेजेन्टेशन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : फाइल की इतनी नॉलेज आपके पास कैसे आ गई ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : आप इधर आ जायं तो आपको भी हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जनरल नॉलेज में हमेशा फेल रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : रिप्रेजेन्टेशन ढूंढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा गया था ?

श्री रामानंद अग्रवाल : यह बहुत सीरियस बात है। मंत्री ने कहा कि रिप्रेजेन्टेशन पर एन्डोर्समेंट है, अभी कहते हैं कि ढूंढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा गया था ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मिल गई।

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, अध्यक्ष महोदय, ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट के तहत मंत्री महोदय भीखा भाई को कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेन्ट नहीं दिखा सकते। वह राजस्थान सरकार की फाइल्स उनको दिखा रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत दोनों का प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिए।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : These are my papers.

श्री भैरोंसिह : यह ऑफिशियल सीक्रेट है। कोई भी माननीय सदस्य ऑफिशियल डॉक्यूमेन्ट्स को नहीं देख सकते। भूतपूर्व मंत्री पास में बैठकर मंत्री महोदय को सलाह दे रहे हैं, डॉक्यूमेन्ट्स को देख रहे हैं और यह सीक्रेसी के ओथ का मंत्री महोदय उल्लंघन कर रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मातहत उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी ! क्या फरमा रही हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : भीखाभाई के बोए हुए बीज हैं और फल ये मंत्री महोदय भुगत रहे हैं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए, व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल जो नसीराबाद का मामला था उससे भी ज्यादा सीरियस यह है। सीरियस इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति के द्वारा भूतपूर्व वन मंत्री द्वारा चुनाव के मौके पर डेढ़ लाख फॉरेस्ट के रेन्जर्स के द्वारा रिश्वत के रूप में इकट्ठा करने की शिकायत विजिलेन्स कमिश्नर के पास आई जो मुख्य मंत्री के पास पेंडिंग है और यह मामला उस बैक ग्राउन्ड में और भी फिशी है। सवाई माधोपुर में जिस प्रकार लाखों का जंगल कौड़ियों में गया, चुनाव के मौके पर दिया, यह नसीराबाद से भी ज्यादा मामला है।

श्री भीखाभाई : मैं बोलना नहीं चाहता था। मंत्री महोदय संबंधित रेकार्ड को देखकर बतायेंगे। लेकिन by personal explanation यह निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार के एलीगेशन्स माननीय सदस्य लगा रहे हैं, मैं समझता हूं उचित नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह : एलीगेशन्स का सवाल नहीं है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : This is a question of personal explanation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री भीखाभाई : इस मामले का जहां तक सवाल है, इस संबंध में मैं अपनी याददाश्त के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं...

श्री भैरोंसिह : Who is he ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साहू जैन से पैसे खा गए।

श्री श्रवणलाल : चोर-चोर मोसेरे भाई।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अभी रिप्रेजेन्टेशन के लिए पूछा गया, रिप्रेजेन्टेशन ढूंढा है।

श्री नत्थीसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके अलावा सभी आस्पेक्ट्स को....

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : और भी कोई शंकायें हों माननीय सदस्यों को तो एक राजस्व का प्रतिनिधि और एक जंगल विभाग का इस बात की पूर्ण जांच करेंगे

Page No. 38

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

मोके पर जाकर और अगर उनकी कोई दूसरी सलाह होगी और उस असेसमेंट को रिवाइज कराना होगा तो करवाया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले को मंत्रिमंडल के सामने रखा था या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी ! मंत्रिमंडल में इस प्रकार का प्रश्न आया था शांतिप्रसाद जैन का जिसके खिलाफ १,६४,०००) वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मुझे इस समय कोई जानकारी नहीं कि मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रश्न आया या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सैक्रेटरियट मैन्यूअल के अनुसार इस प्रकार के मसले बिना केबिनेट के एप्रूव नहीं किए जा सकते ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, इतना ही पर्याप्त है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तथ्य अब सामने आ गया कि यह केबिनेट के सामने मामला नहीं गया था । मुख्य मंत्री ने इन्डाइरेक्टली एन्डोर्स किया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

कई माननीय सदस्य : नहीं साहब ।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : जनता को इस कमाई को ....

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order please. माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : ये केस इसलिये लाये जाते हैं कि लाखों रुपया चन्दा लेकर, उनसे चन्दा का लेकर इस प्रकार से जो ठेके दिलाते हैं । अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच, दस-दस लाख रुपया लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय ! Order please.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि केबिनेट स्तर पर यह मामला आया इसके सम्बन्ध में उनको जानकारी नहीं है । किन्तु आपके द्वारा, मुख्य मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस तरह का मामला केबिनेट स्तर तक आकर के ही डिस्पोज ऑफ हो सकता था या कोई अन्य स्तर पर भी ऐसे मामले निपटाये जा सकते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं अभी कह नहीं सकता इसके बारे में तो । पर रूल्स ऑफ बिजनेस में वह चीज आवश्यक हो तो वहां आती है, वरना बहुत से अधिकार मंत्रियों को स्वयं को हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और अगर यह मालूम पड़ जावे की रूल्स आफ बिजनेस के अनुसार यह चीज केबिनेट के सामने आनी चाहिये पर नहीं आई और उससे बाहर ही फैसला कर दिया तो इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ।

Page No. 39

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : मैं कहना चाहूंगा सदन में कही गई डेढ़-दो लाख की गड़बड़ी और घोटाले की बात.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त कर दिये गये हैं। माननीय सदस्य !

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आप ही की आज्ञा से तो बोल रहा हूं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न का उत्तर नहीं आवे तो प्रश्न समाप्त कैसे हुए ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब उत्तर मिलेगा इसका ?

श्री अध्यक्ष : मैं यह अभी नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सदन में मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सदन के बाहर मिलने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी सेशन में मिलना चाहिये। इसी सत्र में और उस रोज मुख्य मंत्री जी भी हाजिर रहने चाहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : स्थगित किया गया। स्पष्टीकरण के लिये पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो लिया गया है वह स्थगित किया गया है ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया था उस सम्बन्ध में आपका रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं उसको रिजर्व रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : रिजर्व रखते हैं ऐसा मसला है नहीं। अभी मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद हैं। तुरन्त डिस्पोज ऑफ करना चाहिये। मैं कह दूं उनकी जानकारी के लिये कि आपकी अनुपस्थिति में सरकारी फाइल जो सीक्रेट डॉक्यूमेन्ट होता है, वन मंत्री महोदय ने भीखाभाई को दी जो मंत्री नहीं हैं देखने के लिये। ऑफिशियल सीक्रेट रूल्स के आधार पर अपनी फाइल दूसरे आदमी को मंत्री नहीं बता सकते और इस प्रकार से जो सीक्रेसी की ओथ माननीय मंत्री महोदय ने गवर्नर के समक्ष ली है उसका भी उल्लंघन किया है और सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन किया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असेम्बली की प्रोसीडिंग्स में अगर ऐसा वाकया होता है तो ऑफेन्स बनता है, उसका कॉग्नीजेन्स बाहर वाले तो यहां आकर नहीं ले सकते, पुलिस तो यहां नहीं आ सकती, बाहर होता तो पुलिस की बात होती, पर सदन में है तो यह आपके हाथ में है। इस मसले पर कॉग्नीजेन्स लिया जावे जो ऑफिशियल सीक्रेट को लीक आउट किया है एक ने तो और दूसरे ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ सरकारी गोपनीय कागज देखे हैं। तो दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : I deny the allegation. मैंने फाइल वगैरह नहीं दिखाई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नैतिकता है ?

श्री अध्यक्ष : Order please, Order !

Page No. 40

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सफेद झूठ है।

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर जो माननीय सदस्य ने उठाया, काफी लम्बे फासले से उठाया है। यह तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्य यह है कि आया उन्होंने फाइल देखी या नहीं देखी।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपनी तरफ से...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने इससे इन्कार किया है। इसलिये मैंने इस पॉइन्ट ऑफ आर्डर पर अपनी रूलिंग देने को सुरक्षित रखा है। मैं और तथ्यों की जानकारी लेकर ही अपनी रूलिंग दे सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम इसको केवल आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं। आपने भी देखा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी इतनी दूरी पर बैठे हैं और वे चश्मा लगाने के भी आदी हैं। अब जब चश्मा भी नहीं लगा हुआ है और इतनी दूरी पर भी बैठे हैं तो इतनी दूरी से बिना चश्मे के भी कैसे देख सकते हैं ?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत भी वहां बैठी हैं। उनसे भी पूछ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखूंगा।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत मन्त्री महोदय के पास बैठी हैं और वे सदन में खड़ी होकर कह दें कि वास्तव में क्या बात है तो यह मामला अभी ड्रॉप हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : उनसे भी जानकारी कर ली जावेगी।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

इन्द्रगढ़ की नल योजना

९०२. **श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) :** क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के म्यूनिसिपल एरिया इन्द्रगढ़ में नल लगाने की योजना थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सर्वे भी किया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा कितना एस्टीमेट बना ?

(३) इस योजना के अब तक कार्यान्वित न होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) योजना बनाई जा रही है।

(२) जी हां सर्वे गत वर्ष अप्रेल माह में किया गया था। अनुमानतः १,५०,०००) रु० का एस्टीमेट बना।

(३) योजना संशोधित रूप में तैयार की जा रही है। स्वीकृत हो जाने पर ही योजना को कार्यान्वित किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका पाली की ओर से वकील

६७०. **श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पाली नगरपालिका की ओर से कोई वकील उसके मुकद्दमों की पैरवी करने

(श्री मूलचन्द डागा)

के लिये मुकर्रर है ? यदि हां, तो कौन और उसका मासिक वेतन क्या है ?

(२) वर्तमान नगरपालिका पाली ने अपने वकील के अलावा किन-किन वकीलों को किन-किन मुकद्दमों में कितनी-कितनी धनराशि देकर मुकर्रर (एम्प्लॉय) किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) सर्वश्री शंकरलाल व मानरोज पुरोहित दोनों इकट्ठे व अलग-अलग नगरपालिका के मुकद्दमों की पैरवी करते हैं। इनका मासिक वेतन २५०) रु० है।

(२) नगरपालिका पाली द्वारा उपरोक्त वकीलों के अलावा निम्न वकीलों को उनके आगे अंकित मुकद्दमों व धनराशि पर मुकर्रर कर रखा है:—

नाम वकील	केस का नाम	महनताने की राशि
१	२	३
१. श्री कालूराम पोरवाल	वादा जुनकेस	१००१)
२. श्री उदय किशनलाल	मूलदास अयोध्यादास का केस	फीस अभी तक तय नहीं हुई है।
३. ,,	श्री इब्राहीम का केस	,,
४. श्री हुक्मीचंदजी	श्री कंवरजी मल केस	२००) फरवरी में
५. श्री लेखराज	श्री राम	२००)–२०-११-६४
६. श्री करनीसिंह	श्री सगराम	२५०)–२-६-६४
७. श्री हस्तीमल पोरवाल	श्री खेतमल	३३०)–२७-११-६५

बड़ा बाग की भूमि, प्रतापगढ़

६७१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगरपालिका बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भेजा है कि बड़ा बाग नगरपालिका के सुपुर्द कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाया गया है ?

(२) प्रतापगढ़ नरेश से एसेट एक्वीजीशन में जब यह बड़ा बाग की भूमि आ गई है तो अभी तक नगरपालिका को क्यों नहीं दी गई है ?

(३) क्या यह सच है कि इस सम्बन्धी मामला रैवन्यू बोर्ड से नगरपालिका को देने के हक में फैसला हो चुका है ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

गोश्त व मच्छी मार्केट, अजमेर

६७२. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अजमेर नगर परिषद् द्वारा मैजेस्टिक सिनेमा के पास वाला गोश्त व मच्छी मार्केट का निर्माण कब कराया गया था और किस ठेकेदार द्वारा ? और कितनी रकम खर्च हुई थी ?

(श्री परसराम गंगाराम)

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त को अब तुड़वा कर दुबारा बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) तुड़वाने व बनवाने में कितना खर्चा होगा ?

(४) उपरोक्त मार्केट से नगर परिषद् को कितनी आमदनी साल में होती है और कितना सालाना खर्चा है ?

उत्तर

(१) मैजेस्टिक सिनेमा के पास वाले गोश्त व मच्छी मार्केट का निर्माण सन् १९५९ में श्री ब्रह्म स्वरूप ठेकेदार द्वारा रु० २२,६१६.१७ पै० की लागत से करवाया गया था।

(२) जी नहीं। इस मार्केट का आधा भाग प्राचीन खाई पर स्थित होने के कारण नींव के बैठने से दरारें पड़ गई। अतः इसका वह भाग दुबारा बनवाया जा रहा है।

(३) इसके तुड़वाने व बनवाने की अनुमानित लागत रु० १४,६७५) होगी।

(४) इस मार्केट में बैठने वालों से अभी किराया तय नहीं हुआ है। अतः वार्षिक आय व खर्चा बताया जाना संभव नहीं है। वैसे बनने के बाद इसमें बैठने वाले २७ व्यक्तियों से रु० १,७३०) बतौर किराया वसूल हो चुका है। वर्तमान में मरम्मत के कारण यह खाली है।

अजमेर में पानी की सप्लाई की दरें

६७३. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अजमेर नगर परिषद् द्वारा पानी सप्लाई करने की दरों में बढ़ोत्तरी किस आधार पर की गई है ?

उत्तर

परिषद् के जल-वितरण के बढ़ते हुये घाटे की पूर्ति के लिये दरों में बढ़ोत्तरी की गई है।

नाले की सफाई

६७४. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर में एक नई मोरी के नाम का नाला जो न्यू कॉलोनी के पास से होकर गुजरता है, उसमें सड़ांद, गंदगी और मच्छर और मक्खियां रहती हैं ?

(२) क्या इस नाले की कभी सफाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) मच्छर, मक्खियां व गन्दा पानी हर समय नहीं रहता है। जब कभी ऐसा होता है तो नगर परिषद्, जयपुर द्वारा तुरन्त सफाई करा दी जाती है तथा मलेरिया ऑयल, डी० डी० टी० आदि डलवा दिया जाता है।

(२) नगर परिषद्, जयपुर द्वारा समय-समय पर सफाई की जाती है।

पब्लिक टैप तुड़वा देने से मेड़ता में पानी की दिक्कत

६७५. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एस. डी. एम., मेड़ता ने जो कि नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर

(श्री गोरधन सोनी)

हैं, इस गर्मी के मौसम में मेड़ता शहर के करीब ३६ पब्लिक टैप तुड़वा दिये हैं जिससे गरीब लोगों को इस मौसम में पानी की बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(२) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर में पानी को दिक्कत दूर करने के लिये सरकार ने एक कुआ डांगावास जो कि मेड़ता से २ मील दूर है, खुदवाया है परन्तु अब तक वहां से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है जिससे इस गर्मी की मौसम में मेड़ता शहर के नागरिक पानी की दिक्कत भुगत रहे हैं ?

उत्तर

(१) जरूरत से ज्यादा पब्लिक टैपों को हटवाया गया है।

(२) कुए से पम्प लग जाने के बाद पानी की दिक्कत दूर हो जावेगी।

नगरपालिका, मुकुन्दगढ़ में क्लर्कों की तनख्वाह

६७६. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में नगरपालिकाओं के क्लर्कों की मिनिमम सैलेरीज के लिए क्या प्रावधान है ?

(२) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले की मुकुन्दगढ़ नगरपालिका में क्लर्कों को सिर्फ ६०) रु० प्रति मास या इससे भी कम तनख्वाह मिलती है ?

(३) सरकार को क्लर्कों को कम तनख्वाह मिलने का तथ्य कब मालूम हुआ ? अब सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

(४) क्या सरकार कम तनख्वाह मिलने वालों को पीछे का एरियर देने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) यू०डी०सी० ८०-५-१२०-८-१६०-१०-२००, एल० डी० सी० ६०-४-८०-ई-बी-५-१३०।

(२) यह सही नहीं है चूंकि इस नगरपालिका में केवल एक ही लिपिक (एल०डी०सी०) का पद स्वीकृत है। अन्य दो कर्मचारी जिनको बोर्ड ने लिपिक मान रखे हैं वे मोहर्रिर हैं जिनकी वेतन श्रृंखला ५०-२-६०-ई० बी०-४-१०० है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका, सरदारशहर द्वारा हाउस टैक्स

६७७. **श्री मेघराज** (चुरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका, सरदारशहर ने सर्व प्रथम कब हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव पास किया और उस मिटिंग में कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(२) हाउस टैक्स रिवाईजिंग कमेटी कब बनी और उसके कौन-कौन सदस्य थे ?

(३) नगरपालिका ने हाउस टैक्स का असैसमेन्ट कब किया व किस अधिकारी ने किया ? क्या हाउस टैक्स निश्चित करने से पूर्व सारी नियमित कार्यवाही करली गई थी ? यदि हां, तो नगर से कुल

Page No. 44

(श्री मेघराज)

कितने घरों से कुल कितना टैक्स वसूल होगा ?

(४) अब तक किन-किन व्यक्तियों ने कितना-कितना हाउस टैक्स कब-कब जमा करवाया है ?

(५) क्या यह सही है कि वहां के नागरिक हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं और उसके लगाने में नियमित ढंग से कार्यवाही न करने के आरोप हैं ?

(६) क्या यह सही है कि हाउस टैक्स प्रार्थना-पत्र डाकुमेन्ट्स की नकलें नगरपालिका से लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा मांगने पर भी नहीं दी जाती हैं ? ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र कब-कब किस-किस ने दिये और उन्हें नकलें न देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) नगरपालिका ने सर्वप्रथम दिनांक २५-३-६४ की बैठक में प्रस्ताव पास किया, बैठक में २२ सदस्य उपस्थित थे। (सूची संलग्न है) ।

(२) हाउस टैक्स की रिवाइजिंग कमेटी दिनांक ६-७-६५ की बैठक में गठित की गई जिसके निम्न ७ सदस्य थे:—

(१) श्री सुमेरमल डागा, (२) श्री पूनमचन्द दीक्षित, (३) श्री मन्नालाल डागा, (४) श्री महेशकुमार, (५) श्री शफी मोहम्मद, (६) श्री रूपा राम, (७) श्री मोहनलाल नाई।

(३) वर्ष १९६१ में पालिका के राजस्व अधिकारी-कम-असेसर श्री विश्वनाथ पाटोलिया द्वारा किया गया था। सरकार के आदेशानुसार कि गृहकर १-१०-६२ से वसूल किया जावे, इससे इसी तिथि से वसूल किया जावेगा।

(४) वर्ष ६६-६७ में कुछ व्यक्तियों से २७०) रुपये हाउस टैक्स के वसूल कर लिये हैं।

(५) जी नहीं ।

(६) पालिका से चाही गई नकलें नियमानुसार दी जाती हैं। अब तक हाउस टैक्स के डाकुमेन्ट्स की नकलें प्राप्त करने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र पालिका को प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग्राम हाजीवास में आयुर्वेदिक औषधालय

६७८. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिला परिषद् ने अपने पत्र संख्या ५०६३ दिनांक ६-१०-६५ को संचालक, आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, अजमेर को यह सिफारिश की थी कि गांव हाजीवास, तहसील रायपुर, जिला पाली में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाय ?

(२) सरकार द्वारा अभी तक गांव हाजीवास में औषधालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

(३) अब औषधालय कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(आयुर्वेद मंत्री)

(२) इस कार्यालय से प्रस्ताव संख्या ५६५२ दिनांक २४-१०-६६ से सचिवालय में प्रेषित किया लेकिन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई ।

(३) इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा ।

ग्राम हाड़ेचा में पानी के पीने की व्यवस्था

६७९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम हाड़ेचा, तहसील सांचोर में मीठा पानी पीने के लिये मिलने का कोई साधन नहीं है ? अगर हां, तो इस ग्राम व आसपास के ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की क्या योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस ग्राम में पाइप लाइन पानी के लिये लाने के लिये ग्रामवासी सम्पूर्ण खर्चे का ५ प्रतिशत देने को तैयार हैं ? अगर हां, तो यहां पर पाइप लाइन क्यों नहीं लाई जा रही है ?

(३) अब पाइप लाइन कब तक लाई जाकर ग्रामवासियों की पानी की विकट समस्या को हल कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(१) जी हां, यह सत्य है। जी हां, मास्टर प्लान में ६ आसपास के गांवों की जिनमें हाड़ेचा भी शामिल है डबाउ ग्राम में नल कूप खोद कर रीजनल योजना बनाये जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुमानित लागत ४,६०,०००) रु० है।

(२) जी हां, पाइप लाइन का कार्य उपरोक्त मास्टर प्लान में वर्णित योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर ही हाथ में लिया जायेगा ।

(३) भारत सरकार से मास्टर प्लान की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही योजना का कार्य हाथ में लिया जा सकेगा ।

जिला जालोर में खोदे गये नल कूप

६८०. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला जालोर में कुछ नल कूप (ट्यूब वेल) पेय जल के लिये खोदे गये हैं ? अगर हां, तो उनमें से कितने नल कूपों से पानी दिया जा रहा है ?

(२) क्या उपरोक्त नल कुओं से पानी पीने के लिये देने के बाद बचा हुआ पानी खेती के लिये निर्धारित दर से काश्तकारों को दिया जा सकता है ?

उत्तर

(१) जी हां, केवल एक नल कूप जोकि आहोर में है, का पानी ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत काम में लिया जा रहा है ।

(२) जी हां ।

लक्ष्मनगढ़ में पाइप लाइन डालने का कार्य

६८१. श्री नथमल चौहला (लक्ष्मनगढ़-सु०) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लक्ष्मनगढ़, जिला सीकर में राजकीय जल प्रदाय योजना

(श्री नथमल चौहला)

के अन्तर्गत जो पाइप लाइन डाली जा रही है वह सिर्फ शहर के भीतरी भाग में ही डाली जा रही है और बाहरी भाग हरिजन बस्ती आदि में नहीं डाली जा रही है ?

(२) अगर हरिजन बस्ती में पाइप लाइन नहीं डाली जा रही है, तो क्यों ? और अब हरिजन बस्ती में पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है तथा इन बस्तियों को प्राथमिकता न देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) पाइप लाइन स्वीकृत योजना के अनुसार डाली जा रही है।

(२) पाइप लाइन डालने का कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार ही किया जा रहा है। पाइप लाइन के लिये सर्वे करने के बाद योजना बनाते वक्त नगरपालिका अध्यक्ष अथवा प्रशासक से मिलकर तय कर लिया जाता है कि पाइप लाइनें कहां पर और किस प्रकार लगाई जावें।

वाटर सप्लाई स्कीम, ग्राम पांचू

६८२. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु०) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम पांचू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य चालू है ? यदि हां, तो यह कब चालू किया गया ? और इसकी अग्रेतर व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है या नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पांचू, पंचायत समिति नोखा द्वारा इस स्कीम को ठीक ढंग से चलाने के लिये राज्य सरकार से आग्रह किया गया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(१) योजना का निर्माण कार्य सन् १९६४ में ही किया जा चुका है तथा इसका संधारण तभी से ही पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

(२) जी हां, आग्रह किया है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा ३ माह का अग्रिम मेन्टीनेन्स का खर्चा तथा अन्य बकाया मांगने पर पंचायत ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही योजना को हस्तांतरित किया।

रेवीन में प्लान्टेशन

६८३. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रेवीन (Ravine) प्लान्टेशन के लिये सरकार की क्या योजना है और मौजूदा साल में किस-किस स्थान पर कितना-कितना रकबा प्लान्टेशन के लिये लिया गया है ?

(२) क्या सरकार ने सांगोद तहसील में रेवीन क्षेत्र का सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो कितना रकबा रेवीन्स के नीचे आ चुका है और इसमें से कितने पर कब-कब प्लान्टेशन किये जाने की तजवीज है ?

उत्तर

(१) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल २०,००० हैक्टर रेवाइन्स क्षेत्र में प्लान्टेशन की योजना है। इस वर्ष निम्न क्षेत्रों में

(वन मंत्री)

७२० हैक्टर में प्लान्टेशन लिया जा रहा है:—

नाम डिवि०	प्लान्टेशन क्षेत्र	हैक्टर
कोटा	काकरावाड़ा	१२०
,,	पीपलदा	८०
बारां	बिसलाई	४०
बूंदी	मारा (अ)	८०
,,	मारा (ब)	४०
,,	नया गांव	८०
,,	गुड़ा	४०
,,	खियावाड़ा	८०
भरतपुर	भूराखेड़ा	१६०
	योग...	७२०

(२) जी हां, सांगोद तहसील में कालीसिंध नदी के बाएं तट पर स्थित आठ गांवों में सर्वे किये जाने पर उनमें १२०३.५१६ हैक्टर क्षेत्र रेवीन के नीचे आना पाया गया। गत वर्ष इस क्षेत्र में ५२ हैक्टर रेवीन क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य किये गये हैं। चालू वर्ष में २०० हैक्टर में कार्य कराने की योजना है।

नई सब-रेन्ज

६८४. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उप वन संरक्षक, जयपुर ने जयपुर रेन्ज के नाका रेनवाल को तोड़कर अलग से सब-रेन्ज कायम की है ? यदि हां, तो क्या सब-रेन्ज कायम करने के लिये राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की है ? यदि की है, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या रेन्ज के रकबे को घटाने व बढ़ाने के अधिकार उप वन संरक्षकों को हैं ? यदि हां, तो क्या हैं ?

(३) उप वन संरक्षक द्वारा बनाई गई सब-रेन्ज में कितना स्टाफ लगा हुआ है और सब-रेन्ज कायम करने के पहले कितना स्टाफ लगा हुआ था ? तथा ऐसा करने से सरकार के खर्चे में कमी हुई है अथवा बढ़ोतरी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। यह अधिकार मुख्य वन संरक्षक को है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर नगर का मास्टर प्लान

६८५. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर के मास्टर प्लान में कौन-कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है ? मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) दिल्ली से अजमेर जाने वाली सड़क जयपुर नगर की किस-किस बस्ती में से होकर जावेगी ? और इसके निर्माण हेतु राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) जयपुर नगर के मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने का कार्य सरकार कब से चालू कर देगी ? और कब तक पूर्ण करने का विचार है ?

Page No. 48

(नगर आयोजन मंत्री)

उत्तर

(१) जयपुर नगर के मास्टर प्लान क्षेत्र में १२५ ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिनकी सूची मय मास्टर प्लान की एक प्रति (दो भागों में) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली से अजमेर जाने वाली बाई-पास सड़क जयपुर शहर की चार दिवारी के बाहर उत्तर में से ले जाई जावेगी। यह सड़क नाहरगढ़ के नीचे होकर झोटवाड़ा होती हुई अजमेर रोड़ से मिला दी जावेगी। प्राप्त योजना के अनुसार इस बाई-पास सड़क को पांच वर्ष में बनाने का प्रस्ताव है।

(३) जयपुर नगर का प्लान सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के बाद दो भागों में रिपोर्ट कर दी गई है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नगर सुधार अधिनियम, १९५९ की धारा ५ के अन्तर्गत जनता के सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। नोटिफिकेशन प्रकाशित हो जाने तथा मास्टर प्लान का सरकार द्वारा अन्तिम रूप में अनुमोदन कर दिये जाने के उपरान्त इसे क्रियान्वित करने का कार्य प्रारम्भ होगा। योजना २५ वर्ष अर्थात् १९९१ तक के लिए तैयार की गई है। इसलिये क्रियान्वित का कार्य भी तब तक चालू रहेगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

मान्यता प्राप्त सेवी संस्थाओं को अनुदान

६८६. श्री जसराज (भिनाय-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितनी परिगणित एवं जन-जाति लोगों की राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेवी संस्थायें है तथा वे कौन-कौनसी हैं ?

(२) राज्य सरकार से उन संस्थाओं को पिछले पांच सालों में कितना-कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ?

(३) उपरोक्त संस्थाओं द्वारा कौन-कौनसा रचनात्मक कार्य किया गया है ?

(४) क्या समस्त रकम के उपभोग संबंधी प्रमाण-पत्र सरकार को प्राप्त हो गया है ?

उत्तर

(१) राजस्थान परिगणित एवं जन-जाति लोगों की १३ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्थायें वर्त्तमान में कार्य कर रही हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची 'अ' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) इन संस्थाओं को राज्य सरकार से जितना-जितना अनुदान पिछले पांच सालों में प्राप्त हुआ है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) इन संस्थाओं द्वारा जो-जो कार्य किये जा रहे हैं उनका विवरण संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम नं० ८ में अङ्कित है।

(४) वित्तीय वर्ष ६६-६७ में दिये गये अनुदान के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र सरकार को अभी तक प्राप्त होना बाकी हैं। कुछ अन्य प्रमाण-पत्र भी बाकी हैं जिनकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भिक्षु गृह, जोधपुर

६८७. श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक भिक्षु गृह खोला गया है ? यदि हां, तो कब व उस पर मार्च, १६६७ तक कितनी-कितनी राशि वार्षिक किस २ मद में खर्च हुई है ?

(२) जोधपुर भिक्षु गृह में किस २ वर्ष में कौन २ से भिक्षु कितने २ दिन रखे गये व उक्त भिक्षुओं में से किन २ को रोजगार पर लगाया गया व उनमें से कितने आज भी रोजगार कर रहे हैं ?

(३) क्या सरकार इस तरह के भिक्षु गृहों को बन्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, जोधपुर में दिनांक २६-३-६१ को समाज कल्याण विभाग द्वारा एक भिक्षु गृह खोला गया है, जिसके ऊपर किये गये व्यय की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) भिक्षुवृत्ति निरोधक बिल राज्य सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि वह शीघ्र पास हो जावेगा इसलिये इस प्रकार के भिक्षु गृह बन्द करने का कोई विचार नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

कोलायत निर्वाचन क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षण संस्था

६८८. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में इस समय छात्र-छात्राओं की कितनी प्राथमिक शिक्षा संस्थायें चल रही हैं ?

(२) इन शिक्षा संस्थाओं में से कितनी लोकल बोडीज, कितनी शिक्षा विभाग व कितनी प्राइवेट पार्टियों द्वारा चलाई जा रही हैं ?

(३) उक्त शिक्षा संस्थाओं में से कितनी संस्थाओं को शिक्षा विभाग से सहायता मिलती है ?

(४) ऐसी कितनी शिक्षा संस्थायें हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं ?

(५) उक्त सभी संस्थाओं में कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में इस समय छात्र-छात्राओं की ६४ प्राथमिक शालायें चल रही हैं ।

(२) उपरोक्त शिक्षा संस्थाओं में से ८ पंचायत समितियों, २ लोकल बोडीज, ७२ शिक्षा विभाग तथा १२ प्राइवेट पार्टीज द्वारा चलाई जा रही हैं ।

(३) उपरोक्त शिक्षा संस्थाओं में से ६ को शिक्षा विभाग से सहायता मिलती है ।

(४) ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(शिक्षा मंत्री)

(५) उक्त सभी संस्थाओं में कुल ९४२६ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

छात्रवृत्ति पर शिक्षा

६८९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) प्रान्त से बाहर व देश से बाहर हर साल कितने छात्र सरकारी छात्रवृत्ति पर शिक्षा लेने जाते हैं ? गत पांच सालों के आंकड़े देने की कृपा करें ।

(२) उक्त छात्रों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि इस प्रकार की छात्रवृत्ति उन्हीं छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता ऊंचे पद पर होते हैं या नेता होते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) देश के बाहर किसी भी छात्र को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति पर नहीं भेजा जाता है। प्रान्त के बाहर योग्य राजस्थानी विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है । गत पांच वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

६२-६३	६३-६४	६४-६५
७६	९७	११८

६५-६६	६६-६७
६८	१७३

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पंखों पर व्यय

६९०. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी के बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल कितने पंखे और किन-किन कमरों में लग रहे हैं ?

(२) इन पंखों पर व अन्य बिजली के उपयोग पर बिल मार्च, अप्रेल और मई का गत पांच सालों में क्या आता रहा है ?

उत्तर

(१) कुल आठ पंखे हैं:—

४ पंखे दो लेबोरेट्रीज में,

१ पंखा प्रधानाध्यापक के कमरे में,

२ पंखे रीडिंग रूम में,

१ पंखा ऑफिस में।

(२) सन् १९६२-६३ में व ६३-६४ में कॉलेज व स्कूल एक ही भवन में चल रहे थे। बिजली व पानी का मीटर भी एक ही था । अतः कालेज अधिकारी ने पूरे साल के खर्चे का एक तिहाई हिस्सा स्कूल से मांगा जिसका भुगतान किया गया। वह ६२-६३ में २८८ रु० व ६३-६४ में ४५० रु० था। इसमें पानी का खर्चा भी शामिल है ।

सितम्बर, ६४ तक कालेज व स्कूल एक ही भवन में थे। अतः उस समय तक का स्कूल का खर्चा १५७ रु० २१ पै० था।

(शिक्षा मंत्री)

अक्टूबर '६४ में कॉलेज नई इमारत में चला गया अतः आगे का खर्चा निम्न प्रकार रहा:–

	१९६५	१९६६	१९६७
मार्च	२३.७६	२२.२८	३१.२६
अप्रेल	२२.१३	३०.४२	३५.१३
मई	८.००	२२.८५	—

अलवर जिले की मान्यता एवं सहायता प्राप्त स्कूल

६९१. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) अलवर जिले में कुल कितने स्कूल हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं ?

(२) कुल ऐसे स्कूल कितने हैं जो दोनों मान्यता व सहायता प्राप्त हैं ?

(३) क्या जिले के सभी मान्यता व सहायता प्राप्त स्कूलों में सरकार द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखलाएं दी जा रही हैं ?

(४) क्या उक्त स्कूलों में पढ़ने वाले परिगणित जाति व परिगणित जन जाति के छात्रों से पूरी फीस ली जाती है ?

(५) क्या शिक्षा विभाग के निरीक्षक इन स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं ?

(६) क्या सरकार इस बात की जांच करती है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का सही उपयोग इन स्कूलों में होता है ?

(७) क्या इन सहायता प्राप्त स्कूलों में परिगणित जाति व परिगणित जन-जाति के योग्य अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है ? यदि दी गई है, तो कितनों को दी गई है ?

उत्तर

(१) अलवर जिले में २५ मान्यता प्राप्त स्कूल हैं।

(२) २० स्कूल ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त हैं।

(३) जी हां।

(४) छात्रों से फीस विभागीय नियमानुसार ली जाती है।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जी हां, तीन अध्यापकों को मैनेजिंग कमेटी द्वारा नियुक्ति दी गई है।

वाणिज्य एवं कर अधिकारी कार्यालयों पर व्यय

६९२. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों के वाणिज्य एवं कर अधिकारी के कार्यालय पर संबंधित सभी कर्मचारियों पर कुल कितना रुपया १ अप्रेल, सन् १९६५ से ३१ मार्च, सन् १९६६ तक तथा १ अप्रेल, सन् ६६ से ३१ मार्च, सन् ६७ तक खर्चा किस-किस मद में हुआ और इसी अवधि में कितना सेल्स टैक्स व परचेज टैक्स वसूल हुआ ?

उत्तर

सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों में वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय (अधीनस्थ कार्यालय तथा चैक-पोस्ट सहित) पर सम्बन्धित सभी कर्मचारियों पर जो व्यय

Page No. 52

(वित्त मंत्री)

हुआ है उसका मदवार विवरण दिनांक १ अप्रेल, १९६५ से ३१-३-६६ तक तथा १ अप्रेल, १९६६ से ३१ मार्च, १९६७ तक प्रकार है:—

नाम मद	वर्ष १९६५-६६ (१-४-६५ से ३१-३-६६)	वर्ष १९६६-६७ (१-४-६६ से ३१-३-६७)
अधिकारियों का वेतन	२५,६४०.४०	२८,८०७.२६
कर्मचारी वर्ग का वेतन	६०,२४९.१९	७१,५३९.१२
महंगाई भत्ता	२०,८०५.२४	४०,५९६.२८
यात्रा भत्ता	१३,०३४.२१	१९,६५४.२४
चिकित्सा व्यय	७९३.८१	९१७.९७
योग....	१,२०,८२२.८५	१,६१,४८४.८७
अन्य प्रभार	९,७३४.३३	९,४०८.०६
कुल योग...	१,३०,५५७.१८	१,७०,८९२.९३

दिनांक १-४-६५ से ३१-३-६६ तक तथा १-४-६६ से ३१-३-६७ तक बिक्री कर व खरीद कर के रुपये क्रमशः ३६,०१,६३२.५० तथा ६६,३८,१०८.१८ नये पैसे वसूल हुए हैं।

पंचायतों द्वारा शराब पर टैक्स

६९३. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायतों को दी जाने वाली आक्ट्राय ड्यूटी क्या केवल उन पंचायतों को ही दी जायेगी जिन्होंने अभी टैक्स लगा रखा है ?

(२) यदि हां, तो कृपा करके यह बतायें कि राजस्थान में इस समय कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने शराब पर टैक्स लगा रखा है ?

(३) यदि दो प्रतिशत सभी पंचायतों को दी जाने वाली है तो क्या यह सही है कि दो प्रतिशत आक्ट्राय ड्यूटी पूरे राजस्थान में शराब पर पंचायतों को मदद देने के निमित्त लगाई गई है ?

उत्तर

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

बारां बिजलीघर के मृत कर्मचारी के परिवार को सहायता एवं मुआवजा

६९४. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां बिजलीघर के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों में से ड्यूटी पर कार्य करते हुए इस वर्ष में किस कर्मचारी की मृत्यु किस कारण से व किस तारीख को हुई ?

(२) मृत कर्मचारी के परिवार को विभाग द्वारा क्या सहायता दी गई और उसका क्या मुआवजा दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि बिजली के खम्भों पर लाइन ठीक करते हुए कोई कर्मचारी घायल हो गया था ? यदि हां, तो किस कारण से हुआ ?

उत्तर

(१) बजरंगलाल पुत्र श्री अमरलाल की दिनांक १५-८-६६ को।

(विद्युत् मंत्री)

(२) ६,००० (छः हजार) रुपये मुआवजा देने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(३) जी हां। श्री फैसेज आई० सी० टी० पी० स्विच ६० एम्पस के ढक्कन को बन्द करते समय श्री गोकुलप्रसाद की बायें हाथ की बीच की उंगली स्विच के अन्दर की पत्तियों से छू गई उसको बिजली का झटका लगा।

तहसील चाकसू में सिंचाई के लिए कुओं पर बिजली

६९५. श्री लादूराम सुलाणिया (फागी-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला जयपुर की तहसील चाकसू में १९६५-६६ में कितने कृषकों को सिंचाई के कुओं पर बिजली के कनैक्शन्स देने के एस्टीमेट्स बने थे और कितनों के रुपये जमा हुए थे उनमें से कितनों को कनेक्शन दिया गया और शेष रहे व्यक्तियों को कब तक कनैक्शन दे दिये जावेंगे ?

(२) सिंचाई के लिये कुओं पर बिजली दिये जाने के लिये कितना रुपया वसूल किया जाता है और बिजली की क्या दर ली जाती है ?

(३) तहसील चाकसू के कुल कितने ग्रामों में बिजली देने की योजना थी और उनमें से कितने को बिजली दी जा चुकी है तथा कितनों को देना शेष है ?

उत्तर

(१) [अ] ७ एस्टीमेट्स बने थे।

[ब] १९६५-६६ में किसी भी कृषक के रुपये जमा नहीं हुए इसलिए किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

[स] इनमें से सन् १९६६-६७ में केवल एक ही ने पैसे जमा कराये और उसको कनैक्शन दे दिया गया।

[द] आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति होने के उपरान्त सबको कनैक्शन दे दिया जावेगा।

(२) सिंचाई हेतु कुओं पर बिजली देने के लिये १० हॉर्स पॉवर तक २००) रुपये और १० से २५ हॉर्स पॉवर तक ३००) रुपये तथा उससे ऊपर ५००) रुपये प्रति सर्विस कनैक्शन चार्ज किया जाता है और १५) रुपया प्रति हॉर्स पॉवर की दर से सिक्योरिटी जमा की जाती है।

(२) कृषि हेतु बिजली की दर १३ पैसे प्रति यूनिट है तथा १० प्रतिशत सरचार्ज लिया जाता है। अगर कृषक बिल समय पर जमा करा देता है तो एक पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से छूट दी जाती है।

(३) तहसील चाकसू में १९६५-६६ में कुल चार गांवों को बिजली देने की योजना थी और उसी वर्ष में चारों गांवों को बिजली दे दी गई थी इसलिए १९६५-६६ की योजना के अनुसार चाकसू तहसील में कोई गांव विद्युतिकरण के लिये शेष नहीं था।

पड़िहारा में कुओं पर बिजली

६९६. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित पड़िहारा में पांच कुए जो सरकारी

(श्री लाभचन्द वैद)

ऋण से दो वर्ष पहले बने हैं उन कुओं पर क्या आज तक बिजली नहीं दी गई ?

(२) क्या सरकार अनुभव करती है कि बिजली नहीं मिलने से किसानों को अपने ऋण के चुकारे में कठिनाई होगी ?

उत्तर

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

झुन्झुनूं जिले में वोल्टेज की कमी के कारण नुकसान

६९७. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सच है कि झुन्झुनूं जिले में बिजली के कम वोल्टेज आने के कारण बार-बार कुओं से सिंचाई बन्द होती रहती है ?

(२) क्या यह सच है कि कम वोल्टेज की वजह से अक्सर किसानों के कुओं की मोटरें जलती रहती हैं जिसके कारण फसल को नुकसान पहुँचता है और किसान को आर्थिक नुकसान होता है ?

(३) क्या राज्य सरकार इस प्रकार से हुई हानि का किसानों को मुआवजा देगी ?

(४) भविष्य में झुन्झुनूं जिले में कम वोल्टेज न आवें और ठीक प्रकार से बिजली आवे इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

(५) अभी जो स्थिति है वह कब तक समाप्त हो जावेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं। आमतौर से वोल्टेज तो ठीक रहती है किन्तु ओवर लोड के कारण दिक्कत होती है। भाखरा सप्लाई फेल होने से भी कभी-कभी यह दिक्कत होती है।

(२) जी नहीं। अगर ठीक प्रकार के स्टार्टर लगे हों तो मोटर जलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) वोल्टेज आमतौर पर ठीक रहती है इसमें और सुधार लाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। बोर्ड ने अभी कुछ कैपीसीटर्स के भी ऑर्डर दे दिये हैं जो आने पर इस वर्ष में लगा दिए जावेंगे। अत्यधिक भार को कम करने की दृष्टि से किसानों से स्टैगरिंग करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(५) चम्बल में पूरा पानी आने तथा हिसार-खेतड़ी लाइन चालू होने से सुधार होने की आशा है।

ग्राम पालड़ी से अणगोर बिजली

६९८. श्री मदनसिंह (सिरोही) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम पालड़ी से अणगोर (त. शिवगंज) तक बिजली की लाइन गत वर्ष जाने वाली थी वो अभी तक क्यों नहीं ले जाई गई है ? क्या इस वर्ष उक्त कार्य पूर्ण हो जायगा ?

उत्तर

यह कार्य वर्ष १९६५-६६ में स्वीकार हुआ था किन्तु धनराशि के अभाव में नहीं हो सका।

उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है।

लालसोट, मंडावरी व डोडवाना के आसपास के ग्रामों में विद्युत्

६९९. **श्री शम्भूराम** (लालसोट-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा लालसोट, मंडावरी व डीडवाना में इस वक्त बिजली की लाइन लगी हुई है ? यदि हां, तो सरकार इन लाइनों को आस पास के ग्रामों में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिये फैलाने का इस साल विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

गुढ़ा गौड़जी में कुओं पर सिंचाई के लिए बिजली

७००. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गुढ़ा गौड़जी, जिला झुंझुनूं का विद्युतिकरण हुए कितना समय हो गया है तथा दिनांक ३१-५-६७ तक इस ग्राम में कितने कुओं पर सिंचाई के वास्ते बिजली दी जा चुकी है ?

(२) ग्राम गुढ़ा गौड़जी के कितने आदमियों ने तारीख ३१-५-६७ तक बिजली सिंचाई के वास्ते लेने के लिये दरख्वास्त पेश की है तथा किस-किस तारीख को पेश की है तथा उनमें से किस-किस की सर्वे हो चुकी है और किस-किस को बिजली की लाइन दी जा चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि गुढ़ा गौड़जी में बिजली दरख्वास्तों की प्राथमिकता के आधार पर नहीं दी जाकर पक्षपातपूर्ण तरीके से दी गई है और जिन लोगों की दरख्वास्त पहले से लगी है उनको बिजली नहीं दी जाकर बाद में दरख्वास्तें देने वालों को पहले बिजली दी गई ?

(४) जिन-जिन लोगों को बिजली कुओं पर सिंचाई वास्ते दी गई है उनमें प्रत्येक के लिये कितनी लम्बी लाइन खींचनी पड़ी है ?

उत्तर

(१) विद्युतिकरण दिनांक ७-१२-१५ को हुआ। दिनांक ३१-५-६७ तक ८ कुओं को बिजली दे दी गई है।

(२) तारीख ३१-५-६७ तक ५८ आदमियों ने सिंचाई के वास्ते अर्जियां पेश की हैं। सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं। कुछ अर्जियें जो बाद में आईं उनको पहले की अर्जी के साथ मिलाने से ग्रुप स्कीम फीजिबल हो जाती है। जैसे प्रायोरिटी नं० ७ की अर्जी के साथ प्रायोरिटी नं० २०, ४५, ६१, ६२ को मिलाने से स्कीम फीज़िबल हो जाती है और उन्हें कनेक्शन दे दिया गया।

(४) संलग्न सूची में लाइन की लम्बाई दी गई है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

घानेराव व देसूरी में बिजली

७०१. **श्री दौलतराम आगरी** (देसूरी-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि फालना-देसूरी बिजली की लाइन धाया सादड़ी लगाने का

(श्री दौलतराम आगरी)

निर्णय लिया हुआ है और उसी निर्णय के अन्तर्गत फालना से सादड़ी तक बिजली की लाइन लग चुकी है ? यदि हां तो घानेराव व देसूरी की यह बिजली की लाइन क्यों नहीं ले जाई गई है ? अब यह बिजली की लाइन कब तक देसूरी (वाया घानेराव) पहुंचा दी जायगी ?

उत्तर

जी हां।

यह निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि देसूरी तक बिजली की लाइन कब तक पहुंचा दी जायेगी।

परशुरामपुरा से खटखड़ वाया गुढ़ा विद्युत् लाइन पर व्यय

७०२. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) परशुरामपुरा से खटखड़ तक वाया गुढ़ा (जिला झुंझुनूं) में जो बिजली की लाइन गई है उस पर कितना खर्चा हुआ है तथा इस लाइन की लम्बाई कितनी मील है ?

(२) इस लाइन पर अब तक किस २ गांव में कितने काश्तकारों को सिंचाई के कुओं के लिए बिजली दी जा चुकी है तथा कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त बिजली की लाइन गुढ़ा से खटखड़ तक सिर्फ एक आदमी के कुए को बिजली देने हेतु गई है ? यदि नहीं, तो फिर बामलास गांव जो दोनों के बीच में इसी लाइन पर पड़ता है का विद्युतिकरण क्यों नहीं किया गया ? इस लाइन पर कितना खर्चा हुआ है ?

(४) परशुरामपुरा से खटखड़ ग्राम तक कितने ट्रांसफारमर लगाये गये हैं ? तथा क्या प्रत्येक कुए के लिए एक-एक ट्रांसफारमर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या इससे बिजली बोर्ड को आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(१) परशुरामपुरा से खटखड़ की लाइन लगभग २९ किलोमीटर लम्बी है इसका अनुमानतः खर्चा लगभग दो लाख रुपये है।

(२) अब तक इस लाइन पर निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है उनके कनेक्शन तथा विचाराधीन आवेदन-पत्रों का विवरण निम्नलिखित है:—

नाम	एग्रीकल्चरल कनेक्शन	विचाराधीन कनेक्शन
१. धमोरा	४	६
२. गुढ़ा गोरजी	१०	४१

(३) जी नहीं। गुढ़ा गोरजी से खटखड़ की लाइन पर अनुमानतः लगभग ४८,०००) रु० खर्च हुए हैं। बामलास के विद्युतिकरण में और खर्चा होता इसलिए इसका विद्युतिकरण नहीं किया गया।

(४) परशुरामपुरा से खटखड़ तक निम्नलिखित ट्रांसफारमर लगे हुए हैं:—

धमोरा:—(१) ५० के० वी० ए०
(२) २५ के० वी० ए०

गुढा:— (१) १०० के० वी० ए०
(२) २५ के० वी० ए०

प्रत्येक कुए के लिए एक ट्रांसफारमर लगा हुआ नहीं है। अतः नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No. 57

कृषकों को चुगाई पत्थर आदि खोदने की स्वीकृति

७०३. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषकों पर चुगाई पत्थर, चूना पत्थर, कंकरी, बजरी पर कोई रायल्टी नहीं लगती है ? यदि हां, तो क्या कृषक अपने खाते की जमीन में से व सरकारी जमीन में से बिना किसी की स्वीकृति के पत्थर अपने कृषि कार्यों हेतु निकाल सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि लीज के नाम से कृषकों को अपने खाते की जमीन से भी पत्थर चुगाई, पत्थर चूना आदि नहीं निकालने दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि लीज के नाम से कृषक चुगाई पत्थर, चूना पत्थर आदि कहीं से भी खुद अपने कृषि कार्यों हेतु नहीं निकाल सकता है ?

उत्तर

(१) जी हां, किन्तु चूना पत्थर के लिये उन्हें ५) रुपये की फीस देकर दो माह के लिये परमिट लेना पड़ेगा जिसमें अधिकार शुल्क भी शामिल है।

(२) कृषकों को अपने खाते की जमीन से भी अगर उसमें किसी व्यक्ति को खनन पट्टा स्वीकार किया हुआ है, तो अपने निजी कृषि कार्य के लिये चुनाई पत्थर आदि निकालने हेतु सिर्फ उन जगहों से इजाजत है जहां कि पट्टाधारी का खनन कार्य नहीं हो रहा हो। ऐसे स्थानों से चूना पत्थर निकालने के लिये कृषक को अप्रधान खनिज नियम, १९५९ के नियम चार के अनुसार ५) की फीस जमा कराकर दो माह के लिये परमिट लेना पड़ेगा, रेन्ट और रायल्टी के रूप में पांच रुपये की फीस ली जाती है।

(३) जी नहीं। स्थिति प्रश्न के भाग २ के उत्तर में स्पष्ट करदी गई है।

काश्त की भूमि का परिवर्तन

७०४. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मकराना के पत्थर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुवे जिस भूमि में पत्थर निकलता है वह भूमि काश्त से खानों में क्यों नहीं परिवर्तित होती ?

उत्तर

मकराना में जिस भूमि में पत्थर निकलता है उस भूमि को काश्त से खानों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है।

नागौर जिले की औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण व अनुदान

७०५. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला नागौर में आज तक किन-किन औद्योगिक सहकारी समितियों को कितना-कितना ऋण व अनुदान किन-किन कार्यों के लिए दिया गया है तथा उसका सही उपयोग हुआ या नहीं ? यदि सही उपयोग नहीं हुआ तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 58

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(२) क्या यह सही है कि बहुतसी औद्योगिक सहकारी समितियों में ऋण बकाया हैं? यदि हां, तो किन-किन में कितना-कितना बकाया है? असल व ब्याज तथा ड्यू होने की तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) नागौर जिले में औद्योगिक सहकारी समितियों को दिये गए ऋण व अनुदान की सूची मय वांछित सूचना के संलग्न है।

(२) उपरोक्त।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर विद्यापीठ को ऋण

७०६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर विद्यापीठ को सन् ६६-६७ में २५,०००) ऋण स्टेट एड टू काटेज इन्डस्ट्रीज रूल्स, ६३ के अधीन दिया गया है? अगर हां, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ऋण नियमों के विपरीत अन्य उद्योगों की उपेक्षा करके दिया गया है?

उत्तर

(१) जी नहीं। उदयपुर विद्यापीठ को सन् ६६-६७ में कोई ऋण स्टेट एड टू कॉटेज इन्डस्ट्रीज रूल्स, ६३ के अधीन नहीं दिया गया है।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

लाडनूं में इण्डस्ट्रीयल एस्टेट

७०७. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं में इण्डस्ट्रीयल एस्टेट बनाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी? यदि हां, तो कब बनाई गई और यह कार्य कब पूर्ण होगा?

(२) इण्डस्ट्रीयल एस्टेट बनाने के बारे में सरकार की क्या नीति है और इस वर्ष कितने इण्डस्ट्रीयल एस्टेट कहां-कहां पर बनाने का विचार है?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) राज्य सरकार द्वारा इस समय कोई नई औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की योजना नहीं है।

राजस्थान नहर के कर्मचारियों एवं मजदूरों की छंटनी

७०८. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या राजस्थान केनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर पर काम कर रहे पुराने कर्मचारियों एवं मजदूरों की भारी संख्या में छंटनी की जा रही है?

(२) यदि हां, तो छंटनी कितनी संख्या में और किस आधार पर की जा रही है?

उत्तर

(१) हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत मितव्ययता प्रस्तावों के फलस्वरूप राजस्थान

Page No. 59

(राजस्थान केनाल मंत्री)

नहर पर काम करने वाले कर्मचारियों एवं मजदूरों में भी कमी करनी पड़ेगी। परन्तु नियमों के अनुसार छंटनी पहले नये कर्मचारियों की होगी।

(२) छंटनी किये जाने वाले नियमित (Regular) कर्मचारियों की संख्या २३५ है।

मजदूर तो काम के अनुपात से रखे जाते हैं और जहां-जहां काम पूरा होता है हटा दिये जाते हैं।

घाटारानी, त० जहाजपुर के पास प्राकृतिक जल धारा के प्रचुर पानी का सिंचाई में उपयोग

७०९. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जहाजपुर तहसील में घाटारानी के पास प्राकृतिक जल धारा प्रवाहित होती है और इस प्रचुर पानी का उपयोग सिंचाई में मालोला तथा जवानसागर तालाबों में डाल कर करने की मांग जनता द्वारा लम्बे समय से की जा रही है ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस योजना की तकनीकी सर्वे कराने के लिए क्या कदम उठाया है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों और अब सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस स्कीम की तकनीकी सर्वे की जा चुकी है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

तहसील सवाई माधोपुर एवं खण्डार क्षेत्रों की सिंचाई योजनाएं

७१०. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कोटा बांध से तहसील सवाई माधोपुर एवं खण्डार के क्षेत्रों की सिंचाई के लिये नहर लाई जाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस स्कीम का सर्वे कराया जाकर ऐसी नहर बनाये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा चुका है ?

(३) यह नहर तहसील सवाई माधोपुर एवं खण्डार में कहां से आरम्भ होकर कहां जाकर समाप्त होगी ?

(४) यह कार्य कब से चालू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस योजना का सर्वे किया जा चुका है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट विचाराधीन है।

(३) यह नहर तहसील बूंदी में स्थित ग्राम खटकड़ से बून्दी ब्रांच केनाल के ६४.८ किलोमीटर से बढाई जावेगी तथा तहसील सवाई माधोपुर में चम्बल नदी एवं बनास नदी के संगम तक जाएगी।

(४) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

Page No. 60

गम्भीरी बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

७११. श्री रामकुमार नंदवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

क्या यह सही है कि गम्भीरी बांध के डूब में आने वाले किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं चुका है ? और यदि हां तो ऐसे कितने मामले पेन्डिंग हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। (सब ही सम्बन्धित व्यक्तियों की भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है और कोई मामला इस समय पेन्डिंग नहीं है) ।

मोरेल बांध के कारण विस्थापित किसानों को मुआवजा

७१२. श्री पृथ्वीराज पटेल (बामनवास-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील लालसोट का लटवा ग्राम व तहसील बोड़ी के पीलूखेड़ा व धोराला ग्राम की जमीनें व मकानात मोरेल बांध के बंधने से गैर आबाद हुए हैं ? अगर हां, तो कितने किसान बेकाश्त व बेघर हुए हैं ?

(२) क्या सरकार ने इन तीनों ग्रामों के ग्रामीणों को वापस आबाद किया है एवम् ली गई जमीनों के मुआवजों का भुगतान किया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) कब तक ये किसान आबाद कर दिये जायंगे व मुआवजों का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, कुल ३९० किसान बेघर हुए हैं, बेकाश्त होने वाले किसानों की संख्या भूमि अवाप्ति अधिकारी से एवार्ड आने पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

(२) डूब में आए मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है। जमीनों के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एवार्ड देने पर ही मुआवजा दिया जा सकेगा।

(३) मकानात का मुआवजा दिया जा चुका है व जमीनों का मुआवजा राजस्व अधिकारी द्वारा एवार्ड जारी किये जाने पर भुगतान किया जावेगा।

जगर बांध में आई भूमि का मुआवजा

७१३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सच है कि जगर बांध में आई हुई जमीनों का किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्यों और अब कब तक दिया जावेगा ?

(३) अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण थे ?

(४) मुआवजा कब से बकाया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) भूमि की अवाप्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही सम्पूर्ण न होने के कारण अभी तक मुआवजा नहीं चुकाया जा सका है। एवार्ड आते ही चुकारा कर दिया जायेगा।

(३) ,, ,,

Page No. 61

(सिंचाई मंत्री)

(४) सन् १९५५ से।

दीपावास ग्राम के पास बन रहे बांध पर व्यय

७१४. श्री पुखराज कालानी (सोजत) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रायपुर तहसील में दीपावास गांव के पास जो बांध बन्ध रहा है उसका काम कब से शुरू हुआ व इस पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

(२) इस बांध का काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ? क्या पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इसमें देरी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) इस बांध पर अब तक कितना रुपया खर्च हो गया है ?

(४) इस बांध से कितनी जमीन की सिंचाई का प्रोग्राम है व इस सिंचाई से रायपुर तहसील की खेती की पैदावार में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है ?

उत्तर

(१) काम दिनांक ३१-३-६५ से प्रारम्भ हुआ। इस बांध पर १०,००,००० रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है।

(२) कार्य सन् १९६८ में पूरा होने की सम्भावना है। जी हां, क्योंकि नदी से उपयुक्त नींव अपेक्षित स्थान पर नहीं मिल सकी तथा डिजाइन में परिवर्तन करना आवश्यक था।

(३) माह मई सन् १९६७ तक ९,७७,६७८.७९ रुपया खर्च हो चुका है।

(४) २९७९ एकड़ भूमि पर सिंचाई होने का अनुमान है और इससे रायपुर तहसील की खेती की पैदावार में १४७४ टन अनाज की बढ़ोतरी होने की सम्भावना है।

ग्राम पैरवा के तालाब का विकास

७१५. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गांव पैरवा, तहसील बाली, जिला पाली के तालाब के विकास करने की सरकार की योजना है ?

(२) इस कार्य के लिये सरकार से कितनी धनराशि की स्वीकृति हुई है ? और इस कार्य की स्वीकृति किस वर्ष हुई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त तालाब का कार्य माह अप्रेल-मई में इस वर्ष चालू किया गया था ? अगर हां, तो पुनः बन्द क्यों किया गया ? एवं पुनः चालू कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अकाल राहत मद से २५,०००) की धनराशि सन् १९६७ में स्वीकृत हुई।

(३) जी हां, इस कार्य को पुनः बन्द नहीं किया गया वरन् मजदूर प्रर्याप्त नहीं मिलने से कार्य की प्रगति धीमी है।

सिरोही जिले की सिंचाई योजना

७१६. श्री गामा (आबू-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिरोही जिले की कितनी माध्यमिक एवं लघु सिंचाई योजनाएं राज्य सरकार

(श्री गामा)

के पास स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई हैं तथा कौन कौन सी माध्यमिक एवं लघु योजनाओं की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में प्रदान करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के भ्रन्गोर बांध की तकनीकी स्वीकृति भारत सरकार ने गत वर्ष प्रदान करदी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस बांध के निर्माण का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ कर देगी ?

उत्तर

(१) दो योजनाएं, इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष में वित्तीय प्रावधान नहीं है, इसलिए अभी इनकी स्वीकृति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) जी नहीं ।

पश्चिमी बनास बांध की नहर

७१७. श्री मोतीलाल (रेवदर-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि पश्चिमी बनास बांध, ग्राम धनारी, तहसील पिन्डवाड़ा, जिला सिरोही से दो नहरें निकाली गई हैं और दाहिनी नहर सरूपगंज होती हुई किवरली ग्राम तक गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इसी नहर की उप-शाखा भीमाना स्टेशन से भीमाना व भारजा गांव के लिए रेल्वे विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है ? तथा इस बांध से लगभग ६ मील दूरी से निकालने का सर्वे भी हो चुका है ?

(३) यदि हां, तो राज्य सरकार इस नहर को निकालने की योजना कब कार्यान्वित कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) उपरोक्त नई शाखा को निकालने का मामला स्थगित कर दिया गया है ।

बिलासी नदी के बांध का सर्वे

७१८. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः--

(१) क्या यह सही है कि नदी बिलासी, तहसील किशनगंज के बांध का सर्वे सन् ५७ मे हो चुका है ?

(२) एस्टीमेट कितनी धनराशि का बना था ?

(३) उक्त बांध का सर्वे हो चुका है तो इसके कागजात इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट बूंदी में क्यों पड़े हुए हैं जबकि इससे एक तिहाई किशनगंज तहसील क्षेत्र सिंचित हो सकता है ?

उत्तर

(१) इसका सर्वे सन् १९६२ में हुआ है ।

(२) ६१,५४,००० रु० का है ।

(३) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, जयपुर के एतराजों की पूर्ति हेतु बून्दी सब डिवीजन में कागजात भेजे गये हैं ।

(१२.३९ म.प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के ८ सदस्यों ने टोंक-निवाई सड़क पर बनास नदी का पुल स्थान-स्थान पर टूट जाने से यातायात की असुविधा हो जाने से सम्बन्धित २ स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं। स्थगन प्रस्तावों की सूचना देने वालों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री भैरोंसिंह, (२) श्री कृष्णकुमार गोयल, (३) श्री नन्दलाल, (४) श्री देवीदत्त गाड़िया, (५) श्री दिग्विजयसिंह, (६) श्री दुर्गालाल बाढ़दार, (७) श्री जयनारायण सालोदिया, तथा (८) श्री सहदेव।

यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस पर आज विचार किया जाय। और चूंकि माननीय सदस्य श्री गोयल ने मुझको यह बताया कि अब यह अधिक महत्व का प्रश्न है यद्यपि जब यह प्रश्न उठाया गया था तब माननीय सदस्य की चिन्ता का भी विषय था और महत्व का भी था।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : वह, अध्यक्ष महोदय, आपका यह निर्णय था।

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं केवल इतना ही........

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समय दे दूंगा।

फिर भी इसको इनके कथनानुसार मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानता पर फिर भी आम जनता की सुविधा का मामला है। अतः मैं यह चाहूंगा कि यातायात मन्त्री महोदय इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्रातिशीघ्र एक वक्तव्य दें।

एक स्थगन प्रस्ताव श्री केसरीसिंह हाडा से प्राप्त हुआ है जिसका सम्बन्ध गुना तालेडा तहसील बूंदी में सार्वजनिक रास्ते पर श्री भंवरलाल हैड कान्स्टेबल द्वारा अनधिकृत रूप में निर्माण कार्य कराये जाने से है। चूंकि इस मामले का सम्बन्ध एक व्यक्ति विशेष से है अतः यह अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं कहा जा सकता। मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Next. जयपुर जिले में चरागाहों की भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में श्री नाथूलाल करौल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस मामले का सम्बन्ध किसी अविलम्बनीय लोक महत्व की हाल ही में हुई घटना से नहीं है। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया ने मोठ की निकासी पर पाबन्दी लगाने से एकत्रित पांच लाख बोरी में डंक लग जाने से मोठ का नुकसान होने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर विचार किया जाय। अतः मैं इसे......

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं, मैं फिर आपको निवेदन कर दूंगा।

अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

(श्री अध्यक्ष)

मैं सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय खाद्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे कृपया स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

मेडिकल कॉलेजों में क्लिनीकल लेक्चरारों की नियुक्तियों में पक्षपात के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में उन्होंने एक अल्पकाल सूचना प्रश्न की भी सूचना दी है। चूंकि अल्पकाल सूचना प्रश्न को शीघ्र ही लिया जाकर स्वास्थ्य मन्त्री महोदय द्वारा उसका उत्तर दिया जायगा। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी की गई है तथा जो आज प्राप्त हुए हैं उनके सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार से इन मामलों में उत्तर प्राप्त होने पर मैं सदन को अपनी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचित करूंगा।

१. तहसील नोहर जिला गंगानगर में कृषि उपज मन्डी समिति का चुनाव जो १० अगस्त, १९६७ को होने वाला है। श्री रामचन्द्र आर्य का।

२. जयपुर जिले में दूदू, फागी, जमवा रामगढ एवं चाकसू तहसीलों में लेवी की वसूली। श्री सहदेव शर्मा एवं श्री सुवालाल चौधरी का।

३. सुबोध कॉलेज के नियमित छात्रों को असफल होने के कारण कॉलेज में प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में। श्री रामकिशन का।

४. कोटा जिले की छीपा बड़ोद रेन्ज (वन-विभाग) में श्री हांडी खोह खजूरिया अमलावदा माण चौक मोखमपुरा, कांजालिया व उतावली के जंगलों को काटकर वहां की भूमि पर लोगों का अनधिकृत रूप से कब्जा। श्री प्रेमसिंह चौधरी, श्री नन्दलाल, श्री कृष्णकुमार गोयल का।

५. मांगरोल तहसील में लेवी की वसूली में ज्यादती से उत्पन्न स्थिति। श्री नन्दलाल वरला, श्री कृष्णकुमार गोयल।

६. कोटा पुलिस का जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा से गठ-बन्धन होने से श्रमिकों में उत्पन्न असन्तोष। श्री रामानन्द अग्रवाल।

७. ग्राम जन्डवाली तहसील हनुमानगढ़ से एक कुमारी लड़की का पुलिस से मिलकर अपहरण से उत्पन्न स्थिति। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय।

श्री नन्दलाल: मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है लेवी की वसूली का। जबरन...कब्जा कर लिया है। आज तक कब्जा किये हुए हैं। जबकि गरीब काश्तकार...

श्री अध्यक्ष: मैं समझ गया।

श्री नन्दलाल: मैं चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी आपकी रूलिंग दी जाय या मंत्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण कराया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने मेडिकल कालेज के लेक्चरार के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया। कल माननीय मंत्री जी इसी किस्म के प्रस्ताव पर वक्तव्य देने वाले हैं। इस सम्बन्ध में भी उनका कल ही वक्तव्य आ जाय तो ठीक है इसी कारण मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष : सुविधा का खयाल रखूंगा।

श्री नाथूलाल करौल (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा वह केवल जयपुर से ही सम्बन्धित नहीं है किन्तु सारे राजस्थान से उसका सम्बन्ध है। चरागाहों का सवाल सारे राजस्थान का सवाल है। मवेशियों के चरने के लिये डिफिकल्टी है।

श्री अध्यक्ष : वह देख लिया है।

श्री प्रेमसिंह (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जंगल काट कर अनधिकृत रूप से जमीन पर अधिकार कर लिया है....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! मैं समझ गया हूं।

श्री प्रेमसिंह : जानकारी की है। आप इसकी व्यवस्था करेंगे कि जानकारी कराई जाय।

श्री केसरीसिंह : मुझे इतना ही निवेदन करना है कि भंवरलाल हैड कान्स्टिबल ने तालेड़ा में मकान बनाया....

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्रम मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है। पाकिस्तान से हिन्दुओं को जबरदस्ती निकाला जा रहा है अथवा धर्म परिवर्तन के लिये मजबूर किया जा रहा है। उनका बलात् धर्म परिवर्तन किया जा रहा है यह एक अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाचार-पत्रों में भी इस प्रकार के समाचार प्राप्त होते रहते हैं। राज्य सरकार के पी. डब्ल्यू. डी. के असिस्टेन्ट इन्जीनियर श्री भीमसिंह की भी कुछ दिनों पूर्व रहस्यमय हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान से हिन्दू परिवार भाग कर आ रहे हैं। उस सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं समझता हूं आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे। लोगों में बड़ा भारी आतंक पैदा न हो इसलिए इसका निराकरण करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कि ऐसे प्रस्ताव स्वयं माननीय सदस्यों ने उदारतापूर्वक उनके महत्व, इन्टरनेशनल इश्यू को देखते हुए, लिये हैं, दूसरे तरीके भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के परम्परागत रहे हैं। फिर भी प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं स्वयं भी इस पर विचार करेंगे। इस प्रस्ताव पर स्टेटमेंट को किस ढंग से लाया जाय ताकि इसमें दुविधायें और आशंकायें जो हमेशा रही हैं सदन में न रहें। इसलिये मैं चेम्बर में माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करके इस पर विचार विमर्श किया जाने की व्यवस्था करूंगा।

श्री गोवर्धन सोनी (मेड़ता) : लाखों बोरी मोठ खराब हो रही है। चारा मान कर उसको बन्द कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : आपने सुना मैंने जो निवेदन किया। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौन से तरीके को अपनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकांश समाचार-पत्रों में अनेक बार समाचार प्रकाशित होते रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है जिससे लोगों में अनेक प्रकार की आशंकायें पैदा होती हैं। मैं आपका ध्यान २८ जून

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के प्रजासेवक में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनकी ओर खीचना चाहूंगा। हैडिंग है "नवाब के तूफानी दौरे से पाक घुसपैठियों को प्रोत्साहन।" "इस दौरे से सबसे ज्यादा खुशी तो इस क्षेत्र के निर्दलीय विधायक श्री अब्दुल हादी को हुई है। उन्होंने अपने जन्मस्थान 'बुरहान का तला' में नवाब साहब का अभूतपूर्व स्वागत सत्कार किया। उनके एजाज में जो शानदार प्रीतिभोज दिया उसमें इस क्षेत्र के मशहूर पाक समर्थक पटेल और तस्कर व्यापारी भी शामिल हुए थे।"

"नवाब साहब के यहां पधारने का यहां के अवाम को फौरन क्या फायदा होगा यह बात तो बाद में सामने आयेगी। पर उनकी यात्रा का सबसे अधिक फायदा पाक समर्थक तत्वों ने उठाना शुरू कर दिया है।"

इस प्रकार के समाचार इसमें आये हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रजासेवक अखबार कांग्रेस विरोधी अखबार नहीं है। पुराना और राष्ट्रीय विचारधारा का अखबार रहा है। आजादी के समय में जिसका बड़ा भारी कान्ट्रिब्यूशन रहा है, उस पत्र में हैड लाइन्स में एक मन्त्री के दौरे के सम्बन्ध में ऐसे समाचार प्रकाशित हों जो सीमावर्ती इलाके के दौरे में गये सड़कों के निरीक्षण के लिये लेकिन दौरे का मकसद दूसरा ही था ऐसा अनुमान किया जाता है। नवाब साहब का अभूतपूर्व स्वागत किया गया और उनके "एजाज" शानदार प्रीतिभोज होते हैं, जिसमें पाक तस्कर शामिल होते हैं, जबकि सरकार की ओर से वहां उनका कोई अधिकारी न होना, इससे लोगों के दिमाग में शंका पैदा होती है और उस हालत में भी वे शंकायें प्रबल होती हैं जबकि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण न किया जाय। अतः सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है वरना जनता में यह भावना और शंकायें फैलेंगी कि राजस्थान सरकार के मंत्रि-मंडल में पाकिस्तान के घुसपैठिये बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please! Order! Order please!

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order please!

मैं इस प्रश्न को भी महत्वपूर्ण समझता हूं। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये सरकार की ओर से जिससे भ्रान्ति पैदा न हो।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर और करतल ध्वनि)

स्पष्टीकरण से मतलब व्यक्तिगत नहीं है। टेबल बजा कर भ्रान्ति में न डालें। मंत्री महोदय से इनका सम्बन्ध नहीं है। ऐसे भ्रमपूर्ण समाचार सीमाओं के सम्बन्ध में फैलाये जायें उसके स्पष्टीकरण की बात का निराकरण होना इसका मैं आदेश और संकेत नहीं दे रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि दूसरे स्थगन प्रस्ताव विचारार्थ चेम्बर में लिये जावेंगे उस वक्त अहमियत वाले प्रश्नों पर भी बात कर ली जावेगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार समाचार को सही मानती है इसीलिये इसका कान्ट्रे-डिक्शन नहीं निकाला।

श्री अध्यक्ष : मैंने क्या कहा? मैंने भी तो यही कहा।

Page No. 67

श्री कृष्णकुमार गोयल : तीन-चार दिन हुए। पाकिस्तान की गतिविधियां यहां तक बढ़ गयी हैं, घुसपैठिये राजस्थान की सीमा में आते हैं, लोगों को उड़ा कर ले जाते हैं, मवेशियों को उड़ा कर ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं सुनना बन्द कर दूंगा। I am deaf.

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव भी विचारार्थ ले लिया जावेगा।

श्री रामकिशन (वैर) : जो समाचार श्री सतीशचन्द्रजी ने पढ़ कर सुनाये हैं उनकी सत्यता और असत्यता का सरकार जवाब देगी। सरकार की ओर से जवाब दिया जाय, क्या सेकुलेरिज्म की रक्षा की जा सकती है? सरकार जवाब दे तो उसके पीछे क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है इसकी भी जांच कर लें। सत्यता सामने न आये तब तक जवाब न हो। कल न होकर परसों हो जाय जवाब सरकार का। जो इसका बेजा फायदा उठाते हैं उनको दंड मिलना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी इस प्रकार का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम देश है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक लोग हमारे देश में रहते हैं और हमारे राजस्थान में भी रहते हैं। हिन्दुस्तान में उनको बराबरी का स्थान प्राप्त है। इस प्रकार की कोई बात, कोई अफसर मिलिटरी का हो, मंत्री महोदय हों, सदन का कोई माननीय सदस्य हो ऐसे धर्म का मानने वाला हो जो पाकिस्तान का धर्म हो इस प्रकार की बातें फैलाने के लिये कुछ पत्र इस प्रकार की हवा पैदा करने की कोशिश करें इस सदन के द्वारा ऐसे पत्रों और विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिले और उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाये जाने जरूर चाहियें। मेरा निवेदन है कि जहां आवश्यकता इस बात की है कि घुसपैठियों की गतिविधियों पर रोक लगायें वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि सेकुलेरिज्म को जो सेबोटेज करने वाले हैं, जो तत्व हैं उनके विरुद्ध कड़ाई का रुख अपनाया जाय। इस समाचार की सत्यता की जांच की जाय और अगर समाचार सत्य है तो जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ाई का रुख अपनाया जाय और गलत हो तो जिस समाचार-पत्र ने यह प्रकाशित किया है उसके खिलाफ कड़ाई का रुख अपनाया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसमें तो, अध्यक्ष महोदय, एक ही व्यवस्था हो सकती है कि या तो जो पत्र का, जिसने कि यह समाचार छापा है इसके आधार पर या तो पत्रकार को जेलखाने में भेजा जाय या फिर मंत्री महोदय को। इस तरह की व्यवस्था से ही जो पब्लिक का मोरल गिराया गया है....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री मुकुटबिहारीलाल : यदि यह बात नहीं है तो मंत्री महोदय के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मुझे दुःख है कि यह जो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था और जिसने इतना प्रभाव उत्पन्न किया उस प्रभाव को आपने अपने वक्तव्य से समाप्त कर एक निरर्थक सा आरोप लगा दिया है। मैं इस प्रश्न को

(श्री अध्यक्ष)

महत्वपूर्ण समझता हूं और इसे यहीं पर छोड़ देता हूं।

पाठ्य पुस्तक कक्षा ६ में आपत्तिजनक नक्शे पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : कार्य स्थगन प्रस्तावों पर व्यक्तव्य। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस और खेद है कि कक्षा छः की जो किताबें छपी हैं उसके अन्दर जो भारत का नक्शा दिया गया है उसके अन्दर आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा का हिस्सा नहीं है। मैंने इसके लिए यह आदेश दिया है कि इस पर रेस्पों-सिबिलिटी फिक्स की जाय और जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। इसके साथ-साथ मैंने यह भी इन्तजाम किया है कि नये तौर से नक्शे छपवा कर तमाम स्कूलों में बंटवाये जायं ताकि जिन-जिन क्लासों में ये किताबें पढ़ाई जाती हैं वहां पर उन किताबों में ये नक्शे लगाये जा सकें। मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाहता जिन्होंने गलतियां की हैं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की ओर से जो भी लोग रेस्पोंसिबल पाये जायेंगे उनको सजा दी जाएगी। लेकिन इन्क्वायरी करके ही सजा दी जा सकती है, बगैर इन्क्वायरी के सजा नहीं दी जा सकती है। किताबें जो छपने के वास्ते जाती हैं, दो पढ़े लिखे लोग सीनियर टीचर्स आम तौर पर किताबों को देखते हैं और समझते हैं और उसकी प्रिंटिंग में कोई गलती होती है तो उसको सही करके प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। उसके बाद जब किताबें छप कर आ जाती हैं तो उसके अन्दर भी ओरिजिनल जो मेन्युस्क्रिप्ट होता है और जो किताब छप कर आई है उसको एक पढ़ा-लिखा आदमी मिलान करता है। इसके बाद फिर भी गलती रहती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसी स्थगन प्रस्ताव के अन्दर मिस्टर जिन्हा की तस्वीर के बारे में भी कहा गया है जो उस किताब में छपा है। उसके अन्दर मिस्टर जिन्हा की तारीफ या बुराई नहीं छपी है परन्तु देश के अन्दर उस वक्त का जो वातावरण था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रोल प्ले किया था उनका चित्र खींचा था और उसके अन्दर तमाम वे लोग जो उस वक्त देश के सामने थे उन सबके चित्र दिए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मिस्टर जिन्हा की तारीफ करने के लिए वह चित्र नहीं दिया गया है।

इसके साथ-साथ एक मुद्दा यह भी था कि इस किताब के अन्दर कुछ जगहों को खाली छोड़ा गया है। मैं यह मानता हूं कि एक लैसन खत्म हो जाता है तो वहां पर जगह छोड़ कर नये पेज पर नया लैसन लेना आम तौर पर ठीक रहता है। जब एक लैसन खत्म हो जाय तो उस पेज को वहीं पर छोड़ कर दूसरे लैसन को दूसरे पेज से शुरू किया जाय ताकि बच्चों को भी पढ़ने में सुविधा रहे।

श्री शिवचरणसिंह (महुवा) : माननीय मंत्रीजी ने...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कह कर कि छठी कक्षा की जो हिन्दी माला है उसके पृष्ठ पर जो भारत का चित्र दिया है उस भारत के चित्र के अन्दर क्योंकि जो हमारा आसाम है, त्रिपुरा है, भूटान है, सिक्किम है, नेफा का पूरा क्षेत्र है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र जो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हमारे देश के नाम से छपा है वह उस नक्शे के अन्दर नहीं दिया गया है और इस आधार पर जवाब देकर तसल्ली देने की कोशिश की है कि मुझे खेद है कि इस प्रकार की छपाई हो गई है और इसके लिए एक्शन लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का केवल इतना कह देना कि मैं एक्शन लूंगा और एक्शन लेकर कार्य-वाही करूंगा, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है, इतना काफी नहीं है। सदन को इससे सब्र नहीं हो सकता। राष्ट्रीयकरण पुस्तकों का जिस समय से किया गया है उस समय से लेकर आज तक समय-समय पर विधान सभा के अन्दर इसकी आलोचना की गई है और सरकार हमेशा इस आधार पर उस आलोचना को मिटाने के लिए हमेशा इस प्रकार का विश्वास दिलाती रही है।

अध्यक्ष महोदय, कक्षा १ से लेकर कक्षा ८ तक जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमारे देश की जो इमारत बनने वाली है, उसके निर्माण के अन्दर वे नींव के पत्थर हैं। आज ये ही बच्चे हैं जो इस समय कक्षा १ से ८ तक पढ़ते हैं वे ही आगे चल कर देश के कर्णधार बनने वाले हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सरकार किस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों को दे रही है, शिक्षा देने का स्तर किस प्रकार का है। और इसके अन्दर, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े दुःख की बात है कि जो चित्र बनाया गया है उस चित्र के अन्दर जो कि हमारे देश के चित्र के नाम से छपा है, उस चित्र के अन्दर वह नेफा का भाग जिस पर चीनियों ने खुले रूप में अपना शिकंजा जमाना चाहा था और जिस क्षेत्र में हमारे वीरों ने लड़ते-लड़ते अपने प्राण गंवाये और अपने प्राणों की कुर्बानी करके देश की रक्षा की, वह क्षेत्र इस चित्र में नहीं है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, गुजरात से राजस्थान की जो सीमा मिलती है और उस सीमा के अन्दर भी जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने हमला करके कब्जा किया था उस क्षेत्र को नहीं दिखाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह आखिर लापरवाही, जानबूझ कर की गई है और इस प्रकार से बच्चों को भ्रम में डालना चाहते हैं। क्या आप बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं कि उनके सामने देश का चित्र इस प्रकार का खण्डित चित्र देश का सामने आए? मैं इस समय निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्रश्न इतना ही नहीं है, जिस प्रकार की पुस्तकें छापी गई हैं मैं उनका भी दृष्टांत देना चाहता हूं। इस कक्षा छः की जो हिन्दी की पाठमाला है इसमें पृष्ठ ६६ से एकदम १०५ आ जाता है। पृष्ठ ६६ से १०५ तक के सारे पृष्ठ इसके अन्दर से गायब हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि यह गलती क्यों हुई? इतनी लापरवाही इसमें क्यों है और इसका पेमेन्ट किस प्रकार हो गया?

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि पृष्ठ संख्या गायब है या पृष्ठ ही गायब हैं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : पृष्ठ संख्या ६६ से एकदम पृष्ठ १०५ आ जाता है। इसकी सब प्रतियों में जो हिन्दी पाठमाला छः है इसमें पृष्ठ ६६ है उसके बाद १०५ है। केवल इतना ही नहीं है, कक्षा ७ की हिन्दी की जो पुस्तक है उसमें भी पृष्ठ १८ आता है और १८ के बाद पृष्ठ ३५ आ जाता है और इसमें ये सारे (पुस्तक दिखाते हुए) डबल-डबल सेट दे दिये गये हैं। ये जितने पृष्ठ कम हुए हैं उसके डबल-डबल पृष्ठ उतने ही लगा दिये हैं और १८ से ३५ तक पृष्ठ गायब हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी शंका यह है कि जो पृष्ठ आने चाहिये थे वे नहीं आए हैं या नम्बरों में ही गलती हुई है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह प्रश्न सरकार का है कि इस पर जानकारी करे। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि पृष्ठ १८ से ३५ तक गायब हैं और १७ पृष्ठ जो कम हैं उनके लिए डबल पृष्ठ जोड़ दिये गए हैं। वही पाठ डबल जोड़ दिये गए हैं। (पुस्तक दिखाते हुए) अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ ३ से लेकर १८ तक इसमें हैं और उसके बाद ३५ आ जाते हैं और इस प्रकार १९ से ३४ तक गायब हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पाठ ही गायब है या नम्बर गलत लग गये हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह अपने आप सरकार देखे और सरकार जांच कराये कि डबल-डबल पृष्ठ कैसे जोड़ दिए गए हैं और कैसे डबल-डबल सेट लगे हैं और बाकी पृष्ठ कैसे गायब हो गए हैं और जब किताबें छप कर आईं तो उनको किस प्रकार एप्रूव कर दिया गया और किस प्रकार पुस्तकों को विक्रेताओं को बेचने की इजाजत दे दी गई ?

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, कक्षा ४ की हिन्दी पाठमाला है इसके अन्दर ब्लैंक पेपर मौजूद हैं। (पुस्तक बताते हुए) इसमें खाली के खाली पृष्ठ हैं। यही नहीं, नम्बर जो छापे गये हैं पृष्ठों के वो ९८, ९९ और १००, १०१ गायब और १०२ आ गया। और इसी प्रकार से इस किताब के अन्दर, हिन्दी पाठमाला कक्षा ४ में ये पृष्ठ गायब हैं। पृष्ठ १५ इसके अन्दर मौजूद है और १६ गायब, १७ गायब और १८ पृष्ठ आ गया। सारे के सारे कोरे कागज छोड़ दिये गये, डबल के डबल पन्ने लगा दिये गये, गलतियां कर दी गईं, मेटर गलत छाप दिया गया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अन्दर और एक दृष्टांत देना चाहूंगा....

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : कमीशन भगवान की जय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कतई तथ्य भी नहीं मिले, तो इसके बारे में मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो प्रिंटिंग है, जो मिस प्रिन्ट हुआ है, डबल सेट लगाये हैं, गलत नक्शे बनाये गये हैं, इतना ही नहीं जिस प्रकार की भाषा है. जिस प्रकार का मेटर बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, वह इस प्रकार का भ्रांतिपूर्ण है कि आने वाले बच्चे जब बड़ी कक्षा में आयेंगे तो सोचेंगे कि या तो वे गलत थे या मास्टर गलत थे या पाठ गलत था।

हिन्दी पाठमाला का पाठ ३८ है "भरतों का देश" इसमें लिखा है, "भारत की विधान सभा ने इस देश के लिए इंडिया के साथ दूसरा नाम पसन्द किया 'भारत' भारत की विधान सभा ने या राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली ने या दूसरी विधान सभा ने यह पास किया। 'संविधान सभा' शब्द की जगह केवल "विधान सभा" इसमें रख दिया गया है। बच्चे जो कक्षा ६ में आने वाले हैं वे संविधान क्या है और विधान सभा क्या है इसको नहीं जानेंगे। यह गलती केवल प्रिंटिंग की ही हुई हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो मेटर दिया गया है छापने के लिए, उस मेटर में मूलभूत के अन्दर इस प्रकार की गलतियां हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो पहले ही से चला आ रहा है। पहले की पुस्तकों में भीखाभाई की जगह भीखा नाई लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह तो इलेक्शन के अन्दर बहुत कुछ कह दिया। अब तो छुट्टी दे दो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का पुस्तकों का हाल है। मेटर गलत, पृष्ठ गायब, नक्शे-चित्र गलत, ये सारे तथ्य हैं। इसके बावजूद आज स्थिति यह है कि राजस्थान के शहरों और कस्बों के अन्दर जो पुस्तकें गिनाई हैं वे बच्चों को पुस्तकें आज तक प्राप्त नहीं हो रही हैं। वे सारी की सारी पुस्तकें गायब हैं। चाहे कक्षा २ को ले लीजिये, ३ को ले लीजिये चाहे कक्षा ४, ५, ६ या ८ को ले लीजिये कोई भी कक्षा ऐसी नहीं है कि जिसकी पूर्ण विषयों की किताबें आज उपलब्ध हों। इस प्रकार से राजस्थान सरकार सारे पब्लिशर्स को विज्ञापन देती है कि ये पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके पीछे एक स्कैन्डल है। एक स्कैन्डल के द्वारा कक्षा ७ की संस्कृत की पुस्तक छापने के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मोदीनगर के अन्दर एक प्रेस को आज्ञा दी गई। आॅर्डर प्लेस किया गया कक्षा ७ की संस्कृत की किताब के लिए कि वह छाप कर सरकार को दो। जब छाप कर सरकार को दी तो उसके अन्दर सैकड़ों अशुद्धियां। किताब सारी की सारी अशुद्ध। सारी भाषा अशुद्ध, व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जब इस प्रकार की चीज सरकार के सामने आई तो सरकार ने अपना विज्ञापन निकलवाया, वह राष्ट्रदूत के ११ तारीख के अंक में निकला है, उनके अन्दर देख लें, उसमें लिखा है कि कक्षा ७ की संस्कृत की किताब है वह संस्कृत की किताब बुक-सेलर्स के यहां से नहीं मिलेगी। वे सीधी की सीधी सारे इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल्स के आॅफिसेज हैं उनके यहां भेज दी गई हैं। इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल्स उनको वितरित करेंगे। इसके पीछे राज क्या है कि जो बाकी की सारी की सारी पुस्तकें हैं उनको तो आपके भंडार से पुस्तक-विक्रेताओं को भेजें और कक्षा ७ की संस्कृत की पुस्तक जो मोदीनगर में छपी है वह इन्सपेक्टोरेट्स को क्यों भेजी गई और इन्सपेक्टोरेट आॅफ स्कूल्स से वितरित क्यों होगी ? उसका कारण है। जो अशुद्धियां हैं, जो गलतियां हैं उनको ठीक करने के लिए इन्सपेक्टोरेट आॅफ स्कूल्स नियुक्त किये गये हैं। इन्सपेक्टोरेट आॅफ स्कूल्स को पैसा दिया गया है। उनको आॅर्डर दिया गया है कि किताबें जब आयें तो उन अशुद्धियों को अपने हाथ से ठीक करो और अशुद्धियां करेक्ट करने के बाद २० नया पैसा प्रति किताब शुद्धि के लिये पेमेन्ट किया जायेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह बुक-सेलर जो मोदीनगर का है उसका दिवाला निकल गया। अध्यक्ष महोदय, आप जाकर देख लें स्टोर के अन्दर कि वहां शुद्धि-पत्रों के भंडार के भंडार लगे हुए हैं। शुद्धि-पत्र जिस प्रकार कि बजट में गलती आ जाती है या किसी और में गलती आ जाती है तो एरेटा की लिस्ट निकलती है। इसी प्रकार से करेक्शन स्लिप्स निकलवाई हैं, शुद्धि-सूचियां बनवाई हैं और उनके भंडार के भंडार लगे हुए हैं। बाजार के अन्दर किताबें जाती हैं तो शुद्धि-सूचो लगी हुई होती है। मनमाने ढंग से किताबें भेजी जाती हैं। एक ओर तो स्वयं सरकार अपने खर्चे से शुद्धि-पत्र छपवाये और किताबों के साथ सप्लाई करती है वहां दूसरी ओर मोदीनगर में छपी कक्षा ७ की संस्कृत की किताब के अन्दर गलतियां हैं तो उन गलतियों के लिए उस बुक-सेलर को पैनेलाइज किया गया है कि इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल्स हर किताब के करेक्शन के लिए २० नये पैसे चार्ज करेगा। एक केस तो यह है। उसको १ लाख रुपये की पुस्तकों का आॅर्डर दिया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

गया तो लगभग २० हजार तो केवल करेक्शन ही करेक्शन में खर्च हो जायेंगे।

दूसरी किताब है संस्कृत की कक्षा ८ की तो इसका ऑर्डर जो प्रिन्टिंग का दिया गया था वह एक आगरा के बुक-सेलर श्री लक्ष्मीनारायणलाल को दिया गया था। कक्षा ८ की संस्कृत की किताब में अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों के करेक्शन के लिए कोई मापदण्ड नहीं बना। जो मापदण्ड मोदीनगर वाले के लिए बनाया गया कि इन्सपेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स अपने पास से हिसाब लगा कर करेक्शन के लिए २० नये पैसे प्रति किताब ले लेंगे। आगरा के लिए मापदण्ड सीधा सा रखा गया है कि करेक्शन स्लिप लगाकर बुकसेलर्स अपने आप किताबों के साथ सप्लाई करेंगे। आखिर ये दो माप दण्ड क्यों? वही की वही संस्कृत की किताब। दोनों किताबों में अशुद्धियां हैं तो कक्षा ७ की किताब पर तो इन्सपेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स करेक्शन के लिए २० नये पैसे चार्ज करेंगे....

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अभी समाप्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय!

और दूसरी ओर जो आगरे का बुक-सेलर है उसको आपने लीनियन्सी दे दी कि जो गलतियां हैं उनके लिए शुद्धि-पत्र अपने-आप छपा कर किताबों के साथ लगा दें।

अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीयकरण के नाम पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तक-मंडल के द्वारा जो मनमाने ढंग से ब्लेक मेलिंग किया जा रहा है, जो किताबों के वितरण के सम्बन्ध में ब्लेक मेलिंग किया जा रहा है, आज उनसे जो पैसा मांगा जा रहा है, आज उस मंडल के सेक्रेटरी का कहना है कि सरकार और सरकार का मंत्रि-मंडल उनकी बोतल के अन्दर है। मुझे चिन्ता नहीं है। सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सरकार कोई कदम मेरे खिलाफ नहीं उठा सकती है, और इसका उदाहरण देखना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जब किताबें छप कर आईं और करेक्शनों की जांच की गई और इसमें अशुद्धियां पाई गईं तो सौदा तय हुआ, पैसा तय हुआ और पैसा तय होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, बुक-सेलर को कहा गया कि नमूने के लिए ६–७ किताबें हमारे पास भेज दो, आज आप जाकर देख लें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Stranger, who is outside the House. उसके खिलाफ एलिगेशन्स नहीं लगायें....

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्राइमा फेसी है। क्या कारण है कि कक्षा ६ से ८ तक की पुस्तकों की छपाई का ऑर्डर दिया गया और पन्ने खाली पड़े हुए हैं, सारा मेटर गलत है, इतने बड़े-बड़े ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, उनकी सारी की जांच की जाती है, जब किताबें छप कर आती हैं तो जांच की जानी चाहिए, प्रूफ होते हैं तो उसकी जांच की जानी चाहिये। जांच हुई तो जांच होने के पश्चात् यह क्यों आंख मीची जाती है? आंख मीची जाने के बाद सौदा हो, पैसा लिया गया हो ...

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो स्पेसीमैन किताबों का मंगाते हैं मंडल वाले, आप किसी आदमी को भेज कर अभी दिखा लें कि उन किताबों में कोई अशुद्धियां नहीं है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

६-७ सेट उनके पास है, उनमें कोई गलतियां नहीं की है। पहले जो छापा गया है उसमें सारी की सारी गलतियां हैं तो जाहिर है कि इसके अन्दर घोटाला है। और इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आज नई किताबों और पुरानी किताबों को लाया जा रहा है। बाजार में देख लें कि नई किताबें जो छपी हुई हैं वे एक ओर बिक रही हैं और दूसरी ओर पुरानी स्टोर में बाकी किताबें हैं वे भी आज बाजार के अन्दर बिक रही हैं, और व्यवस्था के अनुसार आज सारे इन्सपेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स के लिए मंडल का इस प्रकार का कर्त्तव्य है कि वह इन्सपेक्टोरेट ऑफिसेज के अन्दर फ्री किताबें भेजें तो वहां पर जो किताबें भेजी गई हैं इन्सपेक्टोरेट ऑफिसेज को गरीब विद्यार्थियों के लिए, निर्धन और अनाथ विद्यार्थियों के लिए तो वे उनको मिलने वाली हैं, वे पुरानी किताबें हैं। वहां नई किताबें नहीं भेजी गई, पुरानी वाली भेजी हैं। पुरानी किताबें भेजी गई हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वहां जो गरीब बच्चे जो कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक स्कूल में पढ़ेंगे, जो निर्धन होने के कारण मुफ्त में किताबें लेंगे, उनको नई किताबें नहीं मिलेंगी, उनको पुरानी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हू, आखिर आपने नेशनेलाइजेशन क्यों किया ? नेशनेलाइजेशन करने के पीछे मंतव्य क्या है ?....

श्री अध्यक्ष : आप तो रेगुलर डिबेट में टर्न दे रहे हैं। मैं चाहता हूं, स्थगन प्रस्ताव पर स्टेटमेंट और प्रश्न हों। कृपया प्रश्न कुछ पूछ कर इसको समाप्त करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की गलती, इस प्रकार की मनमानी क्यों हुई ? आंखें कैसे मिच गईं ? जब आपके पास आज प्रेस नहीं है, लिखने वाले आपके पास मौजूद नहीं हैं, बेचने वाले आपके पास मौजूद नहीं हैं, पाठ्य-पुस्तक आपके पास मौजूद नहीं है तो राष्ट्रीयकरण को आपने क्यों किया ? इस राष्ट्रीयकरण के पीछे सिद्धांत क्या है ? आज ये सारी चीजें बाहर होती हैं। बाहर लिखने वाले, बाहर ही छापने वाले और बाहर ही बेचने वाले— केवल आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल है। ब्लेक मेलिंग करने के लिए और व्यापारियों से कमाई करने के लिए इस राष्ट्रीयकृत पुस्तक-मण्डल को बना कर रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर का जो डिपो है, जहां से किताबें वितरित होती हैं, वहां जाकर आप देख लीजिये। वहां लाइन लगी हुई है। वहां रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ता है, लाइन में खड़े होना पड़ता है और एक दिन में अधिक से अधिक तेरह व्यापारी को पुस्तकें दी जाती हैं। तेरह व्यापारी, एक व्यापारी पांच हजार से अधिक की पुस्तक नहीं खरीद सकता और दिन भर में आपके डिपो से तेरह व्यापारियों को पुस्तकें सप्लाई होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गत वर्ष के अन्दर जयपुर के अन्दर बारह लाख किताबों की सेल हुई थी। बारह लाख किताबों की सेल हुई थी उसके बाद बच्चे बढ़े होंगे, कक्षा में संख्या बढ़ी होगी, क्लासों में अधिक बच्चे आये होंगे—मैं जानना चाहूंगा, बारह लाख किताबें बिकने वाली हैं या पंद्रह लाख बिकेंगी—क्या आप तीन-चार महीने में जाकर बांट पायेंगे ? आज इस आधार पर सौदे हो रहे हैं। रात के दो बजे अगर कोई व्यापारी कमीशन दे देता है स्टोर पर और स्टोर खुल जाता है, दूसरों को लाइन पर लगे रहना पड़ता है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जो आज राष्ट्रीयकरण के नाम पर कक्षा एक से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लेकर कक्षा आठ तक खिलवाड़ हो रहा है और गलत मेटर मिल रहा है, महंगी किताबें मिल रही हैं उनमें स्पेस खाली है। आप कहते हैं कि स्पेस रखना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आप किताबें देख लीजिये, किताबों में स्पेस खाली है। जानबूझ कर स्पेस खाली रखा गया है। कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन केवल इसलिए रखा गया है कि किताबें महंगी मिलें, महंगी बिकें। कागज आपको फ्री मिलता है, तो मेरी समझ में नहीं आता, कीमतों का जो निर्धारण किया गया है पुस्तकों का वह किस आधार पर किया गया है। आज महंगी पुस्तकें मिलें, रद्दी किताबें, पुस्तकें मिलें और अक्तूबर, नवम्बर तक पुस्तकें नहीं मिल पायें पढ़ने को, तो मैं समझता हूं इससे अधिक कोई शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर !

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। मन्त्री महोदय से प्रश्न है कि कोटा नगर परिषद् की पिछले वर्ष गौशाला कमेटी के माध्यम से किताबें बांटी गई थीं, उसके सिलसिले में एक पब्लिशर था, वह पकड़ा गया था गलत किताबें छपाने के सिलसिले में, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुस्तकों की उपलब्धि का विषय है...

श्री अध्यक्ष : विषय में नहीं, प्रश्न पूछिये ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा स्थगन प्रस्ताव है इस विषय में।

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्टली प्रश्न पूछिये। भाषण अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : इस पर भी भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं संक्षेप में कह रहा हूं।

पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कक्षा आठ के अन्दर अभी तक बुक सेलर्स को सिर्फ कॉमर्स की पुस्तक, प्रथम बार दी थी। उसके बाद इस आठवीं कक्षा के अन्दर हिन्दी, गणित, सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भूगोल और संस्कृत, गृह विज्ञान, ड्राइंग और अंग्रेजी—इन विषयों की पुस्तकें आज तक उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसके साथ-साथ कक्षा सात के अन्दर भी इसी प्रकार से हिन्दी, भूगोल, कॉमर्स और यह जो पहले मिली थीं वे आज तक दुबारा नहीं मिली हैं...

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय मन्त्री ! सैकिंड एडजोर्नमेन्ट मोशन का रिप्लाई दे दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह बोल रहे थे, मैं इन्टरप्ट नहीं करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : (श्री देवीदत्त से) स्थान ग्रहण करें। अभी स्टेटमेन्ट देना बाकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरे का दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, नहीं दिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : एक का दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप स्टेटमेन्ट दें।

श्री भैरोंसिंह : दोनों का एक साथ दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : शुरू हो गया है। शुरूआत में कोई बाधा मन्त्री महोदय के स्टेटमेन्ट में आ जाय तो शुरूआत गलत हो जायगी।

कतिपय पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध न होने पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक कुल मिला करके ४६ पुस्तकें नेशनेलाइज हुई हैं और ४६ में से ३६ तो इस वक्त उपलब्ध हैं, लेकिन जो इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं, उसका मूल कारण यह था कि स्वीडन से गिफ्ट पेपर मिलने वाला था राजस्थान को और वह गिफ्ट पेपर आशा यह करके चल रहे थे कि मार्च के महीने में मिल जायगा लेकिन वह गिफ्ट पेपर नहीं मिला और उसकी सूचना मार्च के करीब आई, दिसम्बर और मार्च के बीच में उसकी सूचना आई कि यह गिफ्ट पेपर अभी नहीं मिल पायगा। उस समय यह किया कि जो सरकारी तरीकों से जो टेन्डर इन्वाइट करने चाहिएं वे टेन्डर इन्वाइट किये और इस तरीके से किताबों के लिए कागज उपलब्ध किया गया कि जो किताबें जून के अन्दर छप कर तैयार हो जानी चाहिए थीं, वे किताबें जून में छप कर तैयार नहीं हुईं, बल्कि इस तरीके से पोजीशन है—वाणिज्य की कक्षा आठ, छः के अन्दर, मैं समझता हूं, किताब दस या पन्द्रह अगस्त के पहले नहीं छप कर आ पायगी....

एक माननीय सदस्य : ओफ्फो ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो सही बात कह रहा हूं इसलिए आपको....

भूगोल की किताब जो कक्षा छः के अन्दर पढ़ाई जायगी वह भी १५ अगस्त के आसपास मिलेगी। सामान्य विज्ञान की किताब जो है वह दो-एक दिन में तैयार होकर बिकने आ जायगी। डोमेस्टिक साइंस की किताब है वह दस अगस्त को तैयार हो कर सात-आठ को तैयार हो जायगी। ड्राइंग की किताब जो है वह दो-एक दिन में तैयार होकर बिकने आ जायगी....

श्री नत्थीसिंह : इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं, यह बता दें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं संतुष्ट नहीं हूं।

श्री नत्थीसिंह : क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बीच में संतुष्ट-असंतुष्ट का सवाल कहां है, तथ्य नहीं दे पाये हैं पूरे।

श्री बरकतुल्ला खां : संतोष का सवाल ? मैं तथ्य दे रहा हूं...

श्री भैरोंसिंह : असंतुष्ट करके संतोष कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : नहीं, नहीं। मैं यह बताना चाहता हूं, बच्चों को वक्त पर किताबें मिलनी चाहिएं, यह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : कोशिश क्या करेंगे ? आप में हिम्मत नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कह रहा हूं, मुझे आप कहने दीजिये।

श्री नत्थीसिंह : जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेना चाहते ?

श्री विजयसिंह रावत : कोशिश क्या करना चाहते हैं। बच्चे फेल होते हैं, उनको जिन्दगी खराब हो जायगी। गवर्नमेंट का राष्ट्रीयकरण पुस्तकों का करने का मतलब क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यही कहने जा रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन इस बात का है कि आप जुलाई में फीस लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को पुस्तकें दे नहीं सकते, बच्चे पढ़ नहीं सकते तो जुलाई में फीस लेने का अधिकार क्या है आपको ? या तो आप उनकी फीस रिटर्न कर दीजिये, और स्कूलों को बन्द कर दीजिये नहीं तो उनको किताबें दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हर साल यही होता है। इस विषय में यह बहाना लिया जाता है...

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कि कागज की कमी के कारण पुस्तकें नहीं छप सकीं...

श्री अध्यक्ष : अभी तो स्टेटमेंट बाकी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : कागज की कमी के कारण पुस्तकों में देरी हुई है यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : Order -! Order please ! माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर में इतना कागज है कि उस कागज को रखने की समस्या पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ! और अवशेष है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, और जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, भूगोल की आठवीं कक्षा की किताब इस जुलाई के आखिर तक मौजूद हो जायगी। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को वक्त पर किताब मिलनी चाहिये, यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस जिम्मेदारी से मैं अपने आपको बचाना नहीं चाहता, जिम्मेदारी लेना चाहता हूं और सदन के सामने बाअदब तरीके से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी यह पूरी कोशिश रहेगी इस साल के अन्दर कि अगले साल बच्चों के हाथ में वक्त पर किताबें पहुँच जायें...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस साल क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : इस साल नुकसान होगा बच्चों की पढ़ाई में, किताबें देरी से मिलेंगी तो बच्चे पूरी तरह नहीं पढ़ सकेंगे, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : उसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा हूं। जब बच्चे दूसरी क्लासों में जाते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please ! स्थान ग्रहण करें।

श्री बरकतुल्ला खां : तो किताब बगैर नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये किताबें हैं, ये जो कम्पलसरी टैक्स्ट बुक्स हैं वे वहां पर मौजूद हैं। कुछ कॉमर्स की किताबें हैं, कुछ भूगोल की किताबें हैं—ये ऐसे सब्जेक्ट्स जो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ानी चाहिए लेकिन सब बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती हैं एक वर्ग को पढ़ाई जाती हैं।

(श्री बरकतुल्ला खां)

लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे संस्कृत की किताब का सवाल आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह प्रोग्राम था कि किताब में गलती छापने वाले को दण्ड दिया जाय पर यह ऐसी गलती है कि एक को दण्ड मिले और दूसरे को नहीं मिले, यह नाराजगी का कारण है, उसको भी मैं दूर करना चाहता हूं और मैं सदन को यकीन दिलाता हूं कि या तो दोनों को दण्ड देंगे या दोनों को माफ कर देंगे। पर यह नहीं हो सकता...

एक माननीय सदस्य : माफ नहीं किया जाय दण्ड दिया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : सदन की यह राय है कि दोनों को दण्ड दिया जाय तो मैं दोनों को दण्ड दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया उसको जरूर दण्ड दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप सदन के माननीय सदस्यों की इस तरह से राय लेंगे तो मुश्किल हो जायगी।

श्री बरकतुल्ला खां : तो यह हुआ कि जिन लोगों ने गलत किताब छापी है, एक तदारुक एक के साथ किया, वही दूसरे के साथ किया जाय, किताब करेक्ट करने का फी गलती मूल्य रख कर करेक्ट कराया जाय।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि इन किताबों को छापने में देरी इसलिये होती है कि लोएस्ट स्टेन्डर्ड को लेते हैं, लोएस्ट स्टेन्डर्ड पर जाते हैं तो वह अपने सारे जरूरी काम पूरे करने के बाद, इनको छापता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोएस्ट स्टेन्डर्ड से आपका क्या मतलब है ?

श्री बरकतुल्ला खां : लोएस्ट स्टेन्डर्ड का मतलब यह है कि जो सबसे सस्ती छापे उसको काम देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अगले साल की किताबों को अभी से छपवाना शुरू कर दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो यही करने जा रहा हूं। जो किताबें अगले साल दी जायं उनको अभी से छपवाना शुरू कर दिया जाय। गणित की किताब छपने में देरी हो गई इसकी वजह यह थी कि गणित की किताब में सब सबक मेट्रिक सिस्टम से नहीं दिये गये थे, अब मेट्रिक सिस्टम से पढ़ाया जाता है इसलिये बदली गई। संस्कृत की किताब इसलिये बदली गई कि हायर सेकेन्ड्री में इसे इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया, इस साल से रिविजन किया इसलिये किताब में भी रिविजन किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेट्रिक सिस्टम से मैथेमेटिक्स नहीं पढ़ाई जा रही थी तो यह आफेन्स है।

श्री बरकतुल्ला खां : जो सिच्युएशन है, वह मैं रख रहा हूं। मैथेमेटिक्स के दो चेप्टर मेट्रिक सिस्टम के थे, सारे चैप्टर नहीं थे, इस साल रिवाइज कर के सारे चेप्टर्स मेट्रिक सिस्टम के कर दिये हैं।

हायर सेकेन्डरी में संस्कृत पढ़ाने का नया मैथड शुरू किया है, उस मैथड में ओरियेन्ट कर के भेजा जाय इसलिये संस्कृत की किताबों को रिवाइज किया गया, और कोई वजह नहीं थी।

आखिर में मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि अगले साल इस तरह की सिच्युएशन अराइज नहीं होगी कि बच्चों के हाथों में किताबें नहीं हों और क्लासें शुरू हो जायं।

श्री अध्यक्ष : ये गलतियां रही हैं, प्रिंटिंग प्रेस की हैं या प्रूफ रीडिंग की हैं ? प्रूफ रीडिंग की एजेंसी है क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, पहले तो यह होता है कि प्रूफ रीडिंग के लिये दो सीनियर टीचर्स, एक हैड मास्टर और एक सीनियर टीचर अपोइन्ट किये जाते हैं कि वे देखें, किताब दी जाती है तो सीनियर टीचर्स को दी जाती है कि वे ओरिजिनल मेनुस्क्रिप्ट से मिलान करें, यह मैथड होता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो नक्शा दिया गया था ओरिजिनल नक्शे का ब्लाक किस एजेंसी ने सप्लाई किया था ? किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने सप्लाई किया था या और कोई चीज़ थी ? मैं यह बात इस लिए कहता हूं कि आज इस प्रकार का हमारे देश का नक्शा छापाखाने में छापा जाता है जिसमें हिन्दुस्तान को डिस्फीगर किया जाता है, तो यह जानबूझ कर किया गया है या क्या है....

श्री अध्यक्ष : Order ! नो भाषण।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन सब की फौरन जांच की जानी चाहिये थी कि इसके पीछे क्या है....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओरिजिनल नक्शा जो दिया गया था मेनुस्क्रिप्ट के साथ उसमें आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, सब चीजें मौजूद थीं, जितने भाग थे हमारे देश के सब उसमें मौजूद थे। प्रिन्ट हो कर आई और प्रूफ को रिवाइज किया गया तो एक सीनियर टीचर हायर सैकेन्डरी का और एक हैड मास्टर थे, उनको किताब दी गई कि इसे एग्जामिन करें, उन्होंने देखने के बाद वापिस किया, नहीं देख पाये गलती को, गलती को डिटेक्ट नहीं कर पाये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या वे एजेन्ट हैं चीन और पाकिस्तान के ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कैसे मानूं कि चीन और पाकिस्तान के एजेन्ट हैं। हमारे देश के वासी हैं, जयपुर में हैड मास्टर हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या नक्शा प्रूफ रीडिंग के समय ठीक था ?

श्री बरकतुल्ला खां : शुरू में दिया गया था तो ठीक था, प्रूफ रीडिंग के लिये दिया गया तो गलती रह गई, डिटेक्ट नहीं कर पाये।

श्री दौलतराम सारण : एप्रूव्ड नक्शा दिया था तो उस एप्रूव्ड नक्शे की बजाय इस नक्शे का प्रूफ कैसे छप गया ?

श्री अध्यक्ष : Order !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नक्शे का प्रूफ रीडिंग नहीं होता, नक्शे का ब्लॉक होता है, वह ब्लॉक छपता है।

श्री बरकतुल्ला खां : जब प्रूफ रीडिंग शुरू होता है तो बुक में जो सारा मेटीरियल छपता है, नक्शे समेत वह देखा जाता है, इसे प्रूफ रीडिंग ही कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्लॉक कैसे दूसरा बन गया जब नक्शा दूसरा दिया था तो इस नक्शे का ब्लॉक कैसे बन गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : हम तो कहते हैं नक्शा दिया गया था वह ठीक दिया गया था। प्रिन्टिंग में कैसे दूसरा छप गया, इसकी इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आपने खत्म कर दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं बहुत कम समय लूंगा लेकिन मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय विरोधी दल, आप स्पष्टीकरण पूरा कर दें तब आप कहें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं, उन्होंने जो बातें कहीं, आरोप लगाये, उसके ऊपर स्पष्टीकरण के रूप में मन्त्री महोदय की तरफ से जो जवाब मिला है........

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, जवाब मिल रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मिला भी है कुछ। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इन बातों की कल्पना तक नहीं कर सकता, हमारी आजादी में यह क्या हो रहा है। इस महान् देश के महान् महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भागों को नक्शे में नहीं बताया और हम कह निकलें कि डिटेक्ट नहीं कर पाये, इस तरह लाएतलाली के रूप में जवाब दें मंत्री महोदय, वह तथ्यहीन हो, मुझे तो बड़ा दुःख होता है। पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धि, कागजों के बहाने से शिक्षा से खिलवाड़, हमारे भावी नागरिकों से खिलवाड़, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में कालाबाजारी, इस सरकार के लिये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। तो मेरे खयाल से तो, अध्यक्ष महोदय, कम से कम यह मन्त्री महोदय के द्वारा कहना कि मैं सजा दूंगा, अगर नक्शे के अन्दर इतनी भारी और महत्वपूर्ण भूल है तो Prosecution should have been launched long ago.

उन लोगों को पकड़ा जाना था, मुकद्दमा दायर करना था, उन लोगों को सजा होनी थी, फिर दूसरी बातें हैं वे आप करते रहते। इसमें निश्चित रूप से चाहे हैड मास्टर हो या सामान्य नागरिक हो, इसमें तो देश के प्रति गद्दारी मुझे दिखती है। यह प्राइमा-फैसी एविडेन्स मेरे खयाल से है, इन तथ्यों को लेकर इस हद तक प्रूव करते हैं।

All that glitters is not gold and there is certainly something fishy about that.

तो बड़ी बुरी बात है। और मैं इज्जत करता हूं शिक्षा मन्त्री महोदय की, मैं उनको जानता हूं लेकिन आपके लिये भी मेरे खयाल में, यह व्यवस्था आपके विभाग में है, बुरी चीज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका दोष नहीं है, इनका दोष इसलिये नहीं है कि घर में किताबें आती हैं तब पता चलता है। घर में किताबें तब आती हैं जब घर में बच्चे हों।

श्री भैरोंसिंह : इसके सुधार के लिये पहले उनके बच्चे की व्यवस्था की जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि जो कुछ यह व्यवस्था है बिल्कुल खिलवाड़ है, दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था की पराकाष्ठा है, कम से कम नक्शे वाले का तो कुछ करिये। You take them to task.

अगर इसी तरह की व्यवस्था शिक्षा के अन्दर रहेगी तो इस सरकार के तो करम फूट गये लेकिन देश की दुर्दशा होगी।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि अर्ज किया नक्शा जो था वह क्या ओरिजिनल यही था—ये सब बातें मैं देख लूंगा। मैं बड़े अदब के साथ विरोधी दल के नेता से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं Beat about the bush से कोई......

एक माननीय सदस्य : सी० आई० ए० का तो हाथ नहीं था ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सेन्सेशन की बुराई नहीं करता, सेन्सेशन राजनीति का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन मैं यह सुन कर के अवाक् रह गया। इस पर क्या गवर्नमेन्ट एक्सप्लेनेशन दे सकती है ? आपका विभाग इसमें गुनहगार नम्बर वन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मन्त्री महोदय ने खुद ने मेनुस्क्रिप्ट देखा है ? मेरे खयाल से यह गलती नक्शे में ही रही है। यह ब्लॉक गलत नहीं बनाया गया है। जिस तरह का मेनुस्क्रिप्ट रहा है उसी के आधार पर यह बनाया गया है। जिस तरह से इसमें आसाम, रन ऑफ कच्छ को निकाला गया है उससे ऐसा मालूम होता है नक्शा दूसरा हो, ब्लॉक दूसरा बन गया हो—यह बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय खुद उस नक्शे की मेनुस्क्रिप्ट मंगवा लें।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले जब सदन के सामने आयें तो आपको इस बारे में उदारता बरतनी चाहिये। My blood boils. सम्माननीय सदस्य अगर इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो उनको करने देना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इस आध घन्टे की चर्चा को आगे बढ़ाया जाय ताकि ये चीजें ऑन रेकार्ड तो आयें।

श्री अध्यक्ष : जहां तक समय का प्रश्न है मैं काफी उदारता से काम ले रहा हूं। एक घन्टा तो हो गया फिर भी मैं देख रहा हूं; कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में समय को करटेल करने का प्रश्न नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। कुछ दिनों पहले मैंने "विद्यालयों ने कहा" नामक पुस्तक से उद्धरण देते हुए बताया था कि शिक्षा विभाग की जिस प्रकार की हालत है मंत्रियों का कहना अधिकारीगण नहीं मानते तो क्या वैसी स्थिति में तो मंत्री महोदय हैं नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो यह कह सकता हूं जो गलतियां किताबों में आयी हैं उस किस्म की गलतियां न आयें और बच्चों को किताबें समय पर मिलें इस बारे में पूरी तरह से जागरूक रहूंगा। और मैं यह आशा करके चलता हूं जब अगला सेशन चलेगा चाहे मेरी जगह कोई भी मंत्री आये उसको इस तरह की पोजीशन देखनी नहीं पड़ेगी। बच्चों के हाथों में किताबें नहीं पहुँचीं, भारत का नक्शा गलत तरीके से छाप दिया गया, उसकी इन्क्वायरी कराऊंगा चाहे इसमें सी० आइ० ए० का हाथ हो या किसी देशद्रोही का हाथ हो या किसी अधिकारी का हाथ हो या किसी फिफ्थ कालमिस्ट का हाथ हो—जांच करके किसी का भी हाथ होना साबित होगा उसको सजा दिलवायी जायगी। मेरे विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें यह बताया

(श्री बरकतुल्ला खां)

गया है कि इसमें तीन टीचर्स थे जो हमारे विभाग के रेस्पेक्टेबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया हो, यह नहीं कहा जा सकता और न उनके लिये यह कहा जा सकता है कि वे देशद्रोही हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उससे ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय अपने आपको इस मसले पर बहुत ही इन्नोसेन्ट मानकर चलते हैं। यह पुस्तक लिखने की जिम्मेदारी हैड मास्टर या बाकी के दो अधिकारियों पर डाल कर चलना चाहते हैं...

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने तो कहा उन्होंने इसको रिवाइज करके देखा है। जहां तक पुस्तक लिखने का सवाल है यह तो विभाग द्वारा लिखी गई है। यह लिखने का काम विभाग का है।

मास्टरों को रिवाइज करने के लिये कहा गया था। रिवाइज करते हुए उन्होंने इसको करेक्ट नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : किताब तो छप गई और छपने के बाद गलती पकड़ में आयी। उसके बाद में पब्लिश किया गया। आप यह मानकर चलिये यह पुस्तक गलत ही निकली है। आप इस नक्शे को करेक्ट करायेंगे तो हर एक स्कूल में आप करेक्टेड स्लिप भेजेंगे। वह स्लिप हर एक बच्चे के पास रहेगी जिसने किताब खरीदी है, एक-दो दिन वह अपनी जेब में रखेगा फिर वह फट जायगी और दूसरी तरफ यह नक्शा उसी किताब में वैसा का वैसा बना रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां मुंह के सामने आलोचना हुई उससे बचने का यह तरीका ठीक है। नक्शा एक अलग से छपवा कर भेज देने से यह काम चलने वाला नहीं। यह नेशनल क्राइम है। चाहे इसमें शिक्षा मंत्री हो, चाहे शिक्षा सचिव हो, चाहे संचालक हो, आज इसके कारण सब सजा के पात्र हैं और प्रोसीक्यूशन इनका होना चाहिये। गलत किताबें छपकर चली जायं और मंत्री जी कहें हम करेक्शन स्लिप इश्यू कर देंगे। मंत्री जी से यह कह दूं अगर उनका यही रवैया रहा तो हम आपको यह कहना चाहते हैं ये किताबें यहां चलने नहीं दी जायंगी। इनको हम जलायेंगे और विधान सभा में जलायेंगे। अगर आपने इनको फिर से छापने का आदेश नहीं दिया तो यहां पर किताबें जलायी जायंगी।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आगे बढ़ने की बात नहीं है जहां और जब कभी एन्टी-नेशनल बात का सवाल आता है, आप आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। जिसकी आड़ लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में यह नक्शा पेश किया जा सकता है कि ये इलाके हिन्दुस्तान के इलाके नहीं हैं। पाकिस्तान को यदि मौका मिल गया तो वह इस नक्शे के आधार पर दुनियां में भ्रम पैदा कर सकता है। मामला बहुत गंभीर है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस पुस्तक के बारे में यह कहा गया है उसके प्रकाशक और शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिनकी जानकारी में यह छपी है, उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाय और उनको आदेश दिया जाय। इस नक्शे को वापिस छपवाया जाय और जो किताबें बिक चुकी हैं उनको वापिस लेकर उनकी जिल्द फिर से बन्धवायी जाय और जहां कहीं भी ये पुस्तकें चली गई हैं उन सबको अपने कब्जे में लिया जाय। राष्ट्रीयकरण

(श्री भैरोंसिंह)

मंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो राज्य सरकार द्वारा इस बारे में किसी को उत्तरदायी ठहराया जाय। आज पुस्तकों का स्कैन्डल धीरे-धीरे व्यापक रूप ग्रहण करता जा रहा है, आप उसको इससे बचा नहीं पा रहे हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि हो सकता है किसी ने इस प्रकार का नक्शा लगाने के लिये कोई प्रेरणा दी हो। गलती हुई होगी, जानबूझ कर भी की जा सकती है इसलिये यह नक्शा इसमें शामिल न रखकर इसको पूर्णतया हटाने से ही काम चल सकता है और जो ये गलत नक्शे छप गये हैं उनको निकाल कर उनको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिये। और जिन्होंने गलती की है उनका उत्तरदायित्व निश्चित करके उनसे इस किताब का खर्चा लिया जाना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप इस नक्शे को पहले जब्त करवाइये। यह किसी भी क्षेत्र में जाना घातक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पुस्तक के केवल सुधार करने से काम नहीं चलेगा। इस नक्शे की जगह सही नक्शा रिप्लेस किया जा कर इसका दुबारा बाइन्डिंग हो सकता है। तब तक इस पाठ्य-पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकाल लिया जाना चाहिये और फिर इस बारे में इन्क्वायरी करके जो व्यक्ति दोषी पाये जायं उनको सजा दी जाय। यह कदम माननीय मंत्री महोदय को तुरन्त उठाना चाहिये। जब तक दूसरी तरह से नक्शा न छप जाय तब तक यह स्टूडेन्ट्स के हाथ में नहीं जानी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बात को गंभीरता से लेना चाहिये।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह नक्शा जो छापा गया है वह गलती से नहीं है क्योंकि इस पाठ में जहां हर प्रदेश का विवरण दिया गया है उसमें आसाम वगैरह का नहीं है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि जिस किसी ने यह लिखा है उसमें भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव है ऐसा आभास मिलता है। हमारे कुछ प्रान्तों की अपनी-अपनी विशेषतायें रही हैं। लेकिन आसाम और मणिपुर की कोई विशिष्टता इसमें नहीं दी है। हमारे देखने का इतना ही आधार है। नक्शा तो गलत है ही लेकिन प्रान्तों की ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के अभाव का आभास भी मिलता है। जहां आन्ध्र में कुछ है, बिहार में कुछ है वहां पर मणिपुर क्षेत्र को भी समाविष्ट किया जा सकता था। हो सकता है कि लेखकों को इसका ज्ञान नहीं हो। वैसे मीरां का जिक्र किया है। आसाम में वसी था उसका जिक्र कर सकते हैं। इन्टीग्रेशन की भावना है यह। उनका इतिहास का अध्ययन भी अधूरा है। नक्शे की वजह से शायद अधूरा होने के कारण....

(श्री दौलतराम सारण व श्री दौलतराम साथ-साथ बोले)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : (अश्रव्य) कच्छ के ट्रिब्यूनल का फैसला होने वाला है, अगर यहां की पुस्तक ऐसी है तो वे खुद कहेंगे कि भारतीय किताब....

श्री दौलतराम सारण : आसाम को कैसे छोड़ दिया ? यह जान बूझकर किया गया है। इस नक्शे को बिल्कुल गैर-कानूनी करार देना चाहिए, जब्त करना चाहिए। इस किताब को हटाना चाहिए, इसकी जगह दूसरी....

श्री बरकतुल्ला खां : यह नक्शा जो किताब में है, उसके लिए इन्सट्रक्शन्स दिये जा रहे हैं कि पूरे के पूरे पन्ने को किताब से हटा लिया जाय और दूसरा पन्ना छपवा कर सही नक्शे के साथ उन किताबों में लगाया जाय। जो किताबें बिक गई हैं, उनके लिए हैड मास्टर्स और टीचर्स को इन्सट्रक्शन्स दिए जा रहे हैं कि इसमें से उस पन्ने को काटकर दूसरा पन्ना लगा दिया जाय, तब तक यह पन्ना काट कर जला दिया जाय और जो किताबें बिकी नहीं हैं, उनमें से यह पन्ना काट दिया जायगा।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री नत्थीसिंह : किसकी गलती से हुआ है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why don't you proscribe this book ?

श्री भगवानदास शास्त्री : पुस्तक मंडल में कांग्रेस समर्थक बैठे हैं, अपने आदमियों को बसाने के लिए....

श्री अध्यक्ष : आगे ज्यादा मत जाइये।

श्री बरकतुल्ला खां : जिम्मेदारी फिक्स की जायगी और जो कसूरवार साबित होंगे, उनको सजा दी जायगी। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार को कानून से मुक्त करने के लिए आवश्यक होगा कि इसकी जब्ती के आदेश निकाले, यदि प्रोस्क्राइब नहीं करते हैं तो यह कह कर इनकार नहीं कर सकते कि हमने विधान सभा में कह दिया, नक्शा गलत है, कानूनी ढंग से इसका संरक्षण प्राप्त करना चाहेंगे और व्यवस्था करनी होगी कि नक्शा गलत छपा है।

श्री बरकतुल्ला खां : हम प्रोस्क्राइब कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो कक्षा ६, ७ व ८ की जो किताबें उपलब्ध नहीं हैं, उनके बारे में जिस ढंग से कहा उससे यह आभास होता है कि मंत्रीजी विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में चिंतित नहीं हैं ..

श्री अध्यक्ष : सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मिनट भी नहीं बोला हूं तो आपने अभी से ही कह दिया। आप कहें तो बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष : आप उग्र मत हों। आप अपनी स्थिति को देख रहे हैं और मैं सारे सदन के समय को देख रहा हूं। इस मसले पर कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं फिर पुनरावृत्ति होगी इसलिए सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं ५ मिनट में समाप्त कर देता हूं। तो मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक ओर मंत्रीजी कहते हैं कि यह जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं उसके लिए कागज का अभाव बताया। लेकिन मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, उसके बाद आज भी वे पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। आज भी जयपुर के अंदर जितने भी बुक-सेलर्स हैं, मैं दुकानों पर गया और मैंने कक्षा ८ की ये पुस्तकें मांगी तो गणित, सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, गृह विज्ञान, ड्राइंग और अंग्रेजी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और कक्षा ७ के अंदर शिक्षा विभाग का जो राष्ट्रीयकरण पाठ्य-पुस्तक-मंडल है उसने सिर्फ कॉमर्स की पुस्तक का प्रकाशन किया है लेकिन आज भी वह कॉमर्स की पुस्तक नहीं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मिल रही है। जिस पुस्तक का प्रकाशन किया वह नहीं मिल रही है। तो क्या गारंटी है कि शिक्षा मंत्रीजी जैसा कह रहे हैं कि १५ ग्रगस्त तक पुस्तकें मिल जायंगी ? मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये पुस्तकें, जैसे ग्राज तक शिक्षा विभाग की व्यवस्था है, ग्रगस्त तो क्या सितम्बर तक नहीं मिलेंगी ग्रौर इसी प्रकार से कक्षा ७ के ग्रन्दर हिन्दी, भूगोल, कॉमर्स की पुस्तकें उन्होंने पहली एलॉटमेंट में दीं। उसके बाद उन्होंने इसी कक्षा के ग्रंदर जो दूसरी पुस्तकें हैं, सामान्य विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान ग्रौर ड्राइंग, ग्राज तक कक्षा ७ की नहीं मिल रही हैं। इसी प्रकार से यही हालत कक्षा ६ की है। छठी कक्षा के ग्रन्दर हिन्दी, गणित, सामान्य विज्ञान ग्रौर संस्कृत की पुस्तकें ग्राज तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके ग्रन्दर सिर्फ गणित की किताब छपी है, वह भी जिन बुक-सेलर्स ने ५०० मांगी थीं उनको सिर्फ ५० पुस्तकें दी गईं। उसके बाद ग्राज भी नहीं बुक-सेलर के पास छठी क्लास की गणित की किताब उपलब्ध नहीं है।

इसी प्रकार कक्षा ५ के ग्रन्दर पहली इन्स्टालमेन्ट में हिन्दी, सामाजिक ज्ञान, गणित ग्रौर सामान्य विज्ञान की किताबें दी थीं। उसके बाद ग्राज तक भी दूसरे इन्स्टालमेन्ट के ग्रन्दर इन किताबों का प्रकाशन नहीं मिला, किसी भी बुक-सेलर को नहीं दिया है। इसके साथ कक्षा ४ के ग्रन्दर गणित की किताब ग्राज तक नहीं है। जो कक्षा ४ की किताबें दी गई हैं, ग्राज तक दुबारा किसी भी बुक-सेलर के पास उपलब्ध नहीं हैं। इतना ही नहीं कक्षा ३ की किताबें जो पहले दी गई थीं उसके बाद ग्राज तक एक भी बार, उसके बाद जितने भी बुक-सेलर्स थे उन्होंने यह मांग की....

श्री रघुनाथ विश्नोई : दुबारा सारी की सारी बात कह रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : जो किताबें नहीं मिल रही हैं, उनका जिक्र है, दुबारा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ग्राज एक बात ग्रौर हो रही है कि कक्षा २ की किताबें जिन बुक-सेलर्स को दे दीं, वे पुरानी दी गई ग्रौर इसके बाद दुबारा दूसरी किताबें बदल गईं। ग्राज पुस्तक मंडल इस प्रकार से बुक-सेलर्स को बराबर हिदायतें दे रहा है कि पहले जो किताबें दी गई थीं वे बदल गई हैं, दुबारा ये किताबें खरीदी जायं। इतना ही नहीं कक्षा ६ ग्रौर ७ का ही प्रश्न नहीं है। हायर सैकेन्डरी स्कूल्स में जो कम्पलसरी विषय की पुस्तक है रेमिडियन इंग्लिश ग्रामर की है, कम से कम एक लाख पुस्तकें बिकती हैं। इसका लेखक है श्रीराम मेहरा ग्रौर प्रकाशन ग्रागरा से होता है लेकिन किसी भी बुक-सेलर के यहां यह किताब नहीं मिल रही है। इसके ग्रन्दर गहरी चाल है। इसके ग्रन्दर शिक्षा विभाग के ग्रधिकारी मिले हुए हैं। जब बुक-सेलर्स मांगते हैं तो कहते हैं कि मिलेगी नहीं, ग्रभी उपलब्ध नहीं है ग्रौर यह पुस्तक ब्लेक के ग्रन्दर बिक रही है ग्रौर इसके साथ-साथ ग्रॉप्शनल किताबों में ४-४, ५-५ किताबें प्रेस्क्राइब कर रखी हैं लेकिन उसी तरह से इस ग्रामर की पुस्तक में भी क्यों नहीं ३-३, ४-४ पुस्तकें रखते ताकि विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

ग्राज जितनी भी किताबें हैं वे जयपुर के बाजारों में नजर नहीं ग्रातीं। जिस राष्ट्रीयकरण-मण्डल ने इनको प्रेस्क्राइब किया है उनमें से एक-दो नाम मैं मन्त्रीजी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के ध्यान आकर्षण करने के लिए बताना चाहता हूं:—

(१) मेसर्स विनोद ट्रेडर्स, जयपुर।

(२) गोइन्का बुक डिपो।

यह जो गोइन्का बुक डिपो है इसकी कहीं भी दुकान नहीं है। उन्होंने सिर्फ घर के अंदर बोर्ड लगा रखा है और जितने भी राष्ट्रीयकृत....

श्री अध्यक्ष : बोर्ड लगा रखा है तो उसके पीछे किताबें होंगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसके अंदर गहरी चाल है। इसमें राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की पार्टनरशिप है। उन्होंने अपने भाइयों के नाम से डिपो खोल रखा है और रात्रि को दो-दो बजे तक वहां बैठकर काम करते हैं लेकिन बुक-सेलर्स को किताबें नहीं देते हैं। इस प्रकार पुस्तकों के वितरण में चोरबाजारी चल रही है और राज्य सरकार की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा और कोई बात नहीं है।

अंत में मैं स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को अगस्त और सितम्बर तक आठवीं से लेकर तीसरी तक पुस्तकें नहीं मिल रही हैं और जिनका भविष्य अंधकारमय होने वाला है यदि वे फेल होंगे तो कौन जिम्मेवार होगा, स्पष्टीकरण करें।

श्री शिवचरणसिंह : मैंने एक प्रश्न किया था मंत्री महोदय से कि गत वर्ष कोटा के अंदर कुछ पुस्तकों के वितरण के लिए...

श्री बरकतुल्ला खां : पुलिस को दे दिया गया।

श्री शिवचरणसिंह : उसी फर्म ने जिसने नगर परिषद् को किताबें सप्लाई की थी, उसने अपनी स्त्रियों और बच्चों के नाम फिर लाइसेन्स ले लिए हैं और इसकी आप जांच कराएं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने किताब को प्रोस्क्राइब किया या नक्शे को?

श्री बरकतुल्ला खां : नक्शे को।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किताब तो वैसे ही रहेगी। केवल नक्शे से क्या होगा?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि मेनुस्क्रिप्ट तो ठीक था लेकिन बाद में प्रूफ-रीडिंग में नहीं देखा गया, मैं समझता हूं और मैंने पढ़ा है, यह बात सही नहीं है। मेनुस्क्रिप्ट ही दरअसल गलत है और जिस आदमी ने इसको एप्रूव किया है गलत किया है। इनमें एक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है विद्यार्थी द्वारा कि भारत के भाग कौन कौनसे हैं, उत्तर में बताया गया है, पृष्ठ है १३ पर पाठ दूसरा। पूछता है कि "लो हमारे यहां सारा हिन्दुस्तान जैसे इकट्ठा हो गया है। राजस्थान, मैसूर, गुजरात, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्कल, महाराष्ट्र आंध्र, तामिल नाद....उसी भारत मां के बेटे हैं।" तो इस प्रकार से आसाम, मणिपुर, उन क्षेत्रों को छोड़ दिया है और नक्शा भी बिल्कुल उसी अनुसार जो उनका कन्सेप्शन है भारत का, वह नक्शा उन्होंने बनाया है। इसलिए यह जो सूचना दी गई विभाग से कि मेनुस्क्रिप्ट को देख लिया था और मेनुस्क्रिप्ट एप्रूव कर दिया गया, उनकी कोई गलती नहीं है और गलती केवल उन आदमियों को है जिन्होंने इसके प्रूफ को देखा था, तो यह सही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सारे मामले की पूरी इन्क्वायरी की जाय। इसके इन्टरनेशनल इम्प्लीकेशन्स हो सकते हैं और बड़े असरात पोलिटिकल होने वाले हैं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, पुस्तकें जो मार्केट में नहीं उपलब्ध हो रही हैं उस बारे में काफी सदस्य बोल चुके हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, आज किसी भी देश के लिए अनिवार्य है कि देश में विद्या का अध्ययन इस प्रकार से हो कि उसकी बेसिक एजूकेशन का प्रबन्ध स्वस्थ परम्परा से किया जाय। लेकिन आज यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि आज जो विद्यार्थी पहली से आठवीं क्लास के हैं, उनकी पुस्तकें, जैसे माननीय सदस्य ने बतलाया, अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इसका क्या कारण है ? सबसे बड़ा कारण है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने के बारे में इसके पीछे बहुत बड़ा सरकार का हाथ है और इसके अन्दर सेक्रेटेरियट के अन्दर जो सेक्रेटरी हैं, इनके नीचे डाइरेक्टर्स वगैरह हैं, वे भी जिम्मेदार हैं। ये पुस्तकें जो नहीं छपतीं हैं, लेखक लिखते हैं और उसके बाद नहीं मिलतीं। लेखक के लिखने के बाद लिखी हुई पुस्तक बेची जाती है और जो भी लेखक हैं सेक्रेटेरियट से उनसे खरीदी जाती हैं और पाठ्य-पुस्तकें एक-डेढ़ साल चलने के बाद बदल दी जाती हैं, फिर छपवाई जाती हैं और उस समय राज्य सरकार यह दलील दे कि कुछ गिफ्ट पेपर्स मिलने वाले थे वह नहीं मिल पाए। इस कारण अभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे। तो मेरे खयाल से इस सरकार के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही अशोभनीय चीज है। वह हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। पी. एल. ४८० अनाज के लिए मोहताज हो सकते हैं लेकिन विद्या के मामले में जो बालक भारत का निर्माण करने वाले हैं उनकी बेसिक एजूकेशन के अन्दर इस प्रकार की अनियमितताएँ और कालाबाजारी की जाय वह भी जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा, जैसे सेक्रेटरी और डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन का इसके अन्दर हाथ हो, पुस्तकों को छपवाने में इस तरह की बातें की जायं, हर साल पुस्तकें बदली जायं तो राष्ट्रीयकरण ही क्यों नहीं समाप्त किया जाय ?

दूसरी बात जैसे नक्शे की बात है, इस पर काफी चर्चा हुई है। जब चीन और भारत का झगड़ा हुआ था, उस समय अगर नक्शों के अन्दर जैसे इस समय दलील देकर कह रहे हैं कि रेस्पेक्टेबल आदमियों ने इसको देखा है और उसके बाद मिस्टेक हुई है....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर काफी चर्चा हुई है।

श्री विजयसिंह रावत : भारत की एक सेंटीमीटर भूमि न जाय, इसके लिए दो ब्रिगेड काम में आ चुके हैं, जिस इलाके को इस नक्शे के अन्दर छोड़ा है उस इलाके के लिए तो यह गंभीर मामला है। तो ये पुस्तकें जो नहीं मिल रही हैं, उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करायें।

तीसरी बात यह जो सौदेबाजी—कालाबाजारी हो रही है, उसकी जांच कराइए। शिक्षा मंत्री द्वारा जांच करा कर जो दोषी पाए जायं उनको मानक चौक चौपड़ पर खड़ा करके गधों पर बिठाया जाय तो अच्छा है क्योंकि बेसिक एजूकेशन...

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री विजयसिंह रावत : आज हमारे देश के विद्वान हैं, इस देश के निर्माण...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऐसे आदमियों को गधे पर चढ़ा दें तो शर्म नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन के लिए जितने कम्पलसरी विषय हैं उनकी भी किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं ? दूसरा क्या यह सही है कि अभी तक जो सिलेबस है, प्रास्पेक्टस है, वह भी उपलब्ध नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां : हिसाब की जो किताबें हैं, वे तैयार नहीं हुई हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हायर सेकेन्डरी की भी नहीं हैं और सिलेबस भी नहीं आया और कम्पलसरी विषयों की किताबें भी नहीं आईं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नगर परिषद् अलवर।

नगर परिषद्, अलवर की वित्तीय स्थिति पर स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य

श्री नारायणसिंह मसूदा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कुछ समय पूर्व नगर परिषद्, अलवर की वित्तीय स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। इस दयनीय स्थिति होने के निम्नांकित प्रमुख कारण हैं:—

(१) गृह-कर बकाया राशि ७,५०,००० रुपयों की वसूली न होना है।

(२) नगर परिषद् द्वारा गृह-कर की वसूली न करने का निर्णय लेने के कारण राज्य सरकार द्वारा पालिकाओं को जनसंख्या के आधार पर ५० पैसे प्रति व्यक्ति दी जाने वाली सहायता राशि न दिया जाना।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा जोर से बोलें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : (३) चुंगी दर अनुसूची में परिवर्तन करना।

चुंगी दर में परिवर्तन से पूर्व चुंगी आयातित माल पर माल की कीमत पर वसूल की जाती थी किन्तु बाद में चुंगी दर सूची में परिवर्तन कर देने के कारण चुंगी आयातित माल के वजन पर वसूल की जाती है, जिससे नगर परिषद्, अलवर को चुंगी आय में लगभग ३० प्रतिशत क्षति हो रही है। निम्नलिखित सूची में चुंगी दर अनुसूची में परिवर्तन से पूर्व एवं परिवर्तन के बाद का अन्तर प्रकट किया है:—

संशोधन से पूर्व	
१९६१-६२	६,५८,३३८
संशोधन के पश्चात्	
१९६२-६३	६,५१,४३३
१९६३-६४	६,५३,९५२
१९६४-६५	६,४६,६१६
१९६५-६६	५,८७,४१०
	३१-१-६६ (तक)
१९६६-६७	६,६०,००० (लगभग)

(२ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नगर परिषद्, अलवर का मनोरंजन कर पर आधिपत्य वापिस भुगतान न होने के कारण।

नगर परिषद् मनोरंजन कर सन् १९५३ तक लगातार वसूल करती आ रही थी किन्तु इस अवधि के पश्चात् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मनोरंजन कर की वसूली स्थगित

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

कर दी गई। राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम में प्रावधान होने के कारण परिषद् की मान्यता अनुसार परिषद् की गत तीन वर्षों की आय के आधार पर, परिषद् को राज्य सरकार से सहायता राशि प्राप्त करने का हक था और इस ही बीच में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मनोरंजन कर की वसूली करने के सम्बन्ध में स्टे ऑर्डर देने के कारण परिषद् को जो मनोरंजन कर का भाग सहायतार्थ दिया जाता वह नहीं दिया जा सका। नगर परिषद्, अलवर द्वारा कुल ४,३१,०७५ रुपये वाटर वर्क्स के निर्माण के लिये और पानी के मीटर क्रय करने में केपीटल इन्वेस्ट करने के कारण। इस सम्बन्ध में दिनांक १४-९-६७ को अलवर नगर परिषद् के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का एक शिष्ट मण्डल मुझ से मिला है और उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिससे उपरोक्त मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिये शिष्ट मण्डल के अनुरोध करने पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में लिये गये निर्णयानुसार मनोरंजन कर के सम्बन्ध में अर्थ विभाग को लिखा गया एवं स्लम क्लियरेन्स बस्ती के निर्माण सम्बन्धी निर्णयानुसार नगर आयोजना विभाग एवं वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में जन-स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा मीटिंग के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि देने का प्रश्न है, गत वर्ष तक परिषद् गृह-कर वसूल करती आ रही थी। इस कारण सहायता राशि दी जाती रही है, किन्तु इस वर्ष गृह-कर वसूल न करने के कारण राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। ज्यों ही परिषद् गृह-कर वसूल कर लेगी तो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि भी देने की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी। यह सही है कि परिषद् की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण परिषद् अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में असमर्थ रही है। किन्तु इसका उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार से राज्य सरकार पर नहीं है। परिषद् को चाहिये कि अपने दैनिक कार्यों के लिये स्वयं अपने आय के साधनों को जुटावे। ऐसे कार्यों के लिये ऋण देने का नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया था कि जो अभी नगर परिषद् अलवर में है, उसमें चेयरमेन पिछली ११ मई से परिवर्तित हुए हैं। सन् १९६१ से लेकर ११ मई, १९६७ तक अलवर नगर परिषद् कांग्रेस के अध्यक्ष के तहत चलती थी और ये सारी बातें जिनको माननीय मंत्रीजी ने उत्तर में कहा है कि वित्तीय स्थिति खराब हुई है, गृह-कर की वसूली न किया जाना, चुंगी दरों में संशोधन करना यह इस सारे दौरान में हुआ। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात की ओर मैंने संकेत किया था और माननीय मंत्रीजी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया इस दौरान में इस नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को खराब करने के लिये भूतपूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष ने तमाम नियमों को बलाये ताक रख कर न केवल इस आमदनी को जो कि परिषद् की आय की आमदनी थी, ही व्यय कर दिया बल्कि वे भी डिपोजिट्स, जो साधारणतया कोई भी ठेकेदार किसी काम के लिये अर्नेस्ट मनी जमा कराता है या बिक्री में जमीन खरीदी है २५ प्रतिशत रुपया उसका जमा कराया जाता है, वापिस भी कई बार करना होता है, इस तमाम पैसे को, जो करीब एक लाख रुपया है, पहले के अध्यक्ष ने तमाम नियमों के विरुद्ध खर्च कर दिया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका की वित्तीय स्थिति इतनी खराब होते हुए भी नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष ने एक नयी परम्परा कायम की। आज तक जितने भी अध्यक्ष थे अलवर में, वे अवैतनिक थे। यह अध्यक्ष लखपति होते हुए भी इन्होंने पिछले छः वर्ष का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तमाम वेतन करीब ६ हजार रुपया एकदम से विथड्रॉ कर लिया और ऐसी वित्तीय स्थिति होते हुए भी राज्य सरकार ने उनको ऐसा करने के लिये स्वीकृति दे दी।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर शहर में एक पुराने कटले में एक अस्पताल चलता है, जिसकी नगर परिषद् ने ३०) रुपया किराया देने की जिम्मेदारी ली थी। नगर परिषद् ने ३०) रुपया किराया अदा नहीं किया और अदालत में डिक्री हो गई और नीलाम इजा होने वाली है। अस्पताल उखड़ने वाला है। अस्पताल का किराया देना नहीं चाहती। नगर परिषद् का कमिटमेन्ट है, अस्पताल चाहे उजड़ जाय लेकिन ३०) रु० किराया जमा नहीं कराया। उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक चिकित्सालय नया खोल दिया, उसके लिये २५०) रु० माहवार का प्रावधान कर दिया गया और सरकार की ओर से स्पेशल स्वीकृति दे दी गई जबकि कई वर्षों से चलने वाला एलोपैथी का अस्पताल ३०) रु० किराया का नहीं चुका सकने के कारण उखड़ने वाला है। वहां से डॉक्टर साहब का स्टेथिस्कोप नीलाम होगा, कुर्सियां और दरी नीलाम होंगी और बेइज्जती करके निकाल दिया जावेगा।

इस प्रकार की परिस्थिति जो नगरपालिका की पिछले पांच-छः वर्षों से चली आ रही थी इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को पूरी तरीके से उसकी जानकारी होते हुए भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ६१ से पहले विरोधियों के अध्यक्ष थे श्री रामचन्द्रजी उपाध्याय। उनका काम अच्छा होते हुये भी उनको हटाया गया और उनके हटते ही उनके खिलाफ इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के आदेश दिये और जो भूतपूर्व अध्यक्ष ११ मई से पहले श्री रामजीलालजी थे उन्होंने जो यह वित्तीय स्थिति नगर परिषद् की करदी बावजूद इन सबके उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

अलवर जिलाधीश ने १३ मार्च, ६१ को निरीक्षण किया था। नगरपालिका की इन बातों की ओर संकेत किया। राज्य सरकार को वित्तीय स्थिति की जानकारी दी उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने पुराने अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी का यह कहना कि अलवर नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति खराब होने में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है यह सरासर गलत है। राज्य सरकार की परोक्ष रूप से नहीं तो अपरोक्ष रूप से, उस पर आप चाहे आंखें मीच लें, अनियमित कार्यों की स्वीकृति दे दें, उनको रोकने की कोशिश नहीं की, उनके खिलाफ इन्क्वायरी नहीं की, इसकी जिम्मेदारी आपकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर नगर परिषद् के दूसरे महानुभाव जिन्होंने अध्यक्षता सम्भाली है जो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, जिनको तमाम दलों, कांग्रेस, जनसंघ, साम्यवादी, समाजवादी, सबका समर्थन प्राप्त है, ३२ नगर परिषद् के सदस्य हैं उनमें से २९ सदस्यों के समर्थन

Page No. 90

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से वे चुनकर आये हैं जबकि वहां पर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या २० है। इसलिए वे एक निर्दलीय व्यक्ति हैं। ११ मई को उन्होंने चार्ज सम्भाला है, उपाध्यक्ष महोदय! और पिछले छः वर्षों से जिस नाजायज तरीके से उन अध्यक्ष महोदय ने इस नगरपालिका का बिल्कुल बण्टाढार कर दिया और अब सरकार उम्मीद करती है कि ११ मई के बाद ज्यों ही नये अध्यक्ष आए हैं, वे अल्लादीन के चिराग की तरह सारी वित्तीय स्थिति का सुधार कर लें। जो प्रतिवेदन राजस्थान सरकार को दिया गया है उसके अन्दर भी उस नगर परिषद् ने यह निर्णय लिया है और बहुत बोल्डली यह निर्णय लिया है कि हम इस साल से, जब से हमने कार्य भार सम्भाला है सन् ६७ से हम गृह-कर की वसूली करेंगे। कांग्रेसी इस बात में झिझकते रहे। उन्होंने यह निर्णय किया कि हम गृह-कर की वसूली यह जो चालू वर्ष है, इससे वसूली शुरु करेंगे। लेकिन उसमें समय लग सकता है। असेसमेंट करने में और किन्हीं बातों को रिवाइज करने की जरूरत होती है, कुछ और बातें करना जरूरी हो सकता है और उसमें ४–५ महीने का समय लगेगा। इसी तरह से ऑक्ट्राय के रेशनैलाइजेशन की जरूरत है। इनमें, उपाध्यक्ष महोदय, कोई संशय की बात नहीं है कि वहां पर जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के तो उन्होंने यह किया वहां लकड़ी पर चुंगी भी वही भाव है, वहां पर जो खद्दर आता है उस पर भी उतनी ही चुंगी लेंगे और टैरीलिन पर चुंगी लेंगे तो यह भी उसी भाव से। वहां पर तोल के हिसाब से चुंगी लगती है। तो बड़े वर्ग के बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुँचाने की उनकी नीति थी और इसी दृष्टि से उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल किया था। यह नयी नगर परिषद् इस बात पर विचार कर रही है कि इसका रेशनेलाइजेशन किया जाय। इस तरीके से रेशनेलाइजेशन किया जाय कि जिससे गरीब लोगों पर ज्यादा भार नहीं पड़े और जो तबका ज्यादा सक्षम है, जो ज्यादा भार उठा सकता है, उन लोगों पर ज्यादा ऑक्ट्राय लगा दी जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके के नियम हैं, प्रोसीजर हैं उनमें एक महीने का नोटिस देना पड़ता है। गवर्नमेंट की स्वीकृति देनी पड़ती है तो इसमें भी समय लगेगा लेकिन उन्होंने इस तरह से रेशने-लाइजेशन किया है और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह आता है, उनके सामने फौरन यह सवाल उपस्थित हो गया है और कलेक्टर महोदय ने खुद ने कहा कि रोकड़ पोते बाकी केवल सात हजार रुपये हैं और ७२ हजार रुपये महीना लोगों को वेतन वगैरह का चुकारा करने के लिए चाहिए। इस समय वहां पर यह हालत है कि १५-१५) रुपये के पेमेंट लोगों के करने हैं, ३५ हजार रुपये का पेमेंट तो ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें किसी को सौ रुपये; किसी को दो सौ रुपये देने हैं तो किसी को तीन सौ रुपये देने हैं। ये तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान सरकार की एक डिस्क्रिमिनेटरी नीति होगी कि आप पहले जो अध्यक्ष महोदय कानून के खिलाफ जिस तरह से चलते रहे, उनको आप शह देते रहे जब कि उन्होंने नगर परिषद् के सारे हालातों को खराब कर दिया और अब नये अध्यक्ष आये हैं जो सीरियसली इस संस्था को चलाना चाहते हैं और सीरियसली उन्होंने इसमें कई कदम उठाये हैं और आपके सामने रचनात्मक सुझाव रखे हैं, आपसे कोई कर्ज वैसे ही नहीं मांग रहे हैं, इसके लिए उन्होंने अपने सुझाव आपके सामने रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बोर्ड ने, जिसमें इतनी खामियां थीं, राजस्थान सरकार से अपनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आमदनी के शेयर के लिये फाइट आउट नहीं कर सकी और जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा है कि वाटर वर्क्स में ४ लाख १६ हजार के करीब केपिटल इन्वेस्टमेन्ट अलवर नगर परिषद् का है और यूनिलेटर्ली राजस्थान गवर्नमेंट ने उस वाटर वर्क्स को अपने हाथ में ले लिया तो उनकी लीगल रेस्पोंसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट वह पैसा तो कम से कम लौटाये जो अलवर नगर परिषद् ने उसके अन्दर इन्वेस्ट किया था। तो ४ लाख १६ हजार उन्हें प्राप्त करना है....

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने सुझाव दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस पर ही मैं आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

तो पहली बात तो यह कि गवर्नमेंट को ४ लाख १६ हजार रुपये तो इसके दे देना चाहिए। दूसरा आपने खुद ने माना है कि मनोरंजन-कर अलवर नगर परिषद् वसूल करता था। यह एक एक्सीडेंट की बात है कि जो आपने तीन वर्ष तक डेमुएशन में रखा और उन दिनों में स्टे ऑर्डर आ गया। अलवर नगर परिषद् का यह एक डिस्गस्टिव केस है और अलवर नगर परिषद् को इसका रुपया नहीं मिला है जो ५६ से पहले मनोरंजन कर वसूल करती थी। अलवर के साथ ...

श्री मूलचन्द डागा : There are other instances also.

श्री रामानन्द अग्रवाल: उनको भी दिया जा रहा है, मेरी जानकारी है कि उन सबको दिया जा रहा है और अगर नहीं दिया जाता है और इस तरह का आइडेन्टिकल केस है तो उनको भी दिया जाय, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस तरह से ५ लाख रुपया अलवर नगर परिषद् का मनोरंजन कर के रूप में होता है, वह आपको देना चाहिये और फिर यू. आई. टी. का एरिया है, जिसमें भी नगर परिषद् खर्चा करती है। अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट के अनुसार जो कि खर्चा यू. आई. टी. को करना चाहिए वह भी अलवर नगर परिषद् करती है और अलवर नगर परिषद् ने उसका हिसाब बना कर भेजा है जिसमें करीब चार लाख रुपया लेना है। गवर्नमेंट को वह रुपया यू. आई. टी. से दिलवाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से कुल मिलाकर करीब १३ लाख रुपया अलवर नगर परिषद् को स्टेट गवर्नमेंट से और यू. आई. टी. से लेना है। उसके अगेंस्ट अलवर नगर परिषद् ने जो मोस्ट रीजनेबल मांग रखी है सरकार के सामने कि इमीजियेटली आप पांच लाख रुपया हमें एडहॉक रूप में दे दीजिये और आप इन बातों का फैसला करते रहिये ताकि हम इमीजियेटली वेतन वगैरह चुका सकें और नगर परिषद् का साधारण काम चला सकें। चार-पांच महीने इस तरह से काम चल जायेगा, फिर गृह-कर से ज्यादा आमदनी आनी शुरू हो जायेगी और ऑक्ट्राय की आमदनी भी बढ़ सकेगी और फिर सामान्य तौर पर काम चलने लगेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट रीजनल एटीट्यूड ले और गवर्नमेंट पांच लाख रुपया अलवर नगर परिषद् को एडहॉक रूप में दे दे और फिर आप उसको एडजस्ट कर लें, वाटर वर्क्स को ड्यूज के अगेंस्ट, मनोरंजन कर के पैसे और यू. आई. टी. की ड्यूज के अगेंस्ट में। बाकी आठ लाख रुपया रहता है उसके लिए आप फैसला कीजिये,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक महीने में कीजिये, दो महीने में कीजिये लेकिन उससे पहले अलवर नगर परिषद् को पांच लाख रुपया दे दीजिये ताकि उसका रोजमर्रा का काम तो चल सके।

दूसरे नम्बर की बात यह है कि अलवर नगर परिषद् की जो वित्तीय स्थिति बिगाड़ी है, नगर परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष रामजीलाल आर्य ने, उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जानी चाहिए, वे जो जिम्मेदार हैं इस तरह से पब्लिक फण्ड का मिसयूज करने के लिए और जिस तरह की स्थिति उन्होंने खड़ी कर दी है उसके लिए उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जानी चाहिए और जो भी उचित कार्यवाही हो वह कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : किसी भी नगर-पालिका की स्थिति का पता तो इस बात से चलता है कि उसका हाउस टैक्स में कितना बकाया है और ऑक्ट्राय में कितना बकाया है। इन दोनों आइटम्स से ही पता लग सकता है कि म्युनिसिपैलिटी की हालत कैसी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यही तो कहना है कि पिछली नगर परिषद् के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के उन्होंने अपने इलेक्टोरल इन्ट्रेस्ट को एडजस्ट करने की दृष्टि से, उनके बीच में दो चुनाव आये, एक सन् ६२ का और दूसरा सन् ६७ का और इसमें उन्होंने अपने पोलिटिकल एडवांटेज के लिये नगर परिषद् की आय के अन्दर लाएतलालो को, उन्होंने गृह-कर वसूल नहीं किया और इस तरह से नगर परिषद् की हालत यह हो गई। अब आप उनके पापों को नयों से धुलवाना चाहते हैं। आप उनके साथ तो रियायत कर रहे हैं और नयों से चाहते हैं कि वे एकदम से सब कुछ ठीक कर लें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अलवर से आने वाले ने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसका आशय यही था कि वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लाईज हैं जिनमें क्लर्क्स और दूसरे क्लास फोर्थ वगैरह के हैं उनकी तनख्वाह का चुकारा किस प्रकार से होगा इस बात की चिन्ता थी। नगर परिषद् की जो आर्थिक स्थिति है उसे वह स्वयं भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं और राजस्थान सरकार के कान्नीजेन्स के अन्दर वस्तुस्थिति है वह आर्थिक स्थिति से ही सम्बन्धित है और वही मैंने पेश की है। कौनसी पार्टी ने, कौनसे चेयरमैन ने किस समय क्या-क्या किस प्रकार से किया, उसका मैंने इसमें ध्यान नहीं रखा है। आज की जो स्थिति है वही मैंने आपके सम्मुख पेश की है और जो प्रतिनिधि मण्डल आया था और हमने मीटिंग की थी उसमें भी हमने इन्हीं मुद्दों पर विचार किया था जिन पर कि खास तौर से माननीय रामानन्दजी ने प्रकाश डाला है। वाटर वर्क्स की रकम बकाया है, मनोरञ्जन कर जो ५३ से पहले तक नगर परिषद् ले रही थी और बाद में हाई कोर्ट का स्टे करने के कारण रोक दिया गया और दूसरों को उसके बराबर रकम मिल गई और उन्हें नहीं मिली तो वह रकम भी है और उस रकम का पूरा उल्लेख नहीं है, वह भी हमारे ध्यान में है, और यू० आई० टी० को प्लॉट्स बेचे उनकी रकम है इन सब बातों पर, इनमें किस प्रकार के फाइनेन्शियल अस्पेक्ट्स हैं, वाटर वर्क्स की रकम है, उसके बारे में भी, मनोरंजन कर की कितनी रकम बनती है और उस बारे में वित्त विभाग की क्या राय है और दूसरे यू० आई० टी० की जमीन या जमीन का डवलपमेण्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने भी किया है उसके ऊपर एक प्रश्न यह आता है कि वह

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

नजूल लैण्ड थी और लैण्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत नगरपालिका को सब्सिडी कितनी मिलती है उससे डवलपमेंट भी उन्होंने किया है तो यू० आई० टी० ऐसा जबर्दस्त विभाग नहीं होगा कि जमीन किसी एक के पास से दूसरे के पास स्थानान्तरित हुई हो। वह जमीन तो नजूल लैण्ड है और एक के तहत से दूसरे के तहत जाने का प्रश्न भले ही हो, लेकिन उसके हस्तान्तरण का प्रश्न नहीं आता। ये सब बातें हैं और इन्हीं सबको सोचने के लिए वित्त विभाग से राय लेने का प्रश्न उठता है ।

अब मैं मानता हूं कि इस समय जो उनका आर्थिक संकट है उसको हल किया जाय। जिस तरह से माननीय सदस्य ने बताया कि ३४-३५ हजार के कुछ और बिल हैं और ७२ हजार की सैलेरी वगैरह देना है, मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सब्सिडी, मैंने पहले निवेदन किया अपने वक्तव्य में रोक दी गई थी, वह इसलिए रोकी गई थी कि गृह-कर नहीं लगाया था। आज भी गृह-कर लगाने को तैयार होते हैं और वह स्थिति तो होगी ही और अन्डरटेकिंग जिस प्रकार की देंगे तो सब्सिडी को रकम में से भी ठीक किया जा सकता है और वह रकम मुमकिन हो कि ५०-६० हजार बने और अभी माननीय सदस्य ने बताया कि ३५ हजार के कुछ बिल हैं और ७२ हजार सेलेरी के हैं तो यह भी पूरी चुकेगी या नहीं यह प्रश्न उठता है। फिर भी वह समस्या इसी प्रकार रह जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न स्तरों पर हमने एक जनतान्त्रिक व्यवस्था बना रखी है और जनतान्त्रिक व्यवस्था के अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए जितने टैक्स लगाने चाहिएं, जिस प्रकार से जो कुछ करना चाहिए, जिस प्रकार से उचित ढंग से साधन उपलब्ध कराने चाहियें उन साधनों को उपलब्ध कराके और अपने-अपने स्थान पर वह किया करें, यह उनकी बात रह जाती है।

अब यदि स्थान-स्थान पर हाउस टैक्स और दूसरे टैक्स माफ कर दिये जायं, मैं यह नहीं कहता कि यह स्थिति आज की है या पहले की है, और उससे कुछ वस्तुस्थिति इस प्रकार की बन जाय कि जिसमें कि तनख्वाह नहीं चुके इसलिए ऐसे प्रश्न आये जैसे कि इस बारे में कई जगहों से आये हैं तो इस म्युनिसिपल कमेटी का ही प्रश्न नहीं रहता है। अगर इस म्युनिसिपैलिटी के बारे में निर्णय लेना होता है तो उन सारी म्युनिसिपैलिटीज़ को ध्यान में रखना होगा और अन्ततोगत्वा पॉलिसी को इन जनरल सोचना होगा कि हमें इसको किस तरह से डील करना चाहिए। अगर यह विलम्ब होता है तो विलम्ब का भी एक कारण है। फिर भी मैं इस विषय में पूर्णतया जागरुक हूं और सरकार जागरुक है और प्रयत्न कर रही है कि इस तरह से इस केस की सम्हाल की जाय कि जिससे वे चुकारा कर सकें। लेकिन एकदम जो कुछ स्थिति बिगड़ी है उस स्थिति की जिम्मेवारी जिस पर भी हो आज तो...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो उसकी जांच की मांग कर रहा हूं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जिम्मेवारी किसी पर हो The successor is to reap the harvest. I have also to reap the harvest.

तो वह तो है ही। वस्तुस्थिति से अलग नहीं हट सकते। अगर ऐसी वस्तुस्थिति थी तो चुनाव में जो खड़े होते हैं उस

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

वक्त में खड़े नहीं हों। अगर किसी चीज का भार उठाना है, कर्जदार के घर में अधिकृत होते हैं तो कर्जदारी चुकाने की बात भी सोचते हैं। मैं नहीं कहता कि यह दोषी हैं या वे दोषी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें भी वही संकट है। आज वस्तुस्थिति यह लाकर रख दी जगह-जगह पर और दूसरी तरफ से। परन्तु इस विशेष नगरपालिका में यह स्थिति बनी तो उसको सबको पूरी तरह से विचार करेंगे। हम कुछ अनुदान, कुछ राशि का विचार कर सकते हैं मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने वक्तव्य में इस तरह की बात को कह दिया है और माननीय सदस्य इस बातको मानेंगे।

अब रहा सवाल कि आया उनके खिलाफ क्या इन्क्वायरी हो, मैं समझता हूं कि किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनन इन्क्वायरी होने की है तो वह जरूर होगी। उसमें कोई बात नहीं। परन्तु आज जो स्थिति है उन पर कार्यवाही होने से स्थिति सुधर जाने की हो, ऐसी बात नहीं है। इनकी तनख्वाह चुकाना है, उसी की चिन्ता माननीय सदस्य को है, उसी की चिन्ता हमको सरकार को है और उसको चिन्ता हर एक को हो सकती है, और उसी चिन्ता से अब मुक्त होना चाहते हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि इन्क्वायरी तिरोहित हो। वह हमारे ध्यानान्तर्गत है। वह इन्क्वायरी भी कराना अगर कानूनन आवश्यक होगा तो होगी, परन्तु सबसे बड़ा मसला तो यह है कि उनकी तनख्वाह चुकाई जाय। वस्तुस्थिति यह है कि किसी तरह से कन्धे लगा कर उसको थामा जाय और उसी के साथ-साथ सारे राजस्थान की प्रमुख समस्या है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर इन सब बातों को मद्देनजर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारे राजस्थान से यह प्रश्न नहीं जुड़ा है। सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं क्लेम अपना मांग रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपका भी जो क्लेम है वह कहां तक वाजिब है? मैं वाजिब और नावाजिब की बात नहीं करना चाहता हूं। यह जरूरी है कोई भी आदमी उनकी तनख्वाह चुकाये, इस तरह का दायित्व किसी भी जनतान्त्रिक व्यवस्था पर हो, और सरकार का सबसे ज्यादा है। यह हम नहीं कह सकते कि उनकी तनख्वाह चुके ही नहीं और हम आंख मीच कर बैठ जायं, वह दायित्व के प्रति न्यूनता है। किसी का भी दोष हो, सरकार पर तो आता ही है। लेकिन जो उसके अन्दर दिक्कत है वह मैंने आपसे अर्ज की। लेकिन जो क्लेम की बात की जाय, चाहे माननीय सदस्य ने अपने स्थगन-प्रस्ताव में ९ लाख की राशि निकाली हो, वह हो सकती है, क्लेम का किस प्रकार से स्क्रीनिंग करें वह वित्त विभाग का काम है, बहस और तकरीर की बात है, ऐसी बात है कि क्लेम किस तरह से बनता है। राज्य सरकार कह देती है कि इन्होंने ६४ हजार स्लम्प क्लीयरेन्स का दिया था उसका मिसयूज किया, ऐसा हुआ है, इत्यादि-इत्यादि वह हम गिनाते हैं, अमुक-अमुक प्रश्न का है तो जब तक वित्त विभाग द्वारा स्क्रीनिंग नहीं हो वह समस्या हल नहीं हो सकती है और जिस तरह से माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उस वक्त तक हम ठहरते हैं तो जो समस्या तनख्वाह देने या न देने के कारण उत्पन्न हुई है वह बड़ी विकट होती चली जा रही है, इसलिए जो सब्सिडी देने की बात है वह इसीलिए है कि वस्तुस्थिति को सम्हालें और उसको किस प्रकार से हल किया जाय। मैंने अपने विचार व्यक्त किये, और यही प्रार्थना है कि राज्य सरकार को

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

मन्शा है कि इस चीज को सम्हालकर जो भी अनियमितता या जो भी गड़बड़ किसी ने की है और अनियमितता किसी तरह की हो उसको साफ किया जाय।

इसके साथ-साथ यह भी है कि सुपरसीड करने की बात है, लेकिन सुपरसीड करना, एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर करना भी आवश्यक हो तो होता है। जहां तक हो सके मैं तो समझता हूं कि इस जनतन्त्रीय व्यवस्था में हमको यह एलाउन्स देना ही चाहिए कि जो जनता के चुने हुए व्यक्ति आये हैं और जिस प्रकार आपने कहा कि उनका कोई दोष नहीं, उन्हीं के ऊपर भार रहा और उन्हीं के मार्फत उसको हल किया जाय। आज अगर सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे तो वस्तुस्थिति हल नहीं हो जायगी। स्थिति तो वही की वही रहेगी। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब मुद्दों पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि हम शीघ्रातिशीघ्र इसका कुछ न कुछ हल निकाल सकेंगे।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न मंत्री महोदय से करना चाहता हूं। यह कहते हैं कि सन् ५२ तक मनोरंजन कर म्युनिसिपल कौन्सिल वसूल करती थी, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्राइवेट पार्टी हाई कोर्ट में गई और वह अभी तक मामला इसीलिए नहीं बैठा कि एन्टरटैनमेंट का जो एक्ट है उसमें म्युनिसिपल कौन्सिल को ऐसा कर वसूल करने का अधिकार का कोई प्रोवीजन नहीं है। मैं राजस्थान सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो एन्टरटैनमेंट टैक्स एक्ट है, उसमें इस प्रकार का अगर प्रोवीजन कर दिया जाता है कि म्युनिसिपल कौंसिल्स एन्टरटेनमेंट टैक्स को वसूल कर सकें तो हाई कोर्ट में इस मामले का जल्दी से जल्दी निराकरण हो सके। आप कहेंगे कि दूसरी जगह पर म्युनिसिपल कौंसिल क्यों एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल करती है? वहां यह स्थिति हो सकती है कि कोई प्राइवेट पार्टी उस वसूली के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं गई हो। मैं इसमें भी थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय-समय पर यह प्रश्न म्युनिसिपल कौंसिल के द्वारा राज्य सरकार के सामने रखा गया है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल करने का हक उनको दिया जाय और कोई ऐसा अमेंडमेंट कानून के अन्दर सरकार को करना चाहिए। वैसे तो बहुत पहले राज्य सरकार को उस एक्ट में अमेंडमेंट कर देना चाहिए था। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी इस प्रकार का अमेंडमेंट उस एक्ट में कर दिया जाय ताकि म्युनिसिपल कौन्सिल्स हैं राजस्थान के अन्दर वे सब एन्टरटेनमेंट टैक्स को लीगली वसूल कर सकें। मैं समझता हूं कि यद्यपि यह ज्यादा अर्से की बात नहीं है, एक महीने के अन्दर, दो महीने के अन्दर इस प्रकार का अमेंडमेंट आता है, जैसी भी आपकी सहूलियत हो, तो जो एन्टरटेनमेंट टैक्स की रकम बकाया है, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख को – मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि जब इस एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट करें तो उसमें इस बात का हवाला भी दें कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा जिस तारीख से, १९५३ से लागू किया गया है, उस तारीख जो एरिअर हैं, उस तारीख से उनको वसूल करने का अलवर नगर परिषद् को अधिकार होगा। इससे दो-दो तीन-तीन महीने में वित्तीय स्थिति उसकी खराब हो गई है, उसको ठीक करने में नगर परिषद् को मदद मिलेगी। मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव !

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसका उत्तर आ जाय !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका उतर तो आना चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी (उप-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री कुछ देरी से आयेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! स्वायत्त शासन मंत्री कुछ जवाब देंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य श्री शोभारामजी ने सुझाव रखा है कि एन्टर-टेनमेंट टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। सरकार इस बात पर विचार कर सकती है लेकिन आज कौनसी एजेंसी उस कर को वसूल करे—यह एजेन्सी का प्रश्न नहीं है। यह ठीक है कि अलवर नगर परिषद् की एक विशेष परिस्थिति है इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर उसका क्लेम बनवा दिया जाय, ताकि वह क्लेम के आधार पर उसको दिया जा सके, जो आज अनिश्चित अवस्था में है। लेकिन सारी स्थितियों का अवलोकन करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टैक्सेशन को सेन्ट्रलाइज किया जाय या टैक्सेशन के रियलाइजेशन में जिस तरह का डिसैन्ट्रलाइजेशन है, जिस तरह वह दूसरी-दूसरी संस्थाओं के पास है–उसी प्रकार रखा जाय। आज जो छोटी जनतंत्रीय संस्थाएं हैं, वे अपनी जिम्मेदारी में कुछ हिचकिचाती हैं, क्योंकि जो स्थानीय वातावरण है, उससे इमीजियेट टच में वे हैं, इस कारण से हिचकिचाती हैं कि साइकल टैक्स कैसे लें, जो मेण्डेटरी टैक्स हैं, दूसरी तरह के, वह कैसे लें। तो उसमें राज्य सरकार को आना पड़ेगा और राज्य सरकार ने एन्टरटेनमेंट टैक्स को लिया है तो उस कारण ही लिया है। वह आज सेन्ट्रलाइज एजेंसी बन गई है। इसी प्रकार विचार किया जा सकता है कि क्या ऑक्ट्राय को सेन्ट्रलाइज रखा जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप थ्योरी में चले गये। बहुत बड़ी थ्योरी में चले गये। यह अलवर नगर परिषद् का सवाल है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अलवर नगर परिषद् का है, मैं मानता हूं लेकिन टैक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने का प्रश्न आता है तो इतने सारे प्रश्न उसके साथ लगे हुए हैं। ऑक्ट्राय के सामान्यीकरण का प्रश्न है और दूसरे टैक्स सेन्ट्रलाइज किस तरह से किये जायं। ये सारे प्रश्न उसकी भूमिका में हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमेंडमेंट बहुत छोटे से की जरूरत थी। आपने १९५०-५१ से ६७ के लिए किया है, उसके अलावा प्रीविअसली वसूल कर रहे हैं वह भी उसको दिया जाय। That is all.

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं सुझाव को मानता हूं। I can move it लेकिन इस एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट में क्या अमेंडमेंट चाहिए उसके लिए सुझाव दें माननीय सदस्य। मंत्री के नाते मैं काम्पीटेंट नहीं हूं कि मैं इस सुझाव को दूं। मैं आपका सुझाव मान्य करता हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मूव कर दीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं यह इंगित करना चाहता हूं What do you prefer to have a centralised taxation or the realisation as they have been continuing since long.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This question is irrelevant.

श्री शोभाराम : It is the function of the Government to take a decision.

सांसरपुर पाल में अकाल राहत कार्य सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह !

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्रीजी थोड़ी देर में आने वाले हैं........

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो आज का कार्यक्रम है वह होगा नहीं।

श्री गंगाराम चौधरी : इसलिए इस प्रश्न को आज अन्त के आध घन्टे में ले लिया जाय। राजस्व मन्त्रीजी एक मीटिंग में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : किस वक्त लिया जाय ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह प्रश्न जो राजस्व मन्त्रीजी से सम्बन्धित है, अगर विरोधी दल के माननीय नेता महोदय की तरफ से इजाजत हो तो आज की कार्यवाही के अन्त के आधे घन्टे में ले लीजिये। राजस्व मन्त्रीजी आने वाले हैं।

श्री शंकरलाल : कल ले लिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज तो सात बजे तक चलेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था देंगे वह ठीक है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं विचार तो व्यक्त करना चाहूंगा। यह मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बारह जून का टेबल किया हुआ है और आज के कार्यक्रम में मैं आशा रखता था कि न्यायोचित व्यवस्था तो यह होती कि मेरा पुराना प्रस्ताव था उसको प्रिफरेन्स दिया जाय, उसकी जगह अगर मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि इसको सबसे आखिर में ले लिया जाय तो मुझे तो व्यक्तिगत कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आसन की ओर से जो व्यवस्था दी गई, इस सम्बन्ध में मेरी तो सबके प्रति सद्भावना है लेकिन एक ही दल को सबसे अधिक प्राथमिकता दें और उनके ही सबसे पहले प्रश्न रख दिये जायं और मेरे........

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह व्यवस्था गड़बड़ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे दल को आखिर में रखा जाय इसको तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। जो भी व्यवस्था की जाय, मैं तो यहां बैठा हूं, मैं तो खाने-सोने जाता नहीं। मैं यहां बैठा हूं। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय आ गये हैं इसलिए आप ध्यान आकर्षित कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बात लीडर ऑफ अपोजीशन ने ठीक कही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने ध्यान आकर्षित किया था। मैं मन्त्रियों का क्या ध्यान आकर्षित करूंगा ! मन्त्री महोदय तो शिकार खेलने के अन्दर लगे हुए हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (अकाल राहत मंत्री): महाराज ! मेरे ऊपर तो शिकार खेलने का आरोप मत लगाइये !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय तो शिकार खेलने जाते हैं और ट्रॉफी लाते हैं। कभी शूटिंग के लिए अलवर में जाते हैं और ट्रॉफी लाते हैं। कभी सवाई-माधोपुर में शिकार के लिए जाते हैं और ट्रॉफी लाते हैं। मैं मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित क्या करूं। आपके ध्यान आकर्षित करने के लिए तो दूसरे मार्ग हैं। वैसे मंत्री महोदय आ गये हैं तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किये देता हूं।

मैंने पहले बारह जून को टेबल किया था मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। एक महीने तक मैंने जानबूझ कर चुप्पी साधी इसलिए कि कोई सरकार सुनवाई करती है या नहीं, पर एक महीने तक सुनवाई नहीं की तो मैंने पुनः ध्यान आकर्षित किया। उसके परिणामस्वरूप मैं आभारी हूं कि मुझे आज मौका दिया जा रहा है लेकिन जिस परिस्थिति में मुझे आज मौका दिया जा रहा है; उस सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द निवेदन कर चुका हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने ध्यानाकर्षण किया था उस समय जो परिस्थिति थी उससे भी आज विषम परिस्थिति हो चुकी है और मेरे खयाल से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज और भी आवश्यक हो गया है बनिस्बत उसके कि जब मैंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव टेबल किया था। तारीख तीन जुलाई से आज दिन तक जहां तक मेरी जानकारी है डूंगरपुर जिले के अन्दर केवल आठ तारीख को ३५ सैन्टीमीटर बारिश हुई। मेरे सामने मेरे जिले के सम्माननीय सदस्य, कांग्रेस दल के भी विराजमान हैं, मेरे खयाल में यह निर्विवादित बात है, वह भी इस बात की ताईद करेंगे कि दिन-प्रति-दिन समस्या और भी बिगड़ती जा रही है और फसल जो है वह भी सूखती जा रही है।

जहां तक सम्बन्ध सांसरपुर पाल का है, मैं निवेदन करूं कि वहां की हालत अन्य कई क्षेत्रों के समान अच्छी नहीं है, वहां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वहां के लोगों के मवेशी मर चुके हैं, पानी का भी अभाव है, बीज का भी अभाव है। मवेशी जब मर चुके हैं, आज की परिस्थिति को देखते हुए बैलों का मिलना बड़ा मुश्किल है। बीज के बारे में यही परिस्थिति रही तो बहुतसी जमीन खड़त नहीं हो सकेगी, पड़त रह जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सारे जिले को ही अकालग्रस्त घोषित करें, नहीं तो आपकी तरफ से तरह-तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उनसे मुझे संतोष नहीं है। एक क्षेत्र कटारा नाम का क्षेत्र है, वह छोटासा क्षेत्र है, १० मील लम्बा चार-पांच मील चौड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति विशेष महत्व रखती है। उसके तीन तरफ नदियां हैं। सोम नदी, माही और जाकम है, उस क्षेत्र में जंगल भी है, चारा भी है। उस क्षेत्र में कुछ मक्का भी पकी थी और कुछ चना भी हुआ था लेकिन उस क्षेत्र को चुनावों से पहले १५ जनवरी को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया और वहां पर राहत कार्य खोले गये। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता कि किस सम्बन्ध में और क्यों किया गया। यह निश्चित रूप से चुनावों को लेकर किया गया, एक-एक दिन में हजारों रुपया खर्च किया गया, बच्चों की हाजरी भरी गई, जो लोग वहां पर काम नहीं करते थे उनकी हाजरी भर कर उजरत दी गई। जो क्षेत्र अकालग्रस्त नहीं उनको चुनावों से पहले १५ जनवरी के पहले अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं और जो क्षेत्र अकालग्रस्त हैं, उनके प्रति उपेक्षा वृत्ति अपनाते हैं—यह अन्यायपूर्ण है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरा निवेदन करना है, खास तौर से मैंने बार-बार निवेदन किया है कि आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि जो राहत कार्यों में उजरत दी जाती है वह अपर्याप्त है। एक रुपया आदमी को, १४ आना औरत को और १२ आना बच्चे को देते हैं। यह अपर्याप्त है। और आज की विषम परिस्थिति को देखते हुए खाद्यान्नों के बारे में निवेदन करूंगा कि जहां मजदूरी दें वहां सस्ते अनाज की दुकानें पांच-छः मील के अन्दर-अन्दर रखने की व्यवस्था करें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि काम खोलने को तो सरकारी कर्मचारी, पी० डब्ल्यू० डी० के कह देते हैं कि काम खोल दिया गया पर मस्टर रोल फॉर्म्स नहीं देते हैं। मस्टर रोल फॉर्म्स नहीं देते हैं तो हाथ से मस्टर रोल फार्म्स बनाकर लोग हाजरी भरते हैं। हाथ से बने मस्टर रोल फॉर्म्स हैं और हाजरी के चुकारे का प्रश्न पैदा होता है तो सरकार कहती है और खास तौर से पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के लोग कहते मजदूरी नहीं चुकाई जा सकती क्योंकि हाथ के बनाये मस्टर रोल फॉर्म्स है। छपे हुए मस्टर रोल फॉर्म्स देने का काम सरकार का है। छपे हुए मस्टर रोल फार्म्स नहीं देकर, मजदूरी कराके काम करवा लेने के बाद हाथ के बने हुए मस्टर रोल फार्म्स को मान्यता नहीं देकर हजारों रुपया मजदूरी का नहीं चुकाते, मेरे खयाल से यह अन्याय की पराकाष्ठा है। आज कई जगह हैं डूंगरपुर जिले में जहां मैंने ऐसे मस्टर रोल फॉर्म्स ले जाकर पी० डब्ल्यू० डी० वालों को और कलेक्टर को बता कर पेमेन्ट करवाया है। पेमेन्ट छाती पर बैठ कर करने का कहें तो कर दें, कोई नहीं कहे तो पेमेन्ट नहीं करें, आपा-धापी करना, हजारों रुपया इन गरीबों की मजदूरी का खा जाना उन बेचारे गरीबों का जिनके पास वस्त्र नहीं हैं, उनकी यह दुर्दशा है कि छाल खाते हैं उबाल-उबाल कर, हमारे यहां कुवाड़िया पैदा होता है, उसको उबाल-उबालकर खाते हैं। ऐसी स्थिति में मौकेसर उजरत नहीं देते तो यह अन्याय की पराकाष्ठा है। मैंने बार-बार ध्यान आकर्षित किया कि हर महीने की पहली तारीख को, १० तारीख को और २० तारीख को इन मजदूरों को उजरत देनी चाहिये, यह क्यों नहीं करते हैं ? एडमिनिस्ट्रेशन का यह तो सीधा-सादा तरीका है। मैं बार-बार कहता आया हूं और कहता हूं कि आपको समय पर उजरत चुकानी चाहिये। अभी शिकायतें हैं कि उजरत नहीं दी गई है। उनको उजरत नहीं दी तो वे लोग मक्का का बीज कहां से लावेंगे ? बोवाई कहां से करेंगे ?

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपकी यह व्यवस्था बिलकुल भ्रष्ट व्यवस्था है। सरकार का पैसा और कांग्रेस का प्रचार। कोई भी विरोधी पक्ष इसका मुकाबला नहीं करता। मेट भी कहां के ? उदयपुर के, जहां शहर है, सुखाड़ियाजी का खास निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से डूंगरपुर में आकर मेट बनते हैं। डूंगरपुर की जनता को अधिकार नहीं है मेट बनने का। डूंगरपुर के लोगों को मेट बनाना चाहिये पर सारे अकाल क्षेत्र हैं वहां उदयपुर के मेट हैं। "रावला घोड़ा और बावला असवार" की यह व्यवस्था खत्म करिये। वहां दोपहर में सब लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस का झंडा बीच में लगा कर कांग्रेस की जय बोलना, यह बन्द करिये।

यह अशोभनीय बात है, मैं इसका विरोध करता हूं। जय बोलानी है तो आदिवासी चांद-सूरज की जय बोल सकते हैं, गेंती-फावड़े की जय बोल सकते हैं, मजदूर संघ की जय बोल सकते हैं पर कांग्रेस की जय क्यों बोलाते हैं। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। और बहुतसारे ऐसे मामले हैं, भ्रष्टाचार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के। आपको भी सहूलियत होगी, कब तक आखिर इन भ्रष्टाचार के मामलों को आप दबाये रखेंगे ? यह एण्टी-सोशियल अपराध है। भूखों मरते लोगों को और मार कर, उनके हिस्से का धन आपा-धापी में, पक्षपात में खा जाते हैं, ऐसे लोग बरौउल जमा हो कर खाते रहें, आप सीधे से कह दीजिये कि गबन का मामला है। विजिलेंस कमीशन को देने की जरूरत नहीं। विजिलेंस कमीशन को दें तो मैं मान सकता हूं, वरना सीधा-सादा गबन का मामला है। प्रोसीक्यूशन करा कर चालान करिये। पर विजिलेंस कमीशन को नहीं देना, प्रोसीक्यूशन नहीं कराना, आपा-धापी करना, लीपा-पोती करना, यह बहुत घृणित व्यवस्था है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि डूंगरपुर जिले में राहत कार्य खोलें, मजदूरों के लिये सस्ते अनाज की व्यवस्था करें, मजदूरी समयानुसार ठीक और सही रूप से चुकाने की व्यवस्था करें।

श्री सहदेव (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप भी बोलेंगे ? जयपुर में ऐसा कोई काल नहीं है।

श्री सहदेव : जयपुर के बारे में कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डूंगरपुर के सांसरपुर के पाल के बारे में है, इसलिये जयपुर के बारे में इस समय कहना मुनासिब नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां तक कि इस प्रश्न के देरी से आने का सम्बन्ध है, मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं ..

एक माननीय सदस्य : थोड़ा जोर से बोलें साहब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मेरे पास प्रश्न के आने के बाद तुरन्त मैंने इसकी सूचना प्राप्त की और सांसरपुर की पाल के बारे में जो भी व्यवस्था करनी थी वह व्यवस्था की। सांसरपुर या सांसरपुर पंचायत की जनसंख्या २५०० है और वहां पर उस २५०० में से ९२९ व्यक्ति राहत कार्य पर लगे हुए हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब तो लगे हुए हैं पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था उस समय नहीं थे। चुनावों के बाद मजदूरों की संख्या आधी हो गई। आपको जानकारी तथ्यों पर नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : १२ जून को मेरे पास प्रश्न आया, मैंने उसी समय वायरलेस करवाया कलेक्टर डूंगरपुर को। १४ जून, ६७ को उनका जवाब आया था, जो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं :—

"Your wireless regarding Call Attention Notice by Maharawal Lakshman Singh about village Sansarpur. Total Population of Sansarpur Panchayat is 2500. 929 persons engaged in famine relief works. Details–Soil conservation 500, Khankhor Tank 364 and Rangpur Tank 65. Soil conservation already sanctioned in Pal Mahudi which is adjacent to Sansarpur is about to start. About 500 more labours will be employed on this work. No starvation due to shortage of food and fodder or unemployment. S. D. O. and Tehsildar visited this place today. Verified, no starvation or death of animal. More works may be started, if necessary."

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ज्यों ही यह प्रश्न मेरे सामने आया, मैंने वायरलेस के जरिये सूचना मंगाई। यह प्रश्न आज यहां लिया गया, मैं समझता हूं यह इसका नम्बर कुछ देरी से आया। जहां तक डूंगरपुर के फेमिन वर्क के बारे में बताया इस बात को समझना चाहिये। जहां तक फेमिन विभाग का सम्बन्ध है रकम सैंक्शन करने की जिम्मेवारी है, रकम का वक्त पर पेमेन्ट का सवाल है यह फेमिन विभाग का काम है। काम भिन्न-भिन्न एजेन्सियों द्वारा करवाये जाते हैं जैसे इर्रीगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई के लिये, सोइल कन्जरवेशन डिपार्टमेन्ट सोइल कन्जरवेशन के लिये, पी० डब्ल्यू० डी० की सार्वजनिक निर्माण के लिये इनके माध्यम से खर्च होता है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कृपया आप इन विभागों को भी जल्दी पेमेन्ट के लिये कह सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने जब पेमेन्ट का जिक्र किया फौरन आदेश देकर मैंने कहा जिनके भी पेमेन्ट बाकी हैं, उनका एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर पेमेन्ट हो जाना चाहिये और उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट पेश की जाय। इसके साथ-साथ डूंगरपुर में वर्षा होने के साथ काम को धीमा किया गया, उसमें मजदूरों की संख्या में कमी हुई है। मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार ६४ हजार मजदूर काम पर लग रहे हैं, अगर आवश्यकता हुई और बारिश में खींच आयी....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसा क्यों कहते हैं। बारिश हो यह कहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हम चाहते हैं बारिश हो और खूब हो ताकि राहत कार्य पर काम करने वाले लोग अपने-अपने घरों पर जायें। जहां तक मजदूरों का पेमेन्ट का सवाल है, वक्त पर पेमेन्ट हो इसलिये एडीशनल कमिश्नर मेहता को आन स्पोट यह देखने के लिये कहा है। मैं फिर आश्वासन दिया चाहता हूं इस प्रकार जिनकी मजदूरी बाकी है उनको देने में कोई लाएत-लाली नहीं की जा सकती। इसमें किसी के साथ रियायत नहीं बरती जायगी चाहे कोई हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सांसरपुर और पाल भी डूंगरपुर में हैं। वहां के आदिवासी लोगों की हालत को देखते हुए वहां और जितने काम हो सकते हैं, उनकी सहायता की और आवश्यकता होगी, उसमें सरकार कभी आना-कानी करने की कोशिश नहीं करेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद है।

प्राक्कलन समिति से नाम वापिस लेने सम्बन्धी सूचना

श्री उपाध्यक्ष : एक सूचना देना चाहता हूं श्री नाथूलाल और हरजीराम बुरडक ने प्राक्कलन समिति की सदस्यता से अपना नाम वापिस ले लिया है। उनको नाम वापिस लेने की अनुमति दी गई। अतः उनका नाम प्राक्कलन समिति से ले लिया गया है ऐसा माना जाय।

(२. ५४ म. प.)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को रिपोर्ट पर अग्रेतर विचार

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह !

श्री नाथूराम (बागीदौरा) : मेरा यह निवेदन है कि इस रिपोर्ट पर बहस के लिये

(श्री नाथूराम)

दो दिन का समय रखा था। कल का सारा दिन ऐसे ही निकल गया और आज सवा तीन बज चुके हैं। मेरा यह कहना है कि सबको इस पर बोलने का समय दिया जाय। किसी को ज्यादा समय मिल जाय, किसी को कम, ऐसा नहीं होना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अतः कम से कम अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्य हैं उनको तो बोलने का अवसर दिया जाय। मेरे क्षेत्र में जन-जाति के लोगों की आबादी काफी है। अतः मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अपने विचार रखना चाहूंगा।

श्री नाथूराम : मैं विरोध नहीं करता। समय ज्यादा बढ़ाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा अभी बढ़ा देते हैं। फिर बाद में और देख लिया जायगा। आसन की ओर से हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि जो भी विचारणीय विषय हैं उनकी चर्चा समय के अन्दर ही समाप्त कर दी जाय। लेकिन माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर कम रहता है, इसका परिणाम यह होता है दूसरे विचारणीय विषय रहते चले जाते हैं। अभी तो एक घंटे का समय आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद भी चर्चा समाप्त नहीं होती और सदस्यों की राय होगी तो समय और आगे बढ़ा दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन आया है, यह ६३–६४ और ६५ का प्रतिवेदन है, यह पुराना प्रतिवेदन है, इस पुराने प्रतिवेदन पर चर्चा करना कुछ हद तक अस्वाभाविक हुआ करती है। यह रिपोर्ट सारे भारतवर्ष से संबन्ध रखती है। अधिकांश रूप में इस कारण से यह इस सदन से असम्बद्ध है। लेकिन क्योंकि राजस्थान भारतवर्ष का एक अविभाज्य अंग है इसलिये राजस्थान के संबन्ध में और खास तौर से मेरे क्षेत्र के संबन्ध में सदन के सामने कुछ बातें निवेदन करूंगा।

इस प्रतिवेदन के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरी योजना में इसके लिये कुल प्रावधान समस्त भारत के लिये २११ करोड़ का रखा गया है उसमें से १८० करोड़ की धनराशि खर्च कर पाये हैं। यह मैं निवेदन करूं इस खर्चे के अन्दर पंचायत समितियों की लापरवाही के कारण पूरी की पूरी रकम भी खर्च नहीं कर पाये हैं। इस उपेक्षावृत्ति के कारण और कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण पंचायत समितियों को विशेष धन नहीं दिया गया यह खेदजनक व्यवस्था है।

भ्रष्टाचार जैसा दूसरा विभागों में है, उतना ही भ्रष्टाचार इस विभाग में भी व्याप्त है। मेरे दल के माननीय सदस्य ने समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में चर्चा की। मैं किसी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाना चाहता। समाज कल्याण विभाग में घोटाले हैं, आपा-धापी है। दो करोड़ रुपये का हिसाब जिस तरह का होना चाहिये वह नहीं रखा गया।

(३ म. प.)

राजस्थान के अन्दर कुल शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जनसंख्या ५६ लाख ६७ हजार है। इसमें से अनुसूचित जन-जाति की संख्या २३ लाख १० हजार और अनुसूचित जाति की जनसंख्या ३३ लाख ५६ हजार है। राजस्थान की समस्त जनसंख्या से अनुपात

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अगर लिया जावे तो समस्त जनसंख्या का २८ पर्सेन्ट यह हिस्सा है, तबका है। मुख्य जगह जहां पर अनुसूचित जाति बसी हुई है वे हैं अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, टोंक, गंगानगर जिले हैं। और जहां पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स अर्थात् अनुसूचित जन-जाति की घनी आबादी है, घनी बस्तियां हैं, वे हैं मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही और सवाई माधोपुर जिलों में।

इस २८ प्रतिशत जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग जो राजस्थान का है, अगर उसको हमारे साथ लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, उस अंग को विकसित नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी प्रगति अधूरी रहेगी, पंगु रहेगी और अनईक्वल डवलपमेन्ट के कारण समस्त देश का सन्तुलित विकास नहीं हो पावेगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको जितनी भी प्राथमिकता दी जाय, कम है।

आज भी पिछड़ी हुई जातियों की हालत, उपाध्यक्ष महोदय, खास करके मेरे क्षेत्र में ऐसी है कि जिसमें अत्यधिक गरीबी छाई हुई है। बहुत पिछड़े हुए दब्बू लोग हैं और अगर इस तरह से इस वेग से ३० वर्ष तक भी काम करेंगे तो विशेष महत्वपूर्ण फर्क इन जातियों में पड़ सकेगा, ऐसा अनुमान मैं नहीं लगा सकता।

स्वतन्त्रता के पश्चात् ये जातियां, मैं अनुमान करता हूं कि कांग्रेस की शक्ति की एक मुख्य स्रोत बनी हुई हैं। उनके उत्थान के हेतु सभी बहाने अगर आप करें तब मैं कहता हूं कि यह कमीशन कायम हुआ है यह भी एक बहाना मात्र है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिये, मेरे खयाल में, यह कमीशन एकमात्र अगर साधन सरकार ने बनाया है, तो मैं अतिरंजित नहीं इसे मानूंगा।

मेरे दल के कई एक सम्माननीय सदस्य मेरे दल को छोड़ कर कांग्रेस दल में जाकर सम्मिलित हो गये। मैं यह नहीं कहता कि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। किन्तु उनका यह कहना कि कांग्रेस ही केवल अनुसूचित जाति या जन-जाति का भला कर सकती है, मेरे खयाल में, यह कतई वास्तविकता से परे है। कांग्रेस संस्था एकमात्र मोनोपोली लेकर नहीं आई है।

मैं अगर इस सम्बन्ध में सदन से यह निवेदन करूं कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे अग्रणी अनुसूचित जाति के नेता थे; उनको बढ़ावा किसने दिया ? उनको विदेशों में भेज कर शिक्षा किसने दिलवाई ? एक भूतपूर्व बड़ोदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने। आज अम्बेडकर को विधान निर्मात्री परिषद् के एक वरिष्ठ नेता के रूप में हम देखें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तो यह कहने को तैयार हूं कि वह हमारे बढ़िया संविधान के निर्माताओं में से एक थे और भारतीय सरकार के वे मन्त्री भी रह चुके हैं। तो मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि .....

(३.०५ म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

अगर यह कहा जावे कि आदिवासी और हरिजनों का कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस ही भला कर सकती है तो यह कथन वास्तविकता से परे है। पर हमारे दल में आकर इतनी बड़ी संख्या में वे कांग्रेस से क्यों मिलते और फिर हमारे साथ रह कर जीतने के पश्चात् इस तरह से मनोभावना बदलती है तो मेरे खयाल से यह कोई भी प्रशंसनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। और सभी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

निःस्वार्थ व्यक्ति, पिछड़े हुए अशिक्षित लोगों को हर तरह से प्रलोभन दे करके कांग्रेस अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। कांग्रेस का केवल मात्र अब यही सिद्धान्त रह गया है कि किसी तरह ले-दे कर शासनारूढ़ बने रहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): राजा-महाराजाओं से उनका तालमेल नहीं बैठा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने नहीं सुना, आपको जो कुछ भी कहना हो कहिये, मैं तो राजा-महाराजाओं की चर्चा नहीं करता। पर कांग्रेस की मनोवृत्ति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और ह्यूमेनिटी के साथ निवेदन करना चाहता हूं। सम्माननीय भीखाभाई मेरे सामने आ रहे हैं, श्री भीखाभाई को भी आगे लाने वाला शायद कोई भूतपूर्व राजा था और उनको भी शिक्षा दिलाने में उसका हाथ है। सम्माननीय सदस्य उधर बैठे हैं उनमें से भी शायद किसी एम. एल. ए. को ग्रेजुएट बनाने का और आगे बढ़ाने का श्रेय किसी एक भूतपूर्व राजा को होगा। उसमें भी किसी राजा का हाथ होगा। और माननीय मुख्य मन्त्री....

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप एक का तो बता दें। राजा-महाराजाओं ने पढ़ा-लिखा कर होशियार किया तो यह उनका कर्त्तव्य था। तारीफ की बात नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं तो प्रशंसा नहीं करता। पर यह कह देना कि कांग्रेस की ही मोनोपोली है तो दूसरे पक्ष को भी शासनारूढ़ होने दीजिये फिर आपको मोनोपोली भी किस तरह से चकनाचूर होती है वह भी देख लीजिये।

तो मैं कहने जा रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मुख्य मन्त्रीजी श्री मोहनलाल सुखाड़िया, उनके गुरु श्री माणिक्यलालजी वर्मा वे भी एक भूतपूर्व राजा के राज्य में शरणार्थी बन कर लगभग सालों तक रहे और जिस जमाने में कोई आदिवासी संस्था नहीं थी, यह समाज कल्याण विभाग नहीं था उस समय भूतपूर्व राजा ने उनको प्रश्रय दिया और प्रश्रय देकर आदिवासियों की सेवा की गई और इसी सेवा के फलस्वरूप उस राजा को संरक्षक भी कहा गया। पर जो कुछ भी आश्रय की बात कही गई है उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह मोनोपोली का दावा सर्वथा तथ्यहीन है और मेरे खयाल से इस दावे के लिये बड़े अदब के साथ यह भी कहूं कि यह सर्वथा निर्मूल ही नहीं, सफेद झूठ भी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं यह निवेदन कर ही चुका हूं कि आदिवासियों और हरिजनों के सम्माननीय सदस्यों को पुलिस के द्वारा डर बताया जावे, कलेक्टर के द्वारा डर बताया जावे, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा डर बताया जावे, करोड़ों रुपये सरकारी खजाने से खर्च करके येन-केन-प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करके बहुमत बनाते हैं तो मेरे खयाल में न यह देश की सेवा है, न प्रदेश की सेवा है, न आदिवासियों की सेवा है और न यह हरिजनों की सेवा है।

सभापति महोदय, मैं अब मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में कई बातें निवेदन करना चाहूंगा। इस क्षेत्र में अनुसूचित जन-जाति बहुत घने रूप से डूंगरपुर जिले के अन्दर उदयपुर डिविजन में बसे हुए हैं और यह प्राचीन जन-जाति है। अरावली पहाड़ों के अन्दर विविध कोनों के अन्दर पालों के रूप में ये बसे हुए हैं। एकान्त प्रेमी जाति है, शाई नेवर की जाति है और खेती, पशु-पालन और मजदूरी इनकी खास आजीविका के स्रोत हैं। यह कन्द-मूल-फल खा कर भी निर्वाह करते हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आप कुछ भी अपने इस विवरण में अपनी तारीफ के पुल बान्धें, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सन् ६१-६२ की रिपोर्ट में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति की प्रति दिन आय २७ पैसा है इनकी। आज इनफ्लेशन के कारण वह प्रति व्यक्ति प्रति दिन की २७ पैसे की आय, मेरे खयाल में, १४-१५ पैसा ही रह गई है। बेकारी और गरीबी का हाल अगर देखें तो उनके तन पर कपड़ा नहीं, तो मेरे खयाल में उनकी बड़ी दयनीय दुर्दशा है।

अहमदाबाद के अन्दर, सभापति महोदय, आज भी २०-२२ हजार आदमी इस बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला के वहां पर जाकर काम करते हैं मजदूरी का और वह भी जो कुछ भी काम-धन्धा करते हैं वहां पर, वह एक बहुत निम्न स्तर का है। कपड़ा धोने, बरतन धोने, हमाली करने का, ऊंट चराने का काम और अगर आप इसके उपरान्त भी यह दावा करते हैं कि सागड़ी की समस्या समाप्त करदी तो यह सागड़ी से भी बदतर समस्या पैदा की। सागड़ी की समस्या जिले के अन्दर ही थी। आज तो सागड़ी की समस्या को छोड़ कर १००-१५० मील दूर पर जाना पड़ता है। छः-छः, आठ-आठ महीने तक निरन्तर अपना निर्वाह करने के लिये रात-दिन श्रम करते हैं। सैंकड़ों आदमी वेनेरियल डिसीज में मुब्तिला होकर वापिस आते हैं और उनकी महिला वर्ग को आम तौर से कई दूसरे आदमी भगाकर ले जाते हैं।

मेरे खयाल में यही बीस वर्ष की स्वतन्त्रता के अरसे में आपने इनकी सेवा की उसका फल है। आपने क्या हरिजनों का और खास करके मेरे क्षेत्र के आदिवासियों का भला किया ? अगर यह बीस वर्ष के पश्चात् आदिवासियों की सेवा की ऐसी व्यवस्था है तो मैं समझता हूं कि यह इस सरकार के माथे पर कलंक है।

(३.१५ प० म०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने अकाल राहत काम करवाये। कैसे काम के लिये आपने पैसा खर्च किया। मेड़बन्दी के कामों के लिये। पर मेड़बन्दी भी वास्तविक रूप से नहीं हुई। वह तो पत्थरगड़ी है। पत्थरगड़ी बनावेंगे तो सब जगह पत्थर की दीवारें बना देंगे तो पानी भी वहां पर नहीं टिक रह सकता। पत्थर की दीवार में से पानी निकल जावेगा। तो इस तरह से खेत हैं वे भी सूख जावेंगे। बैलों के लिये खड़े होने तक को जगह नहीं है। अगर मेड़बन्दी ही वास्तविक रूप से बनाते तो मिट्टी की बनाते जिससे कि खेतों में फसल पकती और मेड़ पर घास होती। उस घास को बैल चरते। बैलों के लिये खड़े होने को भी स्थान रहता। आज तो यह स्थिति हो गई है कि आपकी इस मेड़-बन्दी की दीवारों पर बैल चढ़ते हैं तो उनके पैर फिसलते हैं और दो-चार बैलों के पैर तक टूट गये। तो यह सब अवास्तविक है। आदिवासियों ने भूखों मरते हुए इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की। पेट उदरपूर्ति के जरिये काम को स्वीकार किया। पर मेरे खयाल में इस तरह की पत्थरगड़ी से कोई विशेष लाभ नहीं है। बल्कि इसके विपरित १/४ हिस्सा भी मेड़बन्दी में ठीक तौर से मिट्टी की मेड़बन्दी की दीवार वहां पर खड़ी कर खेतों पर पालियां बांधते तो उसका अधिक लाभ होता। चावल, गन्ना, गेहूं सबकी खेती होती। पर यह पत्थर की दीवार लगाकर यह पत्थरगड़ी करके तो स्थिति जैसे पहले थी वैसी की वैसी आपने रखी। तो आपकी जो कुछ भी यह व्यवस्था है अवास्तविक है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

खेती के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि दिन बदिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। खेती के औज़ार अनुपलब्ध हैं। गेंती-तगारी वगैरह जितने भी खेती के औज़ार हैं उनके वितरण में भी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। वितरण मालदार और पैसे वाले लोग जो आपके मुंह लगे हैं, उनके हाथ में है और गरीब किसान दुगुनी और तिगुनी कीमतें देकर लेने को मजबूर होते हैं। उनके लिये ये मामूली से औज़ार तक सरकार ठीक कीमतों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं कर सकतीं। हल वगैरह के लिये हमारे यहां चौगड़ा होता है उसको लगाने के लिये आदिवासियों को जंगल से लकड़ी लेने पर रोक। ठेके पर आपने उन जंगलों को दे देकर उन जंगलों को सब को समाप्त कर दिया। आदिवासियों को मकान के लिये, इर्रीगेशन के लिये, खेती के लिये, रहंट के लिये भी लकड़ी चाहिये तो वह भी खतम हो गई। आपने अब व्यवस्था की है लोहे के रहंट की। वह भी वास्तविक रूप में जहां उनको ५००)-६००) में मिलना चाहिये वहां ८००)-९००) में उनको मिल पाता है। वह भी आपके कृपापात्रों के हाथ में है। वह भी ठेका-परमिट-लाइसेन्स-पॉलिसी के अन्तर्गत बचे तो वितरित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। स्वस्थ प्रतियोगिता के सिद्धान्त को अपनाकर कोई भी ला सकता है, बेच सकता है तो इसके अनुसार आप सबको अवसर देंगे तो सस्ते रूप में ये चीजें भी मिल सकती हैं, नहीं तो हरगिज नहीं मिल सकतीं।

आपकी इन योजनाओं के द्वारा मैं स्पष्टतया यह अनुभव करता हूं कि सौ में से पांच आदमी का भला हुआ है तो हुआ है, बाकी तो सौ में से ९५ आदिवासियों की स्थिति जैसी थी वैसी ही आज है।

मैं बार-बार इस सदन में कहता आया हूं कि आदिवासियों के क्षेत्र में आप फल उगाने के लिये प्रोत्साहन दीजिये। आम, महुवा, बहड़ा, आंवला, बेर आदि के दरख्त लगाइये। इस सम्बन्ध में आप कुछ नहीं करते। आज तो बेर, आम, महुवा, बहड़ा, आंवला सबके दरख्त कट चुके। आम के वृक्ष गिर चुके और जो पुराने थे वे ही नजर आते हैं कहीं-कहीं। नई कोई भी उगाई मेरे क्षेत्र में की हो ऐसा मैं अनुभव नहीं करता। मेरे खयाल में यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है।

जो आदिवासी स्वतन्त्र जीवन को पसन्द करते थे। जो स्वाभिमानी थे, स्वावलम्बी थे वे बिलकुल खत्म हो चुके। आज वे बड़ी हीन दशा मे हैं। डूंगरपुर—बांसवाड़ा क्षेत्रों में कोई मिल भी नहीं है, कारखाना भी नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया उनको अपनी आजीविका के लिये आज अहमदाबाद तक जाना पड़ता है। अगर कोई मिल या कारखाना भी कायम करें तो वे इस आफत से मुक्त हो सकते हैं। आदिवासियों के लिये मुर्गी-पालन, मच्छी पालन, मक्खी पालन की व्यवस्था भी बहुत महत्व रखती है। मुर्गी पालन के लिये निवेदन किया कि एक पंचायत समिति में दो हजार मुर्गियां ले गये। और वे छः महीनों में खत्म हो गई। बी. डी. ओ. साहब ही उनको हजम कर गये और आदिवासियों को कुछ नहीं दिया।

थोड़े दिन पहले मछली पालन के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हुई थी। हवाई जहाज से फिंगर लिंग आई। कहां से? बंगाल से। उन फिंगर लिंग को लेकर सिलिसेड में छोड़ दिया। और सिलिसेड में बड़ी मछलियां उन फिंगर लिंग को खा गई और मेरा अनुमान तो यह है कि लाने वाले ही हजम कर गये। कौन छोड़े अच्छी चीज को !

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो आज आप आदिवासियों के भले के लिये क्या करते हैं ? जहां पर मछलियां हैं वहां पर भी कोटा-परमिट-लाइसेन्स राज, जैसा कि राजाजी कहते हैं इस सरकार को, वे इस सरकार को–कांग्रेसी सरकार को कोटा-परमिट-लाइसेन्स राज कहते हैं। तो हर जगह कोटा-परमिट–लाइसेन्स राज का बोल-बाला है। तालाबों में मछलियों का ठेका देते हैं तो इनको देते हैं और वे रेल के डिब्बों में या इस बक्सों में बन्द करके कलकत्ता भेज दी जाती हैं। जो आदिवासी मछलियों के बड़े प्रेमी हैं उनको एक नहीं मिलतीं। तालाबों में कमल भी इस कोटा–परमिट–लाइसेन्स राज में ठेके पर दे दिये। उनका इन कमलों से भी गुजारा हो सकता था पर उनको भी ठेके पर दे दिया।

खजूर से भी उनका गुजारा हो सकता था। पर उनका गुड़ निकलवा कर सैंकड़ों खजूर मरवा डाले आपने। तो यह आदिवासियों की अनादि काल से पैत्रिक सम्पत्ति और आजीविका का स्रोत था उसकी भी हानि करके कुछ चन्द रुपये अपने खजाने में जमा किये हैं और उससे भी अधिक अंश आपके कर्मचारी और ये कोटा-परमिट–लाइसेन्स के ठेकेदार खा गये मेरे अनुमान से। तो मेरा यह निवेदन करना था कि इस तरह से उनमें बेकारी भी बढ़ी आपकी अदूरदर्शी पॉलिसी के कारण। और खाद्य संकट भी है, घास का संकट भी है और उसके साथ-साथ ऋतु संकट भी आ गया। पहले दस वर्षों के अन्दर ८ वर्ष अच्छे होते थे। दो-एक वर्ष खराब हुआ करते थे। अब तो मैंने यह देखा है कि दस वर्षों में से ६ खराब होते हैं और चार वर्ष ही शायद ठीक होते हैं।

ऐसी स्थिति में यह आदिवासी लोगों को अगर आप स्पून फीडिंग करेंगे, बैठे हुओं को भी खिलावेंगे तो खिलाने का तो सरकार का कर्त्तव्य है और खिलाना पड़ेगा, पर उनके जीवन को सार्थक बनाइये, कोई धन्धा दीजिये और ऐसी चीजें दीजिये कि वे उनमें दिलचस्पी लें और उनके द्वारा अपनी उदर-पूर्ति भी कर सकें, निर्वाह भी कर सकें। यह निरर्थक रूप से सड़कें बनाईं, पत्थरगढ़ी में पैसा लगाया जिसमें किसी को विशेष लाभ नहीं है। सड़कें भी अच्छी बन जावेंगी तो भीखाभाई मोटरें दौड़ाते फिरेंगे। पर आदिवासियों के पास तो मोटरें भी नहीं हैं न मोटरों के साधन अपना सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूं कि जो कुछ भी व्यवस्था है आपकी वह अवास्तविक है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं, शिक्षा तो क्या कहूं, इसे साक्षरता कह देता हूं। मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स में २० वर्षों के बाद आपने ६.४४ पर्सेन्ट साक्षरता, मेरे खयाल में, दी है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की साक्षरता का अनुपात ३.९८ पर्सेन्ट है। इससे भी बढ़ कर भद्दी व्यवस्था और शर्मनाक व्यवस्था यह है कि महिला वर्ग में ०.१ पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स में और ०.३ पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स में आपने शिक्षा दी है या साक्षरता दी है। यह क्या समाजवादी सरकार है ?

आपका ग्रेजुएट वर्ग है वह भी आपके खिलाफ अधिकांश रूप से है। वह यह समझते हैं कि उनकी कांग्रेस संस्था उनका भला नहीं कर सकती। तो वे भी विरोध आपसे करने लग गये। और मैं माननीय भीखाभाई को यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इतने दिनों तक राजस्थान के आप मन्त्री रहे, आपने इतनी बातें कीं, पालों के अन्दर हायर सेकण्डरी या हाई स्कूल कायम कीं, अगर आप विशुद्ध आदिवासी नेता हैं तो सागवाड़ा जैसे जैन नगर में क्यों बसे हैं ?

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आदिवासियों के दुःख-सुख के साथी बन कर आदिवासियों की पाल में क्यों नहीं रहते ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन्होंने भाड़ भूंजा और खाया।

श्री दौलतराम सारण : ये तो आदिवासियों के नेता नहीं आदिवासियों के मंत्री थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तभी तो तूंदे के माफिक बने हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : मकान अधूरे पड़े हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार की केवल मात्र नीति यह है कि स्वतन्त्रता की भावना आदिवासियों की है उसको खत्म करके जी हजूर और गुलाम बना दिया जाय और उनकी व्यवस्था का संचालन भी उनको नहीं करने दिया जाय।

डूंगरपुर में सेवा संघ के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि केवल राजनैतिक आधारों पर यह संस्था चल रही है। संचालक वर्षों से एक के एक ही हैं। हिसाब ऑडिट नहीं होता। संचालक साहब वहीं उसी मकान मे रहते हैं, आदिवासियों की बिजली, मोटर, पानी, जलाऊ लकड़ी और आटा, दाल, शाक सभी खाते हों यह भी एक तरह की आपा-धापी मोनोपोली है। आपको देखना चाहिये कि यह वाजिब है या नहीं। सेवा संघ की व्यवस्था क्यों नहीं विशुद्ध आदिवासियों के हाथ में हो ? संचालक क्यों नहीं आदिवासी हो ? कार्यकारिणी क्यों नहीं आदिवासियों की हो ? दूसरे लोगों को वहां पर घुसेड़ करके आदिवासियों को जी हजूर बना कर, उनको गुलाम बना कर रखना यह मेरे खयाल में सर्वथा अनुचित व्यवस्था है।

आदिवासी सेवा संघ जो १९३१ में ठक्कर बापा और रामेश्वरी नेहरू के द्वारा स्थापित की गई उसकी आज यह ऐसी दुर्दशा है कि उसकी कोई वार्षिक रिपोर्ट नहीं, उसका हिसाब कुछ भी नहीं। हिसाब भी नहीं उसका, रिपोर्ट भी नहीं उसकी, तदुपरान्त भी लाखों रुपयों का अनुदान हर वर्ष वह प्राप्त कर रही है। संचालक, व्यक्तिगत मैं कोई विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, वहां के जिला प्रमुख हैं, यहां के भूतपूर्व मन्त्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। चुनाव लड़ने के लिये गये तो छः महीने पहले चुनाव क्षेत्र में चले गये और कार्यवाहक संचालक नियुक्त करके गये। कार्यवाहक संचालक नियुक्त किया वह भी आदिवासी नहीं। मानो डूंगरपुर में आदिवासी तो हैं ही नहीं जिम्मेदारी का काम करने के लिये और राजस्थान सरकार तो यह स्वीकार करने लगी है कि आदिवासियों को जिम्मेदारी कोई नहीं वहन कर सकता। मन्त्री भी खत्म कर दिये। आदिवासियों को उनके जन्मसिद्ध अधिकार हैं वे उनको मिलने चाहियें। कार्यवाहक संचालक को छोड़ कर संचालक साहब चुनाव लड़ने के लिये गये और उसके बाद कार्यवाहक संचालक ने जो राशन मिलता है आटा, दाल, रोशनी, जलाऊ लकड़ी, तेल आदि उसमें आधा हिस्सा कर लिया। जिला प्रमुख साहब चुनाव लड़ कर बाद में गये तो कार्यवाहक संचालक साहब बीमार हो गये। जब उनसे पूछा गया हिसाब पेश करो तो एबस्कोन्ड करके गुजरात चले गये। उसके बाद नकली हिसाब पेश हुआ तो मन्त्री महोदय उसकी जांच कराने की भी परवाह करेंगे ?

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं विशेष समय नहीं लेना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय । मैं पांच मिनिट में ही मेरा कथन समाप्त करता हूं ।

बस्तियों की बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा हुई । गाडोलिया लोहार को चित्तौड़ में बसाने को लेकर लाखों रुपया खर्च किया गया। क्या परिणाम हुआ ? सब को विदित है। जवाहर नगर बस्ती में लाखों रुपया खर्च किया । जवाहर नगर बिलकुल भूतखाना बना हुआ है । कोई नहीं रहता । चुनाव के दौरान गया मैं, कुछ ही महीनों पूर्व । वहां मैंने क्या देखा कि वैद्यराजजी बिराजमान हैं । वैद्यराजजी को पूछा कि कितने मरीज आते हैं ? देख लीजिये, वृक्ष ही वृक्ष हैं, लाखों रुपयों के जंगल कटाये, मकान बनाये, उनको भी उजाड़ करके लोग छोड़ गये और एक-दो घरों के लिये, मुश्किल से ८-१० आदिवासियों के लिये वहां आपने वैद्यराजजी को स्थापित किया है यह अवास्तविकता की पराकाष्ठा है। यह तो जवाहर नगर की हालत है ।

चित्तौड़ में गाडोलिया लोहारों का क्या हुआ ? एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। सब जानते हैं । तदुपरान्त कोई सबक नहीं लेना । मकान बनाने की वह की वही व्यवस्था, क्या एकलिंगजी हो, क्या खेरवाड़ा हो, क्या कागदर हो । वही व्यवस्था । मकान हैं उनमें भी कोई नहीं रहता । मकान क्यों बनाये जायं ? खर्चा किया जाय । खर्चा हो तो आपा-धापी भ्रष्टाचार हो । खर्चा हो तो पतरे लगाये जायं, आधे पतरे चोरी कर दिये जायं । यह स्थिति है । और वहां जो पैसे वाले आदिवासी हैं, मैं यह निवेदन करूं कि पिछली विधान सभा में एक एम. एल. ए. हमारी पार्टी के थे । उन्होंने तीन–चार मकान खेरवाड़ा में ले लिये, लेकिन गरीबों ने वास्तविक रूप से कितने ले रखे हैं, गरीबों का कितना भला हो रहा है, यह तो देखिये कि यह पैसा खर्च किया जा रहा है केवल आदिवासियों के नाम पर तो खर्चा नहीं किया जा रहा है, कागजी कार्यवाही की तकमील के लिये तो खर्च नहीं किया जा रहा है या वास्तविक रूप से आदिवासियों के लिये खर्च किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय, विकेन्द्रीकरण के लिये मैं निवेदन करूं कि हमारे नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने इसको 'विनाशकरण' की संज्ञा दी है। कितना भ्रष्टाचार है ? अधिकांश रूप से सरपंच बदनाम हैं, पंच बदनाम हैं और अधिकांश रूप से इनको साथ लेकर अपनी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं । यदि आप उचित व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो लोक सभाई क्षेत्र बांसवाड़ा, लोक सभाई क्षेत्र, उदयपुर आपने सुरक्षित क्षेत्र बनाये हैं, आदिवासी ही वहां से खड़े हो सकते हैं तो उन क्षेत्रों में जहां आदिवासियों की घनी बस्ती है वहां जिला प्रमुख की व्यवस्था सुरक्षित करके आदिवासियों को ही दें । १५ वर्ष के चुनाव के अनुभव के बाद सुरक्षित व्यवस्था में विश्वास हो गया हो तो कहिये ? नहीं, तो फिर मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करिये ।

बस इतना ही मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय । मेरे खयाल से इस संस्था के अन्दर भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार व्याप्त हैं यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयोग की जो

(श्री नाथूराम)

रिपोर्ट सदन में विचाराधीन है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिये समाज कल्याण विभाग, राजस्थान का है, इस विभाग का जन्म किस प्रकार हुवा यह संक्षेप में बताना चाहूंगा।

भारत के संविधान के मूलाधिकारों में सब को समान रूप से अवसर दिये गये हैं। सब को समानता और समान दर्जा दिया गया है। संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और हरिजनों का, विशेष तौर पर उनकी समस्या का ध्यान रखा है। पूज्य बापू के आदर्शों पर इस श्रेणी के लोगों को विशेष अधिकार दिये गये हैं ताकि इस श्रेणी के लोगों को किस प्रकार समान लाया जाय यह एक अहम प्रश्न था। यह ब्राह्मण, हरिजन, आदिवासियों की समस्या नहीं थी अपितु सदियों से गलत परिपाटियों के द्वारा मानवता की दृष्टि से हीनता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया था, जिनका उद्देश्य भाईचारे की भावना से एक निश्चित अवधि में जड़ से उखाड़ फेंक कर स्वस्थ समाज की रचना करना था तो इन पवित्र आदर्शों से समाज कल्याण विभाग का और अन्य विभागों का जन्म हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे मंत्रीजी यहां नोट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन सदन में विचाराधीन है वह तीन वर्ष पहले का है यानी ६३-६४ का है और सन् ६७-६८ में आज विचार हो रहा है। केन्द्र में, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, ६५-६६ का विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं है और इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो रहा है।

(राव श्री नारायणसिंह, समाज कल्याण मंत्री राजकीय दीर्घा में बैठे अधिकारियों से बात कर रहे थे)

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है....

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को क्या कहते हो, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री श्रवणलाल : जी हां, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की हमेशा यह परम्परा रही है कि जब भी कोई किसी विषय पर विचार किया जाता है तो अधिक से अधिक मंत्री व उप-मंत्री सदन के अन्दर उपस्थित होते हैं लेकिन यह देखने में आता है कि जब भी यह समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट पेश होती है या उस पर डिबेट या बहस होती है तो एक भी मंत्री, जिनको कि सदन में मौजूद रहना चाहिये, आज भी सदन में मौजूद नहीं हैं। आज भी आपके सामने गौर करके देख लें कि सरकारी बैंचें खाली पड़ी हुई हैं।

(श्री श्रवणलाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों को आगाह किया जाय और उनको यहां पर बुलाया जाय क्योंकि यह मसला केवल समाज कल्याण विभाग से ही सम्बन्धित नहीं है, अनेक प्रकार के विषय इसके अन्दर आते हैं जो कि हर एक मंत्री से सम्बन्धित हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन मंत्रियों को बुला कर इस सदन में बैठाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था के प्रश्न की परिभाषा में नहीं आता ।

श्री नाथूराम !

श्री नत्थीसिंह : औचित्य के प्रश्न में तो आता है। यह पिछड़े हुए वर्ग का मामला है और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : औचित्य और व्यवस्था का प्रश्न, दोनों की परिभाषा एक ही है, दो नहीं हैं।

श्री श्रवणलाल : यह प्रश्न विरोधी दल के सदस्यों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स के सदस्यों को खरीदने का है तो वही रख दीजिए, क्या वह उचित है ? इस विषय पर अगर ध्यान नहीं देना है तो वैसे ही पास कर लिया होता, बंगले पर ही पास कर लेना चाहिए था ।

श्री दौलतराम सारण : यह उपेक्षा का नमूना तो है ही ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछले तीन साल पहले की रिपोर्ट है और हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने इसके बाकी के समय की जानकारी सदन को दी होती तो विशेष रूप से यहां हाउस में निवेदन किया जाता। आज समाज कल्याण विभाग का इस पिछड़े हुए वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं है और उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने, सदन के हर एक सदस्य ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया होगा और कमीशन ने जब कभी भी रिपोर्ट दी है, बराबर सुझाव दिए हैं लेकिन राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और जो सुझाव दिए हैं उनकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया है ।

श्री श्रवणलाल : कोई सुनने वाला भी है, ध्यान किसका दिला रहे हो ?

श्री नाथूराम : लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय........

श्री श्रवणलाल : आप लोगों को शर्म लगती है यह कहने में कि आपका जो हाउस में भाषण हो रहा है उसको कोई सुनने वाला नहीं है और आप बैठे हुए हो और फिर कहते हो कि हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय ! जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो दूसरे सदस्यों को उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय खुद जानते हैं इस बात को ।

Page No. 112

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी बेजा बात है कि कोई भी मन्त्री मौजूद नहीं है और उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं।

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा राजकीय दीर्घा में बैठे अधिकारियों से बात कर रहे थे)

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की क्या स्थिति है और किस तरह से समाज कल्याण विभाग ने उसमें सहयोग किया है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा। समाज कल्याण विभाग को ऐसी दुकान के समान समझना चाहिए कि जैसे एक दुकान है और उस दुकान को चलाने वाले मुनीम हैं। अगर मुनीम दुकान अच्छे ढंग से चलायेंगे तो उसमें ज्यादा ग्राहक आयेंगे और अगर दुकान चलाने वाले अच्छे ढंग से नहीं चलायेंगे तो ग्राहक भी नहीं आयेंगे और नौकर-चाकरों में भी असंतोष रहेगा और आखिर में उसका दिवाला निकल जायेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यह जो मुनीम बैठाये गये हैं उनकी देखरेख में सुधार करना चाहिए। राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया है, इसका दुरुपयोग.......

श्री श्रवणलाल : कोई एकाध मुनीम का नाम तो बताओ। संचालक........

श्री उपाध्यक्ष : Order please! माननीय सदस्य आपस में वार्तालाप नहीं करें।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो मुनीम हमारी तरफ से बैठे हैं, उनकी आप बराबर देख-रेख रखें और उनका जो काम है उस पर ध्यान देवें वरना पिछले समय में पिछड़े वर्ग का पैसा जैसे हजम कर लिया है उसी तरह से आगे भी होगा और इससे आदिवासियों का और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के अन्दर में समाज कल्याण विभाग के प्रशासन में क्या स्थिति है, वह भी मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रशासन की ओर आपका ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं। राज्य का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि समाज कल्याण विभाग का जब गठन हुआ था तो सिविल सप्लाईज विभाग के जो कमी शुदा कर्मचारी थे वे इस विभाग में आए। उनके कार्यकलापों के बारे में विविध धारणा है। सदन के अन्दर माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी आदेश आते रहते हैं लेकिन कोई परवाह उनकी नहीं होती है। आज के अर्थतन्त्र में जबकि पैसों की जरूरत है, जिस समय अच्छा यानी अधिक पैसा था उस वक्त तो वे अपने ही परिवार वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाते रहे, अब जो पैसे की कमी है, पैसा नहीं है तो यह स्थिति आ रही है कि कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो यह कहते हैं कि इसमें आदिवासी पढ़े-लिखे नहीं हैं। आदिवासी भी पढ़े-लिखे हैं मैं उनकी संख्या बताऊंगा और इनमें समाज कल्याण विभाग में जो भी बैठे हुए हैं, कौन से आदिवासी हैं वे तो मन्त्री महोदय जांच करके जिस वक्त जवाब अपना फरमायेंगे उस वक्त बतायेंगे उन्होंने कितने आदिवासियों को इस समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति दिलाई है।

(श्री नाथूराम)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं विभाग के द्वारा दी गई तकावी और ऋण आदि के बारे में भी निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से हर साल लाखों रुपया खर्च होता है लेकिन आदिवासियों का कोई भला नहीं होता है। अनुदान दिया जाता है, तकावी दी जाती है लेकिन उसकी क्या स्थिति होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुओं की तकावी मिली। मैं आपको मेरे ही जिले का उदाहरण देता हूं। जब से यह कुओं की तकावी और अनुदान दिया जाता है तब से बहुत दुरुपयोग होता है, तमाम जो धनराशि है वह पंचायत समितियों के द्वारा या अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा खर्च होती है। जिले में जो इन्सपेक्टर होते हैं, वे न कुआं देखते हैं और न मौके की स्थिति को देखते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं ताकि आगे एतराज न हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र के अन्दर हजारों कुए खोदे गये हैं लेकिन खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं। आज कुए के लिए जो पैसा राज्य की तरफ से खर्च किया जाता है उसका सदुपयोग होता तो कुओं में पानी भी रहता और सिंचाई का साधन भी रहता और उसका उत्पादन पर भी असर होता।

लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर के अन्दर हजारों कुए खोदे गये हैं, वे आज खड्डे हैं और उनसे आदिवासियों का कोई भला नहीं हुआ है। केवल कुछ वर्षा होती है तो मामूली पानी रहता है और वर्षा नही होती है तो कुओं में पानी मिट जाता है। कुओं में बराबर धनराशि खर्च होती है और बराबर साधन-रहंट आदि के जुटाये होते तो उसका खेती पर असर होता और उत्पादन पर भी असर होता। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने तकावी, अनुदान के लिए जो रुपया खर्च किया है उसका कितना रिटर्न मिला है? वे अपने जवाब में बतायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, इसी तरह से लाखों रुपयों का दुरुपयोग होता है और वे लोग ही जो इन्सपेक्टर आदि रुपया देने वाले हैं अधिकतर पैसा खा जाते हैं, और बराबर जयपुर से पैसा रवाना होता है पर आदिवासियों के घरों तक वह नहीं पहुँचता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में, ट्राइबल ब्लॉक्स के बारे में निवेदन करूंगा। समाज-कल्याण विभाग का अस्तित्व तो पंचायती राज्य का निर्माण होते ही समाप्त हो जाना चाहिए था। अगर राज्य के अन्दर १३ टी० डी० सी० ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अन्दर भारत सरकार से २२ लाख रुपया आता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ५ साल के अन्दर २२६ लाख रुपया खर्च होता है। ये पंचायत समितियों के द्वारा खर्च होता है, कुछ नगरपालिकाओं के द्वारा, कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा खर्च होता है, अधिक रुपयों का दुरुपयोग होता है और समाज-कल्याण विभाग बैठा रहता है और जहां पर पैसा खर्च होता है उसकी देख-रेख भी नहीं कर सकता है। स्वयं पैसों का दुरुपयोग करता है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार लाखों रुपया देती है इन पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए और निगरानी नहीं होने के कारण लाखों रुपया खर्च हुआ और फायदा नहीं हुआ। खाली ढोल पीटा जाता है कि हम आदिवासी और हरिजनों का उत्थान कर रहे हैं।

(श्री नाथूराम)

माननीय उपाध्यक्ष, समाज-कल्याण विभाग की तरफ से, खुद की तरफ से कोई धनराशि खर्च नहीं होती है। विभाग के पास कुछ होस्टल वगैरह मामूली काम है। होस्टल्स की क्या दशा है। डूंगरपुर और बांसवाड़े व परताबगढ़ की कुछ तहसीलों को राष्ट्रपति ने शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है वहां ज्यादा से ज्यादा होस्टल्स खोलने चाहिएं, लेकिन होस्टल्स की खराब दशा है। आजकल सेशन्स के दिनों में लड़के भर्ती होने के लिए जाते हैं तो कहीं २५ लड़के हैं, कहीं ३० लड़के हैं। मैं लगातार ५-१० सालों से यह मांग करता हुआ चला आ रहा हूं कि हर हायर सैकेण्डरी स्कूल में या हाई स्कूल में कम से कम ५० लड़कों का होस्टल होना चाहिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, लेकिन समाज-कल्याण विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा और इस हाउस के द्वारा मांग की है कि जहां कहीं भी कॉलेज हों वहां कम से कम १०० लड़कों का होस्टल होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, हर साल सैंकड़ों लड़के हर स्थान से वापिस जाते हैं। इस वक्त गढ़ी हाई स्कूल में १०० लड़के आये तो ३० लड़कों को एडमिशन दिया और सब वापिस गये। मैंने भूतपूर्व मंत्री अमृतलालजी को भी लैटर लिखा था लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया और एक भी संख्या नहीं बढ़ाई। इस तरह से बांसवाड़े में भी ५० लड़कों का आदिवासी होस्टल है जहां आदिवासियों के सैंकड़ों लड़के पढ़ने के लिए कॉलेज में बाहर गांवों से आते हैं तो वहां से कम से कम २०० लड़के वापिस गये और उनको एडमिशन नहीं मिला। माननीय उपाध्यक्ष, जब समाज-कल्याण विभाग लाखों रुपये खर्च करता है तो कम से कम हरिजनों और आदिवासियों को पढ़ाने के लिए छात्रावास की संख्या बढ़ायें और उनमें छात्रों की संख्या बढ़ायें, लेकिन उस विभाग में अधिकतर पैसा वहां के उच्चाधिकारियों का पेट भरने के लिए और उनके कर्मचारियों को रखने के लिए खर्च होता है। उन गरीब लड़कों के लिए खर्च नहीं होता है।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो ट्रेनिंग में जाते हैं तो किसी आदिवासी या हरिजन को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते हैं। वहां पर दूसरे लोगों को भेजा जाता है जब कि आदिवासियों और हरिजनों के लिए यह विभाग है और कमीशन ने भी बार-बार उनको यह सुझाव दिया है कि ट्रेनिंग के अन्दर भी पिछड़े हुए लोगों को भेजा जाना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और अन्य लोगों को भेजा जाता है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय यह अपने जवाब में बतायें कि इस साल जो ट्रेनिंग में भेजे गये हैं वे कौन-कौन भेजे गये हैं, और किस आदिवासी या हरिजन को भेजा गया है। यह वह बताने की कृपा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोजगार के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो उच्चाधिकारी कहते हैं कि आदिवासियों में पढ़े लिखे नहीं हैं, और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए ठीक ढंग से रोजगार नहीं पाते हैं। मैं संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा कि ४-१०-६२ को गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय उपाध्यक्ष, मेरे पास अभी बोलने के लिए काफी पॉइन्ट्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आपको यह चेतावनी की घंटी दे रहा हूं।

श्री नाथूराम : उस ऑर्डर की मन्शा यह थी कि (विराम)....रात भी हो जाय तो आज तो यह हाउस चलेगा।

(श्री नाथूराम)

४-१०-६२ को गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला था। गवर्नमेन्ट ने संचालक महोदय को अधिकार दिया था कि सभी विभागों में रिक्त स्थानों की जांच कर आदिवासी ग्रेजुएट जो हैं उनको सभी को सर्विस पर लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ उसका संचालक महोदय ने पालन नहीं किया। यह बताऊंगा कि आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार जरूर हुआ है और पोस्ट-ग्रेजुएट व्यक्ति भी राज्य को उपलब्ध हो सकते हैं। परिगणित जातियों के लोगों को रोजगार शीघ्रातिशीघ्र मिल जाय तो उसका प्रभाव इस पर पड़ता है, समाज के पिछड़े हुए लोगों पर। तो राज्य सरकार ने उनका एक परिपत्र २१-५-६२ का आदिवासी और अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में नियोजन कार्यालय को भेजा और ४-१०-६२ को एक परिपत्र समस्त रिक्त स्थानों के लिए निकाला। संचालक, समाज कल्याण विभाग को जैसा कि मैंने बताया है पालन कराने के लिए कमीशन ने एक सुझाव दिया है—

"प्रतिवेदन के पृष्ठ १८४ परिशिष्ट २६ के विवरण से ज्ञात है कि अखिल भारतीय स्तर पर ७६ प्रतिशत आरक्षित पद अनारक्षित कर दिये गये व राजस्थान में ७९ रिक्त में से केवल ३७ ही भरी गईं। आरक्षित रिक्तियों में १७,३२१ अनुसूचित जातियों के लिए और ७,०४१ अनुसूचित जन-जातियों के लिए थीं। पर ये आंकड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की नियुक्ति द्वारा भरे गये पदों के नहीं हैं, जो कि क्रमशः ७,९१९ और १,७२५ हैं। अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के ५७ प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के के लिये आरक्षित स्थानों के ७९ प्रतिशत स्थानों को अनारक्षित किया गया और अन्य समुदायों के व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरा गया। मालूम नहीं होता कि इतने अधिक स्थानों को अनारक्षित करने के क्या कारण थे। यह सिफारिश की जाती है कि भविष्य में रोजगार कार्यालय रिक्त स्थानों के संबंध में ऐसी सूचना भी तैयार रखे जिससे यह पता चले कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या हैं तथा क्या आरक्षित पदों के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के नाम भेजे गये थे। नियुक्ति अधिकारियों से यह निवेदन भी किया जाना चाहिए कि वे रोजगार कार्यालयों को सूचित करें कि रोजगार कार्यालयों द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों को क्यों नहीं चुना गया। जब तक ये आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे और आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के कारण मालूम नहीं होंगे तब तक सरकार ऐसे कदम नहीं उठा सकेगी जिनसे यह सुनिश्चित हो जाये कि आरक्षित पदों पर यथा संभव इन समुदायों के उम्मीदवारों की ही नियुक्ति की जाती है"।

इस तरह का कमीशन ने सुझाव दिया है। हमारे यहां पढ़े-लिखे लोग थे फिर भी संचालक महोदय ने इसकी व्यवस्था नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों में से १९५७ से ६१ तक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में ५० और १४२ क्रमशः सफल हो सकते हैं तो राज्य के अन्दर क्यों नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार वालों को रखने के लिये आदिवासियों को उसमें नहीं लिया। यह साफ आंकड़े बताते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो आदेश दिये उनका संचालक महोदय ने पालन नहीं

(श्री नाथूराम)

किया। इसकी जांच करके उनको सख्त कदम उठाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों को रोजगार देना राष्ट्र की नीति है। आदिवासियों को रोजगार देना सरकार का नैतिक दायित्व है। आदिवासियों के लिए एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ये कमजोर हैं और दूसरी जगह जाते नहीं हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आदिवासी घर के गरीब हैं और नौकरी पर आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन सवर्ण अधिकारियों का दुर्व्यवहार इसका कारण है कि आदिवासी झिझकते हैं। वे क्यों झिझकते हैं इसका यह उक्त कारण है। अगर आदिवासी को काम पर लगा दिया जाय तो आदिवासी कहीं भी रह जायेंगे। और गरीब आदिवासी का वही घर हो जायगा, वे वहां घर बसा लेंगे। आदिवासी आज भी कमजोर नहीं हैं। कमजोर उनको कौन करता है, उनको आपके बड़े-बड़े अधिकार हैं वे कमजोर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मैं कुछ आंकड़े, नियोजन द्वारा जो सेवायें हो रही हैं वह आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। राज्य में नियोजन से आदिवासी किस प्रकार के सम्पर्क स्थापित करते हैं, क्या उनको सहयोग दिया जा रहा है, इसको आप देखें। १९६१ में नाम लिखाने वाले १,२४,०६८ आये और उसमें से आदिवासी थे १,९९१ और रिक्त पदों की सूचनायें मिलीं २७,६८४ और आदिवासियों के लिए कुल थे २७.६८४ और आदिवासी केवल ६२ बताये हैं। दूसरे विभाग हैं उनमें काम पर लगाये गये १९,७८७ इतने तो काम पर लगाये गये हैं, इनमें केवल आदिवासी हैं ४०१। इस तरह से यह विभाग सेवा कर रहा है। १९६२ में क्या स्थिति रही, १,२२,७६५ नाम लिखाने वाले थे और उनमें से २,७६४ आदिवासी थे और रिक्त पदों की सूचनायें कुल थी २४,३१७ और आदिवासी को केवल ८७ की सूचना मिली, सर्विस मिली है १५,८७३ को, इनमें से केवल २७३ आदिवासी बताये हैं। इस प्रकार यह पर्सेन्टेज गिरता जा रहा है। एक तरफ तो हजारों की तादाद में नाम लिखाने वाले आते हैं लेकिन उनमें से कितने लोगों को सर्विस मिलती है। १९६३ के आंकड़े हैं कि १,२२,१७२ नाम लिखाने वाले थे, इनमें से २,१३८ आदिवासी थे और रिक्त पदों को सूचनायें २६,९९९ की मिलीं और ६६ आदिवासियों के लिए सूचना मिली, जबकि १५,५९६ को काम पर लगाया, उनमें से केवल ४०५ आदिवासी थे। इसी तरह १९६४ के अन्दर नाम लिखाने वालों की १,३४,५०९ कुल संख्या थी, इसमें से २,३४१ आदिवासी थे। २८,८०९ केवल रिक्त पदों को सूचनायें मिलीं, इनमें से १०९ आदिवासियों के रिक्त स्थान बताये। १८,३८९ को काम दिया, उनमें से ३१५ आदिवासी थे, १८,३८७ हजार सिर्फ में ३१५ आदिवासी थे। इसी तरह से १९६५ के अन्दर नाम लिखाने वाले थे १,३२,८३४, उसमें २,८४८ आदिवासी थे, २५८२४ की रिक्त पदों की सूचना थी और इसमें केवल ९३ आदिवासियों के थे, और १६,३१४ को काम पर लगाया, उसमें से केवल ३१२ आदिवासी थे। इसी तरह से १९६६ के आंकड़े हैं, १,३४,४०५ कुल नाम लिखाने वालों की संख्या थी, उसमें से ३,०३१ आदिवासी थे और २५,०१४ कुल रिक्त स्थान थे और उसमें से केवल ८४ आदिवासियों के बताये। इस तरह हर साल पर्सेन्टेज नीचे गिरता जा रहा है। जब कि १६,०७९ को काम पर लगाया, केवल ३०३

(श्री नाथूराम)

आदिवासियों को लिया है। इस तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह से इस विभाग ने आदिवासियों की यह सेवा की है। खर्च कितना होता है आदिवासियों के नाम से और सेवा इस तरह से हो रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इससे स्पष्ट होता है कि आदिवासियों के अधिकाधिक लोगों को उनके क्लेम के मुताबिक नहीं रखते हैं जबकि नियोजन को पूरे के पूरे नाम भेज रहे हैं। १९६३ के बाद में आदिवासियों की दर नौकरी के अन्दर कम होती जा रही है। यह स्थिति हो रही है कि राज्य सरकार १९६१, १९६२ के आदेशों को फिर से दोहराये...

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : मैं संक्षेप में कुछ और बताना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप खत्म करने की ओर ध्यान नहीं कर रहे हैं, मैं घन्टी बजा रहा हूं।

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : कल उधर से बोल रहे थे उनको काफी टाइम दिया गया। कांग्रेस की तरफ से मैं बोल रहा हूं, तो और बोलने का टाइम हमें दिया जाना चाहिए। हमारी रिपोर्ट पर ही हमें टाइम नहीं दिया जायगा तो कब दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : टाइम सबको पूरा-पूरा मिले इसलिए ऐसी व्यवस्था है।

श्री नाथूराम : ज्यादा टाइम नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको टाइम पूरा दे दिया है, आप एक घण्टा और नहीं छोड़ेंगे।

श्री नाथूराम : मैं संक्षेप में कुछ और बताना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय हीरा भाई ! Order please ! स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : मैं संक्षेप में बोलूंगा इस पर।

श्री शंकरलाल : पांच मिनट और दे दीजिये।

श्री नाथूराम : इस रिपोर्ट पर इस तरह से ही भले रात हो जाय, हम बैठेंगे और बोलेंगे। चेअर अपनी व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के समय के अनुसार बोलेंगे या यों ही बोलते रहेंगे।

श्री नाथूराम : समय बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ा दिया है लेकिन बोलने के लिए कितने ही सदस्य हैं।

श्री नाथूराम : सब बोलेंगे, भले ही गवर्नमेंट एक रोज और बढ़ा लेवे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है। स्थान ग्रहण करें। Order please ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : मैं संक्षेप में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े बारह पर्सेन्ट जनसंख्या के आधार...

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please! स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : मैं बोलूंगा। मुझे पांच मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री नाथूराम : पांच मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट !

श्री नाथूराम : जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, इसी तरह से यह साढ़े बारह पर्सेन्ट से पर्सेन्टेज भी बढ़ना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के लिए बराबर काश्त की भूमि नहीं दी जाती है, वहां आदिवासी, जो जंगल में रहते हैं, उनके लिए हर तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं वे अपनी रक्षा के लिए हथियार रखते हैं, लेकिन उन हथियारों के लाइसेन्स के लिए उनको थाने पर दो-दो रोज तक भटकना पड़ता है। लाइसेन्स की फीस कम है; लेकिन इस एक्ट में संशोधन करना चाहिए कि आदिवासियों को लाइसेन्स से मुक्त किया जाये। भारत सरकार के कानूनों में और संविधान में यह प्रोवीजन है कि प्रान्त में भी कोई ऐसा कानून बना है, उसमें कोई संशोधन भी करना पड़े तो राज्य सरकार को कर लेना चाहिए। लेकिन आदिवासियों के लिए कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होता है। इसलिए आर्म्स एक्ट में संशोधन करके आदिवासियों को इस प्रतिबन्ध से मुक्ति देनी चाहिए। इसके साथ-साथ निवेदन है कि राज्य सरकार ने सभी प्रकार के कानून पास करा लिए हैं लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं होता है। सागड़ी प्रथा का कानून पास हो गया है लेकिन पालन नहीं होने से आजकल भी हजारों आदिवासी सागड़ी प्रथा में काम कर रहे हैं, जैसे मैं निवेदन करूंगा कि छोटे-मोटे कानून पास होते हैं, उनकी विभाग के द्वारा जांच होनी चाहिए और उनका पालन होना चाहिए। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग का जो खर्च है वह घटा देना चाहिए और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें एम. एल. एज. हों, संसद सदस्य हों और गवर्नमेंट की तरफ से नोमीनेटेड ऑफिसर्स हों ताकि फिजूल खर्ची नहीं होवे और जो धनराशि खर्च होती है उसका सदुपयोग हो। इसलिए आपके द्वारा मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड एरिया में जो शराब के ठेके हैं उनको बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए (हिअर-हिअर), आदिवासियों के लिए शराब जो है वह बन्द कर देनी चाहिए....

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : फैक्ट्री और खोल रहे हैं, सबको शराबखोर बना देंगे।

श्री नाथूराम : इससे सरकार को घाटा हो तो और तरह से आमदनी हो सकती है। इसके साथ-साथ यह भी मेरा निवेदन है कि जंगलों की रक्षा करने के लिए वन विभाग और समाज-कल्याण में, जो आदिवासी पढ़े-लिखे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पद दिये जाने चाहिए। यह मेरा आपके द्वारा निवेदन है।

(४ म. १.)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीराभाई !

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : हमारे जनसंघ दल के एक भी सदस्य नहीं बोले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण आपके हैं। अभी सबको बोलने का अवसर नहीं मिला है। एस. एस. पी. की तरफ से कोई बोले हैं ?

एक माननीय सदस्य : मास्टर आदित्येन्द्रजी बोल चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : कोई नहीं बोला है।

राव श्री नारायणसिंह : थोड़ासा इंगित कर दिया जाय कि सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर कब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि समय बढ़ाया जाय। एक घंटे का समय तो पहले बढ़ा दिया। एक घंटा पूरा हो जाय तो सदन से अनुमति ली जायगी कि कितना समय बढ़ाया जाय, उस समय तय किया जायगा कि सरकारी पक्ष की तरफ से उत्तर कब होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आयोग की ६३-६४ की रिपोर्ट सदन में विचाराधीन है। इस रिपोर्ट से मैं कोई महत्व मानने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूं कि ६३-६४ की यह रिपोर्ट आज ६७ में तीन पौने तीन साल बाद सदन में लाई जाय और उस पर विचार किया जाय तो उसकी तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कहावत है, ऐसे शब्दों में है कि मैं उसे नहीं कहूंगा। पर यह कहूंगा कि लोगों को खाली मोह में डलवाने के लिये यह तरीका अपनाया जा रहा है। होना तो यह चाहिये था कि ६३-६४ की रिपोर्ट ६५ में आ जानी चाहिये थी ताकि आयोग ने जितने सुझाव दिये, जितने आदेश दिये, उन सुझावों का पालन होता है या नहीं, उन आदेशों का पालन होता है या नहीं, इसका उस समय निराकरण हो सकता था। लेकिन पौने तीन साल निकल जाने के बाद यह रिपोर्ट हाउस में विचाराधीन है। यहां जो सुझाव होंगे, वे ५ साल बाद फिर आयेंगे, उससे क्या मतलब निकलेगा ? मतलब जीरो है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि, हो सकता है कि हरिजनों और आदिवासी लोगों ने, जाति विशेष ने कोई गुनाह किया है और उसी का यह कारण होगा कि कुदरत भी उनके बारे में ऐसा सहयोग देती चली जा रही होगी कि वे ज्यादा से ज्यादा पिछड़ते चले जायें और आज हम देख रहे हैं कि पिछड़े हुए लोगों का उत्थान होने के बजाय वे लोग ज्यादा से ज्यादा पिछड़ते चले जा रहे हैं। उनको पिछड़े हुए ही रखना है तो यह सब बेकार है। अगर इनके पिछड़ेपन को रोकना है, अगर इनका सही मायने में उत्थान करना होता तो आपको हर साल रिपोर्ट निकालनी थी और उस रिपोर्ट में सुझाव दिये गये हैं, जो आदेश दिये गये हैं, उनको अमल में लाया गया या नहीं लाया गया यह देखना था। जो आदेश दिये गये हैं, उन आदेशों का पालन करने के लिए सख्त आदेश दिये जा सकते थे और अधिकारियों को उन आदेशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिये जा सकते थे। पर यह सब कुछ नहीं किया गया, यह तो लोगों के मन किसी तरह से ठंडे पाड़ना हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सही मायने में इन लोगों का उत्थान करना है तो इनको शिक्षा देना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है। जब तक

(श्री हीराभाई)

इन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक इनका किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता। पर शिक्षा के सम्बन्ध में आपने किसी तरह की व्यवस्था की है तो वह जोक दिखावटी व्यवस्था की है। जहां हमारे बांसवाड़ा में, राजस्थान का यह हाल है, पर मैं बांसवाड़ा का उदाहरण देना चाहता हूं वहां बी. ए. तक का कॉलेज है। उस कॉलेज के स्थान पर सिर्फ ५० विद्यार्थियों का छात्रावास है। बांसवाड़ा में साढ़े चार, ५ लाख लोग हैं। उनमें से करीब ४॥ लाख लोग आदिवासी हैं। साढ़े चार लाख लोगों के बीच में ५० बी. ए. वालों को पढ़ाने की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग ने की है। उससे अन्दाज लगा सकते हैं कि यह समाज कल्याण विभाग पिछड़े लोगों के उत्थान के लिये क्या कर रही है ? यह सरकार क्या कर रही है ? ख्वामख्वाह संस्था बना कर ढिंढोरा पीटना कि हम इन लोगों के उत्थान के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे देश बरबाद होगा और कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, इससे पिछड़े हुए लोग मिट जायेंगे तो फिर हमें गुलाम बनाने का रास्ता मिलेगा और गुलामी के ढंग से काम लेने का तरीका काम में लिया जायगा। नौकरियों में हरिजनों को रखा जा रहा है। फोर्थ क्लास की राज्य सेवा में इन लोगों को लिया जाता है, काम कौनसा लिया जाता है, मियां की बीबी के कपड़ों को धोना, उनके बच्चे-बच्चियों को नचाना, खेलाना, इन लोगों से कपड़े धुलाये जाते हैं, टट्टी की टोकरियां फिकवाई जाती हैं। यह हरिजनों का आदिवासियों का उद्धार है। सही मायने में जो इनका उद्धार करना चाहिये, वह नहीं करते क्योंकि सोचते हैं कि कर्मचारियों के बच्चे-बच्चियों को कौन खिलायेगा, कपड़े कौन धोयेगा, मियां-बीबी की घघरियां कौन धोयेगा ? यह हमारे आजाद हिन्दुस्तान की मिसाल और नक्शा है।

मैं यह चाहता था, दो साल पहले मैंने कहा था कि इन पिछड़ी जातियों का उद्धार, सुधार नहीं होने वाला है, मैं नागालैंड की तरह नहीं जाना चाहता था पर मजबूरी है कि २० साल तक मेरे देखने के बाद भी आदिवासी आज ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। कई संघ, बोर्ड बनाये जाते हैं, समाज कल्याण बोर्ड जैसे खोले जाते हैं, उनसे १ पर्सेन्ट भी आदिवासियों का सुधार नहीं होता है। मैंने विचार कर लिया, अन्दाज लगाया है कि अगर हम लोगों का उत्थान हो जाय तो इन लोगों के लिये बड़ा घाटा पड़ेगा। मियां-बीबी के घघरियां धोने वाले नहीं मिलेंगे। मजबूर हो कर मैंने कहा था, हमें मजबूर हो कर कदम उठाना पड़ेगा। मेरी पार्टी का विचार नहीं है पर मेरा विचार हो जाता है। या तो कदम उठाना पड़ेगा आदिवासियों के लिये, गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश और ऐसा पर्सेन्टेज आदिवासियों के एरिया का निकालकर आदिवासियों का सूबा बनाना पड़ेगा और उन्हीं गरीबों में से अफसर बनेंगे, उन्हीं गरीबों में से मन्त्री बनेंगे, उन्हीं गरीबों का आदमी वित्त मंत्री बनेगा और उन गरीबों में से शिक्षा मंत्री बनेगा तब जाकर गरीबों को देख सकता है। नहीं तो आटे में नमक बराबर आदिवासी लोगों को, आटे में जैसे नमक को हजम करते हैं, उसी तरह से आदिवासियों को हजम कर रहे हैं। मैं जातिवाद पर नहीं जाता। अमीर जाति वाले हमको नमक की तरह हजम करते जा रहे हैं। उद्धार की बजाय हमको हजम करते जा रहे हैं। कितनी घृणा की बात है, मैं किसी के साथ बात कर रहा होऊंगा, मेरे से अच्छी सभ्यता का आदमी आकर खड़ा हो जायगा तो मेरी ओर से मुंह हटा कर उनसे बात करने लग जायेंगे। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो नहीं समझता। जाति का लिहाज है, जाति ने कुछ गुनाह किया होगा जिससे हमारे साथ

(श्री हीराभाई)

इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है, इसलिये उसी ढंग से हमारे से व्यवहार किया जाता है।

इसमें यह बताया है कि ६१ में आदिवासी लोगों के लिये सागड़ी प्रथा को मिटाने का कानून बनाया। उसके अन्तर्गत यह भी आदेश दिया है कि जिला समाज कल्याण विभाग इसकी जांच करे कि कितने आदिवासी लोगों को सागड़ी हाली के नाम से पांच-सात रुपया माहवार में रखा जाता है। ऐसे केस हों तो पुलिस में दिये जायं और सागड़ी प्रथा से आदिवासी लोगों को बचाया जायगा, यह लिखा हुआ है। पर ६४ से यह रिपोर्ट है. मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ में ऐसे सागड़ी लोग हैं जिनसे १० रुपया माहवार, ८ रुपया माहवार या आधा मन अनाज माहवार दिया जाकर सागड़ी बना कर पीढ़ियों से काम करवाया जा रहा है. उसके बारे में क्या आपने कोई सर्वेक्षण किया है, जांच की है? कोई जांच नहीं की, अगर जांच कर रहे थे तो क्या कठिनाइयां आपके सामने उसमें आई? कठिनाइयां नहीं थीं तो आपको जांच करानी चाहिये थी आपने कितनों को पुलिस में दिया है? कितनों को सजा दिलाई है? मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय बराबर इसका जवाब देंगे।

इसी तरह से श्रम ठेका सहकारी समितियों का बड़ा ही अजीब ढकोसला इसमें बताया गया है। आदिवासियों और हरिजन जातियों के लोगों को बड़े-बड़े ठेके नहीं दिये जा सकते हैं इसलिये इन सहकारी समितियों की श्रम ठेका सहकारी समितियां बनाई जायं, श्रम समितियां, श्रम उद्योग समितियां बनाई जायं और इनको ठेका दें। पर एक भी इस तरह की श्रमिक ठेका सहकारी समिति आज तक सफल हो सकी है क्या? एक भी श्रमिक ठेका सहकारी समिति को काम आपने दिया है क्या? दिया है तो यह दिया है कि इन्हीं लोगों के आदमी हैं, उनको श्रमिक ठेका सहकारी समिति का सदस्य बना कर ठेके दिये हैं. यह हथकंडे हैं। मैं कुशलगढ़ की मिसाल दूं। कुशलगढ़ में छोटे लोग व्यापार नहीं कर सकते तो कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को मिला कर क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनाई। एक लाख का लोन लिया, सस्ता अनाज, शक्कर की दुकान चालू की। अब माननीय उपाध्यक्ष, बड़े ताज्जुब की बात है, उधर बैठने वालों को बुरा लग जायगा लेकिन चुनाव के कम से कम २० दिन पहले वहां पर हमारे माननीय हरिदेवजी जोशी, खनिज मंत्री पधारे और वहां जिला प्रमुख छगनलालजी पधारे और वहां के राजा साहब थे. राजवी थे, इन तीनों ने मिल कर ४५ हजार रुपया क्रय-विक्रय समिति का अनधिकृत रूप से निकाल कर चुनाव में खर्च कर दिया। आज तक उस बारे में कोई जांच-पड़ताल नहीं की, पैसा कहां गया? तो हम सिर्फ समाज कल्याण विभाग को ही बेकार या वैसा कहें, यह बात नहीं है, यह तो बेकार की टोकरी में से सरकार ही बनी है। इसलिये सरकार का संचालन जिन लोगों के हाथ में है, ये ४५ हजार रुपया खा गये। कांग्रेस के नेता अगर गये और सब इतना किया तो इस लोन को कांग्रेस को जिन्दा रखने के लिये इसका उपयोग किया, जनता के पैसे से, सरकार के पैसे से चुनाव लड़े और वह अध्यक्ष थे वे मर गये। हमने कहा कि पैसा जमा कराओ, नहीं तो केस चलेगा। छगनलालजी ने कहा कि राजा ने प्राइवेट ढंग से खर्च किया होगा। प्राइवेट ढंग से चुनावों से पहले ये तीनों मिले और क्रय-विक्रय समिति का ४५ हजार रुपया चुनावों में अनधिकृत रूप से खर्च कर दिया।

(श्री हीराभाई)

यही हाल है ठेका श्रमिक समितियों का। रामगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति का ८ हजार रुपया निकाल कर चुनावों में लगा दिया।

इसी तरह से तामिश्रा की श्रमिक ठेका सहकारी समिति है वहां का ५ हजार रुपया निकाल कर चुनावों में खत्म कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग इससे भरा हुआ है। मैं तो समझता हूं बेईमानी का ढर्रा बन चुका है। इन लोगों की समस्या तभी हल हो सकती है जब कांग्रेस सरकार खत्म हो। कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने के बाद ही यह ठीक से बन सकेंगे, इसमें बहुत गन्दगी पैदा हो गई है।

(बीच में कांग्रेस के पक्ष के सदस्यों के व्यवधान पर)

आप हिम्मत के साथ बोलिये, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैंने कहा कि ४५ हजार, ८ हजार और ६ हजार रुपया जो चुनावों में सहकारी समितियों का खर्च किया उसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं। इसलिये फालतू गड़बड़ करना ठीक नहीं समझता। इसमें समाज कल्याण विभाग ने आधे हिस्से की रकम दी थी। समाज कल्याण अधिकारियों को चाहिये कि वे हरिदेव जोशी और छगनलाल को सजा दिलवायें, जिन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग किया है। लेकिन सजा देने के लिये तैयार नहीं। साजिश की जा रही है पैसा जमा कराया जाय। दूसरों को पकड़ रहे हैं, वे यहां आकर जोशी साहब और सुखाड़िया जी के पैर मसल रहे हैं कि हमको बचाओ। बचाने का कोई रास्ता नहीं, फंसना चाहिये था जोशी को और छगनलाल को। उन्होंने हमारी सहकारी समिति पर डाका डाला है।

एक तरफ तो आप सहकारी समिति को बढ़ावा देने का ढिंढोरा पीटते हैं, चुनाव जीतने के खातिर वहां समितियों को ठेका दिया जाता है। वहां पर जितना ठेका समितियों को मिला चुनावों के बाद ठेकेदारों को दे दिया, जनता को धोखा दिया गया। उस ठेकेदार को ठेका दिलाने के लिये भीखाभाई ने सिफारिश की थी। हमारी समिति में चालीस हजार का मुनाफा था। बाद में वन सहकारी समिति का ठेका दूसरे ठेकेदार को दिया गया। मजदूरों को वे पैसा चुकाते नहीं हैं। ठेकेदारों से पैसा लेकर ठेका दे दिया जाता है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कहां जायें ? यह रास्ता तो आदिवासियों और हरिजनों के लिये बन्द होता जा रहा है। केवल ढिंढोरा पिट रहा है, बाकी सरकार कुछ करने वाली नहीं है। इस सरकार से मेरा तो विश्वास उठ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप शिक्षा की बात करते हैं लेकिन कुशलगढ़ में आपने अभी तक हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं खोला। दस साल से लगातार हम चिल्ला रहे हैं। वहां पर ४३ हजार की आबादी है लेकिन हायर सैकेन्डरी नहीं है। क्यों नहीं है ? वहां पर लगभग ५०० विद्यार्थी हैं, ४७६ विद्यार्थी हैं सैकेन्डरी के, लेकिन वहां हायर सैकेन्डरी नहीं है। जब कुशलगढ़ का काम आया तो कोठारी कमीशन की आप बात करते हैं लेकिन बांसवाड़ा में ४-४ मील पर हायर सैकेन्डरी खोल दी है। तो कुशलगढ़ ने क्या गुनाह किया है ? सलूम्बर ने क्या गुनाह किया है ? जहां पर कि ६७ प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। जहां पूरी जाति और आदिम जाति का मिक्सचर

(श्री हीराभाई)

हो वहां पर हायर सैकेन्डरी खोले जाते हैं। तो आदिवासी लोग शिक्षा कहां से लें ? गांवों में पांचवीं तक की शिक्षा है और पांचवीं पास करने के बाद आदिवासी विद्यार्थियों को आप आगे पढ़ाने की व्यवस्था कीजिये। आदिवासियों को अपने गद्दे पर बिठाया है, वहां के लिये गद्दे की व्यवस्था करिये नहीं तो पांच साल की पढ़ाई भी बेकार गई और वे न घर के न बाहर के रहते हैं। तो आदिवासियों के लिये शिक्षा की व्यवस्था ठीक करना जरूरी है। लेकिन यहां तो यह हालत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर मुसलमानों को लाकर मुसलमानों से मुझे कोई घृणा नहीं है, मंत्री बनाते हैं, लेकिन आदिवासी मंत्री नहीं बनाते हैं और बाहर से कोई आदमी ले लिया तो आदिवासियों के लिये मंत्री नहीं। मालूम नहीं क्या बात है ? सुखाड़िया को डर इन आदिवासियों से नहीं है। लेकिन इन आदिवासियों में जीव भी नहीं है। अगर उनके जान में जीव होता तो आज मंत्री उनमें से बनकर रहता। क्योंकि जीव नहीं है इसलिये वे खरीदे जाते हैं और भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती जाती है और सुखाड़िया मजे उड़ा रहे हैं। आदिवासियों को खरीदना, उनको राजनैतिक आधार पर आघात पहुँचाना और कन्ट्रोल अपने हाथ में लेना उनके लिए सरल रास्ता है। यह सुखाड़िया साहब की नीति रहती है। रहा सवाल बरकतुल्लाखां का और नवाब साहब का, उनको क्यों लिया ? इसलिए कि बहुत लोग नाराज हो जायेंगे लेकिन आदिवासियों का क्या किया ? उनको खरीद लिया, किसी को पैसा दिया, किसी को कुछ दिया और बात खतम। आदिवासी राजनीति से तो मरते ही हैं लेकिन जीवन के पालन के लिए भी मरने वाले हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पैसा देकर तो नहीं खरीदा।

श्री नत्थीसिंह : आप बीच में थे क्या ?

एक माननीय सदस्य : हीराभाई कह रहे हैं कि आदिवासियों को पैसे से खरीद लिया। मैं कहना चाहता हूं कि...

श्री हीराभाई : यह सही है। रात को एक-एक बजे लोगों को और तीन लाख रुपये दिये गए।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक-एक बजे रात को ले गए सदस्यों को, इसकी जांच करायें।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : सदन के माननीय सदस्यों की समिति बिठाई जाय और उपाध्यक्ष उसके चेयरमेन रहें और इस बात की जांच कर दी जाय कि किन-किन आदमियों को कितने-कितने में खरीदा गया...

(शोरगुल)

उन्होंने सदन के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण की है, संविधान के अंतर्गत ...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : जनतंत्र के अंदर राजनैतिक भ्रष्टाचार है, लोगों को खरीदा जाता है, इस तरह से जनतंत्र कायम नहीं रह सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनके पास सबूत है ?

श्री नत्थीसिंह : कमीशन बिठाइए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कहते हैं कि आदिवासियों को खरीदा नहीं जाता है। मैं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

विश्वास के साथ कहता हूं कि कोटा जिले के अंदर का जो पिछड़ी जाति का एम. एल. ए. खरीदा गया है वह ३४,००० में खरीदा गया।

(शोरगुल)

उसके लड़के ने परीक्षा दी, उसको जबर्दस्ती ही पास किया गया....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि इस तरह के विवादास्पद विषय हैं वे सदन के सामने नहीं लायें, इनका एकदम निर्णय नहीं होने का है। जो माननीय सदस्य जिधर हैं उधर ही रह जायं तो भी बहुत है।

श्री श्रवणलाल : चोरी और सीना जोरी।

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह रावत : (अश्रव्य) साहूजैन का खजाना ..

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: इन्सानियत इस बात में थी कि आज हमारे इन भाइयों को सौभाग्य मिला था तो कम से कम अपनी जाति के अगुवा बनते और उनको समाज के बंधनों से छुड़ाते। बड़ी शर्म की बात है कि उधर बैठने वाले लोग अपनी कौम के साथ विश्वासघात करते हैं, समाज के साथ विश्वासघात करते हैं, प्रजातंत्र के साथ विश्वासघात करते हैं, चोरी और फिर सीनाजोरी की बातें करते हैं।

श्री हीराभाई : बार-बार यह बात कही जा रही है लेकिन परिस्थिति यह है कि जो आदमी पकड़ कर ले गए थे झालावाड़ से, एक माननीय सदस्य हरिजन जाति का है उनको ले गए थे और उनके साथ क्या किया है यह सदन में कहलाना चाहते हैं कि उनके साथ-साथ कौन आदमी थे, कौन महिलायें थीं, कैसे गंदा वातावरण पैदा किया था ? यह खोलना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती हुल्लड़ कराना चाहते हैं। मेरी सुखाड़िया साहब से दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी सिर्फ अन्याय और जालिम व्यक्ति से होती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति तब पैदा होती है जब सुखाड़िया साहब और जोशी साहब का अन्याय करने का अध्याय बन जाय और उसी अध्याय से लोगों को कतल करायें, लोगों का शोषण करें, तब जाकर उनसे दुश्मनी होती है वरना उससे मुझे कोई आघात नहीं पहुँचता। १०० सालों से लोगों ने मुसीबतें देखीं, कुर्बानियां कीं और मरने के बाद प्रजातंत्र का राज कायम किया, प्रजातंत्र की नींव डाली लेकिन आपने पैसों से लोगों को खरीद कर, भ्रष्टाचार में डूब कर, प्रजातंत्र को खोखला बनाया। इसलिए कांग्रेस नहीं चल सकती (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। मास्टर भी थे, कई वकील थे और जिन्होंने "भारत छोड़ो" आंदोलन में भाग लिया, यह नारा लगाया, उस समय पुलिस वालों के कोड़े खाए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। ये अब जो बैठे हैं असली कांग्रेसी नहीं हैं, असली तो गुजर चुके हैं और बाकी असली कांग्रेसी गंदा रास्ता छोड़ कर, कांग्रेस छोड़ कर अलग हो गए। कुर्बानियां हम लोगों ने की हैं, उन लोगों ने नहीं की हैं। इन्होंने तो भ्रष्टाचार और शोषण किया है और आपस में बांटा जैसे लूट के सामान पर बन्दर बैठ जाता है। तो ये नकली हैं। नकली कांग्रेसी प्रजातंत्र को कैसे जिंदा रखेंगे ? ये प्रजातंत्र को नहीं जिन्दा रखेंगे।

(श्री हीराभाई)

(४.२८ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

अगर किसी मंत्री का भी शासन होगा तो भी ये आदिवासी तो नौकर ही रह जायेंगे। मुझे कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये देश को जिंदा रखने वाले लोग नहीं हैं, अपना मतलब सिद्ध करने वाले हैं।

आदिवासियों और हरिजन जाति के कमिश्नर की रिपोर्ट में, जैसे वह सतर्कता की बात कर रहे हैं, उसी दृष्टि से आज सागड़ी प्रथा को किसी प्रकार से हल करने के लिए मन्त्री महोदय पूरी जिम्मेदारी से जवाब देंगे। दूसरी बात सहकारिता में जितनी ठेकेदारी प्रथा से नकली काम किया जा रहा है, तुरंत उसको कार्यवाही करेंगे और (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तीसरी बात हमारी एक समिति है जिसमें कांग्रेस द्वारा खयानत की गई है।

जिन्होंने अमानत में खयानत की है उनको सही मायने में सजा देने की जिम्मेदारी मन्त्री महोदय पर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

मैं कुछ सूचना दे दूं। उसके बाद समय दूंगा।

जनलेखा समिति ६७-६८ और प्राक्कलन समिति ६७-६८ के चुनावों के संबंध में निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जाते हैं:—

जनलेखा समिति

	विभाजन सं०
(१) श्री रघुनाथ विश्नोई	१२१
(२) श्रीमती गौरी पूनिया	३३
(३) श्री किशनलाल	१७
(४) श्री पुखराज कालानी	७२
(५) श्री गिरधारीलाल व्यास	२७
(६) श्री पी० के० चौधरी	७१
(७) श्री राजा मानसिंह	११०
(८) श्री सहदेव शर्मा	१६६
(९) श्री लादूराम सुलानिया	१४६
(१०) श्री भैरोंसिंह शेखावत	६७

प्राक्कलन समिति

	विभाजन सं०
(१) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत	१४४
(२) श्री समर्थलाल	१६५
(३) श्री दीपचन्द डूंगाणी	४९
(४) श्री गोकुलचन्द	३०
(५) श्री व्रजप्रकाश	६२
(६) श्री रामकुमार	१२७
(७) श्री रामकिशन	१२६
(८) श्री नाथूराम	६५
(९) श्री आईदानसिंह	६
(१०) श्री विट्ठलप्रसाद	१५१
(११) श्री डूंगाराम राजोरिया	४५
(१२) श्री रामानन्द	१३७
(१३) श्रीमती प्रभा मिश्रा	७४
(१४) श्री कृष्णकुमार गोयल	१६
(१५) श्री रावतराम	१३८

श्रीमती मदनकौर ने, जिनको गृह-समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था, त्याग-पत्र दे दिया है। उनके स्थान पर श्री जसराज को गृह-समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं।

श्री रामकिशन : इतना ही मिला साहब।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री हीराभाई : तो अध्यक्ष महोदय मैं....

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामकिशन : हमारे दल से केवल अकेले ही ये बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने कह दिया मैंने मान लिया। पर मैंने माननीय सदस्य को बहुत सा समय दे दिया।

श्री रामकिशन : ये दल की तरफ से बोल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी ये ही बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे दल के हैं, इसलिये इस परम्परा को नहीं मानता हूं। जब तक कि माननीय सदस्य न कह दें।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं। एक बात जो रह गई...

श्री अध्यक्ष : कुछ समय और दिया गया माननीय हीराभाई को।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : एक स्पष्टीकरण कर दीजिये। रामानन्दजो कहते हैं हमारा दल, हमारा दल तो यह दल कोनसा है इनका ?

श्री अध्यक्ष : दल सदन के बाहर है।

श्री हीराभाई : आदिवासियों को कर्जे से मुक्त करना यह भी आयोग की रिपोर्ट में है। लेकिन आज भी आदिवासी कर्जे में डूबे हुए हैं।

दूसरा यह भी है कि आदिवासियों की जमीन दूसरा गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकता। पर आज हमारे बांसवाड़ा जिले में जितने बड़े-बड़े लोग पैसे वाले हैं रोजमर्रा दस-दस, बीस-बीस रजिस्ट्रियां करा रहे हैं और आदिवासियों की तमाम जमीन खरीदी जा रही है कर्जे की वसूली में। मन्त्री महोदय इस बारे में जल्दी ध्यान दें।

शिक्षा के बारे में भी मन्त्री महोदय जल्दी से जल्दी ध्यान दें।

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है कि आदिवासियों की भलाई की बात करते हैं। पम्पिग सेट देने के लिये सरकार ने अनुदान मन्जूर किया। पर रास्ता क्या अपनाया कमाई का ? जिन-जिन फर्मों से रहट और पम्प खरीदे जाते हैं उनकी एजेन्सी कायम कर दी। वे बीच में अपना कमीशन पकाते हैं। जिन फर्मों से पम्पिग सेट आते हैं तीन हजार और ३१ सौ में वहां से आते हैं। तो अब वहां की समितियों के द्वारा एजेन्ट जो मुकर्रर किये हुए हैं वे उसी ३ हजार और ३१ सो के पम्पिग सेट के ४२०० आदिवासियों से लेते हैं। तो इधर तो अनुदान दिया, कर्जा चढ़ा और उधर पैसा बीच में ये एजेन्ट दलाल खा जाते हैं। किसी सेट की २४ सौ और २७ सो कीमत भी है वह भी सवा चार हजार से कम पर सप्लाई नहीं करते। तो सीधी सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करती ? कम्पनी से सीधा आदिवासी को मिल जाय। अगर यह मेरी बात गलत हो तो हमारे वहां नटवरलाल लेखराज हैं। यहां बेचारा ऐसा नहीं है, सभी कांग्रेसी लोग ऐसे है राजस्थान में। वहां की पंचायत समिति कुशलगढ़ का ठेका ले लिया पम्पिग सेट सप्लाई करूंगा। इतनी कीमत पर लेने से मैंने मना कर दिया। कहा हम तो वहां से जाकर लावेंगे कम्पनी से। यह कहा तो मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि आप ७००) रु० ले लो।

(श्री हीराभाई)

आपको रेडियो-ट्रांजिस्टर दे दूंगा। अगर मुनाफा नहीं है तो एजेन्ट मुझ को रिश्वत देने की बात क्यों करता है ? मैं रिश्वत लेने के लिये तैयार नहीं हूं। हमने इन बातों से दूर रहने की कसम उठाई है।

एक माननीय सदस्य : सच्चे कार्यकर्ता की यह मिसाल है।

श्री हीराभाई : और एजेन्सी की बात है यह सारे देश को बरबाद करने वाली है। आदिवासियों के नाम को ठीक करना है तो कम से कम इस बारे में कहीं न कहीं तो कन्ट्रोल किया जावे। वरना यह अर्ज कर दूं कि ३–४ सूबे बनावेंगे। हम अपना अलग सूबा बनावेंगे। चाहे फिर हमारा खून बहे। कितनी गोलियां खानी पड़े। खूब खच्चर होगा, होगा। पर हम देश के प्रति गद्दारी नहीं करेंगे। दूसरे देश की बात नहीं करेंगे। पर हमारे देश में हमारा सूबा बनाने की तैयारी करेंगे। मैं साफ कहता हूं। वरना सम्भल जाओ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार बोलेंगे।

श्री नन्दलाल : पहले व्यवस्था दी थी तो मेरी तरफ इशारा था।

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा) : आज का यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब केन्द्र सरकार ने अपनी ६४ की रिपोर्ट पेश की तो राज्य सरकार को भी पेश करनी थी।

आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग मानते हैं, कहते हैं और बार-बार सरकार को भी सुझाव देते हैं कि हमें बताएं कि हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से हमारे लिये क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं ? यह हमारे ध्यान में हो। इसके विधान को अच्छी तरह से पढ़ा जावे तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं।

हमारा समाज इतना पीछे था पहले कि हम अच्छी संगति में बैठ नहीं पाते थे। आजादी के बाद हमें पढ़ने-लिखने का अवसर मिला, अच्छी संगति में बैठने का उठने का मौका मिला। आज, अध्यक्ष महोदय, हम आपके साथ बैठ सकते हैं। हमें सबका सहयोग है। दिन प्रतिदिन शिक्षा की भी प्रगति हमारे में हो रही है। आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। और आगे बढ़ते भी जावेंगे।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हमारे आदिवासियों के अन्दर, हरिजनों के अन्दर बहुतसे ऐसे विद्यार्थी पढ़ने वाले भी हैं, अच्छे पढ़े-लिखे भी हैं पर क्या पता, या तो हमारी कमजोरी कहें या समाज विभाग की कमजोरी कहें कि उनको अपेक्षित स्थान सरकार में नहीं मिलते। सरकार का नियम है कि १२॥ पर्सेन्ट हमको सरकारी सर्विस में स्थान दिया जाय। पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत कम स्थान मिले हैं। बहुतसे अच्छे पढ़े-लिखे लड़के मारे-मारे फिरते हैं। तो इससे हमें बड़ा दुःख होता है क्योंकि हमारी आर्थिक हालत खराब है और इस कारण बड़ी मुश्किल से तो पढ़ पाते हैं। यह सरकार की महरबानी है। उनका सहयोग मिल जाता है जिससे इतना पढ़ जाते हैं और मानव के साथ चलने का मौका हमें मिल गया है तो आज मानव समाज के साथ उठने-बैठने, चलने का और उनके समान अवसर प्राप्त करने की हमारी भी इच्छा है। हम भी मानव की पोजीशन में आना चाहते हैं। उस पोजीशन को हमें भी आगे देखना है।

(श्री देवेन्द्रकुमार)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि बहुतसे छात्रावास समाज कल्याण विभाग की ओर से चल रहे हैं । अभी कहना तो ठीक नहीं था फिर भी कह देता हूं । छात्रावास की व्यवस्था देखी है । जिस ढ़ंग की व्यवस्था है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्र वहां पढ़ते हैं उनको जिस तरह के खाने-पीने की सहूलियत दी जाती है, जिस प्रकार का अनाज दिया जाता है, काफी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए मैं कोटड़ा का ही जिक्र करता हूं । एक दिन का किस्सा है । एक दिन अचानक मैं छात्रावास में चला गया । जाकर लड़कों को पूछा कि क्या खाने को मिलता है ? लड़कों ने कहा कि मक्का का आटा खाने को मिलता है । मैंने रजिस्टर उठा कर देखा कि उसमें गेहूं का आटा लिखा हुआ है । मैंने लड़कों से पूछा कि कितने दिन से मक्का की रोटी मिलती है ? उन्होंने कहा कि महीना भर हो गया । इस तरह की व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है । हमारे अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये । आपकी भावना की कद्र करते हैं । उनका हक है । उनकी व्यवस्था का आपको खयाल रखना चाहिये । अधिक से अधिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये ।

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये पहाड़ी इलाके हैं । उनमें हम लोग रहते हैं । सरकार के द्वारा हमारे ऊपर थोड़ा वजन है । हमारे पास टूटी-फूटी बंदूकें रहती हैं । वे हम अपनी रक्षा करने के लिये रखते हैं । गवर्नमेन्ट ने उसका भी ठेका दे रखा है । गवर्नमेन्ट फी कर दे और लाइसेन्स में थोड़ा कन्सेशन दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, छात्रावास के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुतसे लड़कों का एडमिशन हो जाता है लेकिन छात्रावास की कमी रहती है । इसलिये छात्रावास की पूरी व्यवस्था की जाय । गवर्नमेन्ट की ओर से पचास-सौ लड़के तक हों, अच्छे पढ़ने वाले लड़के हों तो उनमें भर्ती हो सकें ।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं । आज गवर्नमेन्ट की तरफ से हम को साथ मिला है । मैं गवर्नमेन्ट को धन्यवाद देता हूं । बहुतसे हमारे साथी उछल-उछल कर कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ । मानव के साथ बैठने का हमको हक मिला है । सब दुनिया की हवा के साथ चलने का हमको मौका मिला है । हमारे में कमजोरी जरूर हो सकती है । समाज कल्याण विभाग में कमजोरी हो । मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस विभाग को पनपाना चाहते हैं, इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार है, थोड़ा सतर्क रह कर और महनत के साथ काम करें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि यह विभाग तरक्की कर सकता है । आपके समाज कल्याण के इन्सपेक्टर होते हैं वे क्षेत्र में एक बार भी नहीं जाते हैं । गोगून्दा, कोटड़ा की बात कहूं । वे अपने-अपने एरिया में पड़े रहते हैं । उनका काम है आदिवासियों के अन्दर जाकर उनकी देख-रेख करना । कृषि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुए खोदने के लिये रुपया देते हैं । हम मानते हैं कि वह मिलता है । लेकिन उसका दुरुपयोग होता है । पांच-सौ रुपया मिलता है । पांच-सौ रुपये में कुआ नहीं खुद सकता है । पहाड़ी इलाके में पांच-सौ रुपये में कुआ नहीं खुद सकता है । दो हजार रुपया हो तो कुआ खुद सकता है । पांच-सौ रुपया देते हैं वह व्यर्थ जावेगा । कुआ यदि किसान नहीं खोद सकेगा तो उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हो

(श्री देवेन्द्रकुमार)

सकेगी। और आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो आगे काम नहीं कर सकेगा। इस ओर समाज कल्याण विभाग थोड़ा ध्यान दे। सुचारुरूप से इस विभाग को चलायें। १२॥ प्रतिशत आदिवासी और हरिजनों के लिये कोटा निश्चित किया है उसकी पूर्ति करें। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है जहां तक मैं जानता हूं, आदिवासी और हरिजनों में से कोई भी बड़ा अफसर नहीं है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह विभाग कल्याणकारी है। कल्याण के लिये यह सारी व्यवस्था है तो इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिये। हमारा कोई भी प्रतिनिधि अधिकारी होता तो वह जान सकता था। हमारी हालत हम ही जान सकते हैं। बड़े कस्बों के अधिकारियों को भेज देंगे तो वे हमारी हालत को क्या जानें। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप काम करने में रुचि रखते हैं, भावना भी आपकी अच्छी है इसलिये आप आदिवासियों और हरिजनों के विषय में अधिक से अधिक ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बहुतसी जगह मैंने देखा है कि पुलिस विभाग में जहां पक्षपात नहीं होना चाहिये वहां आदिवासियों के साथ पक्षपात होता है। आदिवासी ज्यादातर भूखे रहते हैं। पुलिस में आते हैं या आर्मी में चले जाते हैं। अब तो आर्मी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हवालदार नहीं बना सकते। माल और जान की रक्षा का क्या होगा? उसमें भी पक्षपात हो सकता है। इसलिये काबिलियत के माफिक आगे बढ़ाना चाहिये। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम उठाया है उसमें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देनी चाहिये और आगे बढ़ने के लिये अधिक मौका देना चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम।

(४-४० म.प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

श्री परसराम (परबतसर) : सभापति महोदय, हरिजनों के लिये एक दिन क्या वायदे दिये गये? कांग्रेस के द्वारा हरिजनों के दुःख-दर्द नहीं सुने गये। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि १६ जून, १६४६ को महात्मा गांधी ने एक महत्व की बात कही थी कि हरिजनों के उत्थान के बिना यह आजादी अधूरी है और हरिजनों के हितों का कार्य नहीं किया गया तो भविष्य में आपको दुःख देखने पड़ेंगे। हरिजनों के छात्रावास आदि के लिये बड़े कष्ट हो रहे हैं। आज दिन तक कुछ नहीं सुना जा रहा है। हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्रावास अथवा अन्य कोई काम नहीं किया जाता है और हरिजनों को यही विश्वास दिलाया जाता है कि हम आप लोगों के लिये कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन केवल कागजी कार्यवाही और कागजी घोड़ों से हरिजनों का भला नहीं होगा। आपको मालूम है कि हरिजनों की वजह से ही आज इस राज्य का काम पूरा हुआ है। हरिजन आप लोगों से आज नहीं मिलते तो यह मिनिस्टरी अधूरी ही रहती। उन लोगों को आपने विश्वास दिलाया था कि आपके हित का कुछ न कुछ काम करेंगे। लेकिन आज तक कोई भी हरिजन के लिये काम नहीं किया गया। आज राजस्थान में हरिजनों का कोई कलेक्टर नहीं है जो कि हरिजनों का काम कर सके। और बड़ी-बड़ी नौकरियों में सवर्ण जाति के और दूसरे लोग हैं पर हरिजनों का कोई इसमें नहीं है और को-ऑपरेटिव सोसायटी या चर्म-उद्योग या कोई और हो तो उनमें भी कोई

(श्री परसराम)

तरजीह नहीं दी जाती है। और हरिजनों के हितों के लिए, विद्या तथा और कामों के लिए हरिजनों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों के हितों में आज दिन तक भी कुछ नहीं हुआ है और ऐसा नही होने से यह हुआ है कि जब हरिजन सारे राजस्थान मे १/३ हैं तो भी उनका कुछ भी काम नहीं होता है। मैं आप से यही निवेदन करूंगा और हमारे मंत्रीजी से भी यही प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा करके हरिजनों को दृष्टि में रख कर कुछ करें ताकि हरिजनों का कुछ काम हो सके। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री रावतराम !

श्री रावतराम (छापर) : माननीय सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार की शिकायत की थी कि यह १९६३–६४ की रिपोर्ट है जो बहुत पुरानी रिपोर्ट है। खैर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन फिर भी इस सदन में यह परम्परा रही है कि इस आयोग की रिपोर्ट समय-समय पर यहां पर पेश होती है और उस पर यहां राजस्थान असेम्बली में बहस होती है। आज भी इस पर बहस हो रही है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें भी लिखी हुई हैं और इसमें बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमें इस पर विचार करना चाहिए। मैं समयाभाव को देखते हुए संक्षिप्त में मेरी बात रखने की कोशिश करूंगा। मैं खास तौर से इस बात को रखना चाहता हूं कि आज जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हालत राजस्थान में है उसको देखते हुए हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। आज हम उनके लिए कोई किसी तरह की व्यवस्था करते हैं चाहे वह एजूकेशन के लिए हो, चाहे सर्विसेज के लिए हो और दूसरी-दूसरी फैसिलिटीज के लिए हो, लेकिन हमको बुनियादी तौर से यह मान कर चलना पड़ेगा कि अब तक हम इन लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में, इन लोगों की हालत के बारे में नहीं सोचते और उनके लिए कारगर उपाय नहीं सोचते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी परवाह नहीं करते। आज हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज उनके पास किसी तरह के, जो आज उन्नत समाज के लिए जिन साधनों की जरूरत होती है, साधन नहीं हैं। आज एक समाज को ऊंचा उठाने के लिए जो साधन चाहिएं, जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिएं वह फैसिलिटीज आज उनको नहीं मिल पातीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी गांवों में जाकर देखें, आज शहरों और कस्बों में जाकर देखें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की क्या हालत है। उनके पास अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके पास दूसरे साधन नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिए खास तौर से सरकार को उपाय करना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमारे सामने कई मार्ग हैं। आज हम खेती-बाड़ी की बात कर रहे हैं। इसमें आज जमीन एक मुख्य साधन होता है आर्थिक स्थिति को सुधारने का। दूसरा साधन व्यापार का है और तीसरा उपाय नौकरी का है। इन सारे मामलों में हम विचार करें तो आज हरिजनों की हालत यह है कि खेती की जमीन उनके

(श्री रावतराम)

पास बहुत कम है। दूसरा व्यापार-धंधा है उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए और उसके लिए दूसरे साधन चाहिएं, वे सारे साधन उनके पास नहीं हैं। तीसरा साधन सर्विस का है। सर्विस का भी जहां तक मामला है आज उनको सर्विस से भी इग्नोर किया जा रहा है। आज इस युग में जब हम कहते हैं कि पढ़े-लिखे लोग नहीं मिलते हैं, पढ़े-लिखे आदिवासी और हरिजन नहीं मिलते हैं तो एक तरफ तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जो रिपोर्ट से भी साबित होता है और अगर सरकार सर्वे करा कर जानकारी हासिल करे तो भी मालूम होगा कि हजारों लोग, शिक्षित लोग बेकार घूम रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको सबसे ज्यादा इस बात पर जोर देना है कि जहां तक हरिजनों को जमीन देने का प्रश्न है, सरकार ने सक्यूंलर निकाल दिया कि हमारे पास जो जमीन है, जो जमीन पड़त है या दूसरे तरीके से सरकार के पास है, सीलिंग के बाद जमीन निकलती है या दूसरी तरह की जमीन है हमें उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा किया गया है ? वह जमीन अन्य लोगों को मिलती है लेकिन वह जमीन इनको नहीं मिलती है। कारण यही है कि जो लैंड अलॉटमेंट कमेटी है उनमें इनका कोई मेम्बर नहीं है। आज दूसरे तरीके हैं जमीन देने के लेकिन उनमें भी इनका कोई अप्रोच नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज उन लोगों को जमीन देने का जो तरीका आपने अपनाया है वह कारगर सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन आयन्दा के लिए आपको इस बात पर सोचना होगा कि हम उनको जमीन किस तरह से दे सकते हैं। आज राजस्थान केनाल या जो आपका चम्बल है, आज आपका भाखरा है या सारे जो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स में आज आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीन कहां दी है ? इन प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने रिजर्वेशन किया है एक्स-जागीरदारों के लिए और एक्स-मिलिट्रीमैनों के लिए, और और दूसरे लोगों को बाहर से लाकर उन लोगों को यहां बसाना चाहते हैं। बंगाल से लाकर यहां बसाना चाहते हैं। बिहार से लाकर यहां बसाना चाहते हैं लेकिन अपने यहां के राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की क्या हालत है, उनके पास जमीन नहीं है उसकी और आपका ध्यान नहीं है। आज आपको उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि यहां आपके पास में ही झुंझुनूं जिला है, आपके पास में ही सीकर जिला है। इन जिलों के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनके पास १० प्रतिशत के पास भी भूमि नहीं है। ९० प्रतिशत लोग लैंडलेस हैं। वे लोग और कहीं मजदूरी करने के लिए कहीं केनाल पर जाते हैं, कहीं दिल्ली में जाते हैं और बाहर जाते हैं तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम लोग इनके लिए जमीन की किस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री सभापति : बैठक का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : एक घण्टे के लिए तो समय पहले ही बढ़ाया जा चुका है तो क्या एक घण्टा और बढ़ाया गया है ? सात बजे तक सेशन चलेगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : चैयरमेन महोदय, मैं समझता हूं कि समय जब तक जवाब न हो जाय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : मुझे यही आदेश दिया गया है।

श्री रावतराम : माननीय सभापति महोदय, जो हरिजन कल्याण के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है उसमें से मैं एक पैरा पढ़ना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है :

"हरिजन कल्याण के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिसम्बर, १९६३ में आयोजित अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों को भूमि बांट देने के प्रश्न पर चर्चा की। बोर्ड ने सिफारिश की कि उपलब्ध भूमि के विस्तार तथा अब तक बांट दी गई भूमि के विस्तार के सम्बन्ध में पूरी सूचना इकट्ठी की जानी चाहिए ताकि उपलब्ध भूमि के तुरन्त और न्यायपूर्वक वितरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाया जा सके। यह विचार भी प्रकट किया गया कि भूमि बांट देने के मामले में अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत को स्वीकार करना ही, जैसा कि बहुतसे राज्यों में किया गया है, पर्याप्त नहीं क्योंकि दरअसल इन व्यवस्थाओं को वांछित हद तक अमल में नहीं लाया जा रहा है। बोर्ड का विचार है कि उपलब्ध भूमि का एक मुख्य भाग अनुसूचित जातियों को देने के लिए निर्दिष्ट करना चाहिए।"

(५ म. प.)

तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी व्यवस्था रही है उसके मुताबिक उन लोगों को जमीन नहीं मिली, और मैं इसके लिए समाज कल्याण विभाग को उत्तरदायी नहीं ठहराता। यह उसके बस का नहीं है। यह गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट पॉलिसी बना कर दे कि वह जमीन देना चाहती है तो आज वह जमीन दे सकती है, मगर एक महज भूल-भूलैया की तरह से कह दे कि सक्यूलर जारी कर दिया कि २५ प्रतिशत जो जमीन है वह खास तौर से इन जातियों के लिए रिजर्व कर दी है और की जायगी तो इस तरह से काम नहीं चल सकता है। आज तक जितनी जमीनों का एलॉटमेंट हुआ है और जहां जमीनों के लिए कमेटियां बनीं तो उनमें जो सेवाभावी लोग थे उन्होंने तो इनको जमीनें दे दीं लेकिन बाकी लोगों को जमीनें नहीं मिलीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह का प्लान बनाना चाहिए कि जो कमान्डेड एरिया है उसमें खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन करना चाहिए। जिन लोगों ने नहरें खोदी हैं, जिन लोगों ने ज्यादातर परिश्रम किया है उन लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स में। यदि इन लोगों को नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार इन लोगों के साथ ज्यादती करती है, ज्यादती ही नहीं यहां तक कि पक्षपात का रवैया अपनाती है और दूसरे लोगों को जमीनें देने के लिए प्रायोरिटी से सोचती है, और उन लोगों को इग्नोर करती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की गरीबी दूर करने के लिए दूसरे जो रास्ते थे कुटीर उद्योग-धन्धों के, बहुतसे लोगों के पुराने अर्से से अपने घरेलू धन्धे थे, कोई कपड़ा बुनने का काम करता था, कोई चमड़े का काम करता था, कोई दूसरा काम करता था, और उनसे वे लोग अपना गुजारा करते थे, वे भी बन्द हो गये। सरकार स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के नाम से, कुटीर उद्योगों के नाम से प्रचार व पब्लिसिटी तो करती है, हाउस में घोषणा यह करती है कि हम न लोगों को कुटीर उद्योगों में लगाना चाहते हैं उनके लिए इन्डस्ट्रीज छोटी-छोटी संस्थापित करके उनमें

(श्री रावतराम)

लगाना चाहते हैं, यह बात भी मैं सही नहीं मानता हूं, क्योंकि उन लोगों को कुटीर उद्योग-धन्धों से विशेष लाभ मिला हो ऐसी बात नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं बीकानेर डिविजन में और दूसरे जिलों में मैंने देखा है कि जिन लोगों का अब तक जो धन्धा था उस धन्धे को भी वे छोड़ रहे हैं, क्योंकि न तो रॉ मेटीरियल मिलता है, न दूसरे साधन मिलते हैं। आज को-ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से दूसरे लोग उनमें घुस गये हैं और घुस कर और पैसे का लेन-देन करके इन कुटीर उद्योगों में घुस गये और जो सही लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिए थी वह आज मजदूरी नहीं मिलती है। आज कुटीर उद्योग-धन्धों के मामले में राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है उसके बारे में थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि कुटीर उद्योगों के बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

"राजस्थान में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए और खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के आरम्भ में १० लाख की व्यवस्था की थी। १९६२ में इस राशि को घटा कर २ लाख रुपये कर दिये गये और उसमें से १९६१-६२ में ३० हजार रुपये खर्च किये। १९६२-६३ और १९६३-६४ में इस योजना के लिए कोई धनराशि नहीं थी।"

१० लाख रुपये योजना में रखा था और १० लाख से कटौती करके २ लाख कर दिया गया। उसमें भी ३० हजार रुपया खर्च हुआ। पर्सेन्टेज में वह ३० प्रतिशत रुपया खर्च किया है। यह कुटीर उद्योगों की हालत है। एग्रिकल्चर साइड में जमीन नहीं मिलती है तो वे कहते हैं कि कुटीर उद्योगों में खपायेंगे। उधर भी यह हालत होती जा रही है।

तो, माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से इन लोगों के लिए पीने के पानी के लिए, दूसरे खेती के लिए कुए बनाने के लिए और दूसरे तरीकों से जो भी आपको सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट से जो लोन या सब्सिडी मिलती है वह पंचायत समिति या जिला परिषदों के द्वारा मिलती है। कुछ तो ऐसी सहायता है जो सीधी ही मिलती है, बाकी जो है कुछ धनराशि पंचायत समिति के द्वारा मिलती है। तो इस रिपोर्ट के पढ़ने से यह मालूम होता है कि जितना पैसा सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ने दिया है पंचायत समितियों को उनमें से यह देखा गया है कि २५ प्रतिशत से ज्यादा ऐसा पैसा खर्च नहीं हुआ और खर्च हुआ है तो दूसरे कामों में उन लोगों ने खर्च किया है, और इन लोगों के लिए खास तौर से खर्च नहीं किया। इसके बारे में सादिकअली की पंचायती राज के अध्ययन की कमेटी थी उस कमेटी का एक उद्धरण मैं पढ़ कर सुनाऊंगा "हमारा यह विचार है कि आम तौर पर पंचायती राज संस्थाएं निर्बल वर्ग को विशेष धन देने और सहायता पूर्ति करने में असफल रही हैं। इस संबंध में पंचायतों की जितनी योजनाएं सैंक्शन की हैं ये योजनाएं कुछ ऐसी हैं कि आम तौर पर उनसे समृद्ध और धनी लोगों को लाभ हो सका है। विशेषरूप से दिये गये कार्यक्रम की हालत यह है कि कई जगह वे हाथ में ही नहीं लिये गये। महत्वपूर्ण सिफारिशें स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों ने विचार किया है पर सब पंचायत समितियों ने निर्बल वर्ग के कल्याण के लिए विशेष धनराशि अलग रखने के लिए निर्देश दिया, पर इन निर्देश के बावजूद किसी भी पंचायत समिति ने ऐसी कोई धनराशि नहीं रखी है। सीमित वित्तीय स्थिति के कारण

(श्री रावतराम)

यह संभव भी नहीं हो सका था। हमने देखा है कि ग्रामीण समुदाय के धनी वर्ग ने पुरानी परम्पराएं कायम रखने का प्रयत्न किया और पंचायत समितियों ने समुदाय के निर्बल वर्ग के कल्याण के लिए कोई विशेष देखभाल का तरीका नहीं अपनाया।"

तो मेरा निवेदन करना यह है कि जो डिसेन्ट्रेलाइजेशन करके पंचायती राज बना है तो इसके तुरन्त बाद जो पैसा मिला है वह वहीं का वहीं पड़ा है। इस कमेटी ने यह भी बताया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि— "राजस्थान तथा अन्य कुछ प्रदेशों में, राज्यों में से ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि जहां पिछले वर्ष की धनराशि बिना खर्च किये हो बलात् अधिकारियों के पास पड़ी हुई है और पंचायत समितियों को ट्रान्सफर करने के बाद भी पंचायत समितियों के पास रकम पड़ी रहती है। इन लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमारे कल्याण के लिए इतना रुपया, इतनी रकम पड़ी है इसकी इनको जानकारी नहीं। वह रकम लेप्स होती है या रकम का एप्रोप्रियेशन करके दूसरे सीगे में उस रकम को खर्च करते हैं।"

इसमें आगे जाकर यह कहा गया है—

"राजस्थान में यह देखा गया है कि राजस्थान के समाज कल्याण विभाग की मन्जूर की हुई एक बड़ी धनराशि पंचायत समितियों के खातों में बिना खर्च किये हुए पड़ी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्बल वर्ग के कल्याण के लिए जब पंचायत समितियों का गठन हुआ तब से अनुदान के लिए दिया गया फण्ड पड़ा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा उन स्थानों पर जाकर जांच की गई तो तीन जिलों के आंकड़े इस तरह के हैं—ये तीन जिले जैसलमेर, झालावाड़ और नागौर हैं। जैसलमेर में रकम दी गई सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट से १,३१,२०७) रु० की और उसमें से आपका खर्च हुआ है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) झालावाड़ के लिए १,७३,०००), रु० और खर्च हुए १४,३००) रु०। इसका सवाल यह है कि जो रकम पंचायत समितियों को यहां से दी जाती है वह रकम आगे जा कर पड़ी रहती है। उस रकम के लिए खास तौर से कार्यवाही नहीं करते हैं।"

तो यह रिपोर्ट जो बार-बार आती है और बार-बार इसमें यह शिकायत आती है कि पंचायत समितियां पैसा खर्च नहीं करती हैं फिर भी सरकार की यह हालत है और इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम नहीं उठाया है।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में यह शब्द कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि छात्रावास खोलते हैं और स्कॉलरशिप्स देते हैं। ये दो मोटी व्यवस्थाएं हैं। मैं इनके लिए यह कहना चाहता हूं कि आप जो छात्रावास खोलते हैं वे बहुत अपर्याप्त हैं, क्योंकि लड़कों की संख्या ज्यादा है। इनसे पूरा नहीं होता है। आज होस्टल की क्या हालत है वह आप होस्टलों में जाकर देखें कि एक-एक कमरे में १५-१५ लड़के हैं। उसी कमरे में हाई स्कूल का लड़का है और उसी में पांचवीं क्लास का लड़का है। होस्टलस की व्यवस्था खराब है। उनमें लड़के नहीं रह सकते हैं। इसके लिए उन लोगों के लिए होस्टलों में अच्छी व्यवस्था हो, यह कोशिश करना चाहिए। वहां पर राशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। राशन की व्यवस्था को सम्हालने के लिए आपको कार्यवाही करना चाहिए। मैंने यह भी मांग की है कि आप उन होस्टलों की व्यवस्था को

(श्री रावतराम)

देखिये कि उनमें किस तरह की व्यवस्था है। उनकी व्यवस्था को देखने के लिए हमें एक समिति बनानी चाहिए। वह समिति दौरा करके अपनी रिपोर्ट दे। इसमें आपको एतराज क्या है। उस समिति को संतोष हो जाता है और कुछ कमियां हों तो उनके लिए सुझाव दे सकती है। तो सरकार को इसमें एतराज नहीं करना चाहिए। मैं होस्टल्स के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपकी इस रिपोर्ट में इसका जिक्र आया है और वह जिक्र इस तरह से है कि राजस्थान के छात्रावासों में छात्रों को अपूर्ण व तंग कमरों में रहते पाया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है—

"यह देखा गया कि राजस्थान में कई छात्रावास-भवनों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि नये भवनों के निर्माण के लिये रुपये मंजूर करने से पहले इन अपूर्ण भवनों का निर्माण पूरा करें। आशा की जाती है कि राज्य सरकार शीघ्र ही यह कार्य करेगी।"

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा फिर बैठ जाऊंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन छात्रावासों के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए ताकि वह छात्रावासों की व्यवस्था को जाकर देखे, वहां पर पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था और मकानों की व्यवस्था इन सारी व्यवस्थाओं को जाकर देखे।

मैं सरकार को एक बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं। आपने इस साल एक कदम उठाया है, वैसे पिछले दो-तीन साल से इसके लिए प्रयास किया गया है कि कॉलेजों के लड़कों को इन होस्टलों में नहीं रखा जाय। आपके इस कदम को मैं सुन्दर मानता हूं और मसूदा साहब को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे मुझे यह मालूम नहीं है कि मसूदा साहब ने इनीशियेटिव लिया है या क्या किया है। लेकिन यह अच्छा काम किया है कि कॉलेजों के लड़कों को इन होस्टलों में नहीं रखा जाय। यह जरूरी भी था। पिछले साल इस बात की शिकायत की थी कि टेक्निकल स्कूल के लड़के भी इसमें और दूसरे दूसरे लड़के भी इसमें न रहें। कुछ भारत सरकार स्कॉलरशिप देकर और कुछ राजस्थान सरकार स्कॉलरशिप देकर इन लड़कों को जनरल होस्टल में रखने की व्यवस्था कराये। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं वह व्यवस्था अव्यवस्था में न बदल जाय। आजकल कई लड़के हमारे पास घूमते हैं. वे कहते हैं कि साहब! वहां हमसे फीस मांगते हैं। हम कॉलेज में जाते हैं तो हम से फीस मांगते हैं, कॉशन मनी मांगते हैं। उनको पैसा जमा कराना पड़ेगा शिक्षा के लिए, तो उनको डेढ़-सौ, दो सौ रुपये की जरूरत पड़ेगी। वह पैसा आपको उन्हें पहले देना पड़ेगा तब जाकर काम जमेगा। इसके साथ-साथ एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्कॉलरशिप छः महीने के अन्दर, बारह महीने के अन्दर देते हैं उसके बजाय हर दूसरे महीने स्कॉलरशिप उनको देनी चाहिए। इसके लिए आपको भारत सरकार को भी लिखना चाहिए कि भारत सरकार की स्कॉलरशिप भी उनको हर दूसरे महीने मिल जाय। तभी वह कॉलेजों में रह कर पढ़ सकेंगे, वरना वे पढ़ नहीं सकेंगे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा जिक्र इसके लिए कर

(श्री रावतराम)

देना चाहता हूं कि जो लड़के इन होस्टलों के बाहर पढ़ते हैं, राजस्थान के होस्टलों के बाहर। राजस्थान में सैंकड़ों क्या बल्कि हजारों की तादाद में गांवों के अन्दर लड़के पढ़ते हैं, और स्कॉलरशिप के लिए वे हर साल समय पर अपने फॉर्म भर कर भेजते हैं एजूकेशन डिपार्टमेंट को, लेकिन हर साल उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिये जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, इसमें क्या त्रुटि है? जब समय पर फॉर्म पहुंचते हैं, समय पर कार्यवाही होती है तो या तो इसमें यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है या किसी की इसमें शरारत है। इसमें क्या वजह है इसकी आपको जांच करनी चाहिए। इसके अलावा सब लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हाई स्कूल के लिए यदि पन्द्रह लड़के फॉर्म भेजते हैं तो मुश्किल से एक लड़के को स्कॉलरशिप मिलती है और दूसरे लड़के रह जाते हैं। यह तरीका उचित नहीं है। इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह लम्बा कर रहे हैं।

श्री रावतराम : मैं दो मिनट में बैठ जाता हूं।

आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए आवास की व्यवस्था एक गम्भीर बात बन गई है क्योंकि गांवों में, शहरों में, कस्बों में, म्युनिसिपल एरिया में, पंचायत एरिया में आबाद होने के लिए, बसने के लिए, रिहायशी मकान बनाने के लिए जमीन का अभाव है। इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है, मकान बनाने के लिए जमीन का कि उनको जमीन मिलनी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है—

"एक मकान के स्थान के लिए ५०० रु० की राशि देना, जैसा कि अनेक राज्य दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो उचित है, किन्तु शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए स्थान दिलाने में यदि कुछ अधिक भी खर्च करना पड़े तो वह भी खर्च करना चाहिए।"

माननीय सभापति महोदय, यह पांच-सौ रुपये की भी बात है, यह न तो शहरों में दे रहे हैं और न गांवों में दे रहे हैं। राजस्थान सरकार की यह हालत है कि मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए सरकार कुछ नहीं दे रही है। यह स्थिति है कि हरिजनों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। इसके लिए आपको सोचना होगा कि मकान बनाने के लिए और जमीन खरीदने हेतु कोई न कोई प्रोवीजन रखना चाहिये। इसके अलावा दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि एक हजार एक परिवार को देते हैं। आप क्या बात करते हैं? कभी एक हजार में मकान बनता है। आपको सोचना चाहिए इसके लिए। आप भले ही थोड़े लोगों को दें, लेकिन जिनको भी दें उनको पूरा दें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस पर विचार करना पड़ेगा।

इसके अलावा मैं मूल बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि मकान बनाने की सहायता म्यूनिसिपल एरिया में केवल स्वीपर को दी है। इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स में चमार, नायक, धाणी—इन लोगों को नहीं दी जाती है यह कह कर कि ये लोग मेला उठाने वाला काम नहीं करते। यह हमारी

(श्री रावतराम)

स्कीम में नही आते हैं। यह हालत आज गांवों मे है, रूरल और अर्बन एरिया में है कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उनको मकान बनाने के लिए देने के लिए आपके पास यदि सब्सीडी नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब्सीडी आज आपके पास नहीं है तो सब्सीडी मत दीजिये। कम से कम आप ऐसा तो कर सकते हैं कि जैसे जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में आप हजारों-लाखों रुपये का लॉन देते हैं, लो हाउसिंग ग्रुप स्कीम में, मिडिल इन्कम हाउसिंग स्कीम में, तरह-तरह के लॉन आपने प्रोवाइड कर रखे हैं तो आपको रूरल एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कम से कम दो हजार रुपये प्रति परिवार के लिए लॉन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वे लोग लॉन लेकर मकान बनाने के लिए तैयार हैं उनको दो-दो हजार का लॉन आप दे सकें और सौ रुपये हर महीने वापिस लौटाने की शर्त उसमें रख दें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रावतराम : मैं एक मिनिट में बैठ जाता हूं।

यह व्यवस्था इसमें हो। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार सब्सीडी नहीं दे सकती है तो कम से कम दो हजार रुपये प्रति परिवार देकर इस कार्य को चालू किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं इतना ही निवेदन करके बैठ जाता हूं कि जो यह सरकार कहती है कि हमने साढ़े बारह पर्सेन्ट सर्विसेज में स्थान दिया है, पन्द्रह पर्सेन्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में स्थान दिया है और राजस्थान में इसकी पूर्ति हो रही है। मैं आरोप लगाता हूं कि इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मेरे प्रश्नों का सरकार ने उत्तर दिया है कि साढ़े बारह पर्सेन्ट स्थानों की पूरी पूर्ति हुई है लेकिन इस रिपोर्ट में जिक्र है उसके अनुसार जो आपके आंकड़े हैं वह गलत हैं। मैंने इस सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय कमीशन को नियुक्त करने के लिए कहा था। यह आपको नियुक्त करना चाहिए और इसमें आपको झिझक नहीं होनी चाहिए और उसके द्वारा सर्वे करानी चाहिए कि कितने शिक्षित हरिजन हैं उनमें से कितने बेकार फिर रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि दूसरी स्टेट्स के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक मेम्बर होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान सरकार इस बात पर विचार नहीं करती है। क्या राजस्थान के अन्दर कोई उचित आदमी नहीं मिलता है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई आदमी नहीं है या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर स्थान नहीं दे सकते हैं ? यह पक्षपात है। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेम्बर जाकर कास्ट्स और ट्राइब्स के हितों की रक्षा कर सके—इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात पर गौर करें।

गृह समिति से त्याग-पत्र से रिक्त स्थान पर नियुक्ति

श्री सभापति : घोषणा !

घोषणा सुन लीजिये।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री प्रद्युम्नसिंह ने गृह समिति से

(श्री सभापति)

त्याग-पत्र दे दिया है, इसलिए उनके स्थान पर श्री शीशराम की गृह समिति में नई नियुक्ति की है।

श्री गोकुल !

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर अग्रेतर विचार

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, संघ के किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलने दिया गया है, यह अफसोस की बात है।

श्री सभापति : इनके बाद।

श्री देवीदत्त गाड़िया : संघ दूसरे नम्बर का दल है, उसका एक नाम भी नहीं ले रहे हैं।

श्री सभापति : श्री गोकुल जी ! इसके बाद आपको मौका मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : आप जोर से बोलते हैं जिससे आपके गले को तकलीफ होगी।

श्री गोकुलचन्द (खैरथल) : सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार होता आया है। आज हम इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कुछ राज्य सरकारों की और कुछ केन्द्रीय सरकार की जो योजनायें इन जातियों के लिए बनाई गई हैं उनमें से कुछ-कुछ की सफलता और कुछ की असफलता पर इस रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित किया है सरकार का। मुझे खेद है इस बात पर कि इस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है वह कई विभागों से ताल्लुक रखता है। मैं समझता था और आशा करता था कि सरकार का पूरा मन्त्रिमण्डल इस समय उपस्थित होगा लेकिन आधे सदस्य भी मंत्रिमंडल के नहीं हैं। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। फिर भी, माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी बातें इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिली हैं मैं उनका थोड़ा जिक्र करता हूं।

अध्याय एक पृष्ठ १ में आयुक्त ने यह असंतोष व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद संसद में पेश की जाती है, उसमें और मुद्रण में समय लगता है, साथ ही इसका हिन्दी अनुवाद कराने की कोई नियमित समुचित व्यवस्था नहीं है। इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात इस रिपोर्ट में कही गई है, वह इस रिपोर्ट के पृष्ठ ८ पर पंचायती राज के बारे में कही गई है। राजस्थान सरकार ने बहुत पहले से इस दिशा में कदम उठाया। हमारे यहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया, ग्राम पंचायतें बनाईं, पंचायत-समितियां बनाईं, जिला परिषदें बनाईं, पर यह रिपोर्ट कहती है कि "पंचायती राज में, पंचायत समितियों में जो योजनाएं इनके लिये बनाई गईं, जो इन लोगों के लिये फण्ड्स दिये हैं, उनका उपयोग नहीं हुआ है और भारी असफलता पंचायती राज में जन-हित के कार्यों के लिये व्यक्त की है। मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, आपकी मार्फत कि समाज कल्याण मंत्रीजी के पास कई काम हैं, इनको कई विभाग सौंप रखे हैं, यह एक ऐसा विभाग है कि इसमें बहुत काम है।

(श्री गोकुलचन्द)

पंचायत समिति के लिए जो सुझाव दिये थे, सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। विधायक समितियां बनाई हुई हैं, वहां हम हर साल कहते रहते हैं पर उन पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, मैं कहना चाहता था कि पंचायत समितियों का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कुए बनाने की जिम्मेदारियां हैं, गृह निर्माण की जिम्मेदारियां हैं, उनको तकावी लोन देने की जिम्मेदारियां हैं। गांवों में हरिजनों के पास इतनी जमीन नहीं है कि वे लोग सुविधा से रह सकें, अपने मवेशियों को बांध सकें। पर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्राम पंचायतों के कानून में यह बात लिख दी है कि जमीनें एक्वायर कर के हरिजनों को दे सकते हैं पर मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि कितने गांवों में जमीनें एक्वायर की हैं और कितनी जमीनें हरिजनों को दी हैं ?

आज देखने में यह आता है कि गांवों में बाड़े होते हैं, उनमें मवेशी बांधते हैं, छाणे-उपले वगैरह थापते हैं, उनके सम्बन्ध में आये दिन झगड़े होते रहते हैं, एक-दूसरे की कोई मिल्कियत दर्ज नहीं। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये यह होना चाहिये कि जिन लोगों के पास पर्याप्त जमीनें हैं, उनको पट्टे देने की व्यवस्था होनी चाहिये और जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको जमीनें एक्वायर कर के जमीनें देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

तो, सभापति महोदय, इस बात पर भी इस आयुक्त की रिपोर्ट में बहुत असंतोष व्यक्त किया गया है और इसमें पंचायती राज की असफलता जाहिर की है कि जो कार्य पंचायत समितियों पर, पंचायतों पर छोड़े गये हरिजनों के हित के लिये, उनको निभा नहीं सके हैं। पंचायती राज के लिये यह निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही जरूरी मसला है कि जमीनें एक्वायर कर के हरिजनों और आदिवासियों को दी जानी चाहियें। इस कार्य के सम्बन्ध में बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है पर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

इस रिपोर्ट के पृष्ठ ११ पर यह साफ कहा गया है कि जो धनराशि इन लोगों पर खर्च करने के लिये दी गई वह धनराशि बगैर खर्च किये ब्लॉक अधिकारियों के पास पड़ी हुई है। राजस्थान में देखा गया है कि बही-खाते में बिना जमा-खर्च के वह धनराशि पड़ी हुई है। यदि इस रिपोर्ट की कोई कीमत है तो विभाग को और मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

नागौर, जैसलमेर और झालावाड़ का स्पष्ट जिक्र किया है, तो, सभापति महोदय, वैसे तो और कई बातें कहनी हैं पर छात्रावासों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ ६२ में स्पष्ट कहा है कि ६३-६४ में राजस्थान को जो छात्रावासों पर खर्च करने के लिये धनराशि प्राप्त हुई, वह खर्च नहीं की गई।

सभापति महोदय, यह जमीन देने की बात है, भूमि देने की बात है, उसका सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने योजना चालू की है पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ६३-६४ के अन्त तक और अभी तक यह सर्वेक्षण शुरू नहीं किया है। हम राजस्थान सरकार को कहते रहे हैं कि आदिवासियों की, हरिजनों की बहुत बड़ी संख्या है। भूमिहीनों को भूमि अलॉट करने के लिये जो कमेटियां बनाई गई हैं, उनके द्वारा

(श्री गोकुलचन्द)

इस कार्य की पूर्ति नहीं होती है। कुछ लोगों को जमीनें देते भी है तो दूसरे लोग उन जमीनों पर इन लोगों का दखल नहीं होने देते हैं, इन लोगों को जबरदस्ती हटा देते हैं या इनकी खड़ी फसलों को उजाड़ देते हैं। मैं समझता हूं सरकार की यह लापरवाही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है, जमीनें देना, उनकी देख-रेख करना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग की और राज्य सरकार की है। इन लोगों का इस तरह की जमीनों पर लोग कब्जा नहीं होने देते है, उन्हें बेदखल करते हैं, उनकी खड़ी फसल को उजाड़ देते हैं तो इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की और विभाग की है। मेरे पास कई गांवों के नाम हैं।

अलवर जिले में बेढ़ा गांव है, लक्ष्मणगढ़ तहसील में है, वहां भी लगभग ४५ बीघा जमीन पर वहां के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया। कलेक्टर को कहा तो उन लोगों को नोटिस दिया, उन लोगों की फसल को नीलाम करवाया पर मेरी जानकारी में आया है कि वह जमीन आज भी उसी के नाजायज कब्जे में है। सरकार चाहे, समाज कल्याण विभाग चाहे तो जमीनों का अलॉटमेंट हरिजनों को किया जा सकता है, इनको अलॉटमेन्ट सरकार कर सकती है .....

श्री मूलचन्द डागा : थोड़ा-थोड़ा समय सबको दीजिये।

श्री गोकुलचन्द : एक और गांव है बांबोली, वहां के किसानों ने जबरन जमीन तोड़ी और नाजायज कब्जा किया, उन लोगों की देखा-देखी हरिजनों ने भी लगभग १०० बीघा जमीन पर कब्जा किया। जब हरिजनों की फसलें उस जमीन पर खड़ी थीं तो उनको नोटिस दिया, उन लोगों से पेनल्टी वसूल की गई और उन लोगों से वह जमीन छुड़ा ली। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सरकार के होते हुए नाजायज दूसरे लोग कब्जा कर लेवें और हरिजन एक-दो बीघा पर कब्जा करे तो उसे बेदखल कर दिया जावे। वैसे ही उनके पास जमीनें नहीं होती हैं, दूसरों की देखा-देखी कब्जा कर लेते हैं तो उनको नोटिस दे कर उनसे पेनल्टी वसूल की जाती है। यह बांबोली में हुआ है। अगर सरकार चाहे तो एन्क्वायरी करवा सकती है।

दूसरा गांव है सोख, वहां पर भी अनधिकृत कब्जा किया लेकिन हरिजनों को एक बीघा जमीन भी नहीं मिली।

मुंडावर तहसील में सूहटा गांव है। बहुत आश्चर्य की बात है कि वहां १० हरिजन ९ बीघा जमीन के लिये बराबर कोशिश कर रहे हैं दो साल से। कलेक्टर और तहसीलदार के दफ्तर में जाते हैं पर वह जमीन उनको नहीं मिली और दूसरे गांव के लोग वहां पर अनधिकृत कब्जा कर बैठे हैं। इसकी भी एन्क्वायरी करवानी चाहिये। यह मैं सरकार के नोटिस में ला रहा हूं कि आपका प्रशासन कैसे चल रहा है? आखिर हरिजनों की देख-भाल आप करते क्या हैं?

एक इस्माइलपुर गांव है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही है। वहां पर भी मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि लोग नाजायज तरीके से अनधिकृत कब्जा कर बैठे हैं और हरिजनों को परेशान कर रहे हैं। हम से जब वहां कहा जाता है तो हम क्या जवाब दें? तो आपको इन बातों को रोकना चाहिये। प्रशासन मजबूत होना चाहिये।

दूसरा एक गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है भजेड़ा गांव, वहां पर हरिजनों का

(श्री गोकुलचन्द)

जमीन पर पांच-सात साल से कब्जा है। उनकी फसल खड़ी है, लेकिन दूसरे लोग पता नहीं कहां से पर्चे बनवा कर ले आये और उन हरिजनों की खड़ी फसल पर हल चलवा दिया। यह बड़े असंतोष की बात है। सरकार का कोई विभाग इन लोगों के लिये नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मुझे ११ साल हो गये विधान सभा में बैठते और ऐसे कई केसेज मैंने देखे जबरन कब्जे के तो सरकार को चाहिये कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि इस तरह के जबरन कब्जा होने की शिकायत प्राप्त होते ही एस. डी. ओ. और पुलिस को वहां पर भेजना चाहिये ताकि गरीब आदमी को न्याय मिल सके। गरीब आदमी की खड़ी फसल पर हल चलाया जाये यह बहुत गलत बात है और हरिजनों के लिये तो सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, हरिजनों को मकान दिलाने की बात पर सरकार को किसी काम में सफलता नहीं मिली, न उनको कोई अच्छी शिक्षा दे सके हैं, न कालोनी बना सके हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, इस अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट (१९६३-६४) के पृष्ठ ४९ पर अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े दिये गये हैं। उसमें बताया गया है कि कुल साक्षरता प्रतिशत ३४.५ है जिनमें से १०.२७ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं और ८.५४ अनुसूचित जन-जातियों के हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार ने शिक्षा की ओर भी प्रयास किया है लेकिन उसमें भी हरिजनों की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया है। मैं कहता हूं कि आज प्राथमिक-शालाओं में भी हरिजनों से फीस ली जाती है, यह बहुत अफसोस की बात है। कम से कम प्राथमिक शालाओं में तो हरिजन बच्चों से फीस नहीं लेनी चाहिये और उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिये।

छात्रावासों के फीगर्स दिये हैं कि सन् १९६३-६४ में सरकार को छात्रावासों के लिये ७ लाख रुपये प्राप्त हुए लेकिन खर्च किये केवल ५.०१ लाख, तो स्वीकृत रकम को भी पूरा नहीं खर्च किया। यह बड़े ही अफसोस की बात है।

पृष्ठ ६५ में यह कहा गया है कि अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिये स्थापित आश्रम-स्कूलों के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई तथा कितना खर्च किया गया। यह आश्रम-स्कूल दूसरे प्रांतों में हैं लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई आश्रम-स्कूल नहीं पाया गया।

तकनीकी और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां दूसरी स्टेट्स बिहार, आसाम वगैरह में यह आरक्षण किया गया है किन्तु राजस्थान में सरकार ने नहीं किया है। इन संस्थाओं में प्रवेश की आयु के लिये भी जहां दूसरी स्टेट्स ने तीन साल की ढील दे रखी है वहां राजस्थान में ऐसा नहीं है। मेरे खयाल में राजस्थान सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, सभापति महोदय!

श्री मूलचंद डागा : फिर एक मिनट!

श्री गोकुलचंद : पृष्ठ ११८ में कहा गया है कि अनुसूचित जन-जातियों के लिये प्रदत्त धनराशि में से राजस्थान में २५ प्रतिशत भी खर्च नहीं किया जा सका। तीसरी योजनाकाल के लिये प्रदत्त राशि १ लाख रुपये में से केवल ०.९० लाख ही खर्च किया जा सका।

तो, सभापति महोदय, विशेष बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हरिजनों को जमीन नहीं दी जाती। इसके अलावा मुर्गी-पालन, डेयरी फार्मिंग आदि में भी अगर हरिजनों को सहायता की जाय तो उनको लाभ मिल सकता है।

कानूनी सहायता के बारे में रिपोर्ट में कहा है कि एक लाख रुपये के प्रावधान में से केवल एक हजार ही खर्च किया गया। आप रिपोर्ट को देख लीजिये। आपको अफसोस जाहिर करना पड़ता है कि जहां सरकार लाखों रुपये का प्रावधान करती है वहां एक हजार ही खर्च नहीं करती है तो हरिजनों का क्या उद्धार करेंगे ?

रिपोर्ट के पृष्ठ १८० पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। हम बराबर मांग करते रहे हैं सरकार से कि लोक सेवा आयोग में एक हरिजन मेम्बर होना चाहिये लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और पंजाब में लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का एक सदस्य है और आसाम के लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जन-जाति का एक सदस्य था। गुजरात और मैसूर में तो लोक सेवा आयोगों के अनुसूचित जाति के सदस्य, आयोग के अध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में लोक सेवा आयोग में कोई अनुसूचित जाति का मेम्बर नहीं। तो सरकार कुछ बातों में तो आगे बढ़ रही है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल !

श्री नन्दलाल (पाटन) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सम्बन्ध में जो ६३–६४ की रिपोर्ट आई है उसको मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं तो कम से कम इस नतीजे पर पहुँचा हूं जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री जयनारायणजी व्यास ने तारीख १५-७-५४ को राजस्थान के भावी कर्णधारों को संकेत करते हुए सन्देश दिया था वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"भारत के संविधान में सभी वर्ग के लोगों को एक से अधिकार और सुख-सुविधायें प्राप्त करने की व्यवस्था है पर संविधान की यह उदारता केवल कागजी रह जायगी यदि समाज में ऐसे अंग रहे जिन्हें संविधान की इस घोषित समानता का भान ही न हो और जो अपने सर्वांगीण विकास की बात ही को न समझें। पिछड़ी जातियों का विभाग इसी खयाल से खोला गया है कि इन जातियों में जाग्रति पैदा की जाय, इन्हें शिक्षित और सुसंस्कृत बनाया जाय, इनको आर्थिक दृष्टि से उन्नत किया जाय और संक्षेप में इन्हें वे सब साधन दिये जायं जिनके बल पर ये जातियां अन्य जातियों की बराबरी में आ सकें और इन्हें भी विकास के वे सब अवसर मिल सकें जो दूसरी जातियों को मिले हुए हैं या मिल सकते हैं।

पिछड़ी जातियों का विभाग इस लक्ष्य की ओर बढ़े और इन जातियों को इतना आगे बढ़ावें कि कुछ ही वर्षों बाद कोई

(श्री नन्दलाल)

व्यक्ति पिछड़ी जाति या पिछड़े हुए वर्ग का न रहे, मेरी यही कामना है।

—जयनारायण व्यास"

सभापति महोदय, राजस्थान की दो करोड़ की आबादी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के लोग ५६ लाख ६७ हजार के आसपास हैं, उनमें से कितने शिक्षित हैं ? उनमें शिक्षा का कितना प्रसार हुआ ? आपके द्वारा दिये हुए आंकड़े साबित करते हैं कि समाज कल्याण विभाग इन जातियों के लिये छात्रावास के जरिये शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं, इसके लिये समाज कल्याण विभाग ने कई जगहों पर छात्रावास की व्यवस्था की है। उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, १ जुलाई को स्कूलें खुल चुकीं आज तक १६ तारीख तक छात्रावास में कोई व्यवस्था नहीं। न तो वहां पर खुराक का प्रबन्ध किया गया और न वहां पर किताबों का ही प्रबन्ध हुआ है और न कपड़े आदि का। इसके साथ साथ इन छात्रावासों में छात्रों की भर्ती में भी पक्षपात का रवैया बरता जाता है। सभापति महोदय, अटरू में समाज कल्याण विभाग का एक छात्रावास है, उस छात्रावास में जितने भी छात्र दाखिल हुए है वे सबके सब उस क्षेत्र के सदस्य जो कांग्रेस में मिल गये हैं उनके जितने भी रिश्तेदारों के छात्र हैं उन सबका दाखिला किया गया है उसके अलावा किसी भी एक छात्र का दाखिला नहीं हुआ है। जितने भी छात्र लिये गये हैं वे सब उन्हीं की जाति के हैं। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया छात्रावासों में भर्ती के लिये भी बरता जाता है।

इसके अलावा एक और गहरी बात है जो समस्या के रूप में है। इन छात्रावासों में एक पाबन्दी लगी हुई है कि जो लोग छात्रावास से ६ मील की दूरी पर रहते हैं उन्हीं के लड़कों को छात्रावास में लिया जाता है यह बात मुझे शाहबाद के छात्रावास में मालूम हुई है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, राज्य के पिछड़े हुए वर्ग की उन्नति के लिये १६५६ से कोटा में एक छात्रावास खोलने का प्रयत्न जारी है लेकिन उस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से मुफ्त में जमीन मांगी गई लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं दी। बाकी छात्रावास बनाने का खर्चा वहां के रहने वाले आदिवासी लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। इन छात्रावासों में भर्ती होने से पहले छात्रों को अपनी-अपनी जाति का प्रमाण-पत्र पेश करना पड़ता है। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये सैंकड़ों विद्यार्थी जो अभी स्कूलों में भर्ती होना चाहते हैं, होस्टलस में एडमिशन कराना चाहते हैं, गजेटेड ऑफिसरों के दरवाजों पर और विधान सभा के सदस्यों के पास घूमते नजर आते हैं। दिल्ली के अन्दर एक चीज है, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लड़के होते हैं उनको पहली दफा एडमिशन के समय एक बार अपनी जाति का प्रमाण-पत्र पेश करना पड़ता है। वह जब तक उस स्कूल में पढ़ता है उस वक्त तक वह काम में आता है। उनको हर साल किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र पेश नहीं करना पड़ता।

छात्रवृत्तियाँ राजस्थान में पूर्णतया पक्षपातपूर्ण दी जाती हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण है कि १६६२-६३ में कुल छात्र थे ११२० और कुल रकम थी ४४,८६७। एवरेज एक विद्यार्थी को ४०) ८० आना चाहिए था। लेकिन इन दो लड़कों को दिया गया। Sharda Kumar son of Shri Amrit Lal Yadav 1979.96

(श्री नन्दलाल)

sanctioned on 31-3-64, Vishnu Kumar son of Shri C. R. Panwar sanctioned on 28-2-63 Rs. 1878.96. इस प्रकार दो लड़कों को ३८५८ रुपए दिए गए। बाकी जो लड़कों को ४०) रु० एक को मिलना चाहिए था उनके लिए ३०) रु० के आसपास रह गए।

१६६३–६४ में कुल लड़के ३५३। रकम २१,११२)। औसतन ६०) प्रति लड़के को मिलना चाहिए था जिस में से :—

विष्णूदर कुमार को sanctioned on १७-२-६४,	२०५०.१०
शारदा कुमार S/o अमृतलाल यादव	२२१७.१६
ओमप्रकाश पहाड़िया	६७४.२२
कुमार कुसुम d/o अमृतलाल यादव	२२००.००

इस प्रकार कुल ७१४१.४८) रु० केवल उन्हीं छात्रों को बांटे गए जो बाकी छात्रों के लिए और भी पर्सेन्टेज कट गई। ६०) रुपए की जगह पर कम रकम मिली।

इसके साथ जो पक्षपातपूर्ण बात हो रही है वह है कि विधायक श्री रामचरण, जो अटरू से आए हैं, तारीख २६-२७ मार्च को उन्होंने अटरू छोड़ा है, ठीक उसी तारीख को अपने परिवार सहित जयपुर में पधारे। उनका एक लड़का अटरू में नवीं कक्षा में पढ़ता था, वह भी जयपुर में चला आया। उसने वहां पर कोई परीक्षा नहीं दी। वह त्रैमासिक टेस्ट में फेल था, छः माही में फेल था। इसी बीच पता नहीं राज्य सरकार से आदेश गया था या नहीं, डिप्टी इन्सपेक्टर अटरू पधारे थे, श्री दलाल, कोटा से पधारे। दो दिन ठहर कर सारे कागजात जितने थे त्रैमासिक और छः माही टेस्ट के बदल दिए और इस तरह फेलशुदा लड़के के रेकार्ड को बदल कर पास घोषित किया है। यह है शिक्षा विभाग की हालत।

भूमि और कृषि के बारे में कहना है कि पहले अधिक जातियां जंगलों में निवास करती थीं। पहले इन लोगों को खेती करने का अधिकार होता था। गरीब किसान बरसात के दिनों में थोड़ा-बहुत जंगलों की जमीनों में खेती करते थे और मोटा अनाज पैदा करते थे। उससे उनका ४-६ महीने के लिए काम चल जाता था। आज इन्हीं काश्तकारों के लिए सरकार ने सहकारी विभाग खोल रखा है। मेरे क्षेत्र में सहकारी बैंक का खुले आम दुरुपयोग किया जाता है। सैकड़ों समितियां हैं वहां पर, संयुक्त कृषि सहकारी समितियां चला रखी हैं। उनके अन्दर बड़े-बड़े लोग हैं, उन्होंने खोल रखी हैं। ३०-४०-५० सदस्यों के नाम दर्ज कर दिए, खुद भी उसके अध्यक्ष बन गए और उसके बाद काश्तकारों से काम करवाया, रात-दिन काम करवाया। उन लोगों से जो मुनाफा मिलता है वह न देकर उनको भूखा-नंगा ही छोड़ दिया। एक केलवाड़ा जंगल उत्पादक सहकारी समिति है वहां पर एक गरीब अनुसूचित जाति के आदमी को अध्यक्ष बनाया था जिसका नाम किशोरीलाल है। उन्होंने पत्र लिखा है—

"प्रार्थी केलवाड़ा जंगल उत्पादक सहकारी समिति जो ५ वर्ष से बंद पड़ी है, का पांच वर्ष पूर्व से अध्यक्ष है। समिति का कुल काम इसके जन्मकाल से ही सहकारी विभाग, वन विभाग एवं विकास विभाग ही करते आ रहे थे। हम लोग कहने मात्र के पदाधिकारी बना लिए जाते थे।

मुझे जब अध्यक्ष बनाया जाने लगा तो मैंने इनकारी कर दी थी किन्तु उस समय के

(श्री नन्दलाल)

प्रधानजी श्री गुरुदीपसिंह ने आग्रह किया और विकास अधिकारीजी तथा असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार साहब ने इस समिति से हमारी जाति का बहुत लाभ करने का विश्वास दिलाया और उपस्थित सदस्यों ने मुझ पर दबाव डाला जिससे मैंने मंजूर कर लिया। उस वार्षिक अधिवेशन में जब हम लोगों को चुना इसके पहले से ही वैतनिक मैनेजर उक्त प्रधानजी एवं विकास अधिकारीजी (जो समिति के मंत्री थे) अपनी मर्जी का रख लिया करते थे जिसने कभी भी हमको हिसाब नहीं बताया और न कार्य व्यवस्था से ही जानकारी दी।

अब अकस्मात ५ वर्ष बाद केवल मेरे नाम पर .१६२६५.२६ की डिक्री आई और मेरे घर की तलाशी लेकर मेरी महनत-मजदूरी का सामान कुर्क करके मेरी अपनी बिरादरी में बेइज्जती की गई है। कुर्क सामान में ३ छोटे घन, १ सब्बल तथा १ दांता है जो पं० ब्रजमोहनजी की सुपुर्दगी में है। और मुझ गरीब के पास कोई भी सामान था ही नहीं।

मेरी रोटी-रोजी के उक्त जरिए के बिना मैं और भी असहाय हो गया हूं। उसे भी दिनांक ३१-३-६६ को जब श्रीमान् तहसील-दार साहब शाहबाद नीलाम करने आये तथा थोड़ी-बहुत फसल पर भी कब्जा करने लगे तो गिड़गिड़ा कर उनसे मयाद मांगी जो कठिनता से उनने १५ दिन की दी थी। अतः श्रीमान् से विनम्र निवेदन है कि इस केस की जांच करवाली जाय। आशा है मुझ गरीब की यह प्रार्थना शीघ्र ही मन्जूर होगी।''

इस प्रार्थना-पत्र को मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करें।

श्री नन्दलाल : चिकित्सा और स्वास्थ्य पर मैं आता हूं। सर्वेक्षण डूंगरपुर जिले में किया गया। वहां पानी की कमी बताई गई थी। शाहबाद में कुओं की सफाई होनी चाहिए थी, कोई सफाई नहीं होती है। दवाई हर साल डालनी चाहिए, वह नहीं डाली जा रही है। पानी सूख जाता है। इस प्रकार लोगों को जब गंदा पानी पीना पड़ता है तो उनके अन्दर बीमारियां फैलती हैं। पिछड़े वर्ग के लोग जो जंगल में रहते हैं वे परेशान होते हैं।

जो अटरू से विधायक हैं श्री रामचरण, जो जनसंघ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, उसमें सरकारी कर्मचारियों ने कितना सक्रिय भाग लिया है उसका उदाहरण देना चाहता हूं.... ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : श्री रामचन्द्र को भगाने के लिए श्री रघुनाथप्रसाद था कोटा छावनी छात्रावास उसका सुपरिन्टेन्डेन्ट....

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह इर्रीलेवेन्ट है।

श्री नन्दलाल : छात्रावास के सुपरिन्टे-न्डेन्ट का पत्र है। डंडोतियाजी के नाम है—

"यह तो आप स्वयं जानते हैं। इसलिये आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप सामान को रोकड़ियाजी से सहायता प्राप्त कर जमा करावें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जयपुर ही रहूंगा। फिर भगवान की मर्जी है। सो आप इतना मामला रखना कि मेरे हस्ताक्षर ही करने रह जावें। सामान जैसा लिया वैसा ही मौजूद है। एक रत्ती भी

(श्री नन्दलाल)

इधर-उधर नहीं हुआ है। चेक आप ही कर लेंगे। शेष मेरे लायक सेवा होगी भविष्य में सेवक तैयार रहेगा। साथ रोकड़ियाजी मेरे इस कार्य में मदद करें। सेवक के लायक सेवा होगी करने के लिए तैयार रहूंगा। समय पर ही शिष्टाचार की परीक्षा होती है। शेष ठीक है। भाई रमेश को होस्टल में जाकर समझा देना। आप तो घर से ही हैं। जो भी समाचार बात-वातावरण जो गन्दा मेरे विपरीत फैल गया हो उसे जरूर लिखना। मेरा कोटा जाना इस समय ठीक हो सकता है क्या? क्योंकि राजस्थान के लोगों...लिया है। शेष मेरे वेतन के बारे में क्या कार्यवाही चल रही है, वह भी लिखना। पता किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।"

यह पत्र रघुनाथप्रसादजी होस्टल वार्डन थे कोटा में उनको मिला। उसमें पता लिखा है—

"केअर आफ: चौधरी श्री मनफूलसिंह, गांधीनगर ए-१ कोठी, जयपुर (राजस्थान)।"

मैं बता सकता हूं कि ३० मार्च को वह रामचरण के साथ २८ मार्च को चले गये थे और चौधरी मनफूलसिंहजी के साथ रहे और एक महीने तक (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Order please.

श्री नन्दलाल : मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने एक महीने तक हाजरी नहीं दी। जबकि एक महीने की गैर-मौजूदगी के बाद वे अभी करीब एक महीने बाद कैसे कहां घूमते फिरते हैं किस जगह पर डेप्यूट कर दिये गये हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है।

सभापति महोदय, असल पत्र की प्रति मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कर रहे हैं साहब समाप्त दो मिनिट में।

श्री नन्दलाल : काश्तकारी का जहां तक सवाल है मैंने आज स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें उन १२ आदमियों के नाम थे, वे मांगरोल के पास के थे जिनमें से ६ शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे, ८ और के थे। ये १२ आदमी मिल कर गेहूं की ११८ बोरी भरकर मंडी में बेचने चले। बीच में तहसीलदार, मांगरोल ने ११८ बोरी को जब्त कर लिया। उन गरीब काश्तकारों पर किसी प्रकार की लेवी बकाया नहीं थी, फिर भी उनका ११८ बोरी गेहूं नाजायज तौर पर तहसीलदार ने रोक लिया। टेलीग्राम मेरे पास आया है। वह सेवा में अध्यक्ष महोदय, मैंने पेश कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलालजी!

श्री नन्दलाल : सभापति महोदय, दो-चार मिनिट में इसे पढ़ लेता हूं। फिर समाप्त कर दूंगा।

एक मिनिट का समय और दे दीजिये।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री नन्दलाल : पिछली तीन योजनाओं में—

"The economic and social conditions of the backward classes in the State were very poor at the time of its formation and since their

(श्री नन्दलाल)

number formed about 1/4th of the population, their upliftment was given due consideration at the time of formulation of Plans. During the First and Second Five Year Plans Rs. 116 lakhs and Rs. 271.03 lakhs respectively were earmarked for this sector against which Rs. 93.04 lakhs and Rs. 180.41 lakhs respectively were spent. During the Third Five Year Plan Rs. 325 lakhs were allotted which were later on reduced to 254.50 lakhs due to paucity of funds. Against this reduced allotment, Rs. 174.65 lakhs were spent. The progress of work for welfare of scheduled tribes and scheduled castes and nomadic tribes is briefly narrated below."

सभापति महोदय, ऐसे अफसोस की बात है कि पिछली तीन योजनाओं में इस विभाग को जितनी रकम अलाट हुई उससे कम रकम आधी रकम इस विभाग ने खर्च की। मैं बताऊं, सभापति महोदय, कि इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जितना काम होना चाहिए नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : सदन को राय से जब तक माननीय मन्त्री रिप्लाई न दे दें तब तक बैठक का समय बढ़ाया जाता है।

श्री रतनलाल (चौरासी) : जन-जातियों के कमीशन की रिपोर्ट पर आज बहस चल रही है इस रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि आदिवासी जाति के लिये और हरिजनों के लिये राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं उनकी रकम भी ठीक ढंग से व्यय नहीं हुई है और सादिकअली रिपोर्ट में भी बताया है और बाबू जयप्रकाशजी की रिपोर्ट में भी यह बताया गया है।

इससे मालूम पड़ता है कि आज १९ वर्ष हो गये।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, सदन में अखबार पढ़ना मना है। माननीय सदस्य यहां बराबर अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री माननीय सदस्य : अखबार में बात ही ऐसी थी इसलिये।

श्री रतनलाल : आज भी आदिवासियों के लिये हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अन्दर विशेष सुविधाएं दी गई हैं। राजस्थान के सारे इलाके में तीन तरह की परिस्थितियां हैं। रेगिस्तानी इलाका है, एक मैदानी इलाका है और तीसरा पहाड़ी इलाका है। अधिकांश आदिवासी राजस्थान के दक्षिणी भाग में रहते हैं और वहां का इलाका पहाड़ी है। वहां के आदिवासियों के रीति रिवाज और रस्में अलग तरह के हैं। उनका रहन सहन बहुत पिछड़ा हुआ है और उनके पास एकमात्र धन्धा खेती का है। खेती में उनके अन्दर एक परिवार के पास ५ बीघा जमीन होती है। इस तरह से उस जमीन से बारह मास तक खाने लायक पैदावार नहीं हो पाती और बड़ी मुश्किल से खाने को पूरा पड़ता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने वहां विशेष ब्लॉक खोले हैं। उन ब्लाकों में पांच, दस और पन्द्रह वर्षों के अन्दर काफी धनराशि खर्च की जाती है।

इस प्रकार के ब्लाक की देखभाल के लिये राजस्थान में एक सहायक आयुक्त रहता है। हम यह देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में और जिला परिषद् स्तर पर भी बहुतसी समितियां बनी हुई हैं। वहां की धन खर्च करने की व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है।

(श्री रतनलाल)

आदिवासियों के लिये धन के वितरण की व्यवस्था की गई है एक-एक ब्लाक में १२ लाख का प्रावधान होता है। पर वे लोग उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं करते। उपयोग जो होता भी है तो उसकी विशेष देख-रेख नहीं होती है।

पम्पिंग सेट के लिये पैसा खर्च किया जाता है तो १२-१२ महीनों तक काश्तकारों को पैसा नहीं मिलता है।

श्री श्रवणलाल : On a point of order, Sir माननीय सभापति महोदय, आज मैंने देखा और पहले भी इस बात पर प्रश्न उठाये थे कि यहां ट्रेजरी बेंचों पर कोई भी मन्त्री उपस्थित नहीं है। या तो....

श्री सभापति : आ रहे हैं।

श्री रतनलाल : तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर....

(६ म० प०)

एक माननीय सदस्य : आगये हैं।

श्री रतनलाल : मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में एक सहायक आयुक्त रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी ब्लाक्स में जिस प्रकार धनराशि अलॉट की जाती है उसको खर्च करने के लिये बराबर निगरानी रखनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में जो आदिवासियों के लिये जन-जाति ब्लॉक खोली गयी हैं उनकी विशेष निगरानी के लिये पंचायत समितियों के संरक्षण में विशेष कमेटी होनी चाहिये और जो धन रखा गया है वह बराबर आदिवासियों को मिलता है या नहीं इसकी पूरी देखरेख रखनी चाहिये। ऐसा होता है, जैसा इस रिपोर्ट में भी बताया गया है, जिन आदिवासियों की शक्ति अच्छी होती है, जो प्रभावशाली होते हैं वे पैसे का लाभ लेते हैं और पिछड़े हुए लोगों के पास वह पहुँच नहीं पाता है। इसका इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है इसलिए भी मेरा निवेदन है कि जो धन अलॉट किया गया है उस पर बराबर व्यवस्था की जानी चाहिये वरना जिस मंशा से हम काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने जिस कारण से इन लोगों के उत्थान के लिए पैसा दिया है वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार से हालत सुधारना चाहते हैं वह सुधर नहीं पायी है हालांकि राजस्थान सरकार ने आदिवासियों के लिये बहुत काम किये है, शिक्षा, कुओं का निर्माण और एग्रीकल्चर के लिये भी बहुत सारे काम किये हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के इलाके काफी आदिवासियों के हैं। जमीन बहुत कम है। केवल कृषि में हालत सुधर नहीं सकती। शिक्षा का प्रसार हुआ है। गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में स्कूल खोल दिये हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हायर सेकेन्डरी हो उनके अन्दर भर्ती होती है लेकिन आदिवासियों को जगह नहीं मिलती है। डूंगरपुर, बनकोड़ा और सागवाड़ा में आदिवासियों के लिए छात्रावास बने हुए हैं। बिल्डिंगें हैं। किसानों के लिए यहां सहायक धन्धा होना चाहिये। वह पशुपालन ही हो सकता है। इस वर्ष अकाल के कारण पानी नहीं मिलने से बहुत सारे मवेशी मर गये हैं। सहायक धन्धा अवश्य चाहिये और वह पशुपालन ही हो सकता है! अब बहुत कम पशु वहां है। शिक्षा विशेष रूप से देनी चाहिये। शिक्षा का प्रसार काफी हुआ है। लेकिन माध्यमिक शालाओं में, चौरासी से मैं आया हूं, बोखलां पाल है, आदिवासियों

(श्री रतनलाल)

की वहां अधिक बस्ती है उसको पाल कहते हैं, वहां पर बिल्डिंग की हालत खराब है। बिल्डिंग हायर सेकेन्डरी स्कूल की हो और माध्यमिक स्कूल हो, उनको ५० प्रतिशत श्रमदान देना पड़ता है। उन लोगों की खाने-पीने की ही हालत नहीं होती है, रहने का मकान नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, वे बिल्डिंग नहीं बना सकते।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कॉलेज छात्रावास हैं। बहुत सारे लड़के भर्ती होने के लिये आते हैं उनको वहां पर जगह नहीं मिलती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अधिक संख्या में भर्ती होने के लिये जगह रखनी चाहिये और बिल्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिये। एक हॉल में ५० लड़के रहते हैं। सीमलवाड़ा में आदिवासी छात्रावास है। एक छोटा हॉल है। ५० लड़के रहते हैं। एक लड़का पढ़ता है तो सब को बाधा पहुँचती है। आप ज्यादा छात्रावास नहीं खोलना चाहते हैं, बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन जो छात्रावास खुले हुए हैं, बिल्डिंग नहीं है वहां बिल्डिंग का कार्य पूरा करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छात्रावासों की बिल्डिंग के लिये पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। आदिवासी औषधालय है वहां पर बिल्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आदिवासी एरिया में औषधालय तो खोल दिये हैं लेकिन उनका उपयोग भवनों के अभाव में नहीं हो पाता है।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छात्रावास के सम्बन्ध में एक डेपुटेशन माननीय मंत्रीजी से मिला था और निवेदन किया था कि आदिवासियों के लिये भासोर में छात्रावास खोले जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां जन-जाति ब्लॉक खोले गये हैं वहां आदिवासी छात्रावास के लिए पूरी व्यवस्था न हो तो वह पूरी की जानी चाहिये। बंदूकों के लाइसेन्स समाप्त करना चाहिए। इसके लिए किसानों को पुलिस थाने में लाकर बिठा रखती है। लाइसेन्स के लिये पैसा लिया जाता है। बहुत देर बाद लाइसेन्स दिया जाता है। हमें ज्ञात है कि भारत सरकार का नियम है। राजस्थान सरकार को इस ओर देखना चाहिये। छोटी-छोटी बंदूकें रहती हैं आत्म रक्षा के लिये।

विरोधी दल के माननीय नेता ने डूंगरपुर में सेवा संघ नामक संस्था चल रही है उसके विषय में कहा है। वहां के संचालक महोदय संस्था की रिपोर्ट नहीं देते हैं। छात्रावास में रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सेवा संघ संस्था का हिसाब बराबर होता है। बराबर ऑडिट होता है। गबन कोई नहीं होता है। संचालक अलग बिल्डिंग में किराये पर रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से पचास रुपया किराया देते हैं। विरोधी दल के नेता महोदय हमेशा इस प्रकार की बात कहा करते हैं, वह गलत है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासी एरिया में इरीगेशन के तालाब बनते हैं। ढेबर कमीशन ने, आदिवासी एरिया में टैंक बनाये जायें, उनका रिटर्न कम बैठता हो तब भी बांधना चाहिये, यह सिफारिश की है। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर, जयपुर में मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग

(श्री रतनलाल)

कॉलेज हैं। आदिवासी छात्रों के लिए पचास-साठ जगह हैं। राजस्थान में आदिवासी और हरिजन लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए अधिक छात्रों को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल : दो मिनिट में ही खत्म करता हूं साहब।

वहां पर जो स्थान रखे गये हैं, छात्रावास के अन्दर ६० और ५० के करीब स्थान हैं लेकिन आप आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनको आगे लाना चाहते हैं लेकिन वहां पर और बहुत-सारे लोग आ जाते हैं और इनको जगह नहीं मिलती है। यहां उदयपुर मेडिकल कॉलेज में, जयपुर मेडिकल कॉलेज में, इन्जीनियरिंग कॉलेज में और जोधपुर कॉलेज के अन्दर कुल ६० लड़कों को रखने की जगह है, उसको सौ करना चाहिए, तभी आदिवासियों के लड़के ऊंचे उठ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे और ऊंची पढ़ाई कर सकेंगे।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर के अन्दर वन हैं और वनों की रक्षा के लिए जो कि आदिवासियों का एक मुख्य धंधा है, आज वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, आदिवासी जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचने जाते हैं और भारा लेकर बाजार में बेचने जाते हैं, और उसको बेच कर ही रोटी खा पाते हैं। वनों की रक्षा आदिवासियों की रक्षा है और वनों की रक्षा नहीं की जाती है, आज वनों को ठेकों पर दिया जाता है। पहले राजस्थान सरकार का नियम बनाया गया था कि वनों को ठेकों में नहीं दिया जाना चाहिए और वनों को सोसायटियों को दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे याद है कि अभी तो वनों के कूप होते हैं उनको नीलाम किया जायेगा और उसमें शायद सहकारी समितियां भी भाग लेंगी और ठेकेदार भी भाग लेंगे। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि वनों को ठेकों पर नहीं दिया जाना चाहिए और सहकारी समितियों को दिया जाना चाहिए। इसमें वन रक्षण का सवाल भी है, यह आदिवासियों का मुख्य धंधा है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए नहीं तो वे बर्बाद हो जायेंगे, इससे बरसात भी नहीं होगी और आदिवासियों की स्थिति भी खराब हो जायेगी।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! अब आप स्थान ग्रहण करें। श्री चुन्नीलालजी ! अगर पांच मिनिट बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तहसील में न तो हमारे बच्चों के लिए हाई स्कूल है, न कोई छात्रावास है और न उनको कोई छात्रवृत्ति दी जाती है और शिक्षा के बिना उन पर कैसा असर पड़ेगा, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो उस तरफ भी मैं शासन के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीस-बीस माइल तक उन लड़कों को जाना पड़ता है, न उनके पास यातायात के साधन हैं और न और कोई साधन है। ऐसी स्थिति में उन्हें

(श्री चुन्नीलाल)

कितनी दिक्कत पड़ती है, इस ओर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए।

दूसरा जो अनुसूचित जातियों को जो लोन दिया जाता है तो उसमें कई लोगों के सामने इस तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि पांच-पांच साल तक भी सरकार से इत्तला नहीं आती है। तो इस बात को देखते हुए हमें बड़ा दुःख है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम हरिजनों का उद्धार करेंगे और उनको आगे बढ़ायेंगे लेकिन यह हरिजनों के नाम से जितना भी पैसा निकलता है उसको सब मिनिस्टर लोग खा जाते हैं और हरिजनों के पल्ले कोई पैसा नहीं पड़ता है। समाज कल्याण विभाग नाम की संस्था खोली हुई है लेकिन हमारे सवाई माधोपुर जिले की तरफ क्या काम किया गया है? हमारे सवाई माधोपुर जिले में कोई हरिजनों की कॉलोनी खोली हो या चर्म उद्योग के लिए लोन दिया हो, और किसी काम के लिए पैसा दिया हो तो बता दें। सवाई माधोपुर जिले की तरफ कुछ भी नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए आज देखा जाय तो अगर समाज का उद्धार हुआ होता तो आज यह कांग्रेस की सरकार बनाने का कोई टाइम नहीं था लेकिन यह हरिजनों की बदौलत ही हुआ है। आज कांग्रेस सरकार को हमारे सदस्यों ने मौका दिया है तो इस जगह आज उनको उचित तौर से इस वर्ग का ध्यान रखना चाहिए।

इसके अलावा जितने बच्चे पढ़-लिख कर तैयार हुए हैं उन्होंने पढ़ाई में न जाने कितना पैसा जी जान से लगा कर खर्च किया और पढ़ाई पूरी की है लेकिन आज सर्विस के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से कोई भी लेटर इश्यू नहीं किया जाता है। अगर कहीं से जाते भी हैं तो उनके पास सिफारिश नहीं होती है और दूसरे वर्ग के लोग, अमीरों के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और इनका, अनुसूचित जाति के लोगों में से एक भी बच्चा सर्विस के लिए नहीं लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि सब तरफ से इस ओर ध्यान रख कर कार्यवाही करावें और आज ९४-९५ के लोग जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड चले आ रहे हैं उनको एक-एक दफा भी इन्टरव्यू में जाने का मौका नहीं दिया गया है तो इस ओर भी सरकार कुछ कार्यवाही करे।

इसमें एक बात और भी है, जैसे कि आज हमारे वर्ग के लोगों के पास पैसा कहां से आए, रात-दिन मेहनत मजदूरी करते हैं तब दो रुपया मिलता है। दो रुपया कमाते हैं तो उस दो रुपये में अपना पालन-पोषण करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे या अपना मकान बनायेंगे या अपने बच्चों को आगे पढ़ायेंगे। इस तरीके से सरकार को इस तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो रुपया समाज कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है उनको सुचारुरूप से प्रत्येक आदमी की आर्थिक स्थिति को देख कर देना चाहिए। जैसे कि हरिजनों को जो अनुदान के रूप में रकम मिलती है उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, न मालूम वह कहां पर वितरण होती है। कहने को तो कहते हैं कि बजट में ३३ लाख रुपया हरिजनों के कल्याण के लिए रखा गया है लेकिन हरिजनों के पल्ले तो पांच पैसा भी नहीं पड़ता है। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : डागाजी ! आपको विशेष बात कहनी हो तो दो मिनिट में कह दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं तो दो ही बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपने सारी प्रथायें खत्म कर दी हैं। जागीरदारी प्रथा खत्म कर दी और भी प्रथायें खत्म कर दीं लेकिन हरिजनों में जो वृत्ति प्रथा है, अभी तक जो उनकी कस्टमरी प्रथा है आप उसको खत्म करिये। राजस्थान में सबसे बड़ा कदम माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री और समाज कल्याण मन्त्री महोदय यह होगा कि आप हरिजनों के अन्दर जो कस्टमरी प्रथा, जो वृत्ति की प्रथा है उसको खत्म कर दें। इस प्रथा में क्या है कि म्यूनिसिपल क्षेत्रों में हरिजन लोगों ने पचास घर, सौ घर या पांच सौ घर बांट रखे हैं और वे उन घरों को बेचते हैं जागीरों की तरह से, तो पहला काम तो आप यह कीजिए कि इस कस्टमरी प्रथा को खत्म कर दीजिए।

दूसरा सवाल यह है कि जो हैड लोड है इसके बारे में मलकानी ने भी काफी कहा है और दूसरे लोगों ने भी काफी कहा है लेकिन अभी तक राजस्थान में इस हैड लोड को खत्म नहीं कर सके हैं। हमारे दुबले-पतले हरिजन लोग सिर पर हैड लोड लेकर जाते हैं।

तीसरी बात यह कि आप इन होस्टल्स को खत्म कर दें। यह अनुसूचित जाति का होस्टल और यह अनुसूचित जन-जाति का होस्टल, यह सब गलत तरीका है। अमृत-लालजी यादव ने अभी एक उदाहरण रखा है कि अपनी लड़की की शादी एक ब्राह्मण के साथ की है क्योंकि उस घर का उत्थान इतना हो चुका है, यह एक बहुत ऊंची बात है। इसी तरह से आप होस्टलों को खत्म कर दें। इस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के नाम से अलग-अलग होस्टल नहीं रहने चाहिए और जो दूसरे होस्टल हैं उनके अन्दर ही इनके लड़के भी रहें और उनका खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए ताकि ये लोग उन लोगों के साथ रह सकें और उनके साथ रह कर अपना नया जीवन आने वाले जमाने के साथ चला सकें। तो इस प्रकार ये होस्टल खत्म कर देने की कृपा करें। एक और बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि संविधान में जो यह सन् १६७० तक अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, हमें मालूम है कि इन जातियों का उत्थान, इनकी उन्नति और इनका अभ्युदय जैसा हम चाहते हैं, वह अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अभी तो कम से कम १२ साल तक और अवसर दिया जाय और योजनाओं के अन्दर बड़ी धनराशि रख कर इनकी जो निर्धनता है, इनकी गरीबी है, उससे इनको निकाला जाय। तो ही सब बातें दूर हो सकती हैं और यह बहुत जरूरी सवाल है कि पहले इनकी निर्धनता और गरीबी को मिटा दें और यहां पर आर. ए. एस. और आर. पी. एस. में जो नियुक्तियां होती हैं उनमें इनके लोग कहीं नौकरी में नहीं आ पाते हैं। चाहे आपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में इनके लिए रास्ता खोल दिया हो लेकिन बड़ी सर्विसेज में इनके आदमी नहीं आ पाते हैं। इसके लिए आपको अलग से परीक्षाएं करनी चाहिए और उसमें इनके जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जावें उनको ही अवसर दे देना चाहिए। यह जरूरी नहीं हो कि इन छात्रों को भी और सब छात्रों के साथ बिठला कर उनके साथ परीक्षा लें और फिर इनको अवसर ही न मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मूलचन्द डागा)

तो मैं, सभापतिजी, यही कहूंगा कि वास्तव में यदि हम इन लोगों को उन्नति पर लाना चाहते हैं तो हमको ये सब कदम उठाने चाहिएं और सबसे बड़ा कदम एक झटके से, एक स्ट्रोक ऑफ पैन से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी आप यह कदम उठायें कि यह कस्टमरी सिस्टम को खत्म कर दीजिए। यह राजस्थान में और हिन्दुस्तान में सबसे पहला कदम होगा यदि हमने कस्टमरी सिस्टम को खत्म कर दिया।

श्री सभापति : इसमें मेरा निवेदन है कि समयाभाव है माननीय मंत्री महोदय, जवाब देंगे।

श्री लक्ष्मन (डग) : इस स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि अभी आप लोगों में बैठने वाले एक सदस्य ने कहा है कि श्री अमृतलालजी यादव ने ठीक किया कि अपनी लड़की की ब्राह्मण के साथ शादी की और उसको आप प्रगति का सूचक मानते हैं। मैं इसको गलत ठहराता हूं, क्योंकि यह एक बड़े अन्याय की बात उन्होंने की है। इससे एक ब्राह्मण का उद्धार नहीं होगा बल्कि एक दलित वर्ग का घर बनने वाला था वह घर नहीं बन पाया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक ब्राह्मण ने दलित वर्ग का उद्धार किया है, लेकिन दलित वर्ग के साथ अन्याय किया है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, समय का अभाव है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय....

श्री सभापति : समय का अभाव है आप तो हर वक्त बोलते रहते हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं बराबर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए थोड़ा ही बोलूंगा।

श्री सभापति : समय बहुत हो गया है यही मेरा निवेदन है। माननीय मंत्रीजी बोलें।

श्री श्रवणलाल : हर साल इसमें समय बढ़ाया जाता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि समय और बढ़ा दें।

एक माननीय सदस्य : बाकी के लोग तो चले गये हैं उनको कहने दें।

श्री सभापति : आप काफी बोल लेते हैं। आपको पूरा समय मिलता है।

श्री श्रवणलाल : वह तो ठीक है, किन्तु सवाल यह है कि आज जिस मसले पर वाद-विवाद हो रहा है वह उस कास्ट से सम्बन्ध रखता है जिस कास्ट को मैं बिलोंग करता हूं। हमारे मामले में जो भ्रष्टाचार, घोटाले होते हैं, तो उस कास्ट का होते हुए भी उनको विधान सभा में न रखूं और मैं जो यहां जीत कर आया हूं उस कास्ट के लिए कुछ नहीं कहूं तो....

श्री सभापति : कोई विशेष बात नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनको अपने क्षेत्र से उलाहना मिलेगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके सामने माननीय मंत्री महोदय का कुछ तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इस राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के लोगों ने संस्थाएं बना रखी हैं जो संस्थाएं काफी पुराने अर्से से कार्य करती चली आ रही हैं। सभापति महोदय, इन संस्थाओं का अगर

(श्री श्रवणलाल)

खर्च सम्भाला जाय तो इन संस्थाओं के ऊपर अभी तक करीब १० लाख रुपया खर्च हो गया है। १० लाख का खर्चा किस बात पर हो गया है ? इन संस्थाओं का काम क्या है ? इन्होंने अब तक क्या किया है ? सभापति महोदय, आपको इस बात को सुन कर ताज्जुब होगा कि मैंने एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के अन्दर उन्होंने जब वह लिस्ट दी तो उन संस्थाओं का काम जो है वह नाइयों की दुकानों पर हजामत बनवाना, हरिजन भाइयों की हजामत नाई नहीं बनाते हैं तो हजामत बनवाना। आप हजामत बनवाने वाले हैं ..

श्री जयनारायण सालोदिया : एजेन्ट हैं हजामत बनवाने के।

श्री श्रवणलाल : मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश करवाना, उसके साथ-साथ कुछ मामूली प्रचार कर देना, और उसके साथ-साथ यहां के किसी अच्छे उच्चाधिकारी को या अन्य किसी प्रकार के मामले के बारे में राज्य सरकार को सूचित कर देना। सभापति महोदय, इस बात से हमारे समाज का कल्याण होता है, यह पता नहीं। अगर यह १० लाख रुपया उस समाज के किन्हीं विशेष व्यक्तियों को पढ़ाने-लिखाने में खर्च किया जाता तो आज हजार, १० हजार मजिस्ट्रेट बन गये होते लेकिन आज पैसा किस बात पर खर्च किया गया ? सभापति महोदय, इस बात का ताज्जुब है कि इस विभाग के जो भूतपूर्व मंत्री थे उनके मोटर गेरेज पर दलित वर्ग संघ का बोर्ड लगा हुआ था उसका पता नहीं आज कि वह उनकी वाइफ के सूटकेस के अन्दर पड़ा है या किसी बिचौलिये के अन्दर। यह मालूम नहीं कर सकते कि यह दलित वर्ग संघ का ऑफिस खोला है तो उसका कार्य क्या है। इसका पता नहीं मिलेगा कि किस जगह इसका कार्यालय है, लेकिन १०-१० लाख रुपये खर्च हो जायं, यह हमारे लिये शोभा और लज्जा की बात है ..

एक माननीय सदस्य : शोभा !

श्री श्रवणलाल : मुझको इसके सम्बन्ध में जो लिस्ट दी है तो सन् ५४ से लगाकर ६७ तक १,६१,८७० रु० दलित वर्ग संघ के नाम पर खर्च किये गये हैं। उसी के साथ-साथ इन्होंने कई छोटी-मोटी संस्थाएं बना रखी हैं जिनको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए कि इन पर भी किस प्रकार से यह रुपया खर्च करते हैं। एक संस्था है राजस्थान सेवक संघ। इस पर इन्होंने खर्च किया है। दूसरी संस्था है आदिम जाति सेवक संघ इस पर इन्होंने ५,४८,५४० रु० खर्च किया है। तीसरी संस्था है राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ। इस पर इन्होंने २,७५,८२३ रु० खर्च किया है और उसी के साथ-साथ एक और राजस्थान अनुसूचित जन-जाति संघ, जयपुर है। उस पर २५,००० रु० और उसके अलावा इन्होंने फिर और एक संस्था बना रखी है, उसके नाम पर कितना खर्च होता है, राजस्थान हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा। उस पर खर्च करते हैं २,५४,८६१ रु०। (शैम, शैम) और इसी के साथ-साथ, सभापति महोदय, और एक संस्था बना रखी है हरिजन सेवक संघ, उदयपुर। उस पर कितना खर्च किया जाता है ? २१,८९८ रु. खर्च हो चुका है। तो, सभापति महोदय, अगर इस प्रकार से यह पैसा खर्च किया जाय, और इस प्रकार से हमारे इस समाज के साथ ढकोसलेबाजी करके जो इने-गिने लोग मंत्रिमंडल में बैठे हुए सदस्य हैं, श्रीमान् अमृतलालजी यादव उनका भला हो

(श्री मूलचन्द डागा)

तो मैं, सभापतिजी, यही कहूंगा कि वास्तव में यदि हम इन लोगों को उन्नति पर लाना चाहते हैं तो हमको ये सब कदम उठाने चाहिए और सबसे बड़ा कदम एक झटके से, एक स्ट्रोक ऑफ पैन से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी आप यह कदम उठायें कि यह कस्टमरी सिस्टम को खत्म कर दीजिए। यह राजस्थान में और हिन्दुस्तान में सबसे पहला कदम होगा यदि हमने कस्टमरी सिस्टम को खत्म कर दिया।

श्री सभापति : इसमें मेरा निवेदन है कि समयाभाव है माननीय मंत्री महोदय, जवाब देंगे।

श्री लक्ष्मन (डग) : इस स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि अभी आप लोगों में बैठने वाले एक सदस्य ने कहा है कि श्री अमृतलालजी यादव ने ठीक किया कि अपनी लड़की की ब्राह्मण के साथ शादी की और उसको आप प्रगति का सूचक मानते हैं। मैं इसको गलत ठहराता हूं, क्योंकि यह एक बड़े अन्याय की बात उन्होंने की है। इससे एक ब्राह्मण का उद्धार नहीं होगा बल्कि एक दलित वर्ग का घर बनने वाला था वह घर नहीं बन पाया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक ब्राह्मण ने दलित वर्ग का उद्धार किया है, लेकिन दलित वर्ग के साथ अन्याय किया है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, समय का अभाव है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय....

श्री सभापति : समय का अभाव है आप तो हर वक्त बोलते रहते हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं बराबर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए थोड़ा ही बोलूंगा।

श्री सभापति : समय बहुत हो गया है यही मेरा निवेदन है। माननीय मंत्रीजी बोलें।

श्री श्रवणलाल : हर साल इसमें समय बढ़ाया जाता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि समय और बढ़ा दें।

एक माननीय सदस्य : बाकी के लोग तो चले गये हैं उनको कहने दें।

श्री सभापति : आप काफी बोल लेते हैं। आपको पूरा समय मिलता है।

श्री श्रवणलाल : वह तो ठीक है, किन्तु सवाल यह है कि आज जिस मसले पर वाद-विवाद हो रहा है वह उस कास्ट से सम्बन्ध रखता है जिस कास्ट को मैं बिलोंग करता हूं। हमारे मामले में जो भ्रष्टाचार, घोटाले होते हैं, तो उस कास्ट का होते हुए भी उनको विधान सभा में न रखूं और मैं जो यहां जीत कर आया हूं उस कास्ट के लिए कुछ नहीं कहूं तो....

श्री सभापति : कोई विशेष बात नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनको अपने क्षेत्र से उलाहना मिलेगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके सामने माननीय मंत्री महोदय का कुछ तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इस राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के लोगों ने संस्थाएं बना रखी हैं जो संस्थाएं काफी पुराने अर्से से कार्य करती चली आ रही हैं। सभापति महोदय, इन संस्थाओं का अगर

(श्री श्रवणलाल)

खर्च सम्भाला जाय तो इन संस्थाओं के ऊपर अभी तक करीब १० लाख रुपया खर्च हो गया है। १० लाख का खर्चा किस बात पर हो गया है ? इन संस्थाओं का काम क्या है ? इन्होंने अब तक क्या किया है ? सभापति महोदय, आपको इस बात को सुन कर ताज्जुब होगा कि मैंने एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के अन्दर उन्होंने जब वह लिस्ट दी तो उन संस्थाओं का काम जो है वह नाइयों की दुकानों पर हजामत बनवाना, हरिजन भाइयों की हजामत नाई नहीं बनाते हैं तो हजामत बनवाना। आप हजामत बनवाने वाले हैं ..

श्री जयनारायण सालोदिया : एजेन्ट हैं हजामत बनवाने के।

श्री श्रवणलाल : मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश करवाना, उसके साथ-साथ कुछ मामूली प्रचार कर देना, और उसके साथ-साथ यहां के किसी अच्छे उच्चाधिकारी को या अन्य किसी प्रकार के मामले के बारे में राज्य सरकार को सूचित कर देना। सभापति महोदय, इस बात से हमारे समाज का कल्याण होता है, यह पता नहीं। अगर यह १० लाख रुपया उस समाज के किन्हीं विशेष व्यक्तियों को पढ़ाने-लिखाने में खर्च किया जाता तो आज हजार, १० हजार मजिस्ट्रेट बन गये होते लेकिन आज पैसा किस बात पर खर्च किया गया ? सभापति महोदय, इस बात का ताज्जुब है कि इस विभाग के जो भूतपूर्व मंत्री थे उनके मोटर गेरेज पर दलित वर्ग संघ का बोर्ड लगा हुआ था उसका पता नहीं आज कि वह उनकी वाइफ के सूटकेस के अन्दर पड़ा है या किसी बिचौलिये के अन्दर। यह मालूम नहीं कर सकते कि यह दलित वर्ग संघ का ऑफिस खोला है तो उसका कार्य क्या है। इसका पता नहीं मिलेगा कि किस जगह इसका कार्यालय है, लेकिन १०-१० लाख रुपये खर्च हो जायं, यह हमारे लिये शोभा और लज्जा की बात है ..

एक माननीय सदस्य : शोभा !

श्री श्रवणलाल : मुझको इसके सम्बन्ध में जो लिस्ट दी है तो सन् ५४ से लगाकर ६७ तक १,६१,८७० रु० दलित वर्ग संघ के नाम पर खर्च किये गये हैं। उसी के साथ-साथ इन्होंने कई छोटी-मोटी संस्थाएं बना रखी हैं जिनको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए कि इन पर भी किस प्रकार से यह रुपया खर्च करते हैं। एक संस्था है राजस्थान सेवक संघ। इस पर इन्होंने खर्च किया है। दूसरी संस्था है आदिम जाति सेवक संघ इस पर इन्होंने ५,४८,५४० रु० खर्च किया है। तीसरी संस्था है राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ। इस पर इन्होंने २,७५,८२३ रु० खर्च किया है और उसी के साथ-साथ एक और राजस्थान अनुसूचित जन-जाति संघ, जयपुर है। उस पर २५,००० रु० और उसके अलावा इन्होंने फिर और एक संस्था बना रखी है, उसके नाम पर कितना खर्च होता है, राजस्थान हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा। उस पर खर्च करते हैं २,५४,८६१ रु०। (शैम, शैम) और इसी के साथ-साथ, सभापति महोदय, और एक संस्था बना रखी है हरिजन सेवक संघ, उदयपुर। उस पर कितना खर्च किया जाता है ? २१,८९८ रु. खर्च हो चुका है। तो, सभापति महोदय, अगर इस प्रकार से यह पैसा खर्च किया जाय, और इस प्रकार से हमारे इस समाज के साथ ढकोसलेबाजी करके जो इने-गिने लोग मंत्रिमंडल में बैठे हुए सदस्य हैं, श्रीमान् अमृतलालजी यादव उनका भला हो

(श्री श्रवणलाल)

सकता है, बाकी किसी हरिजन जाति का भला नहीं हुआ है। राजस्थान के अन्दर ३ लाख का बंगला बना होगा तो वह अमृतलालजी का बना होगा। सभापति महोदय, कहीं भी जाकर राजस्थान के अन्दर यह देख लें वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जमीन के लिए तरसते हैं। आज उनकी एप्लीकेशन को फाड़ कर फेंका जाता है। जमीन का एक उदाहरण आपको देता हूं, जयपुर का। सभापति महोदय, यह जो मशीनरी बैठी है वह किस बात के लिए है। हम बराबर इस बात को उनके सामने लाना चाहते हैं कि हम भेद-भाव को मिटाना चाहते हैं, लेकिन, सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यह नई-नई कॉलोनियां बनाते हैं तो यह क्यों बनाते हैं ? यह हरिजन कॉलोनी, यह फला कॉलोनी यह क्यों बनाते हैं ? मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि आपने जयपुर में जितने भी प्लॉट दिये हैं तो कितने हरिजनों को, जो आपने दूसरे व्यक्तियों के प्लाट्स एलॉट किये हैं, उनमें दिये हैं ? आज आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक भी प्लॉट इस तरह का नहीं मिलेगा जयपुर में। जितने प्लाट एलॉट किये हैं उनमें एक हरिजन को भी प्लाट नहीं मिला।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ सरकार कहती है कि हम हरिजनों के लिए इतना खर्च करते हैं और इसके साथ-साथ ही क्या होता है कि आप स्वीकृति इतनी भेजते हैं लेकिन सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अन्दर, छात्रावासों के अन्दर, समाज कल्याण विभाग के अन्दर आज हमारा पैसा ५० प्रतिशत लेप्स होता है। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा जो कि अभी जो रिपोर्ट मिली है आपके द्वारा उसमें दिये गये हैं। इसमें इस प्रकार का कॉलम दिया है कि हमारी अनुसूचित जातियों और ट्राइब्स के आदमियों को सरकार द्वारा कानूनी सहायता के लिए कितना खर्च किया उसके अन्दर, सभापति महोदय, सुनकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने योजना के अन्दर व्यवस्था में रखा था १ लाख रुपया और उसके अन्दर से खर्च कितना हुआ, सभापति महोदय, ०.८ (शेम, शेम) खर्च कितना किया ०.८। इतना खर्च करते हैं। उसी के साथ-साथ एक नहीं अनेकों मिसालें इस प्रकार की आपके सामने मिलेंगी।

इसी तरह से कुटीर सहकारी समिति के अन्दर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

इसमें अनेक संस्थाओं और सहकारी समितियों के अनेक प्रकार के आंकड़े है जैसे कि हमारी सरकार, जो कि इन आंकड़ों पर चल रही है, समाज कल्याण के भी आंकड़ों पर काबू पाये हुए है। लेकिन कहीं जाकर साक्षात् रूप में देखें तो न तो हरिजन कॉलोनी मिलेगी और न बनाये हुए मकान मिलेंगे, न किसी प्रकार के तालाब और कुओं पर जो रुपया खर्च हुआ है वे तालाब और कुएं मिलेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि खाद्य क्षेत्र के अन्दर राजस्थान के अन्दर प्रगति आशा के अनुकूल नहीं होती क्योंकि योजना की राशि का ३९ प्रतिशत ही व्यय किया गया है। सभापति महोदय, इसके अन्दर योजना के अन्दर ३८ लाख था जिसके अन्दर से इन्होंने ३९.२९ प्रतिशत ही खर्च

(श्री श्रवणलाल)

किया है। इसके साथ-साथ जो कुटीर उद्योग थे उनके अन्दर इन्होंने क्या किया है कि हमारे जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग चलते थे, चमड़े के, जूतियां बनाने के, इस तरह जो छोटे-छोटे उद्योग चलते थे उनके लिए इन्होंने योजना बनाई है कि उनको सहायता के रूप में सरकार से पैसा मिलेगा। वैसे तो कहा जाय कि और प्रदेशों में जितना मिल रहा है उससे कम हमारे राजस्थान में मिलता है। लेकिन उसकी भी हालत क्या है ? सभापति महोदय, इसके अन्दर दो लाख का वह था, उसके अन्दर से खर्च क्या किया ? १५.० प्रतिशत खर्च किया (शेम-शेम) सभापति महोदय, मुझे यह देख कर ताज्जुब होता है, हमारे नाम पर जो पैसा आता है उसको यह खर्च नहीं करते हैं, जैसे इनका जी दुखता है। जो इस विभाग के डाइरेक्टर हैं, और लोग हैं, वह यह पैसा देते नहीं हैं, जैसे उनके घर का पैसा हो, पता नहीं मंत्री महोदय का पैसा समझ कर वह उसको खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ राजस्थान के अन्दर कुटीर उद्योग के लिए, राजस्थान में कुटीर उद्योग के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में दस लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अगस्त, १६६२ में इस राशि को घटा कर दो लाख कर दिया गया था, इसमें से भी १६६१-६२ में ३० हजार ही खर्च किया, दो लाख में से ३० हजार खर्च हुआ। इसके साथ १६६३-६४ के अन्दर योजना की कोई धन-राशि नहीं आई। तो सभापति, महोदय, इस प्रकार से मनमानी इस विभाग के अन्दर चल रही है तो यह कैसे चल सकता है।

सभापति महोदय, समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक नमूना और रखना चाहूंगा। यह ढिंढोरा इस बात का पीटते हैं कि हमने इतनी कॉलोनी बना दीं। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि अब तक कॉलोनी इन्होंने बनाई हैं ५६। अब इन ५६ में क्या है ? सभापति महोदय, २३ तो इनकम्प्लीट हैं, यानी अब तक जो ५४ से यह काम चल रहा है, उसमें अब तक २३ तो इनकम्प्लीट हैं और दस ऐसी हैं कि किसी में चार कमरे बना दिये हैं, किसी में पाँच कमरे बना दिये हैं, किसी में कुछ नहीं बने। तो वह भी इनकम्प्लीट हैं। सभापति महोदय, समय के अभाव के कारण मैं इस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस रकम का जोड़ लगाया जाय, जो ५६ कॉलोनी में लगाया गया है पैसा तो...

श्री जयनारायण सालोदिया : करोड़ों में होता है।

श्री श्रवणलाल : वह करोड़ों में आता है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह पैसा किसकी जेब में पड़ा है ? यह पैसा व्यय क्यों नहीं हुआ ? किसके कारण नहीं हुआ ?

सभापति महोदय, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि इसके अन्दर जहां तक सवाल है सर्विसेज का, उसमें कोटा पूरा नहीं होता है। मैंने एक बार नहीं अनेक बार इस मामले को उठाया है, लेकिन, सभापति महोदय, आज मामूली तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर क्या होता है ? पुलिस के अन्दर किस प्रकार से प्रोमोशन होते हैं। आज हमारा इस तरह का कोटा है उसकी दृष्टि से सोचा जाय कि किसी प्रकार का प्रोमोशन होकर कोई सब-इन्सपेक्टर, आई. जी. या डी. आई. जी. बन जाय, वह नहीं हो सकता

(श्री श्रवणलाल)

है क्योंकि गरीब आदमियों के पास देने के लिए पांच हज़ार, दस हज़ार रुपये नहीं हैं। उनके पास रुपये नहीं है तो वह बन नहीं सकते हैं क्योंकि आज तो सरकार पैसे के बल पर, रिश्वत के बल पर प्रोमोशन कर रही है। इस प्रकार से जो रिजर्वेशन हमारे लिए है वह समाप्त हो रहा है। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ...

श्री सभापति : बहुत समय हो गया है। अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री श्रवणलाल : यह एक मुख्य और महत्वपूर्ण बात है। हमारी सरकार कहती है कि हम हरिजनों को जमीन देते हैं, हरिजनों के लिए तकावी देते है, नल कूप और तमाम दुनिया भर की सिचाई सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण टोंक डिस्ट्रिक्ट का रखता हूं। सभापति महोदय, वहां के एक हरिजन का एक जमीन पर काफी दिनों से आवास था, उसके दो कुए बने हुए थे, और रहने के लिए झोंपड़ी बना ली थी। सरकार को इस प्रकार का उसने आवेदन-पत्र दे दिया था कि इस जमीन पर हम रहते हैं, यह चवालीस बीघा जमीन है, इसको काश्त करने के लिए, जो काम हम करते चले आ रहे हैं, हमारे नाम पर एलॉट कर दिया जाय। सभापति महोदय, इस जमीन के लिए तहसीलदार चाकसू और पटवारी ने रिपोर्ट कर दी थी, तहसीलदार जो भी थे, उन्होने हर प्रकार की कागज की पूर्ति कर दी थी। लेकिन, सभापति महोदय, वह जमीन उस गरीब को न देकर वहां के जागीर-दार, जिसकी जागीरदारी के अन्दर जमीन गई थी, जो सांगानेर का रहने वाला था, जो भूमिहीन की संज्ञा में नहीं आता था, उसने उस तहसील के रहने वाले सत्यनारायण को वह जमीन अलॉट करा दी। और सभापति महोदय, यहां से फोर्स ले जाकर, गाड़ी में भर कर ले जाकर उन गरीबों की झोंपड़ियों में आग लगा दो गई, कुए और झोंपड़ो को बरबाद कर दिया गया और उनको गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर दिया गया। सभापति महोदय, क्या यह आपका विचार है इन हरिजनों का उत्थान कराने का? क्या यही आपका विचार है हरिजनों का भला करने का? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह मसला बहुत महत्व-पूर्ण है इसलिए इसमें इन्क्वायरी करायें और वास्तविक रूप से उनके खिलाफ गलत कार्य-वाही की गई है। जिस ऑफिसर ने यह किया है उसको सरकार दण्ड दे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा आपके सामने सर्विसेज के विषय में कह देना चाहता हूं। यह है, नई दिल्ली, तारीख १४ मार्च, ६४, थर्ड प्लान के अन्दर एक सर्क्यूलर निकला था। उस सर्क्यूलर के अन्दर इस प्रकार था – "Services of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under the Public Enterprises" इसके तहत यह निकला था, लेकिन सभापति महोदय, यह निकला हुआ है, ६४ का निकला हुआ है लेकिन आज सरकार इस पर चुप्पी लगाये हुए बैठी है, कानों में तेल डाले हुए बैठी है, कानों पर ठीकरी रखे हुए बैठी है और आज तक सर्विसेज में रिजर्वेशन नहीं किया है और किसी को भी इस ऑर्डर के तहत कार्य पर नहीं लगाया गया है..

श्री जयनारायण सालोदिया : ऑर्डर नहीं है विभाग के पास।

श्री श्रवणलाल : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा और इस

(श्री श्रवणलाल)

आॅर्डर की कॉपी मैं माननीय मंत्री महोदय को भ दूंगा, और उनसे यह पूछूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने इस आॅर्डर के तहत अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया है। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आज जो पहले इस प्रकार का नियम था, शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग विभागों के अन्दर काम करते हैं, जो विभागीय कामकाज करते हैं उनके लिए फाइव पर्सेन्ट का कोटा रखा गया था, आगे पढ़ने के लिए और उनको योग्यता बढ़ाने के लिए। आज सरकार उस कोटे को वापिस कर रही है, उसके तहत किसी कर्मचारी को, जो विभाग में काम करता है, उसको चान्स नही देते हैं। यदि चान्स नही देते हैं तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे और आगे नही बढ़ेंगे तो किस प्रकार से उन्नति करेंगे।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो तथ्य मैंने रखे हैं, उनके ऊपर आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, दो मिनट !

श्री डूंगाराम (दौसा) : सभापति महोदय....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप मुझको फर्मा रहे हैं या उनको !

श्री डूंगाराम : आप भी बोलें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दोनों साथ कैसे बोलेंगे !

श्री सभापति : माननीय श्री मनोहरसिंह जी !

श्री डूंगाराम : सभापति महोदय. ..

श्री सभापति : माननीय श्री मनोहरसिंह जी !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडल) : सभापति महोदय, मैं आपका अधिक वक्त नही लेना चाहता लेकिन जब मैं बच्चा था तब भी महतर सिर पर टट्टी उठा कर ले जाता था और आज २० साल की आजादी के बाद भी महतरानी टोकरी में टट्टी सिर पर ढो कर ले जाती है और टट्टी भरती जाती है तो मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वील बैरोज कभी के आ जाने चाहिये थे वे आज तक नहीं आये हैं। अब कृपा कर के कम से कम इनसे सिर पर टट्टी नहीं उठवायें, वील बैरोज की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। वैसे महतर का और मंत्री का एक काम है, वर्ष मे १५ मिनिट के लिये सफाई का काम मन्त्री कर सकें तो यह एक मिसाल होगी। दो प्रार्थनाएं तो यह हुई। तीसरी प्रार्थना मैं यह करना चाहता हूं कि गांधी शताब्दि से पहले-पहले टट्टी की टोकरी सिर पर उठवाना बिलकुल बन्द कर दें और अलग-अलग होस्टल्स बने हुए हैं कि यह महतरों का होस्टल है, यह आदिवासियों का होस्टल है, इस भेदभाव को मिटा कर सब को एक होस्टल में दाखिल करें। २० साल में आपने यह व्यवस्था बना दी कि महतर आज भी महतर है और मेहता आज भी मेहता है। यह स्थिति आप समाप्त कीजिये। बस मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : सभापति महोदय, यह १३वीं रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत है। एक से १३ रिपोर्ट पेश हो गई हैं, जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है। इन रिपोर्टों में से ४ रिपोर्ट मैंने देखी हैं। चारों रिपोर्टों में ऐसी कोई बात नहीं है,

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जितने सुझाव आयुक्त ने दिये हैं, उनको राज्य सरकार न माना हो तब तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि इन रिपोर्टों पर विचार होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इन पर विचार करके अमल नहीं किया जावेगा, तब तक रिपोर्टों को छापते रहेंगे, यहां विचार होता रहेगा, कई शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सिर फोड़ते रहेंगे, आप कोई विचार नहीं करते। जितनी समस्याएं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं उन समस्याओं की ओर आप ध्यान नहीं देंगे तब तक कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। खाली आयुक्त की रिपोर्टों पर खर्चा करना इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़े में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इन कौमों की शिक्षा के बारे में सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल सकती। सुविधा इन लोगों को तभी मिल सकती है जब कि इन कौमों के हा आदमी अधिकारी बन कर डिपार्टमेंटों मे बैठेंगे तब उनको ही महसूस होगा कि जो मेरे बिरादरान हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या मुसीबतें हैं और इन लोगों की मुसीबतों और दिक्कतों को देख कर वह कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं संविधान के अन्दर इन लोगों को दी गई हैं वे सुविधाएं उनको उपलब्ध करायें, तभी यह सब कुछ हो सकता है।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन कौमों को जो शिक्षा में सुविधा दी गई है, आप उस सुविधा को देने के बजाय वापिस छीन रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति इन कौमों के छात्रों को देते हैं वह छात्रवृत्ति धीरे-धीरे लेप्स करते जा रहे हैं। जो प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रवृत्ति है उसको बन्द करना शुरू कर दिया है, मिडिल स्कूल में नाममात्र को दे रहे हैं। हायर सेकेन्डरी में छात्रों को उत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति निकाली थी उसका भी यही हाल है। बच्चों को शुरू में चार-पांच रुपया मिलता है तो मां-बाप देखते हैं कि बच्चे को स्कूल में भेज दो, इसे चार-पांच रुपया महीने का मिलता रहेगा। आगे जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जाती थी छात्रवृत्ति बढ़ाते थे, पर अब उसमें कमी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में सरकार ज्यादा ध्यान दे। दूसरे राज्य इन कौमों की शिक्षा के बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, राजस्थान में नहीं दे रहे हैं। सामान्य शिक्षा के आंकड़े मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आंकड़े बहुत हैं पर समय सभापति महोदय देते नहीं हैं, इसलिए दो शब्द कह कर दूर होता हूं।

सामान्य शिक्षा में उत्तर प्रदेश में ४१५३ छात्रों ने उच्चतर शिक्षा ग्रहण की ६०-६१ में, पश्चिम बंगाल में ६०–६१ में ५५३५ छात्रों ने उच्च शिक्षा ग्रहण की और ६१–६२ में ५८२५ छात्रों ने उच्च शिक्षा ग्रहण की जबकि राजस्थान में ६०–६१ में ४४७ छात्रों ने सामान्य शिक्षा ग्रहण की और ६१-६२ में ४७३ ने। दूसरे राज्यों को तुलना में जहां दूसरे राज्यों में हजारों छात्र इन कौमों के शिक्षा प्राप्त करके निकले हैं वहां आपके यहां ४०० निकले हैं। कम से कम दूसरे राज्यों का अनुकरण तो शिक्षा के मामले में आपको करना चाहिये।

अब मैं व्यावसायिक शिक्षा के थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूं। आंध्र में व्यावसायिक शिक्षा में ६०–६१ में १३६० शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, ६१–६२ में १८६५ को। महाराष्ट्र में ६०–६१ में २३४० को और ६१–६२ में २६३० को। उत्तर प्रदेश में

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

६०–६१ में १३४१ को और ६१–६२ में १५२२ को। पर राजस्थान में ६०–६१ में केवल १४५ को और ६१–६२ में केवल १६१ को।

इन कौमों के लोगों को सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा देने में आपका यह हाल है।

इसी तरह से इन्जीनियरिंग, पोलीटेक्निक का भी यही हाल है, कृषि और वाणिज्य की शिक्षा में भी यही हाल है, दूसरे राज्यों की तुलना में आपका स्तर बहुत नीचा है, वे १०० पर्सेन्ट हैं तो आप १० पर्सेन्ट हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आप और ज्यादा नहीं कर सकें तो कम से कम इन कौमों को शिक्षित करके इतना तो जरूर बना दें कि ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके विभागों में जाकर बैठ सकें। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को यह सुविधा नहीं देंगे तब तक ऊंची कौमों वाले इनको आगे नहीं आने देने वाले हैं। ये लोग हमेशा इसी ताक में रहे हैं कि कोई न कोई वर्ग हमारे पीछे ऐसा रहना चाहिये कि जो हमारी सेवाएं करे। मानवता के दृष्टिकोण से नहीं सोचते, वे तो यही देखते हैं कि हमारे पांव पूजने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए कोई न कोई तबका पिछड़ा हुआ रहे। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के बारे में इन लोगों को आगे बढ़ाये, तभी इनकी हालत ठीक हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी !

राव श्री नारायणसिंह मसूदा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापति/महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, सन् १९६३-६४ पर दो दिन से बहस चालू है और विभिन्न माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और काफी उपयोगी सुझाव दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं भूमिका में...

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता!

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : थोड़ा ध्यान से सुनिये, लाउड स्पीकर खराब है।

श्री सभापति : लाउड स्पीकर बदल लीजिये।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करना चाहता हूं भूमिका में कि आजादी के बाद से सभी प्रकार के क्षेत्रों में एक क्रान्ति उत्पन्न हुई है। दबी हुई जातियां, दबे हुए संस्कार, दबी हुई संस्कृतियां और दबी हुई भावनाएं, इन सबने उभार लिया है और इस बात के लिये प्रयत्नशील हुईं कि वे सब इस मौके पर अपने-अपने स्वत्व को प्राप्त कर सकें। जब ऐसा प्रसाधन हुआ तो कई प्रकार के झंझावातों के अन्तर्गत देश ने कछुए की तरह सिकुड़ कर अपनी कन्डेन्स्ड वेल्यूज को सिकोड़ कर, अपनी कन्डेन्स्ड वेल्यूज को सुरक्षित रखने के लिये एक प्रकार से उन वेल्यूज को, जिनको उपयोगी समझा उनको कन्डेन्स्ड किया और सुरक्षित रखा। आज आजादी मिलने पर वह कन्डेन्स्ड वेल्यूज खुली हैं। उन वेल्यूज को टटोलने में हमने कुछ कोताई बरती होगी। कहीं उदारता में घुस करके निकले, कहीं किसी प्रकार से निकले लेकिन फिर भी जन-नेताओं की और दूसरों की भावनाएं थी कि सब स्तर से यह देश ऊपर उठ सके और खास तौर से जो पिछड़ी जातियां, जिनको तथाकथित अनुसूचित जातियों या जन-जातियों में परिगणित करके हम कहना चाहते हैं कि उनको हमारे बराबर

Page No. 163

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

का हकदार, साझीदार बनाने की कोशिश चली। वह चलने के बाद भी तथाकथित कुलीन हैं, उनका छुपा हुआ आन्दोलन जारी रहा और हो रहा है, इसी लिये आज के भाषणों में वह दबी हुई चीख है कि इतने सब कुछ प्रयत्न होते हुए भी कहीं कुए बनाते हैं तो उन कुओं का उपयोग नहीं लेने दिया जाता। कहीं जमीन एलॉट होती है तो उस पर दूसरे हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करते हैं और कई इस प्रकार की बातें होती हैं। हम आज भी जातीय जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उनके अन्दर हम उनको स्वतः भारतीय नागरिक के रूप में देखने में आज भी कठिनाई महसूस करते हैं और इसी का कारण है कि चाहे कितने ही प्रयत्न करें हम उस काम को पूरा करने में, फिर भी कोताही हो जाती है, हम पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो मैं इसी भूमिका में निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिनको अनुसूचित जाति और गिरी हुई जाति कहते हैं, उनका यदि विश्लेषण करेंगे, उनके लिए जो संस्थायें स्थापित हैं उनका विश्लेषण करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि ऐतिहासिक क्रम के अन्दर उन जातियों की कहीं बुनियाद देखना चाहें तो वह जाति कहीं-कहीं बड़े-बड़े सम्राटों के रूप में मिलेगी, उन्होंने बड़े साम्राज्य स्थापित किए होंगे और बड़े उच्च कुलों की जातियां मिलेंगी। यह ऐतिहासिक क्रम है। लेकिन समाज के द्वारा हम चक्कर में ऐसी जगह पर पहुँच गए जहां कुलीनों ने

(६.५१ म. प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

अपनी संकीर्णता के कारण उनको स्वीकार करने में इन्कार कर दिया। इसके लिए जन-नेता आगे आते हैं, सरकार आगे आती है अथवा कोई भी आगे आता है तो उनके कार्य की विधि के अन्दर भी एक छुपी हुई जंजीर नजर आती है। तो इस भूमिका में सारी चीजों को देखना है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियों को उठाने के लिए जो प्रयत्न किया उसका समुचित स्वरूप, उस संकल्प का सुदृढ़ वर्गीकरण संविधान की धारा ४६ के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स और आर्टीकल २७५ के अन्दर है और इस प्रकार के कई सही मार्गदर्शक जो प्रावधान थे वह मिले। उनसे प्रेरणा लेकर स्थान-स्थान पर समाज कल्याण विभाग खुले। १९५० से यहां पर भी खुला। अभी जैसा माननीय विरोधी दल के नेता ने बताया, यहां की जन-जातियां और अनुसूचित जातियों को जनगणना में मिलाया जाय और घुमक्कड़ जातियों को मिलाया जाय तो वह राजस्थान की कुल आबादी का चौथा भाग हो जाती है। तो वाकई चौथी हो जाती है तो उनके प्रति हमारा कर्त्तव्य है कि उनको बराबरी का साझेदार बनायें। परन्तु उस कर्त्तव्य के अन्दर हम आर्थिक प्रावधान करके, कानूनी प्रावधान करके और नेतागिरी स्थापित करके आत्म-संतोष ग्रहण कर लेना चाहते हैं। यह आत्म-वंचना स्वभाव का दोष है। जिस आत्म-वंचना को लेकर कई प्रणालियां निकालेंगे, परिपाटियां निकालेंगे लेकिन उनसे जो जीवन समाज को मिलना चाहिए, वह नहीं मिलेगा।

इस प्रस्तुत रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उनको लेकर मैं कुछ लेखा पेश करना चाहता हूं। इसमें कई प्रणालियों का जिक्र हुआ है—जैसे गोर्धन पूजा इत्यादि। इसके लिए यह कहा गया था कि इस रिपोर्ट के ऊपर राज्य सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनके कार्यान्वयन की तरफ प्रयत्न ही नहीं किया। मैं नहीं कहता कि सारी बातें जो यहां कही गईं वे कहां तक सत्य थीं अथवा असत्य थीं, उन सारी की सारी को

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

मैं दुहराना नहीं चाहता। यह गणना का समय है। इसमें गिनती और आंकड़ों का महत्व तो है ही उन्हीं गिनती और आंकड़ों की बुनियाद पर निवेदन कर रहा हूं कि जितनी सिफारिशें हुई उनमें से १६६ का क्रियान्वयन किया गया, १२ को स्वीकार नहीं किया गया और २५ विचाराधीन हैं। इस प्रकार का नम्बर आता है। इन आंकड़ों को देखने से इस प्रकार का संतोष मिलता है कि कई बातों को स्वीकार करने का प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा समन्वय समिति का गठन किया गया जैसे इसमें कहा गया है। इस समिति द्वारा १६६१-६२ में आयोजन समन्वय समिति और सांख्यिकीय समिति की स्थापना की गई और समन्वय समिति द्वारा सारे विकास कार्यों का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया। उनकी सलाह से और उनकी सब प्रकार की सूचना से इन सब बातों को लेकर हर एक विभाग को मार्गदर्शन देने का कार्य शुरू किया....

श्री श्रवणलाल : यह जो समिति का गठन किया उसकी कितनी मीटिंग्स हुई ?

राव श्री नारायणसिंह : वास्तव में समाज कल्याण विभाग के सीधे हाथ में जो चीजें हैं वे बहुत कम हैं। परन्तु समाज कल्याण विभाग का वास्ता करीब-करीब सहकारी विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, विकास विभाग और अन्य कई विभागों से हो जाता है और इसके अंदर समन्वय की एक परिपाटी बने तो सुचारुरूप से काम चल सकता है। इतने सारे विभागों को हम लिख सकते हैं, उनको उलहाना दे सकते हैं परन्तु क्रियान्वयन सीधा उन विभागों का है। जिस प्रकार से सहकारिता विभाग के बारे में कहा गया है, हाउसिंग के बारे में कहा गया, दूसरे विभागों के बारे में भी कहा गया। कहीं-कहीं हमें सुझाव देकर उनको रिमाइन्डर्स देने तक का अधिकार रह जाता है। यह भी दिक्कत आती है। इसके अलावा सलाहकार मंडल संस्थायें हैं, राजकीय तो हैं ही। १६५२ से अनुसूचित जाति परिषद् है, १६५४ से अनुसूचित जाति कल्याण मंडल है और इसका कार्य छात्रवृत्ति में, भूमि आवंटन और दूसरी बातों में सलाह देने का है। यह सब होते हुए, मैं पहले उस चीज पर आता हूं जिसके लिए यहां पर बहुत जोरों से जिक्र किया गया।

(७ म. प.)

इस बचे हुए समय के अन्दर सारी बातों पर प्रकाश नहीं भी डाल सकूं तो भी जो खास-खास बातें हैं उनका जरूर मैं कुछ स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझूंगा।

मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं उस टिप्पणी के बारे में, जो राज्य सेवाओं के अन्दर अथवा दूसरी सेवाओं में खास करके गजेटेड सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को जगहें दी गईं, सहूलियतें दी गई हैं उनके बारे में की गईं।

गजेटेड पदों पर नियुक्तियों का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

६१-६२ में ४.७ प्रतिशत
६२-६३ में ६.१ प्रतिशत
६३-६४ में ८.० प्रतिशत
६४-६५ में ८.५ प्रतिशत
६५-६६ में ६ प्रतिशत

हमारा लक्ष्य १२॥ प्रतिशत का था। इसमें कमी रही इतनी इसका कारण यह था कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के अन्दर पूरी तरह से शिक्षा लेने का अथवा उनकी शिक्षा लेने की तरफ रुचि और सामर्थ्य की कमी रही है और इन सेवाओं के चयन में वह साधारण पी० एस० सी० के रूल चयन में आते हैं, जहां कुछ अभी इस समय तक आगे बढ़ने में और उनको अकोमोडेट करने में इतनी कमी रही।

श्री जयनारायण सालोदिया : आर. ए. एस. और आई. ए. एस. में कितने पर्सेन्ट हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : गजेटेड मे सभी आ गये हैं। सबोर्डिनेट सर्विसेज में प्रतिशत इस प्रकार रहा:—

६१-६२ में ८.६ प्रतिशत
६२-६३ में १३.३ प्रतिशत
६३-६४ में १५ पर्सेन्ट
६४-६५ में १४.८ प्रतिशत
६५-६६ में २६.५ प्रतिशत होते हैं जो कि हमारे लक्ष्य से ऊपर हैं।
और चतुर्थ श्रेणी में—
६१-६२ में २४.६ प्रतिशत
६२-६३ में ३४ पर्सेन्ट
६३-६४ में ४२ प्रतिशत
६४-६५ में ६७.४ प्रतिशत। इसमें पर्सेन्टेज इस प्रकार से बढ़ता चला गया है।

तो सुविधाएं नहीं दी गई हों और सुविधाओं के अलावा सामर्थ्य का भी प्रश्न आता है। अब सामर्थ्य के अन्दर कई बातें आ जाती हैं। इसमें हो सकता है सरकार की भी कमी रही हो तो ये सब बातें आ जाती हैं। तो मैं मानता हूं सबोर्डिनेट सर्विस में तो काफी सीमा तक हम पहुंच गये हैं पर गजेटेड में जितना आना चाहिये उतना नहीं आ पाये। इसका कारण यह भी है कि उनमें जो अन्य वर्गों के सेवा संरक्षण के जितने भी तरीके हैं वे ही उसी प्रकार से उनके लिये भी रहते हैं। अब इस वर्ष यह जरूर सोचा गया है कि राज्य सरकार ने आर. ए. एस. और दूसरी सर्विस के लिये एक कोचिंग इन्स्टीट्यूट का प्रावधान किया है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट और भारत सरकार से ट्रेनिंग सेन्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है। उसमें राजस्थान से जावेंगे उनका खर्चा भी राजस्थान सरकार देगी और वह भी सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत होगा।

तो इस प्रकार से और यूनिवर्सिटियों में भी कोचिंग की व्यवस्था की गई है। तो सेन्ट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस में इस प्रकार से कोचिंग मिल सकेगा तो अधिकाधिक लोग इस श्रेणी में भी आ सकेंगे।

अब यह कहा गया कि सर्विस में बिल्कुल ही कोई नहीं है गजेटेड श्रेणी में तो उदाहरण के तौर पर केवल एक-दो का नाम बता देता हूं।

श्री सभापति : यह कोचिंग कब से आरम्भ किया ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसी वर्ष से।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस प्रकार के योग्य व्यक्ति बेकार बैठे हैं इस प्रकार के आंकड़े हैं। अब कोचिंग क्लासें चलाते हैं तो देखेंगे।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : आरंभ किया गया है तो सभी जो कुछ करने का है, किया जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि जितना शोर्ट करके इसको समाप्त करें उतना ही अच्छा है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जब इतनी बहस चली है तो मेरा कर्त्तव्य है कि विषद् प्रकार से सारी चीजें सदन के सामने रक्खूं। जब माननीय सदस्यों ने कष्ट करके समय बढ़ा कर और इन सारी बातों

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

पर प्रकाश डाला है .तो सरकार अगर उस पर बिल्कुल आंख मींच कर बैठ जावे और जवाब भी न दे तो यह कर्त्तव्यविमुखता होगी। इससे मुक्त होने के लिये मैं उन सारी बातों का पूर्णातिपूर्ण जवाब देना चाहता हूं और ,इसके लिये मुझे अवकाश मिलना चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके इस समाज कल्याण विभाग में ही कितना प्रतिशत है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : बाद में आप पूछ लें। अभी पूरी बातें आई नहीं हैं। आई० ए० एस० में श्री रामचन्द्र मीणा हैं। श्री महेन्द्रसिंह आई० पी० एस० में भी हैं। श्री किशनलाल मीणा आर० ए० एस० में हैं। एक श्री कंवरिया और इसी प्रकार से इस विभाग के वास्ते भी जिक्र किया। .तो मेरे पास नाम आये हैं। इसमें एक शोध अधिकारी है जो महत्वपूर्ण पद है। रूपसिंह हैं, और श्री कटारिया भी हैं। और मैं तो चाहता हूं यह फर्क ही हट जाना चाहिये कि यह निम्न वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और यह फलाना वर्ग है। इस आदत को पटकना भी आवश्यक नहीं है। आज तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं ६० पर्सेन्ट में सर्विसेज हमने जो कि आज तक इस आत्म-वंचना और आत्म-सन्तोष के साथ जो ज्यादती वर्ग विशेष के साथ की है तो वह विशिष्ट वर्ग उसके दण्ड-स्वरूप या प्रायश्चित स्वरूप सर्विसेज से बिल्कुल ही अलग होकर ९० प्रतिशत स्थान उनको दे दे तो दस पर्सेन्ट में वे काम चला लें। पर मैंने बताया कि जो कुछ जहान और कानून में फर्क आता है वह हमारी सभी जगहों पर समान आ जाता है और कई प्रकार की स्थितियां है।

अब मैं छात्रवृत्तियों पर आता हूं। इस सम्बन्ध में और कुछ और सम्बन्ध में मैं, जो मेरे सम्मुख बैठे हैं सदस्य सालोदियाजी, उनका मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने इस विषय में कई बातें कहीं। मैं मानता हूं कि पूरे सर्वगुण रूप से, समुच्चय रूप से, परफेक्शन तो कहीं नहीं आता है और इसमें भी नहीं है। परफेक्शन से तो बहुत कम है। परन्तु फिर भी अनुसूचित कमिश्नर की यह जो रिपोर्ट है इसको ही अगर आप देखेंगे तो माना है कि यहां के छात्रावास देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अच्छे हैं। तो यह उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में माना है और प्रशंसा की है।

इसमें उल्लेख कर सकते हैं अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास के लिये राज्य की पहली योजना में, दूसरी योजना के काल में ३० लाख का प्रावधान रहा है खर्च हुआ है और यह भी निवेदन कर सकता हूं कि बिहार के अतिरिक्त सब राज्यों से यह बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा भी अनुसूचित जातियों के छात्रावास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १५ लाख का प्रावधान रखा गया जो कई राज्यों से अधिक है जिसमें गुजरात और पश्चिमी बंगाल भी सम्मिलित हैं। आन्ध्र प्रदेश में और गुजरात में छात्रावास में सुविधा २५) प्रति मास प्रति छात्र है। हमारे यहां खाने-पीने, पहिनने के लिये कपड़ा, स्टेशनरी, शुल्क इत्यादि के अलावा भी जहां अनुदानित छात्र हैं वहां ४०) प्रति मास प्रति छात्र दिया जाता है। छात्रावास में तंगी महसूस की गई है बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और उसको दूर करने के लिये ६७-६८ के वित्तीय वर्ष में प्रावधान रखा गया है। विज्ञान और गणित में विशेष ट्यूशन के लिये इस वर्ष छात्रावास में प्रावधान रखा गया है। मैं

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

इससे आगे और भी अर्ज करना चाहता हूं। इस समय अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के ७८ छात्रावास चल रहे हैं जिनमें ७ हजार से अधिक छात्र लाभ उठा रहे हैं। (व्यवधान) बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यह निर्णय लिया गया है कि मेट्रिक के आगे पोस्ट-मेट्रिक सुविधा उपलब्ध है उसका जरूरतमन्द लाभ उठा सकें और छात्रावासों का पूरा व्यय वहन कर सकें। (व्यवधान) इन्जीनियर और मेडिकल-टेक्निकल संस्थाओं में पढ़ने वालों को पोस्ट-मेट्रिक के अलावा ७५) मेरिट-कम-नीड के अलावा दिया जाय। अन्य कॉलेजों के छात्रावासों में पढ़ने वालों को भी दिया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : छात्रवृत्ति देते हैं फरवरी में।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : एक इसमें शिकायत यह है, दूसरी सांख्यिकीय में जाने से पहले यह निवेदन कर दूं कि छात्रवृत्तियां देरी से मिलती हैं, अनुदान देर से मिलते हैं, माननीय रावतरामजी ने जिक्र किया। होस्टल व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया....

श्री विजयसिंह रावत : कोरम नहीं है हाउस में। हाउस कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय।

(७.१२ म. प.)

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : तो इस विषय में जो कुछ भी त्रुटियां हैं खाना, कपड़ा और दूसरे मामलों में उसमें माननीय रावतरामजी ने कहा कि एक उच्चाधिकार समिति बननी चाहिये। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके अलावा मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति प्रति मास किसी भी प्रकार से मिल जाय। कई बातों में दूसरे विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है। एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट को ले लें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वह देते हुए पहुँचते हैं। अनुदान-पत्र आते हैं, प्रोसेसिंग होता है। जब तक नवम्बर का समय निकल जाता है। इसको कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक यह भी किया गया है कि एडवान्स पेमेन्ट उनको कर दिया जाय ताकि आगे उसका एडजस्टमेन्ट हो जाय और उनको विशेष असुविधा इस प्रकार की न हो। इस सम्बन्ध में और निवेदन कर दूं और भी कई प्रकार के अलॉटमेन्ट और अनुदान इत्यादि विभिन्न जगहों पर किये जाते हैं उनमें भी यह शिकायत आती है कि वह बहुत देर से सारे प्रोसेसिंग के बाद में, रूटीन और रेड टेपिज्म के बाद में कभी-कभी वित्तीय वर्ष के अन्दर में प्राप्त होते हैं। इस सारी परिपाटी को किस प्रकार से सुगम बनाया जा सके इस ओर तो विचार किया ही जा रहा है परन्तु इसके अलावा भी मैं यह सोच रहा हूं कि जिला स्तर पर कलेक्टर और कलेक्टर के संचालन में, उसकी अध्यक्षता में, उसके संयोजकत्व में जितने भी एम. एल. एज. हों, समाज कल्याण अधिकारी और उसके अलावा जिस विभाग से सम्बन्धित जो भी अनुदान या कुछ भी देने का हो उसके अफसर उसमें सम्मिलित होकर उस कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करावें।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस प्रकार के बोर्ड बने हुए हैं लेकिन उनकी मीटिंग दस साल में भी नहीं होती।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस तरह के नहीं बने हुए हैं। इसकी मीटिंग

Page No. 168

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

भी होती हैं वह भी मेरी दृष्टिगत है। इस बात को पूरी तरह से देखूंगा कि कम से कम एक-दो दफा मीटिंग होनी चाहिये ताकि सुझाव आ सकें। इसके अलावा भी डिसेन्ट्रेलाइज फॉर्म में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां मुकर्रर हो जायें तो इस प्रकार के विलम्ब को कम कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : छात्रावास के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल तो पहली तारीख से खुल जाते हैं। छात्रावास आज तक कहीं नहीं खुले हैं। लड़के स्कूलों में एडमिट हो जाते हैं, वे कहां जायं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस बात को भी देख रहा हूं। मेरी सूचना के अनुसार अधिकांश छात्रावास तो स्कूल के टाइम के साथ हैं। कहीं-कहीं कभी हो सकती है। माननीय रावतरामजी का नाम लेकर जिक्र किया इस प्रकार की समिति नियुक्त कर देंगे अथवा इन समितियों से ही, जो वर्तमान में हैं, उनसे काम चला सकेंगे तो ज्यादा मीटिंग करके करेंगे ताकि छात्रावासों का पूरा उपयोग हो सके।

श्री जयनारायण सालोदिया : दस पैसे के नाश्ते के लिये कहा था।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : कितना बढ़ा सकते हैं ? क्या फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स इसके होंगे ? आज की रेट में दस पैसे का नाश्ता पूरा हो सकता है या नहीं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : इन कमेटियों का निर्माण कब हो जावेगा ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर कोरम नहीं रहा तो सारी बात ही नहीं कह सकूंगा। पहले मैं अपनी बात सारी कह दूं। बाद में आप फरमायें तो ठीक रहेगा। एक अर्ज कर चुका हूं कि ३६ राजकीय छात्रावास हैं। ४२ अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास हैं, इसी प्रकार स्वयम्-सेवी संस्थाओं के द्वारा भी ४४ और ५८ हैं। उनका हिसाब-किताब ठीक प्रकार से नहीं है, इस प्रकार की बातों का शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये संस्थायें जो चलायी जा रही हैं जिन लोगों ने सारे अपने जीवन को इसमें व्यतीत कर दिया है उनके द्वारा चलायी जा रही हैं और उनकी भी सम्भवतः इस प्रकार की शिकायत हो सकती है कि पूरी तरह से हमारे जन मानस के अनुकूल उस प्रकार की प्रेरणा और मिशनरी स्पिरिट वाले लोग नहीं मिलते हैं जो आजादी से पूर्व मिल जाते थे, जिनमें तमन्नायें थीं वह आज बुझती सी नजर आती हैं। जिस तरह से काम चलना चाहिये था वह नहीं चल पा रहा है। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा रिपोर्ट देने के बाद ही इस प्रकार राशियां दी जाती हैं। सारी अनियमितताओं का जहां तक सवाल है उनको पूरा किया जाता है। मैं संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं। इसके अलावा यह भी माननीय सदस्यों के द्वारा शिकायत की गई कि इनकी रिपोर्ट्स नहीं आती है तो मैं निवेदन कर दूं कि इनकी रिपोर्ट्स विभाग में आती हैं कि इनका कार्य किस प्रकार से होता है। इन रिपोर्ट्स को और चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट को देख कर और दूसरी बातों के आधार पर भविष्य के वर्ष के लिए निर्णय लिया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इन सारी रिपोर्टों को, चार्टर्ड अकाउण्टेंट की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्टों को सदस्यों को दिया जायगा, हाउस की टेबल पर रख कर ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जो सदन तक आनी चाहिये रिपोर्ट वे आती हैं। जो

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

छोटी-छोटी संस्थाओं के मामले हैं और यह तो किसी राज्य में नहीं हुआ है कि इस प्रकार....

श्री जयनारायण सालोदिया : दो-दो लाख का अनुदान दिया जाता है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : छोटी-छोटी रिपोर्ट यहां तक आवें और यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे जान सकते हैं कि किसी न किसी तरह से वे चीजें सामने आ जाती हैं तो जिस चीज को आवश्यक समझता है सदन, उस चीज को मन्थन करके सामने लाने की शक्ति उसमें है और उसमें किसी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं है।

छात्रवृत्ति के बारे में मैं निवेदन कर दूं, मैं छात्रवृत्ति के आंकड़ों में न जाऊं तो भी मैं यह निवेदन कर दूं कि पहले भी यहां एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में सारी सूचना दे दी गई है और फिर यहां पर निवेदन कर दूं कि हम अपने यहां से स्कॉलरशिप देते हैं और इसके अलावा टेक्निकल एज्यूकेशन के लिए या दूसरे साइन्टिफिक स्कूलों के अन्दर जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : दी है राजस्थान में किसी को ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इन सब के अन्दर...

श्री सभापति : आप उत्तर संक्षेप में देदें तो ठीक होगा।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं यदि इसको अलग रखूं और केवल इस बात को कहूं कि...

श्री जयनारायण सालोदिया : आप माइक पर आ जाइए, सुनाई नहीं आ रहा है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : पंचायत समिति और दूसरी एजेंसियों के द्वारा जो छात्रवृत्तियां आज तक दी गई हैं उसी के अनुसार भी सन् १९५९-६० से लेकर सन् १९६६-६७ तक पंचायत समितियों के द्वारा २०,६९,११० रु० छात्रवृत्ति में दिए गए हैं और स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा के अन्दर और दूसरी उच्च शिक्षा के अन्दर छात्रवृत्ति देने की जो वास्तविक संख्या है वह इस प्रकार है। सन् १९६६-६७ में अनुसूचित जाति के छात्रों के प्राप्त प्रार्थना-पत्र १३२९ और उसमें स्वीकृत छात्रवृत्तियां हैं १३१० और इसी प्रकार अनुसूचित जन-जाति के प्राप्त प्रार्थना-पत्र हैं ५३१ और उससे भी अधिक दी गई हैं ५३८....

श्री जयनारायण सालोदिया : बिना प्रार्थना-पत्रों के ही छात्रवृत्ति दे दी ?

श्री श्रवणलाल : बिना प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ही किनको छात्रवृत्ति दी गई ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके बारे में मैं अभी विषद् रूप से नहीं कहना चाहता....

श्री नाथूराम : जो आंकड़े आप बता रहे हैं वे तो सब बजट के अन्दर भी दिए हुए हैं लेकिन जो प्रश्न हमने यहां पर उठाए हैं, छात्रावासों की समस्या के बारे में और दूसरी बातों के सम्बन्ध में, उसके बारे में आप जवाब दें।

(व्यवधान)

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

लेवल कमेटी में मेम्बर होंगे वे इन सारी समस्याओं को देख सकेंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की इच्छा यह है कि जो मुद्दे उन्होंने बहस में उठाये हैं उनका उत्तर देने तक ही आप अपने जवाब को कन्फाइन करने की कोशिश करें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय सदस्य यदि संतोष रखेंगे और घण्टा डेढ़ घण्टा यहां पर बिराजेंगे तो उनको थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन मैं उन सब बातों के बारे में कह सकूंगा। मैं क्रमवार सारी बातें निवेदन कर रहा हूं।

कक्षा ९, १० और ११ में भी छात्रावृति दी जाती है और पहले जो दस रुपये छात्रवृत्ति के दिए जाते थे उसको बढ़ा कर अब बीस रुपया कर दिया गया है। मैं किसी चीज को छिपाना नहीं चाहता, मैं तो केवल....

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री नाथूराम : हमने जिन बातों को उठाया था उनका तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं...

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : आपने अपनी बात कह दी थी, अब आप कृपया मुझे भी अपनी बात कहने दें।

तो उनको १०) रुपये से बढ़ा कर २०) रु० प्रति माह कर दी गई है। इसी तरह से इंजिनियरिंग, मेडिकल कॉलेज की छात्रवृत्ति और मेरिट-कम-नीड में भी ७५) रु० प्रति माह प्रति छात्र छात्रवृत्ति दी जाती है। अन्य कॉलेजों की पढ़ाई के लिए और पोस्ट-मेट्रिक की पढ़ाई के लिए भी लगभग ४०) रु० प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है और इसी प्रकार से ४०) रु० सेंट्रल गवर्नमेंट से छात्रवृत्ति दी जाती है उनका स्टेंडर्ड मेन्टेन करने के लिए। इन छात्रवृत्तियों के आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज हम जिस प्रकार का प्रयत्न इस राज्य में कर रहे हैं, इसका अंकन दूसरे राज्यों के संतुलन के साथ में कर सकते है। मैं यह मान सकता हूं कि हर एक के कार्य में दोष हो सकता है। यहां पर कोई दोष न हो ऐसी बात नहीं है। जो कोई चलने लगेगा तो उसको ठोकर भी लग सकती है। जो बैठे-बैठे इंगित करेगा वह तो बहुत आसानी से इंगित कर सकता है कि वह चलना नहीं जानता परन्तु चलने वाला जानता है कि उसके अन्दर संकट कितने हैं और रोड़े कितने हैं। इसलिए कम्परेटिव स्टेटमेंट से मैं अर्ज करना चाहता हूं और वह कम्परेटिव स्टेटमेंट जो ऐज्यूकेशन और एग्रीकल्चर में और को-ऑपरेटिव डवलपमेंट में काम हुआ है विभिन्न राज्यों में, उसके विषय में है, जिसे मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश में १३४.४१ लाख हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और ४१.५६ लाख हैं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ये सब एज्यूकेशन के आंकड़े ही दे रहा हूं। एग्रीकल्चर को छोड़ देता हूं अभी। आसाम में १७ लाख हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए १३ लाख हैं। बिहार में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए २७२.०० और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए २६१.०० हैं, ये सब लाखों में है। गुजरात में २०.०५ और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ७७.२५ है। जम्मू एण्ड कश्मीर में १२.३५ है शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और केरल में ८९.७५ है शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और ११.५८ हैं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में ८३.९४ हैं शिड्यूल्ड

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

कास्ट्स के लिए और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ३१७.२२ । इसी प्रकार के फीगर्स मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के हैं, इन सब को पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता परन्तु राजस्थान में इनके मुकाबले में कितना काम हुआ है, यह बताना चाहता हूं । आज जो दूसरे और भी बड़े प्रगतिशील प्रांत कहे जा सकते है उनका मैं उल्लेख कर चुका हूं उनके मुकाबले में आज यहां राजस्थान के अन्दर ५० लाख शिड्यूल्ड कास्ट्स पर और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर १०० लाख की, करीब एक करोड़ रु० की धनराशि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च हुई है। एग्रीकल्चर साइड मे ७९ लाख रुपया और इसी प्रकार को-ऑपरेटिव डवलपमेंट में ३८ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है । इसके मुकाबले में कहीं ८ लाख है, कहीं २.०४ मिलेगा तो कहीं मिलेगा ११.६९ और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ, को-ऑपरेटिव डवलपमेंट की तरफ कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपसे निवेदन करूं कि पंजाब में निल के आंकड़े दिखते हैं, अब यह पता नहीं कि आंकड़े आए नहीं या...

श्री जयनारायण सालोदिया : ये आंकड़े आप किस आधार पर दे रहे हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : आधार तो अंकन ही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : किसी रिपोर्ट में से दे रहे हैं या कहां से मिले हैं आपको ये आंकड़े ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अंकन विभाग के जो आंकड़े निकलते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कौनसी रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : हम इन आंकड़ों को चैलेंज करते हैं कि ये सही नहीं हैं, आप हमें बताइये कि इनका आधार क्या है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यह आधार मैं आपको दे दूंगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम भी उस रिपोर्ट को देख लें और उसके आधार पर जानकारी प्राप्त कर लें । यह कौनसी रिपोर्ट के कौनसे पेज पर है ?

श्री श्रवणलाल : ये आंकड़े कहां से लिये हैं कम से कम यह तो कह दें ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट १९६४–६५ में ये हैं।...

श्री जयनारायण सालोदिया : शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट १९६४-६५ ? क्या आयोग की रिपोर्ट ? यह कहां से आ गई ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय सदस्य, मैं तो आपको सांकेतिक भाषा में ही कह रहा हूं।

तो इस प्रकार से यह प्रगति का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

इसके अलावा अब कुछ बातें कोई को-ऑपरेटिव्ज के लिए और उसके बाद में भू-आवंटन की बात है । मैं आपको पहले को-ऑपरेटिव्ज के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि सहकारी वित्त निगम की योजना इस वर्ष में हो रही है । वह भी कायम की जायगी और फाईनेन्शियल कार्पोरेशन की तरह से वह रहेगी ।

इसके अलावा मैं निवेदन कर दूं कि को-ऑपरेटिव्ज के अन्दर ट्राइबल को-ऑपरेटिव

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

सोसाइटीज ६१-६२ में १११ थीं, ६२-६३ में १३३ थीं, ६३-६४ में १५०, ६४-६५ में २३१, ६५-६६ में १३१ और इस प्रकार से टोटल तीसरे प्लान में ७६२। ६६-६७ के अन्दर और करने का विचार है. और टोटल ट्राइबल फोरेस्ट को-ऑपरेटिव्ज १०४ थर्ड प्लान के अन्दर थी। इनको २९.९८ लाख रुपया दिया गया। अब मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं और ६६-६७ के अन्दर ३.३२ लाख का प्रावधान रखा था और खर्च हुआ ६७-६८ में चार लाख और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए इसके अन्दर रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको दूसरे कई विभागों का आश्रय लेना पड़ता है। हमारा कुल उसके अन्दर यही काम रहता है कि हम रकम को उनको सम्हला दें। फिर भी उसकी देख-रेख के लिए उसके लियोजो के लिए एक असिसटेन्ट डाइरेक्टर के पद का व्यक्ति है वह टी० डी० ब्लॉक्स में फॉरेस्ट को-ऑपरेटिव्ज का लियोजो बराबर रखे, उसके ताल्लुक यह काम रखा है।

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदय, हाउस का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़े-बड़े आंकड़ों पर प्रकाश डालें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करूंगा कि एक जमाने में हाउस का टाइम १२ बजे तक रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह शिड्यूल्ड कास्ट्स की इसी रिपोर्ट पर रहा है।

श्री श्रवणलाल : सदस्यों को नींद आ रही है।

श्री सभापति : स्वाभाविक है।

श्री भैरोंसिंह : यह व्यवस्था कर दी जाय कि जो सदस्य सुनना चाहें माननीय मन्त्री महोदय के घर पर चले जायं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वह तो ठीक है ही। इसके साथ-साथ मैं टी. डी. ब्लॉक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि टी० डी० ब्लॉक्स जो आज इस समय तक हैं (कई स्लिप्स देखने लगे)।

श्री जयनारायण सालोदिया : रोडवेज के कन्डक्टर के पास जितने टिकट होते हैं उतनी स्लिप्स हैं।

श्री सभापति : मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि अपना उत्तर संक्षिप्त रूप में जितनी जल्दी हो सके देने का प्रयत्न करें।

श्री भैरोंसिंह : समय निर्धारित कर दें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन-जाति विकास खण्ड १८ हैं। जहां इस वर्ग की जनसंख्या ६६ प्रतिशत के ऊपर है वहां ये बनाये जाते हैं, और इन टी० डी० ब्लॉक्स का प्रावधान है कि जहां इस कास्ट की ५० प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या होती है तो इसमें बनाया जाता है। इसके विषय में मैं निवेदन कर रहा था कि फॉरेस्ट को-ऑपरेटिव्ज का काफी इसके अन्दर काम चालू है और १६०० कूप्स इन फॉरेस्ट को-ऑपरेटिव्ज को वर्क करने के लिए दिये गये थे। अभी-अभी यह रेफरेन्स भी हुआ था कि आज तक तो तीन वर्षों के पुराने अनुपात से ठेका फॉरेस्ट को-ऑपरेटिव्ज को दे दिया जाता था जंगल का लेकिन अब यह सोचा गया कि कुछ इनको स्वावलम्बी भी होना चाहिए, और इनको अपने पांवों पर खड़े होने का मौका दिया जाय, और इस आशय के–

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

कुछ सुझाव कुछ माननीय सदस्यों के थे। अभी तक तो यह विचार किया गया है साढ़े बारह प्रतिशत पर बोली लगाकर इनको कर दिये जायें। उसका आशय यह था कि बोली लगे उसका साढ़े बारह प्रतिशत कम पर इनको दे दिया जाय। इसमें समाज कल्याण विभाग का ही नहीं बल्कि को-आॅपरेटिव विभाग के साथ मिलकर केबिनेट ने यह निश्चय किया है कि साढ़े बारह प्रतिशत पर ठेका दिया जाय और ठेका को-आॅपरेटिव्ज को ही नहीं दिया जाय ताकि वे अपने पांवों पर खड़ा रहना सीखें। लेकिन इसके अन्दर कुछ रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं कि साढ़े बारह पर्सेन्ट बहुत कम होता है, या तो महाराष्ट्र का पैटर्न या गुजरात में जिस तरह का पैटर्न है उस प्रकार का हो तो उस विषय में विचार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पैटर्न को किस प्रकार से यहां पर अपनाया जाय। यह जो को-आॅपरेटिव्ज है उनको कितनी हद तक छूट देकर ठेके दिये जायें। मैं इस बात को मानता हूं कि ठेके की प्रथा से जंगल की बरबादी काफी होती है, उससे आमदनी भले ही होती हो, लेकिन जितनी वन-सम्पत्ति को बढ़ाना चाहते हैं शायद उसके अन्दर कमी आ जाती है। इस दृष्टि से यह वन-विभाग में अलग से विचाराधीन बात हो सकती है, परन्तु यह जरूर सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाय कि जिससे को-आॅपरेटिव्ज को साथ में रखा जा सके। वहां पर इसके लिए एक स्पेशल आॅफिसर फॉरेस्ट को-आॅपरेटिव्ज हैं, और इसमें टी० डी० एक्सटेन्शन आॅफिसर जैसी दूसरी प्रकार की जगह हम एक सहायक संचालक, जैसा मैंने निवेदन किया, रख रहे हैं जो टी० डी० के सारे कार्यों को और इसके कोआॅर्डिनेशन देखेगा।

इसके बाद में कुछ आवास के विषय में जो कुछ बातचीत हुई इसके विषय में प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं।

श्री श्रवणलाल : On a point of order, हाउस में कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : (गणना के पश्चात्) कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ७ बज कर ३८ मिनट पर दिनांक २० जुलाई, १९६७ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

—:※:—

परिशिष्ट—१

(तारांकित प्रश्न संख्या ९०५ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	नाम जागीर	नाम ठेकेदार जिसको वन काटने की अनुमति मिली	क्षेत्रफल जिसमें कटाई की अनुमति दी गई
१.	ईसरदा	श्री सरदार अहमद	१४०० एकड़
२.	ईसरदा	श्री भैरोंसिंह	१५०० एकड़
३.	ईसरदा	श्री गुलाब खां	क्षेत्रफल आदेश स्वीकृति में दर्ज नहीं है ।
४.	ईसरदा	श्री नूर अहमद	३५० एकड़
५.	खोह	श्री सूरजभानसिंह श्री रणजीतसिंह	७५५४ एकड़ १६ बिस्वा

———

परिशिष्ट—२

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बीकानेर में पेय जल की कमी

९१९. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गर्मी के दिनों में बीकानेर शहर में पेय जल की कमी रहती है ? अगर हां, तो इस कमी को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी हां। पानी की कमी को पूरा करने के लिए नई योजनाएं विभाग के विचाराधीन हैं और स्वीकृति एवं धनराशि उपलब्ध होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

तहसील जहाजपुर में सिंचाई के साधनों का अभाव

९२०. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जहाजपुर तहसील में सिंचाई का कोई साधन नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ बांधों की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस बांध को ?

(३) सरकार उक्त योजना कब तक पूरी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। धौर व बारलापुलिया विचाराधीन हैं व ठण्डोला एवं अमरगढ़ की प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है।

(३) योजना में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

वैद्य का तबादला

९२१. श्री रामचन्द्र (खंडेला): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सीकर में कोई "अ" श्रेणी का औषधालय है व इसके प्रधान चिकित्सक श्री भागीरथमल वैद्य थे ? यदि हां, तो उक्त वैद्य का सीकर से कौनसी तारीख को कहां के लिये तबादला हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त वैद्य का तबादला दिसम्बर, सन् १९६६ से फरवरी, सन् १९६७ की अवधि में चार बार हुआ ? यदि हां, तो किन कारणों पर ?

(३) गत आम चुनावों के दरमियान राज्य सरकार ने जब सभी प्रकार के तबादलों को बन्द कर दिया था तो राज्य सरकार की आज्ञा के विपरीत फिर इतने तबादले क्यों हुए ?

उत्तर

(१) जी हां। सीकर में 'ए' श्रेणी औषधालय है। वहां के "ए" श्रेणी औषधालय के प्रधान चिकित्सक वैद्य भागीरथ नहीं थे। वैद्य श्री भागीरथ का स्थानान्तरण सीकर से औषधालय मजमगढ़ बेरी (झुन्झुनू) दिनांक ६ नवम्बर, १९६६ को हुआ।

(२) वैद्य श्री भागीरथ का परिवर्तन मजनगढ़ बेरी व डूंडलोद किया गया था परन्तु प्रशासनिक दृष्टि से दोनों स्थानों पर रखना उपयुक्त नहीं समझ कर झाझड़ में स्थायी पोस्टिंग किया गया है।

(३) नवीन औषधालय जो खोले जाते हैं प्रशासनिक दृष्टि से उनकी व्यवस्था करना परम आवश्यक होता है इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुये ये परिवर्तन किये गये, जो विभागीय हित में सर्वथा औचित्यपूर्ण थे।

मारबल की खानों के प्लॉट

९२२. श्री रावतराम (छापर-सु.) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खनिज विभाग के संचालक, उदयपुर ने मकराना (जिला नागौर) की मारबल खानों के लिये यह आदेश दे रखे हैं कि खान का प्लॉट २००×२०० का ही दिया जाय, इससे कम नहीं ? यदि हां, तो संचालक के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि खान नं० २२६, २२६/१-ए, ७०/१ का क्षेत्र २००×२०० है ? यदि नहीं, तो उक्त प्लॉट्स स्वीकृत क्यों किये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त खानों की प्राप्ति के लिये बहुतसे लोगों की दरख्वास्तें आई थीं, लेकिन कुछ लोगों की दरख्वास्तों को यह कह कर खारिज कर दिया कि उक्त प्लॉटों का क्षेत्र २००×२०० नहीं है ? यदि हां; तो उक्त प्लॉट अन्य लोगों को कैसे स्वीकृत किये गये हैं ?

(४) जिन लोगों को स्वीकृत किये गये व जिनके अस्वीकृत किये गये उनके पूरे नाम व विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां। १५-७-६६ को। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) जी नहीं। खान नं० २२६ उपरोक्त आदेश के पहले से ही स्वीकृत है। खान नं० ७०/१ चालू बापी खान थी। खान नं० २२६/१-ए पुरानी खान थी इसलिये इसे बढ़ाकर २००×१५० फुट की बनाकर खनिज विकास हेतु स्वीकृत की गयी।

(३) २२६/१-ए के अतिरिक्त किसी भी खान के लिये बहुतसे लोगों की दरख्वास्तें नहीं आईं। इसके लिये ४ व्यक्तियों की दरख्वास्तें आईं और श्री अब्दुलसतार का आवेदन-पत्र सबसे पहला होने के कारण यह खान उसे दी गई।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

From:—	To:—
The Director, Mines & Geology, Udaipur.	The Assistant Mining Engineer, Makrana.

No. DMG/F. 4 (A) 19 (66) 230
Dated 15-7-66.

Sub:–Periodic visit of Important Mineral Properties-Makrana Marble Quarries.

Ref:–Your Endorsement No. AME/MKN/CCII/1782, dated 21-6-66.

Till the report of Makrana Development Committee is finalised

size of Plot 200×200 ft. is approved. You are, therefore, requested please to take immediate necessary action in this connection. This will be a progressive step in improving upon the small-sized dimension now in force.

Sd. M. L. SETHI,
Director of Mines & Geology, Udaipur.

सूची

जिन्हें खानें दी गईं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) खान नं० २२६ श्री मीयाराम ।
(२) खान नं० २२६/१-ए श्री अब्दुलसतार ।
(३) खान नं० ७०/१ श्री हरसुखलाल ।

खान नं० २२६/१-ए के आवेदकों की सूची जिन्हें यह खान अस्वीकृत की गई:—

(१) श्री अब्दुल रजाक पुत्र ईसाजी ।
(२) श्री अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद यूसुफ ।
(३) श्री जमील अहमद पुत्र श्री घीसाजी ।

जयपुर में सिविल कोर्ट्स के लिए भवन

६२३. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर नगर में सिविल कोर्ट्स के एक स्थान पर सुचारुरूप से कार्य करने की सुविधा हेतु कोई इमारत बनाने की सरकार के पास योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कहां पर इमारत बनाने की है ?

(२) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की योजना द्वारा शीघ्र इमारत निर्माण कराने की व्यवस्था का आश्वासन देने को तैयार है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । अभी कोई योजना ही नहीं है । अतः आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मकराना नगर में खनिज विभाग का कुआ

६२४. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मकराना नगर में जो कुआ खनिज विभाग ने खोदा है उसमें कुल कितना खर्च हुआ है ?

(२) उसमें पानी की कैपेसिटी कितनी है ?

(३) यह पानी किसको दिया जाता है ?

उत्तर

(१) ८०,४१५.१५ पैसा ।

(२) इस समय कुए की कैपेसिटी ६ हजार गैलन प्रति २४ घन्टे की है ।

(३) खान मालिकों, फैक्ट्री मालिकों, मजदूरों एवं अन्य पास के लोगों को ।

रायपुर बांध, नीम-का-थाना

६२५. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम-का-थाना): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रायपुर बांध, तहसील नीम-का-थाना में कब प्रारम्भ होकर पूरा हुआ ?

(२) क्या बांध में प्रथम बार पानी रुकने पर सीपेज हुआ ? यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रबन्ध हुआ ?

(३) क्या पिछली साल इस बांध में पानी रोका गया था ? यदि हां, तो उससे कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई और क्या आमदनी हुई ?

(४) क्या यह सही है कि इस बांध की नहरों का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) रायपुर बांध के लिये कितनी कृषि भूमि, कुए एवं मकान अवाप्त किये गये व अवाप्ति किये कितना समय हुआ है ?

(६) अवाप्त की गई सम्पत्ति का कितना मुआवजा कब निश्चित हुआ ? क्या यह मुआवजा सम्पत्ति के मालिकों को अदा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ? अब कब तक अदा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जनवरी, सन् १९६२ में आरम्भ हुआ और जून, ६६ में पूरा हो गया।

(२) जी हां, इसके लिए Filter बना दी गई है।

(३) जी हां, बांध में पानी वर्षा कम होने से बहुत कम आया था। सिंचाई न होने के कारण आमदनी न हो सकी।

(४) जी हां। तख्मीना बन रहा है।

(५) ४४० एकड़ भूमि, २६ कुए तथा १४ मकान अवाप्त किये गये। अवाप्ति किए हुए करीब १ वर्ष हो गया है।

(६) १४ मकानों का मुआवजा ६,५६८) रुपये बांध में पानी भरने से पहिले दिया जा चुका था। भूमि का मुआवजा ८२,७६७) रु० तैयार होकर आया है इसका भुगतान किया जा रहा है। कुओं का मुआवजा अभी भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां से तैयार होकर नहीं आया है। मुआवजा तैयार होने पर तुरन्त भुगतान कर दिया जावेगा।

श्री माधोपुर में दी गई जमीन के पट्टे

९२६.. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका श्री माधोपुर के काम चलाऊ अध्यक्ष ने दिनांक २२, २३, २४ मई को सफेद जमीन को कब्जाशुदा बता कर सदस्यों व उनके सम्बन्धियों को पट्टे बना दिये ? यदि हां, तो किस-किस को पट्टे दिये ?

(२) क्या यह सही है कि जिस भूमि के पट्टे दिये वहां जयपुर, सीकर की बसों का स्टेण्ड है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त तारीखों को ही खामघरों को पुख्ता बताकर बिना नीलाम किये ही नगरपालिका ने पट्टे दे दिये ? यदि हां, तो किस किस को ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त पट्टों से नगरपालिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितने का ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त पट्टों आदि के बारे में जनता व अध्यक्ष, नगरपालिका, श्री माधोपुर ने सरकार के पास शिकायत की है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(१) दि० २४-५-६७ को अवैधानिक रूप से मीटिंग कर निम्न व्यक्तियों को सरकारी

खाली भूमि के पट्टे देना अध्यक्ष, नगरपालिका ने बतलाया है:—

(१) श्री चिरंजीलाल, निरंजनलाल
(२) श्री हरिनारायण
(३) श्री मालीराम
(४) श्री दीनानाथ

(२) अध्यक्ष, नगरपालिका ने इन जमीनों के स्थान को बसों का स्टेण्ड ही बतलाया है।

(३) निम्न १२ व्यक्तियों को इनके नाम के आगे अंकित तारीखों को खाम से पुख्ता निर्माण कार्य करने की स्वीकृति दी गई है:—

(१) श्री महन्त श्यामदास	२४-५-६७
(२) श्री रामदेव पसारी	२४-५-६७
(३) श्री शिवसहाय, जगन्नाथ	२४-५-६७
(४) श्री सालगराम	३०-७-६६
(५) श्री दामोदरप्रसाद	२३-५-६७
(६) श्री सोहनलाल पंजाबी	२४-५-६७
(७) श्री मोलीराम, प्रभुदयाल	२३-५-६७
(८) श्री श्रीराम	३०-१-६७
(९) श्री महन्त गोपालदास	२३-५-६७
(१०) श्री हरिनारायण शर्मा	२३-५-६७
(११) श्री ओगड़मल	१४-५-६७
(१२) श्री गजानन्द मोटीवाला	२४-५-६७

(४) अध्यक्ष, नगरपालिका ने २५,००० रुपयों का आर्थिक नुकसान होना बतलाया है।

(५) सब-डिवीजनल ऑफिसर, नीम-का-थाना द्वारा जांच कर ली गई है। जांच रिपोर्ट जिलाधीश, सीकर के विचाराधीन है। प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(१२-७-६७)

नगरपालिका, सरदारशहर

७८०. **श्री मेघराज** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका, सरदारशहर के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को सन् १९५८ से १९६५ तक कितनी बार निलम्बित किया गया तथा किस आरोप में? निलम्बन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) नगरपालिका सरदारशहर के निर्वाचित बोर्ड को उपरोक्त अवधि में कितनी बार भंग किया तथा किन-किन आरोपों के आधार पर? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सन् १९५७ से १९६५ तक की अवधि में एक-एक बार निलम्बित किया गया। अध्यक्ष, नगरपालिका सरदारशहर को संलग्न आरोप सूची के कारण निलम्बित किया गया था तथा उपाध्यक्ष को संचालक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर व जिलाधीश, चूरू के आदेशों की अवहेलना के कारण निलम्बित किया गया था। आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी है।

(२) उपरोक्त अवधि में अनिर्वाचित बोर्ड को दो बार भंग किया गया। जिन कारणों से नगरपालिका को भंग किया गया वे सम्बन्धित आदेशों में समाविष्ट है। प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

परिशिष्ट—३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ का उत्तर देखिये)

FINAL LIST OF THE VILLAGES WITHIN THE PROPOSED URBAN LIMITS OF JAIPUR

S. No.	Name of Villages.	S. No.	Name of Villages.
1.	Jaisla.	36.	Bhawani Shankerpura.
2.	Bir Jaisla.	37.	Galta.
3.	Mayla Bagh.	38.	Mahadeopura.
4.	Amber.	39.	Jamdoli.
5.	Paper.	40.	Moti Dungri (Shankergarh).
6.	Mahapura (Kukar Khera).	41.	Bhojpura.
7.	Charandi.	42.	Sudarshanpura.
8.	Nangal Jaisa Bora.	43.	Madrampura.
9.	Shri Munipura (Murli-Manoharpura).	44.	Baragaon (Sushilpura).
10.	Harnathpura.	45.	Choohawas (ii) (II).
11.	Bir Sarkari.	46.	Lalawas (Lalarpura).
12.	Kishanbagh.	47.	Girdharpura.
13.	Nahargarh.	48.	Dhaowas.
14.	Vijaymahal.	49.	Hirapura.
15.	Parasrampura.	50.	Sodala.
16.	Jhotwara.	51.	Rajpura (Kartarpura).
17.	Gokalpura.	52.	Rampura Rupa.
18.	Bad Tilewala.	53.	Manpura Meonwala.
19.	Bassi Sitarampura.	54.	Gopalpura.
20.	Badanpura.	55.	Deorit.
21.	Barodia.	56.	Brijlalpura.
22.	Chak Hasanpura.	57.	Anandpura (Gokalpura).
23.	Sahajpura.	58.	Badarwas.
24.	Jagannathpura.	59.	Gajsinghpura.
25.	Hassanpura.	60.	Keshopura.
26.	Bir Khatipura.	61.	Bhankroth Kalan.
27.	Bishna-ki-Nagar.	62.	Sri Ramgopalpura (Bhojawas).
28.	Lawa-ki-Bas.	63.	Asarpura.
29.	Kanakpura.	64.	Nandkishorepura.
30	Pancha-ki-Nangal.	65.	Mangiawas.
31.	Saliwas.	66.	Singarpura.
32.	Machra.	67.	Chak Ganpatpura.
33.	Pempura.	68.	Ganpatpura.
34.	Hathroi.	69.	Bhanpura Devri.
35.	Chak Bhawani Shankerpura.	70.	Jhalana Chor.
		71.	Jhalana Doongar.

S. No.	Name of Villages	S. No	Name of Villages
72.	Dhula.	100.	Sanganer.
73.	Bindaika.	101.	Ramsinghpura Bas.
74.	Toda Ramjanpura	102.	Jaisinghpura.
75.	Jagatpura (Jaichandpura).	103.	Shahpura.
76.	Manoharpura.	104.	Madau.
77.	Sawi-Galtor.	105.	Jagatsiromanpura.
78.	Ramjipura.	106.	Pipla Bharatsingh.
79.	Chainpura.	107.	Jaisinghpura Bas (Bhankrota).
80.	Durgapura.	108.	Sri Rampura.
81.	Surajpura.	109.	Chimanpura.
82.	Bad Bolak.	110.	Sirsi.
83.	Balrampura.	111.	Bir Sankri.
84.	Ramsinghpura Dholai.	112.	Manpura Sarwar.
85.	Ramsinghpura.	113.	Kishanpura (Lalwas).
86.	Narotampura.	114.	Kishanpole.
87.	Mohanpura.	115.	Kilangarh.
88.	Badh Mohanpura.	116.	Santok Sagar.
89.	Kalyanpura.	117.	Talkatora.
90.	Sukhis.	118.	Moti Katla.
91.	Jaitpura.	119.	Sewage farm.
92.	Khokawas.	120.	Chak Dhula.
93.	Budhsinghpura.	121.	Harbanspura.
94.	Tilawala.	122.	Hashanpura.
95.	Laobmi Damodarpura.	123.	Shri Rampura.
96.	Chak Gaitor.	124.	Chak Pithwas Badaram.
97.	Dhahlawas.	125.	Shri Maharaj Gopalpura Urf. Chak Sunder-ka-Bas.
98.	Shopur (Shiv Singhpura).		
99.	Bambala.		

परिशिष्ट—४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६८७ का उत्तर देखिये)

सूची (अ)

वर्ष	खर्चा
६१–६२	३२,४३८.००
६२–६३	२१,४८१.००
६३–६४	२३,१४५.००
६४–६५	३६,६०१.००
६५–६६	३५,५२३.००
६६–६७	३१,७२२.००
	योग ··· १,८०,९१०.००

सूची (ब)

वर्ष	प्रवेश सं०	मुक्ति सं०	पुनर्वास सं०
६०-६१	९२	४३	३
६१-६२	७४	१०२	२८
६२-६३	५२	५०	४
६३-६४	३४	२८	४
६४-६५	३५	४०	१
६५-६६	३५	३१	२
६६-६७	११	५	—
योग ····	३३३	२९९	४२

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १६ जुलाई, १९६७)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५	अन्तिम से ३	निर्पारित	निर्धारित
६	६	मरकार	सरकार
७	२१	नको	उनको
१६	अन्तिम	Pleas !	Please !
१७	२१	शुरु में करने	शुरू न करने
२३	५	अपना	के कारण अपना
३०	१३	व लीगली	वह लीगली
३०	२३	इटेन्शन्स	इन्टेन्शन्स
४३	अन्तिम से ११	स्टे ने	स्टेड ने
५६	अन्तिम से १३	जो खोदते	खोदते
८८	१३	प्राप्त नहीं हुएहैं ।	प्राप्त नहीं हुए हैं । (सूची प्राप्त नहीं हुई)
१२८	१०	बरला	बैरवा
१४३	५	प्रागरा	आगरा
१५४	२०	वसी था	बसा था
१६५	१७	Proscribe	Prescribe
१८६	अन्तिम से १०	ता....	तो...
२१३	अन्तिम से ६	८ व	८ वर्ष
२१५	अन्तिम से ४	अ दि	आदि
२२४	६	अन्दर में	अन्दर
२२६	अन्तिम से ६	सरकार	सरकार को
२२६	४	जांव	जांच
२८७	१६	कुमार कुसुम	कुमारी कुसुम
३०८	१	ामलेगा	मिलेगा

१	२	३	४
३१५	२	भ दूंगा	भी दूंगा
३१७	१६	इन कामों	इन कौमों
३१७	२०	हा	ही
३१७	अन्तिम से ६	सुवधा दो	सुविधा दी
३१८	२२	उच्च्च	उच्च
३३५	१३	आत्रावृति	आत्रवृति